CENTRAL SECRETARIAT LIBRARY
GOVT. OF INDIA

REGISTERED NO. D-(D)—73

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 22] नई दिल्ली, शनिवार, जून 2, 1979 (ज्येष्ठ 12, 1901)
No. 22] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 2, 1979 (JYAISTHA 12, 1901)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग III—खण्ड 1
PART III—SECTION 1

उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार के संलग्न और अधीन कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं

[Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, the Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India.]

संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 27 अप्रैल 1979

सं० ए० 19014/2/79-प्रशा० I—भारतीय राजस्व सेवा अधिकारी श्रीमती प्रेम वी० पी० सिंह को, राष्ट्रपति द्वारा संघ लोक सेवा आयोग के कार्यालय में 16 अप्रैल, 1979 के से अवर सचिव के पद पर नियुक्त किया जाता है।

एस० बालचन्द्रन,
अवर सचिव
संघ लोक सेवा आयोग

नई दिल्ली-110011, दिनांक 30 अप्रैल 1979

ए० 32014/1/79-प्रशा० III—संघ लोक सेवा आयोग सचिवालय सेवा संवर्ग के निम्नलिखित स्थायी सहायकों को राष्ट्रपति द्वारा, प्रत्येक के सामने दर्शायी गई अवधि के लिए अथवा आगामी आदेशों तक, जो भी पहले हो, उसी संवर्ग में अनुभाग अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से, तदर्थ आधार पर, कार्य करने के लिए नियुक्त किया जाता है।

क्र०सं०	नाम	अवधि जिसके लिये अनुभाग अधिकारी नियुक्त किया गया
1.	श्री बी० आर० बसरा	2-5-79 से 30-6-79 तक
2.	श्री आर० के० जसूजा	1-5-79 से 30-6-79 तक
3.	श्री एस० एन० शर्मा	1-5-79 से 30-6-79 तक
4.	श्री जय नारायण	1-5-79 से 30-6-79 तक

एस० बालाचन्द्रन
अवर सचिव
(प्रशासन प्रभारी)
संघ लोक सेवा आयोग

86GI/79

केन्द्रीय सतर्कता आयोग

नई दिल्ली, दिनांक 4 मई 1979

सं० 29 आर० सी० टी० 5—केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त एतद्द्वारा श्री देवेन्द्र सिंह, भारतीय रेल सेवा अभियंता के अधिकारी को 4 मई, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक स्थानापन्न रूप से केन्द्रीय सतर्कता आयोग मे विभागीय जांच आयुक्त नियुक्त करते हैं।

कृष्ण लाल मल्होत्रा
अवर सचिव
कृते केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त

प्रवर्तन निदेशालय

(विदेशी मुद्रा विनियमन ~~अधिनियम~~)

नई दिल्ली-1, दिनांक 19 अप्रैल 1979

(नियुक्ति)

ए-4/1/78—निम्नलिखित सहायक प्रवर्तन अधिकारी उनके द्वारा अपने-अपने पद का कार्यभार ग्रहण करने की तारीख से अगले आदेशों तक के लिए प्रवर्तन अधिकारी के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त किए गए है।

उनकी नियुक्ति के स्थान और कार्यभार ग्रहण करने की तारीख उनके प्रत्येक के नाम के सामने दी गई है :—

क्र० सं०	नाम	नियुक्ति का स्थान	कार्यभार ग्रहण करने की तारीख
1.	श्री ए० के० मुर्मू	गोहाटी	4-12-78
2.	श्री आर० चक्रपाणि	मद्रास	8-3-79
3.	श्री ए० एन० नायक	गोवा	16-12-78
4.	श्री एन० के० उन्नित्था	कलकत्ता	1-1-79
5.	श्री के० चक्रवर्ती	गोहाटी	21-3-79

जे० एन० अरोड़ा
उप निदेशक (प्रशासन)

गृह मन्त्रालय

महानिदेशालय केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल

नई दिल्ली-110001, दिनाक 10 मई 1979

सं० ओ० दो० 1437/79-स्थापना—महानिदेशक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल ने डाक्टर (कुमारी) ऊमारानी नारजरी को 19-4-1979 के पूर्वाह्न से केवल तीन माह के लिए अथवा उस पद पर नियमित नियुक्ति होने तक, इनमे जो भी पहले हो, उस तारीख तक केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी के पद पर तदर्थ रूप मे नियुक्त किया है।

दिनांक 14 मई

सं० डी एक-12-77 स्थापना-
अधीक्षक, के० रि० पु० बल की सेवा
में प्रतिनियुक्ति पर जाने के फलस्वरूप उनके
को उनके सामने लिखी तिथियों से निवर्तित

1. श्री एस० के० रथ, 28-2-79
ग्रुप सेन्टर (गोहाटी)
2. श्री रणवीर सिंह, 29वी वाहिनी 16-3-79 (अपराह्न)

दिनांक 16 मई 1979

सं० ओ० दो० 1079/78-स्थापना—राष्ट्रपति ने कनिष्ट चिकित्सा अधिकारी (जनरल ड्यूटी आफिसर ग्रेड II) डाक्टर एन० नागराज राव, बेस हास्पिटल नं० 2 केन्द्रीय रिजर्व ~~पुलिस बल हैदराबाद का, स्वीकृत दिनांक 25 अप्रैल~~, 1979 अपराह्न से स्वीकृत कर लिया।

ए० के० बन्धोपाध्याय
सहायक निदेशक (प्रशासन)

महानिरीक्षक का कार्यालय

केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल

नई दिल्ली-110019, दिनांक 9 मई 1979

सं० ई०-38013(3)/1/78-कार्मिक—नीमच को स्थानांतरित होने पर श्री रघुनाथ सिंह ने 31 मार्च, 1979 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० प्रशिक्षण रिजर्व, बी० एच० ई० एल० हरिद्वार के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार छोड़ दिया।

सं० ई-38013(3)/1/78-कार्मिक—हरिद्वार से स्थानांतरित होने पर श्री रघुनाथ सिंह ने श्री ईश्वर सिंह, सहायक कमांडेंट के स्थान पर 16 अप्रैल, 1979 के अपराह्न से के० औ० सु० ब० यूनिट जी० ओ० एफ० नीमच (म० प्र०) के सहायक कमांडेंट के पद का कार्यभार संभाल लिया और श्री ईश्वर सिंह भिलाई को स्थानान्तरित होने पर उक्त पद का कार्यभार उसी तारीख से छोड़ दिया।

ह० अपठ
महानिरीक्षक/के० औ० सु०

भारत के महापंजीकार का कार्यालय

नई दिल्ली-110011, दिनांक 14 मई 1979

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, कर्नाटक, बंगलौर में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री आर० वाई० रेवशेट्टी को, उसी कार्यालय मे तारीख 17 अप्रैल, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते है।

श्री आर० वाई० रेवशट्टी का मुख्यालय बंगलौर में होगा।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, हरियाणा, चण्डीगढ़ में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री जे० आर० वशिष्ठ को भारत के महापंजीकार के कार्यालय में तारीख 24 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

श्री जे० आर० वशिष्ठ का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा ।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, जम्मू व कश्मीर, श्रीनगर में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री सी० एल० छेहरा को जनगणना कार्य निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में तारीख 23 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

श्री छेहरा का मुख्यालय लखनऊ में होगा ।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, राजस्थान, जयपुर में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री आर० सी० भार्गव को उसी कार्यालय में तारीख 16 अप्रैल, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

श्री भार्गव का मुख्यालय जयपुर में होगा ।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, केरल, त्रिवेन्द्रम में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक और इस समय तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर कार्यरत श्री एम० जयशंकर को, उसी कार्यालय में तारीख 11 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री जयशंकर का मुख्यालय त्रिवेन्द्रम में होगा ।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, पंजाब, चण्डीगढ़ जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री ए० एस० पाबला को उसी कार्यालय में तारीख 11 अप्रैल, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्त करते हैं ।

श्री पाबला का मुख्यालय चण्डीगढ़ में होगा ।

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री डी० पी० चटर्जी को उसी कार्यालय में तारीख 11 अप्रैल 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थाई क्षमता में, सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर सहर्ष पदोन्नति पर नियुक्ति करते हैं ।

श्री चटर्जी का मुख्यालय कलकत्ता में होगा ।

सं० 11/1/79-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, मध्य प्रदेश, भोपाल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर कार्यरत श्री आर० के० पुरी को 30 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक नियमित आधार पर अस्थायी क्षमता में, गुजरात, अहमदाबाद में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य, उप निदेशक पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री पुरी का मुख्यालय अहमदाबाद में होगा ।

सं० 11/1/79-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, गुजरात, अहमदाबाद में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर कार्यरत श्री एम० एल० शर्मा को तारीख 9 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थायी क्षमता में, मध्य प्रदेश, भोपाल में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य उप निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री शर्मा का मुख्यालय भोपाल में होगा ।

सं० 11/1/79-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, राजस्थान, जयपुर में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में सहायक निदेशक जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर कार्यरत श्री आर० डी० अग्रवाल को 25 अप्रैल, 1979 के अपराह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थायी क्षमता मे, बिहार, पटना में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में जनगणना कार्य उप निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री अग्रवाल का मुख्यालय पटना में होगा ।

सं० 11/47/79-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के उत्तर प्रदेश संवर्ग के अधिकारी श्री रवीन्द्र गुप्ता को तारीख 24 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री गुप्त का मुख्यालय लखनऊ में होगा ।

सं० 11/63/79-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के पश्चिम बंगाल संवर्ग के अधिकारी, श्री एस० एन० घोष को, तारीख 24 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक पश्चिम बंगाल, कलकत्ता में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

2. श्री घोष का मुख्यालय कलकत्ता में होगा ।

सं० पी०/एम० (24)-प्रशा० एक—विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश और संघ लोक सेवा आयोग के साथ परामर्श करने पर राष्ट्रपति, श्री विजय प्रसाद महापात्र को तारीख 30 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, सहायक महापंजीकार (भाषा) के पद पर स्थायी तौर पर सहर्ष नियुक्त करते हैं ।

श्री महापात्र का मुख्यालय कलकत्ता में होगा ।

दिनांक 15 मई 1979

सं० 11/28/78-प्रशा०-1—राष्ट्रपति, उत्तर प्रदेश, लखनऊ में जनगणना कार्य निदेशक के कार्यालय में अन्वेषक के पद पर कार्यरत श्री एम० सी० पडालिया को तारीख 11 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक, नियमित आधार पर, अस्थायी क्षमता में, उसी कार्यालय में सहायक निदेशक, जनगणना कार्य (तकनीकी) के पद पर पदोन्नति पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री पडालिया का मुख्यालय लखनऊ में होगा।

दिनांक 17 मई 1979

सं० 11/60/79-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम, मेघालय संवर्ग के अधिकारी, श्री एन० के० चौधरी को तारीख 20 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक असम, गोहाटी में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री चौधरी का मुख्यालय गोहाटी में होगा।

सं० 11/67/79-प्रशा० 1—राष्ट्रपति, भारतीय प्रशासनिक सेवा के असम मेघालय संवर्ग के अधिकारी, श्री जे० तायेंग को तारीख 23 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेशों तक मेघालय, शिलांग में जनगणना कार्य निदेशक के पद पर सहर्ष नियुक्त करते हैं।

श्री तायेंग का मुख्यालय शिलांग में होगा।

विजय पाल पाण्डे
भारत के उप महापंजीकार

वित्त मन्त्रालय

आर्थिक कार्य विभाग

बीमा प्रभाग

नई दिल्ली, दिनांक 5 मई 1979

सं० 51 (12)-बीमा-I/76—चूंकि मैं, आर० के० महाजन, बीमा नियंत्रक पूर्ण रूप से सन्तुष्ट हूं कि पेन फ्रैंडस प्राविडेंट इंशोरेंस कम्पनी लिमिटेड नामक समिति के कार्यों का पूर्णतः परिसमापन हो गया है ;

इसलिए, अब मैं अधिसूचना द्वारा बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4) की धारा 93 की उपधारा (5) के उपबन्धों के अनुसार उपर्युक्त समिति के भंग होने की घोषणा करता हूं।

आर० के० महाजन
बीमा नियंत्रक

भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

नासिक रोड, दिनांक 8 मई 1979

सं० 219/ए०—निम्नांकित नियंत्रण निरीक्षकों की (वर्ग III अराजपत्रित), भारत प्रतिभूति मुद्रणालय एतद्द्वारा उप नियंत्रण अधिकारियों के रूप में (वर्ग II राजपत्रित पद), भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में सुधारित वेतन श्रेणी रु० 650-30-740-35-810-ई०बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 में दिनांक 4-5-79 79 के पूर्वाह्न से नियमित रूप में नियुक्तियां की गई हैं।

1. श्री जी० सी० रस्तोगी
2. श्री ए० एम० राऊल

सं० 221/ए—श्री एस० एन० चक्रवर्ती, निम्नांकित अधिकारी को भारत प्रतिभूति मुद्रणालय में (द्वितीय श्रेणी राजपत्रित पद) उप नियंत्रण अधिकारी के पद पर सुधारित वेतन श्रेणी रु० 650-30-740-35-810-ई० बी०-35-880-40-1000-ई० बी०-40-1200 में तदर्थ रूप में 4-5-79 के पूर्वाह्न से 30-9-79 तक नियुक्त किया जाता है अथवा तब तक नियमित रूप से जब तक इसके पूर्व ही उक्त पद की पूर्ति न हो जाए।

डी० सी० मुखर्जी,
महा प्रबन्धक
भारत प्रतिभूति मुद्रणालय

कार्यालय महालेखाकार-प्रथम, मध्यप्रदेश

ग्वालियर, दिनांक 17 अप्रैल 1979

सं० क्रमांक-स्थापना-1/15—महालेखाकार-प्रथम, मध्यप्रदेश ने, निम्नलिखित स्थाई अनुभाग अधिकारियों को स्थानापन्न क्षमता में लेखा अधिकारी के पद पर वेतनमान रुपये 840-40-1000-द० अ०-40-1200 में उनके नाम के आगे दर्शाये गए दिनांक से पदोन्नत किया है :—

सर्वश्री—

1. जे० आर० पद्मनाभन, (02/0246) 31-3-79 पूर्वाह्न
2. एम० राममूर्ति, (02/0247) 31-3-79 पूर्वाह्न

कृष्ण गोपाल,
वरिष्ठ उप महालेखाकार (प्रशासन)

रक्षा मन्त्रालय

भारतीय आर्डनेन्स फैक्टरियां सेवा

महानिदेशालय, आर्डनेन्स फैक्टरियां

कलकत्ता, दिनांक 5 मई 1979

सं० 27/79/जी०—वार्धक्य निवृत्ति आयु (58 वर्ष, प्राप्त कर, श्री सुकुमार बोस स्थानापन्न डी० ए० डी० जी०/मौलिक एवं स्थायी टी० एस० ओ० दिनांक 31 मार्च, 1979 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

बी० के० मेहता
सहायक महानिदेशक आर्डनेन्स फैक्टरियां

डी० जी० ओ० एफ० मुख्यालय, सिविल सर्विस
आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड
कलकत्ता-700069, दिनांक 9 मई 1979

सं० 179/ए/ई-1 (एन० जी०)—वार्धक्य निवृत्ति आयु प्राप्त कर, श्री सत्यव्रत नाग, मौलिक एवं स्थायी ए० एस० ओ० और सर्वश्री कृष्ण मोहन एवं सुधीर कुमार दत्ता, मौलिक एवं स्थायी सहायक, अस्थायी ए० एस० ओ० गण दिनांक 30-4-1979 (अपराह्न) से सेवा निवृत्त हुए।

डी० पी० चक्रवर्ती
ए० डी० जी० ओ० एफ० (प्रशासन)
कृते आर्डनेन्स फैक्टरी बोर्ड

प्रारूप

सेवा समाप्ति की सूचना

सं० ए० एन०/एफ०/8319288/ए० एम० सी० केन्द्रीय सिविल सेवा (अस्थाई सेवा) नियमावली 1965 के नियम 5 उप नियम (1) के अनुसार अधोहस्ताक्षरी एतद्द्वारा रक्षा नियंत्रक (अन्य रैंक) उत्तर, मेरठ संगठन में कार्यरत श्री बालेन्द्र शेखर, अस्थाई लेखा परीक्षक लेखा सं० 8319288 को नोटिस देता है कि उनकी सेवाएं, गजट अधिसूचना से एक महीने की समाप्ति की तारीख से समाप्त समझी जाएंगी।

पी० सी० थोमस
रक्षा लेखा नियंत्रक (अन्य रैंक)

वाणिज्य, नागरिक आपूर्ति एवं सहकारिता मन्त्रालय
मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात का कार्यालय
नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल 1979
आयात-निर्यात व्यापार नियंत्रण
(स्थापना)

सं० 6/585/59-प्रशासन (राज०)—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, कलकत्ता में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय से श्री डी०एम० चौधरी ने 31 मार्च, 1979 के दोपहर बाद से उस कार्यालय में अपने पद का कार्यभार सौंप दिया।

सं० 6/939/71-प्रशासन (राज०)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न अधिकारी, श्री एल० एस० बटोला को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक 14 मई 1979

सं० 6/528/58-प्रशासन (राज०)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी, श्री जे० एस० सहोटा की दिनांक 23-2-79 से 30-4-79 तक की अवधि के लिए उक्त सेवा के वर्ग-1 में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री सहोटा को पूर्वोक्त अवधि के लिए इस कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में भी नियुक्त करते है।

राजिन्द्र सिंह,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

पूर्ति विभाग
पूर्ति और निपटान महानिदेशालय
(प्रशासन अनुभाग-6)
नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1979

स० प्र०-6/247 (476)—राष्ट्रपति, निरीक्षण निदेशक, मद्रास के कार्यालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) श्री वी० जे० एम० राव को दिनांक 21-3-79 (पूर्वाह्न) से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर उसी निरीक्षणालय में (भारतीय निरीक्षण सेवा के ग्रुप 'ए' वस्त्र शाखा के ग्रेड 3) में निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) के रूप में नियुक्त करते हैं।

श्री राव ने 21-3-79 के पूर्वाह्न से सहायक निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) का कार्यभार छोड़ दिया और निरीक्षण अधिकारी (वस्त्र) का कार्यभार संभाल लिया।

दिनांक 9 मई 1979

सं० ए-17011/13/71-प्र०-6—राष्ट्रपति, भारतीय निरीक्षण सेवा, ग्रुप ए० की इन्जीनियरी शाखा के निरीक्षण अधिकारी (इन्जी०) श्री डी० आर० चन्द्रन को, जो राष्ट्रीय थरमल पावर निगम में विदेश सेवा पर थे, दिनांक 18 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक भारतीय निरीक्षण सेवा ग्रुप ए की इन्जीनियरी शाखा में उप निदेशक निरीक्षण के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

2. विदेश सेवा से वापिसी पर श्री डी० आर० चन्द्रन ने दिनांक 16-4-79 के अपराह्न में राष्ट्रीय थरमल पावर निगम, नई दिल्ली में वरिष्ठ अभियन्ता का पदभार छोड़ दिया और दिनांक 18-4-79 के पूर्वाह्न से निरीक्षण निदेशक, बम्बई के कार्यालय में उप निदेशक निरीक्षण (इन्जी०) का पदभार सम्भाल लिया है।

दिनांक 10 मई 1979

सं० ए०-17011/151/79-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, बर्नपुर निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (धातु) श्री यू० सी० दत्ता को दिनांक 31 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के अधीन जमशेदपुर निरीक्षणालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

पी० डी० सेठ
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

(प्रशासन अनुभाग-1)
नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979

सं० प्र०-1/1 (262)—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान निदेशालय कलकत्ता में स्थाई निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड 1) श्री पी० चक्रवर्ती को 22-2-79 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थानापन्न उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते है।

कृष्ण किशोर
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

इस्पात और खान मन्त्रालय

इस्पात विभाग

लोहा और इस्पात नियंत्रण

कलकत्ता-20, दिनांक 2 मई 1979

सं० ई-1-2 (3)/73 ( )—एतद्द्वारा लोहा और इस्पात नियंत्रक श्री शशांक शेखर मुखर्जी, अधीक्षक को दिनांक 23-4-1979 के पूर्वाह्न से सहायक लोहा और इस्पात नियंत्रक के पद पर तदर्थ नियुक्त कर रहे है।

एस० एन० बिश्वास
संयुक्त लोहा और इस्पात नियंत्रक

भारतीय सर्वेक्षण विभाग

महासर्वेक्षक का कार्यालय

देहरादून, दिनांक 8 मई 1979

सं० स्था० 1-5496/698-मानचित्र अभिरक्षक—श्री ए० बी० सरकार, जिन्हें इस कार्यालय की सं० स्था० 1-16798/698 मैप क्यूरेटर दिनांक 2-4-1976 के अधीन जारी की गई अधिसूचना सं० 5063/698 मैप क्यूरेटर दिनांक 2-4-1976 के अन्तर्गत, स्थानांतरण, प्रतिनियुक्ति पर, पूर्वी कार्यालय, भारतीय सर्वेक्षण विभाग, कलकत्ता में मैप क्यूरेटर (सा० के० सेवा ग्रुप 'बी०) के पद पर 550-25-750-द० रो-30-900-रु० के वेतन-मान में नियुक्त किया गया था, वे दिनांक 10-3-1979 के बाद भी एक वर्ष के लिए और इसी पद पर कार्य करते रहेंगे।

के० एल० खोसला
मेजर-जनरल
भारत के महासर्वेक्षक
(नियुक्त प्राधिकारी)

आकाशवाणी महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1979

सं० 2/28/61-एम-2—महानिदेशक आकाशवाणी, दूरदर्शन केन्द्र, नई दिल्ली में प्रशासन अधिकारी पद पर काम करने वाले श्री जी० एन० श्रीवास्तव को वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी, आकाशवाणी, नई दिल्ली के पद पर 31-1-79 अपराह्न से नियुक्त करते है।

एस० वी० सेषाद्री
प्रशासन महानिदेशक
कृते महानिदेशक

सूचना और प्रसारण मन्त्रालय

प्रकाशन विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 30 अप्रैल, 1979

शुद्धि-पत्र

सं० ए-20011/3/69-प्रशासन-1—इस विभाग की अधिसूचना संख्या ए०-20011/3/69-प्रशासन-1, दिनांक 18/19-1-79 के आंशिक संशोधन में, निदेशक, प्रकाशन विभाग, श्री एस० एम० चहल, स्थाई तकनीकी सहायक को इस विभाग मे 25-9-78 की बजाय 6-9-78 से आगामी आदेशों तक तदर्थ आधार पर सहायक निदेशक (उत्पादन) नियुक्त करते है। यह नियुक्ति श्री बी० एस० चौधरी, सहायक निदेशक (उत्पादन) के अवकाश पर चले जाने से रिक्त हुए पद पर की गई है।

इन्द्रराज सिंह
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते निदेशक

फिल्म प्रभाग

बम्बई-26, दिनांक 9 मई 1979

सं० 9/31/49-एस्ट-I—प्रमुख निर्माता फिल्म प्रभाग मे श्री एच० जी० भडारकर, स्थायी अधीक्षक को दिनांक 19-4-79 के पूर्वाह्न से, अगले आदेश तक स्थानापन्न सहायक प्रशासकीय अधिकारी के पद पर नियुक्त किया है।

एम० चन्द्रन नायर
प्रशासकीय अधिकारी
कृते प्रमुख निर्माता

विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 8 मई 1979

सं० ए-12026/19/78-स्था०—विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक, श्री डी० एन० गांधी, तकनीकी सहायक (मुद्रण प्रचार) को इस निदेशालय में 1 मई, 1979 से अगले आदेश तक अस्थायी रूप में तदर्थ आधार पर सहायक उत्पादन प्रबन्धक (मुद्रण प्रचार) नियुक्त करते है।

आर देवासर
उप-निदेशक (प्रशासन)
कृते विज्ञापन और दृश्य प्रचार निदेशक

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय

नई दिल्ली, दिनांक 1979

सं० ए० 22012/1/79-स्टोर-1 (भाग)—स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक ने सरकारी चिकित्सा सामग्री भण्डार, मद्रास के वरिष्ठ वैज्ञानिक सहायक श्री जी० सुब्रामणियम को 29 मार्च, 1979 की पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक सरकारी चिकित्सा

भण्डार, बम्बई में डिपो प्रबन्धक (वर्ग क राजपत्रित) सामग्री के पद पर अस्थाई आधार पर नियुक्त किया है।

एस० के० कर्थाक
उपनिदेशक प्रशासन (स्टोर)

कृषि और सिंचाई मंत्रालय
(ग्राम विकास विभाग)
विपणन एवं निरीक्षण निदेशालय
प्रधान कार्यालय, फरीदाबाद

फरीदाबाद, दिनांक 9 मई 1979

सं० ए० 19024/2/79-प्र०-III—श्री एन० कासी राव, वरिष्ठ रसायनज्ञ को दिनांक 21-4-1979 (अपराह्न) से पूर्णतया अल्पकालीन आधार पर तीन माह से अधिक की अवधि के लिये नहीं या जब तक नियमित प्रबन्ध नहीं किये जाते हैं, दोनों में से जो भी पहले घटित हो, स्थानापन्न मुख्य रसायनज्ञ के रूप में कोचीन में नियुक्त किया जाता है।

सं० ए० 19026/1/79-प्र०-III—श्री सी० डी० बत्रा, अधीक्षक (लिपिकी वर्गीय) को दिनांक 5-5-79 के अपराह्न से 31-7-79 तक अल्पकालीन आधार पर मन्डी आयोजना एवं प्ररचना केन्द्र की स्थापना योजना के अन्तर्गत फरीदाबाद में प्रशासनिक अधिकारी के पद पर नियुक्त किया जाता है।

दिनांक 10 मई 1979

सं० ए० 19023/15/78-प्र०-III—श्री टी० सबनानी, विपणन विकास अधिकारी को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० नई दिल्ली में वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर का पद ज्वाइन करने लिये इस निदेशालय में नई दिल्ली में तारीख 19-2-79 (पूर्वाह्न) से उनके कार्य-भार से मुक्त किया गया है।

बी० एल० भनिहार,
निदेशक प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार.

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र
(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 20 मार्च 1979

संदर्भ 5/1/79-स्थापना II/1071—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों की उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि से (पूर्वाह्न)	अवधि तक (अपराह्न)
	सर्वश्री			
1.	एस० जी० सपालिगा सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	26-12-78	25-1-79
2.	वी नारायन राव वरिष्ठ आशुलिपिक	सहायक कार्मिक अधिकारी	15-1-79	1-3-79
3.	एस० जी० सपालिगा सहायक	सहायक कार्मिक अधिकारी	31-1-79	13-3-79
4.	पी० वी कृष्णामूर्ति वरिष्ठ आशु-लिपिक	सहायक कार्मिक अधिकारी	31-1-79	13-3-79

दिनांक 22 मार्च 1979

संदर्भ 5/1/79-स्थापना II/1099—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों को उनके नामों के आगे लिखी अवधि के लिए, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी-II नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि से (पूर्वाह्न)	अवधि तक (अपराह्न)
1.	श्रीमती एम०पी० गिडवानी सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	15-1-79	22-2-79
2.	श्री टी० के० राममूर्ति सहा-यक लेखापाल	सहायक लेखा अधिकारी	31-1-79	3-3-79
3.	श्री एफ० डी'सूजा सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	4-3-79	अगले आदेशों तक
4.	श्रीमती एम०पी० मेहरजी सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	1-2-79	अगले आदेशों तक

1	2	3	4	5
5.	कु० एन० एम० मचंट सहायक लेखा अधिकारी	लेखा अधिकारी-II	15-1-79	17-2-79
6.	श्रीमती एच०एच० कपाडिया सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	15-1-79	17-2-79

दिनांक 23 मार्च 1979

संदर्भ : सी०-318/टी० एस० डी०/स्थापना-II/1112—सेवा-निवृत्ति अवस्था के होने पर, श्री रेमेडिअस फानसीकाओ कौटिनहो, एक स्थाई चार्जहैंड और स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर (एस० बी०) 31-12-1979 के अपराह्न से सरकारी सेवा से निवृत्त हो गए।

दिनांक 26 मार्च 1979

संदर्भ : 5/1/79-स्थापना-II/1148—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री एस० एन० सेन, सहायक सुरक्षा अधिकारी को 27-12-78 (पूर्वाह्न) से 23-2-79 (अपराह्न) की अवधि तक तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते है।

कु० एच० बी० विजयकर,
उप-स्थापना अधिकारी

बम्बई-400085, दिनांक 29 मार्च 1979

संदर्भ : 5/1/79-स्थापना-II/1203—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री बी० एम० नाइक, एस० जी० सी० को 13-2-1979 (पूर्वाह्न) से 23-3-1979 (अपराह्न) की अवधि के लिए, इसी अनुसंधान केन्द्र में तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते है।

दिनांक 5 अप्रैल 1979

संदर्भ : 5/1/79-स्थापना-II/1329—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र श्री टी० सी० आर० कुट्टी, सहायक सुरक्षा अधिकारी को 1-3-79 (पूर्वाह्न) से 31-3-79 (अपराह्न) की अवधि के लिए, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते है।

वी० एम० खातु,
उपस्थापना अधिकारी

बम्बई-400085, दिनांक 18 अप्रैल 1979

संदर्भ : 5(5)/78-स्थाईकरण/1971—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री के० के० विश्वंभरन नायर, एक अस्थाई वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर, एस० सी०, जैव रसायन एवं खाद्य तकनीकी प्रभाग को, इसके द्वारा 1 फरवरी, 1977 से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, मौलिक रूप में, वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं।

संदर्भ : 5(5)/78-स्थाईकरण/1970—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, इसके द्वारा निम्नलिखित अधिकारियों को 1 फरवरी, 1977 से, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, मौलिक रूप में वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड एस० बी० नियुक्त करते हैं :—

क्र० सं०	नाम	अभी का पद	प्रभाग	बी० ए० आर० सी० में स्थाई पद
	सर्वश्री			
1.	एच० बी० खांडेकर	एस० सी०	विकिरण चिकित्सात्मक एवं रक्षण प्रभाग	वैज्ञानिक सहायक 'सी'
2.	डी० आर० रायपुरकर	एस० सी०	स्वास्थ्य भौतिकी	वैज्ञानिक सहायक 'सी'
3.	आर० एन० सुजीर	एस० सी०	तकनीकी सेवाएं	फोरमैन
4.	वी० आर० कुलकर्णी	एस० बी०	आर०-5 परियोजना	नक्शानवीस 'बी'
5.	ए० एस० देशमुख	एस० बी०	जीवविज्ञान एवं कृषि	वैज्ञानिक सहायक 'सी'

वी० आर० पाटगांवकर
उप-स्थापना अधिकारी.

बम्बई-400085, दिनांक 9 अप्रैल 1979

संदर्भ: पी०-1462/एफ० आर० डी०/स्थापना-II/1420—निदेशक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में, इसी केन्द्र के श्री परमब्रथ पदमानन, स्थानापन्न वैज्ञानिक अधिकारी/इंजीनियर ग्रेड (एस० बी०) का सेवा से त्यागपत्र 19 फरवरी, 1979 के अपराह्न से स्वीकार कर लिया है।

दिनांक 18 अप्रैल 1979

संदर्भ : बी०/1701/स्थापना-II/1504—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री के० जी० बालचन्द्रन, विद्युत परियोजना इंजीनियरी प्रभाग में स्थाई उच्च श्रेणी लिपिक तथा मद्रास परमाणु विद्युत परियोजना, कलपाकम में स्थाना-

पन्न एस० जी० मी० को, 12 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र में स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 26 अप्रैल 1979

संदर्भ : 5/1/79-स्थापना II/1616—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री पी० शिवम, सहायक सुरक्षा अधिकारी को 7-9-1977 (पूर्वाह्न) से 30-11-1977 (अपराह्न) की अवधि के लिए, इसी अनुसंधान केन्द्र में, तदर्थ आधार पर स्थानापन्न सुरक्षा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

दिनांक 30 अप्रैल 1979

संदर्भ : 5/1/79-स्थापना-II/1658—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, श्री वी० ए० वी० मेनन, सहायक को 15-1-1979 (पूर्वाह्न) से 23-2-1979 (अपराह्न) की अवधि के लिए, इसी अनुसंधान केन्द्र में, तदर्थ पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

टी० टी० पिशोरी,
उप-स्थापना अधिकारी

परमाणु ऊर्जा विभाग

विद्युत परियोजना इंजीनियरिंग प्रभाग

मुम्बई-5, दिनांक 27 अप्रैल 1979

सं० पी० पी० ई० डी०/3 (283)/76-प्रशा० 7489—इस प्रभाग के दिनांक 1 मार्च, 1979 की समसंख्यक अधिसूचना के क्रम में, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र के स्थायी निम्न श्रेणी लिपिक तथा इस प्रभाग के स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी, श्री बी० डी० डी० ताम्बे को, जिन्हें 26 फरवरी, 1979 के पूर्वाह्न से 18 अप्रैल, 1978 के अपराह्न तक के लिए इस प्रभाग में लेखा अधिकारी-II नियुक्त किया गया था, 5 मई, 1979 के अपराह्न तक उसी पद पर कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

बी० वी० थात्ते,
प्रशासन अधिकारी

क्रय एवं भंडार निदेशालय

बम्बई-400001, दिनांक 9 मई 1979

सं० डी० पी० एस०/21/1 (2)/78-संस्थापन/2849—निदेशक, क्रय एवं भंडार निदेशालय, श्री चिकुरली श्रीकान्त शिवरामू, अस्थाई क्रय सहायक, को प्रभारी सहायक क्रय अधिकारी पद पर रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000-द० रो०-40-1200 के वेतन क्रम में, तदर्थ रूप से दिनांक 2 अप्रैल, 1979 पूर्वाह्न से 5 मई, 1979 तक, तथा नियमित रूप से 5 मई, 1979 से अग्रिम आदेशों तक नियुक्त करते हैं।

के० पी० जोसफ,
प्रशासन अधिकारी

नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र

हैदराबाद-500762, दिनांक 2 मई 1979

सं० पी० ए० आर०/0704/1473—मुख्य कार्यपालक, नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र, श्री वी० एच० एल० जी० शास्त्री, औद्योगिक अस्थायी आशुलिपिक (प्रवरण कोटि) को 29-3-1979 से 18-6-1979 तक नाभिकीय ईंधन सम्मिश्र में स्थानापन्न रूप से सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं।

यू० वासुदेव राव,
प्रशासन अधिकारी

(परमाणु खनिज प्रभाग)

हैदराबाद-500016, दिनांक 10 मई 1979

सं० प० ख० प्र-1/10/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के सहायक लेखा अधिकारी श्री डी०एम० इसरानी को इसी प्रभाग में दिनांक 5—7—1979 से 22—6—1979 तक श्री के० पी० सेखरन, लेखा अधिकारी-II, जिन्हें छुट्टी प्रदान कर दी गई है, के स्थान पर विशुद्ध रूप से अस्थाई पद पर लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० प० ख० प्र-1/-10/77-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा परमाणु खनिज प्रभाग के लेखापाल श्री जे० के० शर्मा को इसी प्रभाग पर, लेखा अधिकारी-II के पद पर पदोन्नत कर दिए गए श्री डी० एम० इसरानी के स्थान पर, दिनांक 7—5—1979 से 22-6-1979 तक विशुद्ध रूप से अस्थाई पद पर सहायक लेखा अधिकारी नियुक्त करते हैं।

सं० प० ख० प्र-1—29—78-प्रशासन—परमाणु ऊर्जा विभाग के परमाणु खनिज प्रभाग के निदेशक एतद्द्वारा श्री राजगोपाल मोहन्ते को दिनांक 5—4—1979 के पूर्वाह्न से अगले आदेश तक परमाणु खनिज प्रभाग में स्थानापन्न पद पर वैज्ञानिक अधिकारी/अभियन्ता ग्रेड 'एस-बी' नियुक्त करते हैं।

कृते एम०एस० राव
वरिष्ठ प्रशासन एवं लेखा अधिकारी

भारी पानी परियोजना

बम्बई-400008, दिनांक 8 मई 1979

संदर्भ भा० पा० प० स्था/1/सी-16/2088—भारी पानी परियोजना के विशेष कार्य अधिकारी श्री पारथमला फिलि-

पोज चेरियन, उच्च श्रेणी लिपिक, भारी पानी परियोजना (तूतीकोरिन) को उसी परियोजना में श्री सी० पद्मनाभन् सहायक कार्मिक अधिकारी, जो छुट्टी पर है, के स्थान पर 8/3/1979 से 7/4/79 (अपराह्न) तक के लिए तदर्थ आधार पर अस्थायी तौर पर स्थानापन्न सहायक कार्मिक अधिकारी नियुक्त करते हैं ।

के० शंकरनारायनणन
वरिष्ठ प्रशासन अधिकारी

पर्यटन तथा नागर विमानन मंत्रालय

महानिदेशक नागर विमानन का कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979

सं० ए० 38015/1/78 इसी—श्री के० एन० के० पोदूवाल, तकनीकी अधिकारी, वैमानिक संचार स्टेशन बम्बई ने सेवा निवृत्तिपूर्व अवकाश के रूप में दिनांक 21-9-78 से 8-1-79 तक 110 दिन की अर्जित छुट्टियों के साथ 9-1-79 से 31-1-79 तक 23 दिन की अर्ध वेतन छुट्टी पर जाते हुए दिनांक 21-9-78 (पूर्वाह्न) को अपने पद का कार्यभार त्याग दिया है और छुट्टी की समाप्ति के बाद वे मूल नियम 56 (के) के प्रावधानों के अधीन दिनांक 31-1-79 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से निवृत माने जाएंगे ।

सत्य देव शर्मा
उपनिदेशक प्रशासन

नई दिल्ली, दिनांक 9 मई 1979

ए० 12025/16/77-ई एस—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिशों पर राष्ट्रपति ने श्री डी० पी० धोप को दिनांक 24-4-79 से और अन्य आदेश होने तक नागर विमानन विभाग में स्थानापन्न विमान निरीक्षक के रूप में नियुक्त किया है।

दिनांक 10 मई 1979

सं० ए० 44012/1/78-ईएस—राष्ट्रपति ने निदेशक, विमान निरीक्षक कानपुर के कार्यालय में श्री बी० आर० बोराह विमान निरीक्षक का दिनांक 21-4-1979 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

सं० ए० 44012/1/78-ई एस—राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय निदेशक, बम्बई एयरपोर्ट, बम्बई के कार्यालय में श्री एस० पी० सिंह विमान निरीक्षक का दिनांक 18-4-79 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

सं० ए० 44012/1/78-ईएस—राष्ट्रपति ने क्षेत्रीय निदेशक, दिल्ली क्षेत्र, सफदरजंग एयरपोर्ट, नई दिल्ली के कार्यालय में श्री राजीव कपूर, विमान निरीक्षक का दिनांक 17-4-79 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से त्यागपत्र स्वीकार कर लिया है।

एम० एल० खण्डपुर
सहायक निदेशक प्रशासन

विदेश संचार सेवा

बम्बई, दिनांक 10 मई 1979.

सं० 1/449/79-स्था—विदेश संचार सेवा के महानिदेशक एतद्द्वारा श्री विमल वाखलू को 1 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों तक स्विचन समूह, बम्बई में अस्थायी रूप से सहायक अभियंता नियुक्त करते हैं।

एच०एल० मलहोत्रा, उप निदेशक (प्रशा)
कृते महानिदेशक

केन्द्रीय जल आयोग

नई दिल्ली-22, दिनांक 10 मई 1979

सं० ए० 32012/2/70-प्रशासन-पांच—विभागीय पदोन्नति समिति (श्रेणी-ख) की सिफारिशों पर अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, निम्नलिखित वरिष्ठ अनुसंधान सहायकों/अनुसंधान सहायकों को जो कि इस समय केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान शाला, पूणे में तदर्थ आधार पर सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) पद पर कार्य कर रहे है, उन्हीं पदों पर रु० 650-30-740-35-810-द० रो० 35-880-1000-द० रो० 40-1200 के वेतनमान में 1 जनवरी, 1979 से अगले आदेशों तक, नियमित रूप से एतद्द्वारा नियुक्त करते हैं :—

1. श्री एन० एम० महाजन
2. श्री एम० डी० काम्बले
3. श्री एच० एस० एन० स्वामी

2. ये अधिकारी, सहायक अनुसंधान अधिकारी (भौतिकी) के पद पर 1 जनवरी, 1979 से दो वर्ष पर्यन्त तक परिवीक्षा पर रहेंगे ।

दिनांक 15 मई 1979

सं० ए०19012/686/78-ए डी० एम० वी०—अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग श्री पी०के० चटर्जी, पर्यवेक्षक को पदोन्नति पर अतिरिक्त सहायक निदेशक/ सहायक इंजीनियर के ग्रेड में रु० 650-30-740-35-810 द० रो० 35-880-40-1000 द० रो० 40-1200 के वेतनमान में 28 जनवरी, 1978 की अपराह्न से पूर्णतया अस्थायी तथा तदर्थआधार पर केन्द्रीय जल आयोग में इस पद को नियमित आधार पर भरे जाने तक, नियुक्त करते है ।

जे०के० साहा, अवर सचिव

रेल मंत्रालय

सवारी डिब्बा कारखाना

महा प्रबंधक का कार्यालय

कार्मिक शाखा/शेल

मद्रास-38, दिनांक अप्रैल 1979

सं० पी०बी०/जी०जी /9/विविध/II—1. मध्य रेलवे से स्थानान्तरित होकर श्री के० वी० शंकरन, स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (कनिष्ठ प्रशासनिक) 4–1–79 को इस प्रशासन में हाजिर हुए और उन्हें स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/पद्धति विकास ग्रुप (क०प्र०) के रूप में तैनात किया गया।

2. चित्तरंजन रेल इंजन कारखाने से स्थानान्तरित होकर, श्री पी०जे०अब्रहाम स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (क०प्र०) 4–1–79 को इस प्रशासन में हाजिर हुए और उन्हें स्थानापन्न उप मुख्य यांत्रिक इंजीनियर/योजना (क०प्र०) के रूप में तैनात किया गया।

3. श्री टी० एस० कृष्णमूर्ति, स्थानापन्न उप वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी/ म०प०प० (क०प्र०) को जिनका स्थानान्तरण मध्य रेलवे को हो गया, 4–1–79 को इस प्रशासन से भारावमुक्त किया गया।

श्री टी० एम० नरसिहन, स्थानापन्न वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त (व०वे०) को 4–1–79 से स्थानापन्न रूप से उप वित्त सलाहकार और मुख्य लेखा अधिकारी /म०प०प० (क० प्र०) के रूप में पदोन्नत किया गया।

श्री एम०एन० कृष्णमूर्ति, सहायक लेखा अधिकारी/फर० (श्रेणी II) को 4–1–79 से वरिष्ठ लेखा अधिकारी/वित्त (व०वे०) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

4. श्री टी० आर० राजामणि स्थानापन्न मुख्य नक्शानवीस (श्रेणी III) को तदर्थ रूप से श्रेणी II सेवा में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करके उन्हें 8–1–79 से स्थानापन्न सहायक इंजीनियर/निर्माण के रूप में तैनात किया गया।

5. श्री के० एस० वेंकटरमणी वरिष्ठ पद्धति विश्लेषक (व०वे०) (तदर्थ) को 22–1–79 के अपराह्न से स्थानापन्न सहायक लेखा अधिकारी के रूप में श्रेणी II सेवा में परावर्तित किया गया।

इस अधिकारी को वरिष्ठ वेतनमान में वरिष्ठ लेखा अधिकारी/फर के रूप में 26–2–79 से 11–4–79 तक स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

6. श्री आर० सी० टंडन, स्थानापन्न अपर मुख्य यांत्रिक इंजीनियर (वरिष्ठ प्रशासनिक लेवल-II) को जिनका स्थानान्तरण दक्षिण पूर्व रेलवे को मुख्य कारखाना इंजीनियर (लेवल I विभागाध्यक्ष) के रूप मे हो गया इस प्रशासन से 27–1–1979 के अपराह्न से भारावमुक्त किया गया।

7. श्री के० पी० करुणाकरण, डिपो भंडारी (श्रेणी III) को 13–2–79 से सहायक भंडार नियंत्रक/अनुवीक्षण और विकास (श्रेणीII) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

श्री एस० सुब्बैया, स्थानापन्न सहायक भंडार नियंत्रक (अनुवीक्षण और विकास) (तदर्थ) को 13–2–79 से श्रेणी III सेवा में परावर्तित किया गया।

8. श्री ई० गानमाल्वेस, सहायक सुरक्षा अधिकारी का दक्षिण मध्य रेलवे सिकंदराबाद से स्थानान्तरण होने पर उन्हे 5–3–79 से इस प्रशासन में स्थानापन्न सहायक सुरक्षा अधिकारी/आग (श्रेणी-II) के रूप में तैनात किया गया।

9. श्री के० मायन, स्थानापन्न डिपो भंडारी/ग्रेड I (श्रेणी III) को 26–3–79 से सहायक भंडार नियंत्रक/अनुवीक्षण और विकास (श्रेणी II) के रूप में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत किया गया।

10. श्री जी० शेषगिरि राव शाप अधीक्षक/उत्पादन नियंत्रण/फर, को जिन्हें 'राईट्स' पर प्रतिनियुक्त किया गया था 6–12–78 से सहायक यांत्रिक इंजीनियर (श्रेणी-II) के रूप में प्रोफार्मा पदोन्नति दी गयी है।

11. श्री वी० कार्मेलस, सहायक कर्मशाला प्रबंधक/असेम्बली/फर (क० वे०) को वरिष्ठ वेतनमान में स्थानापन्न रूप से पदोन्नत करके 31–3–79 के अपराहन से स्थानापन्न उत्पादन इंजीनियर/प्रगति/फर (द०वे०) के रूप में तैनात किया गया।

आर० रंगराजन
उप मुख्य कार्मिक अधिकारी
कृते महाप्रबंधक

मध्य रेल

प्रधान कार्यालय

कार्मिक शाखा

बम्बई वी०टी०, दिनांक 7 मई 1979

सं० एच०पी०बी०-220 बीजी/II/एल—निम्नलिखित सहायक विद्युत इंजीनियर (श्रेणी II) को उनके नाम के सामने दिखायी गयी तारीख से उसी पद में स्थायी किया जाता है :

नाम	श्रेणी दो की सेवा में स्थायीकरण की तारीख
श्री जी० एन० सालवन	5–1–1979

सं० एच० पी० वी०-220-जी/II/बी—निम्नलिखित अधिकारियों को उनके सामने दिखायी गयी तारीख से सहायक कार्मिक अधिकारी पद श्रेणी 2 सेवा में स्थायी किया गया है।

क्रमांक	नाम	स्थायी होने की तारीख
1	2	3
1	ओम प्रकाश मिश्रा	9–2–72
2.	ना०चे० सुन्दरारामन	26–2–73

(1)	(2)	(3)
3.	एन०यू०बी०यू० वर्मा	11-7-73
4.	इ०एम० महालिंगम	30-6-74
5.	फा०स्वा० रामचन्द्रन	31-10-75
6.	बलबिर सिंह	1-1-76
7.	पु०स्वा० हरीहरन	1-1-76
8.	ती०रा० वैथनाथन	1-1-76
9.	स्वरज सक्सैना	1-1-76
10.	के० जगन्नाथन	7-6-76
11.	वि०द० बढ़ावकर	11-4-77
12.	कृ०मा० पिल्ले	11-4-77

कृष्ण चन्द्र,
महाप्रबंधक

विधि, न्याय तथा कम्पनी कार्य मंत्रालय

(कम्पनी कार्य विभाग)

कम्पनी लॉ बोर्ड

कम्पनियों के रजिस्ट्रार का कार्यालय

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मैसर्ज भाटिया ब्रदर्ज ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

दिल्ली, दिनांक 1979

सं० 2916—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मैसर्ज भाटिया ब्रदर्ज ट्रांसपोर्ट कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जायेगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जायेगी।

हर लाल
सहायक कम्पनी रजिस्ट्रार,
दिल्ली एवं हरियाणा

"कम्पनी अधिनियम 1956 और आनंदपुर चिट फन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालंधर, दिनांक 1979

सं० जी/स्टेट/560/3075—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर आनंदपुर चिट फन्ड कम्पनी प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

"कम्पनी अधिनियम 1956 और बेन्स ब्रोस चिट फंन्ड फाईनेन्सीयरस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालंधर दिनांक: 1979

सं० जी/स्टेट/560/3283—कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि बेन्स ब्रोस चिट फंड फाईनेन्सीयरस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

"कम्पनी अधिनियम 1956 और युरेका एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड के विषय में

जालंधर, दिनांक 1979

सं० जी/स्टेट/560/3671—कम्पनी अधिनियम, 1956 के धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि युरेका एक्सपोर्टस प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

कम्पनी अधिनियम 1956 और पंजाब रबड़ एन्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालंधर, दिनांक 1979

सं० डी/स्टेट/560/2952/—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर पंजाब रबड़ एन्ड केमीकल इन्डस्ट्रीज प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

कम्पनी अधिनियम 1956 और एम० एच० कौम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

जालंधर, दिनांक 1979

सं० जी/स्टेट/560/3070—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि इस तारीख से तीन मास के अवसान पर एम०एच०कौम्बर्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम, इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

ओम प्रकाश जैन,
कम्पनी रजिस्ट्रार
पंजाब, हिमाचल प्रदेश एवं चण्डीगढ़

कम्पनी अधिनियम, 1956 और मेसर्स नायलोटेक्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

अहमदाबाद, दिनांक 1979

सं० 560/2133—कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 की उपधारा (3) के अनुसरण में एतद्द्वारा यह सूचना दी जाती है कि, इस तारीख से तीन मास के अवसान पर मेसर्स नायलोटेक्स इन्जीनियरिंग प्राईवेट लिमिटेड का नाम इसके प्रतिकूल कारण दर्शित न किया गया तो रजिस्टर से काट दिया जाएगा और उक्त कम्पनी विघटित कर दी जाएगी।

जे० गो० गाथा
प्रमंडल पंजीयक, गुजरात राज्य अहमदाबाद

कम्पनी अधिनियम 1956 और के० ब्लू माउन्ट होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड के विषय में।

कटक, दिनांक 9 मई 1979

सं० ए० 677/546-(2)—कम्पनी अधिनियम 1956 की धारा 560 की उपधारा (5) के अनुसरण में एतद्द्वारा सूचना दी जाती है कि ब्लू माउन्ट होटेल्स प्राईवेट लिमिटेड का नाम आज रजिस्टर से काट दिया गया है और उक्त कम्पनी विघटित हो गई है।

दिलीप कुमार पाल
कम्पनियों का रजिस्ट्रार, उड़ीसा

कम्पनी अधिनियम, 1956 के विषय में तथा "सीतै मिल्स लिमिटेड" के विषय में (कम्पनी अधिनियम, 56 की धारा 445)

सं० 2009/को-लिकि/445/74—एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही सं० 96/1974 में उच्च न्यायालय, मद्रास की फाइल पर दिये गये दिनांक 6-10-1977 के आदेश द्वारा कम्पनी सीतै मिल्ज लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है।

कम्पनी अधिनियम 1956 के विषय में तथा "मैक्को टूल्स लिमिटेड के विषय में" (कम्पनी अधिनियम, 56 की धारा 445)

मद्रास, दिनांक 9 मई 1979

सं० 5163/को-लिकि/445/77—एतद्द्वारा यह सूचित किया जाता है कि न्यायालय कार्यवाही सं० 32/1977 में उच्च न्यायालय, मद्रास की फाइल पर दिये गये दिनांक 3-11-1977 के आदेश द्वारा कम्पनी मैक्को टूल्स लिमिटेड को समाप्त कर दिया गया है।

एस० सत्यनारायण
सहायक कम्पनियों का रजिस्ट्रार

वित्त मंत्रालय
(राजस्व और बीमा विभाग)
आयकर विभाग

बम्बई, दिनांक 19 मार्च 1979

स० आर०18/78-79—जबकि केन्द्रीय सरकार का यह मत है कि जिन निर्धारितियों पर निम्नलिखित कारणों के लिए 1-4-1977 से 31-3-1978 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति (पैनल्टी) 5000/- रु० से कम न थी, उनके नाम व अन्य संबंधित ब्यौरे प्रकाशित करना जनहित में जरूरी और समयोचित है :—

(क) आय छिपाने या उनके द्वारा देय पेशगी कर का ऐसा अनुमान दाखिल करने के लिए, जिसके बारे में वे जानते थे या उनके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि वह असत्य है,

(ख) आय विवरणी दाखिल न करने या देरी से दाखिल करने अथवा लेखा बहियां प्रस्तुत न करने के लिए,

(ग) कर न चुकाने के लिए,

और इसलिये आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 287 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय सरकार ने निदेश दिया है कि पूर्वोक्त निर्धारितियों के नाम और अन्य ब्यौरे प्रकाशित किए जाएं, तदनुसार उन्हें एतद्द्वारा यहां संलग्न अनुसूची-I, II और III में प्रकाशित किया जाता है, जिसके साथ (1) हैसियत 'व्य' —व्यक्ति के लिए 'क' कम्पनी के लिए 'फ' रजिस्ट्रीकृत फर्म के लिए, 'व्य०स०' व्यक्तियों के संगठन के लिए, (2) निर्धारण वर्ष और (3) लगाई गई शास्ति की रकम भी दिखाई है।

अनुसूची-1:—ऐसे निर्धारिती जिन पर आय छिपाने या उनके द्वारा देय पेशगी कर का ऐसा अनुमान दाखिल करने के लिए, जिसके बारे में वे जानते थे या उनके पास यह विश्वास करने के कारण थे कि वह असत्य है, 1-4-1977 से 31-3-1978 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति (पैनल्टी) 5000/- रु० से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील आयकर आयुक्त के यहां पुनरीक्षण याचिका/ समझौता आयोग के यहां अर्जी दायर नहीं की गई, या अपील/पुनरीक्षण याचिका/ अर्जी दायर की गई और मामले को अंतिम रूप दिया जा चुका है।

1. मैसर्स पारिजात फिल्म, 5: फातिमा मंजिल, टी० पी० एस०—III, 26वा रास्ता, बान्द्रा, बम्बई।

(I) अर्राज० फ० (II) 1971-72, (III) रु० 6,490/-

(II) 1972-73 (III) रु० 6,785, (II) 1973-74, (III) रु० 6,785.

अनुसूची-II : ऐसे निर्धारिती, जिन पर आय विवरणी दाखिल न करने या देरी से दाखिल करने अथवा लेखा-बहियां प्रस्तुत न करने के लिए 1-4-1977 से 31-3-1978 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति 5000/- रु० से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील, आयकर आयुक्त के यहां पुनरीक्षण याचिका/समझौता आयोग के यहां अर्जी दायर नही की गई या अपील/पुनरीक्षण याचिका/अर्जी दायर की गई और मामले को अंतिम रूप दिया जा चुका है ।

1. मैसर्स पारिजात फिल्म, 5, फातिमा मंजिल, टी० पी० एस०-III, 26वां रास्ता, बान्द्रा बम्बई । (I) अरजि० फ०, (II) 1971-72, (III) रु० 43,265, (II) 1972-73, (III) रु० 45,232 (II) 1973-74, (III) 45,232.

अनुसूची-III : ऐसे निर्धारिती जिन पर कर न चुकाने के लिए 1-4-1977 से 31-3-1978 की अवधि के दौरान लगाई गई शास्ति 5000/- रु० से कम न थी और जिन मामलों में ऐसी शास्ति के खिलाफ अनुमत्य समय के अन्दर आयकर अपीलीय अधिकरण में अपील, आयकर आयुक्त के यहां पुनरीक्षण याचिका/समझौता आयोग के यहां अर्जी दायर नहीं की गई या अपील/पुनरीक्षण याचिका/अर्जी दायर की गई और मामले को अंतिम रूप दिया जा चुका है ।

1. श्री रुमानी जे० बी० कैलाश मेन्सन, तिलक रोड, घाटकोपर (पूर्व), बम्बई । (I) 'ब्य' (II) 1972-73, (III) रु० 9,907.

एस० एस० कपूर
आयकर आयुक्त,
केन्द्रीय-1, बम्बई ।

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

नागपुर, दिनांक 13 मार्च 1979

फा० सं० आय० ए० सी०/अर्जन 89/78-79—यतः मुझे, एम० व्ही० आर० प्रसाद

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० एन० आय० टी० प्लाट नं० 24-अ, ग्रेट नाग रोड़, है तथा जो नागपुर में स्थित है (और इससे उपलब्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नागपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों), के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरण के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री वसंत कृष्णराव शिरपूरकर, बडकस चौक, नागपुर, (अन्तरक)

2. श्री श्रीधर मोरेश्वर वैद्य, "स्नेलदीप" राणी लक्ष्मीनगर, नागपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एन० आय० टी० प्लाट नं० 24-अ, जो वार्ड नं० 11, सर्कल नं० 2, डिव्हीजन नं० 1, जो ग्रेट नाग रोड़, नागपुर में स्थित है।

एम० व्ही० आर० प्रसाद
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, नागपुर

तारीख : 13 मार्च 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-III, नई दिल्ली

नई दिल्ली-1, दिनांक 17 मई 1979

निदेश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०-III/5-79/340—अतः, मुझे, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० ए०-9/15 है तथा जो वसंत विहार, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 30-9-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 एयर कमांडर सी० के० सिंघा (अवकाशप्राप्त) सुपुत्र स्व० श्री जे० सी० सिंघा श्रीमती प्रीति लता सिंघा पत्नी एयर कमांडर सी० के० सिंघा, निवासी ए-9/15 वसंत विहार, नई दिल्ली। (अन्तरक)

2. श्री ओम वाधवा सुपुत्र स्वर्गीय श्री हर भगवान वाधवा निवासी ए-7,गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

एक मंजिला मकान जो प्लाट नं० 15, ब्लाक ए० गली नं० 9 जिसका क्षेत्रफल 600 वर्ग गज है, वसंत विहार, नई दिल्ली में निम्न प्रकार से स्थित है :—

पूर्व : 15 फुट चौड़ी सर्विस रोड़।
पश्चिम : गली नं० ए-9।
उत्तर : मकान नं० 16।
दक्षिण : मकान नं० 14।

डी० पी० गोयल
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज III, दिल्ली, नई दिल्ली

तारीख : 17-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, दिल्ली

नई दिल्ली, दिनांक 15 मई, 1979

निर्देश सं० आई० ए० सी०/एक्यु०/I/एस० आर०-III सितम्बर-1(37)/78-79/644—यतः, मुझ, डी० पी० गोयल

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० एस०-503 है तथा जो ग्रेटर कैलाश, पार्ट-2, नई दिल्ली में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में पूर्व रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नई दिल्ली मे भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15-9-1978 **पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान** [illegible] आयात-निर्यात [illegible] निदेश [illegible] (यथापूर्वोक्त) [illegible]

सं० 6/585/59-प्रशासन (राज०)—सेवा निवृत्ति की आयु होने पर, कलकत्ता में संयुक्त मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के कार्यालय में श्री डी०एम० चौधरी ने 31 मार्च, 1979 के दोपहर बाद से उस कार्यालय में अपने पद का कार्यभार सौंप दिया।

सं० 6/939/71-प्रशासन (राज०)—केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग में स्थानापन्न अधिकारी, श्री एल० एस० बटोला को दिनांक 1 अप्रैल, 1979 के पूर्वाह्न से सरकारी सेवा से स्वेच्छापूर्वक सेवा निवृत्त होने की अनुमति दी जाती है।

दिनांक 14 मई 1979

सं० 6/528/58-प्रशासन (राज०)—राष्ट्रपति, केन्द्रीय सचिवालय सेवा के अनुभाग अधिकारी वर्ग के स्थायी अधिकारी, श्री जे० एस० सहोटा को दिनांक 23-2-79 से 30-4-79 तक की अवधि के लिए उक्त सेवा के वर्ग-1 में स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करते हैं।

2. राष्ट्रपति, श्री सहोटा को पूर्वोक्त अवधि के लिए इस कार्यालय में उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात के रूप में भी नियुक्त करते है।

राजिन्द्र सिंह,
उप-मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात
कृते मुख्य नियंत्रक, आयात-निर्यात

1. श्रीमती सवाराज भाटिया धर्म पत्नी हरबन्स लाल भाटिया, निवासी फ्लैट न० 15, 163, एम० पी० मुकर्जी रोड, कलकत्ता-26। (अन्तरक)।

2. श्री ठाकुर नानक सिंह पुत्र श्री जय सिंह निवासी 137, सत्या निकेतन, नई दिल्ली। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही

दिनांक 10 मई 1979

सं० ए०-17011/151/79-प्र०-6—महानिदेशक, पूर्ति तथा निपटान, बर्नपुर निरीक्षणालय में भण्डार परीक्षक (धातु) श्री यू० सी० दत्ता को दिनांक 31 मार्च, 1979 के पूर्वाह्न से और आगामी आदेशों के जारी होने तक इसी महानिदेशालय के अधीन जमशेदपुर निरीक्षणालय में सहायक निरीक्षण अधिकारी (धातु) के पद पर स्थानापन्न रूप से नियुक्त करते हैं।

पी० डी० सेठ
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

(प्रशासन अनुभाग-1)

नई दिल्ली, दिनांक 10 मई 1979

सं० प्र०-1/1(262)—राष्ट्रपति पूर्ति तथा निपटान निदेशालय कलकत्ता में स्थाई निदेशक (भारतीय पूर्ति सेवा के ग्रेड 1) श्री पी० चक्रवर्ती को 22-2-79 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक पूर्ति तथा निपटान महानिदेशालय, नई दिल्ली, में स्थानापन्न उप महानिदेशक के रूप में नियुक्त करते है।

कृष्ण किशोर
उपनिदेशक (प्रशासन)
कृते महानिदेशक

आई० टी० एन० एस०———

प्रायकर प्रधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के प्रधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक प्रायकर प्रायुक्त (निरीक्षण)

प्रर्जन रेंज I, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 5 मई 1979

निदेश सं० ए० एस० आर०/79-80/25—यतः मुझे, एम० एल० महाजन
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० कोठी नं० 2 (प्राइवेट) है तथा जो कि माल रोड, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 1 सितम्बर 1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. श्रीमती पुष्पा वती पत्नी श्री प्रेम नाथ कोठी नं० 2, माल रोड, अमृतसर। (अन्तरक)।

2. श्री अजैब सिंह गुलेरी और श्री इन्द्रपाल सिंह कोठी नं० 2 (प्राईवेट) वी माल रोड, अमृतसर। (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी नं० 2 (प्राईवेट) माल रोड, अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्री डीड नं० 2015 दिनांक 1-9-1978 आफ रजिस्ट्रीडीड अथारिटी अमृतसर शहर कार्यालय में दर्ज है।

एम० एल० महाजन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 7-5-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 7 मई 1979

निदेश सं० ए० एस० आर०/79-80/26—यत मुझे, एम० एल० महाजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट नं० 31 है तथा जो कि अमरकोट जी० टी० रोड, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 8 सितम्बर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1 श्रीमती कुलवन्त कौर विधवा श्री निहाल सिंह निवासी मकान नं० 1671, रनजीतपुरा खालसा कालेज, अमृतसर। (अन्तरक)

2 श्री सुरिन्द्र सिंह पुत्र श्री माहल सिंह निवासी कोहाली और श्रीमती भमरजीत कौर पत्नी श्री अमरीक सिंह, निवासी छिदन तहसील अजनाला। (अन्तरिती)

3 जैसा कि ऊपर स० 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4 यदि कोई और व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक प्लाट नं० 31 जो कि अमर कोट जी० टी० रोड़, अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड सं० 2098 दिनांक 8-9-1978 आफ रजिस्ट्रीग अथारिटी अमृतसर शहर के कार्यालय में दर्ज है।

एम० एल० महाजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 7-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 7 मई 1979

निदेश सं० जी० एम० पी०/79-80/27—यतः मुझे एम० एल० महाजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि का प्लाट है तथा जो कि दीना नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 22 सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण के लिये लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती बिमला देवी पत्नी श्री राधा किशन निवासी मालीवाल तहसील गुरदासपुर। (अन्तरक)।

2. श्री गूरबचन सिंह पुत्र श्री खेल सिंह क्लर्क न्यू बैंक आफ इण्डिया, गुरदासपुर। (अन्तरिती)।

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो तो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 24 कनाल 8 मरले है जो कि गांव दीना नगर में है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड सं० 4067 दिनांक 22-9-1978 आफ रजिस्ट्रींग अथारिटी गुरदासपुर में स्थित है।

एम० एल० महाजन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 7-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 7 मई 1979

निदेश सं॰ ए॰ एस॰ आर॰/79-80/28—यतः मुझे, एम॰ एल॰ महाजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य, 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ भूमि का टूकड़ा है तथा जो कि चरदोबध वाला तहसील अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गुरदासपुर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री नरंजन सिंह पुत्र श्री सन्त सिंह निवासी मुहल्ला सन्त नगर, अमृतसर। (अन्तरक)।

2. श्री हंस राज पुत्र श्री दुली राम मालिक ब्रिथ फिल्न मंडी गुरदासपुर। (अन्तरिती)।

3. जैसा कि ऊपर सं॰ 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों को, आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 27 कनाल 10 मरले है जो कि गांव चरदबध वाला तहसील गुरदासपुर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड सं॰ 4197 दिनांक 6-10-1978 आफ रजिस्ट्रींग अथारिटी गुरदासपुर के कार्यालय में दर्ज है।

एम॰ एल॰ महाजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 7-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 9 मई 1979

निदेश सं० ए० एस०आर०/79-80/29—यत: मुझे, एम० एल० महाजन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट खसरा सं० 38-39 है तथा जो कि दयानन्द नगर, अमतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25 सितम्बर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री शिव नारायण कपूर, राम नारायण कपूर, अनूप नारायण कपूर, पुत्रान श्री हरी राम कपूर और श्रीमती सरदारा सेठ और श्रीमती शुक्ल मेहरा पुत्रियां श्री हरी राम निवासी कटड़ा परजा, अमृतसर (पी० ओ० ए०) श्री रोशन लाल मेहरा पुत्र श्री तुलसी राम मेहरा निवासी माल रोड, अमृतसर (अन्तरक)

2. श्री तिलक राज मेहरा पुत्र श्री देस राज मेहरा निवासी मकान सं० 28/एक्स-I, बेरी गेट, अमृतसर (अन्तरिती)।

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति मे हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो ; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट खसरा नं० 38-39 जो कि दयानन्द नगर, सामने दुनी चन्द रोड़ अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड सं० 2345 दिनांक 25-9-1978 आफ रजिस्ट्रींग अथारिटी अमृतसर के कार्यालय मे दर्ज है।

एम० एल० महाजन
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 9-5-1979
मोहर :

फार्म आई० टी० एन० एम०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० ए० एस० आर०/79-80/30—यतः मुझे, एम० एल० महाजन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० दुकान नं० 2776/2840 जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मीटर है तथा जो कि प्रताप बाजार, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6 अक्तूबर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य प्राप्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब; उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री राम दित्ता मल धर्मार्थ ट्रस्ट, अमृतसर प्रताप बाजार द्वारा श्री कृष्ण लाल मेहरा पुत्र श्री राम दित्ता मल, 17 मकबूल रोड़, अमृतसर। (अन्तरक)।

2. मैसर्स फर्म सुन्दर सिंह जोगिन्द्र पाल प्रताप बाजार, अमृतसर, दुकान नं० 2776/284 (अन्तरिती)।

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

दूकान नं० 2776/2840 और जो दो मंजिला है जिसका क्षेत्रफल 60 वर्ग मी० है जो कि प्रताप बाजार अमृतसर में है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड नं० 2479 दिनांक 6-10-1978 आफ रजिस्ट्रींग अथारिटी अमृतसर शहर के कार्यालय में दर्ज है।

एम० एल० महाजन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 27-3-79
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 मई 1979

निदेश सं० ए० एस० आर०/79-80/31—यतः मुझे, एम० के० धर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम, कहा गया है) की धारा 269घ के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 1½ मंजिला इमारत नं० 110 है तथा जो कि लारेंस रोड़, अमृतसर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अमृतसर शहर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 3 सितम्बर, 1978

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरको) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है —

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. भाई वीर सिंह साहित्य सदन रजिस्टर्ड सोसाईटी द्वारा श्री हरबन्स सिंह आनरेरी सेक्रेटरी निवासी ई०-6/13, वसन्त विहार, नई दिल्ली द्वारा सं० सन्त सिंह पुत्र बहादुर सरदार हुकम सिंह निवासी 7-बहादुर हुकम सिंह रोड़, अमृतसर मुख्तार-ए-आम। (अन्तरक)।

2 श्री अनन्त मैनन एडवोकेट, निवासी बाजार गंडा वाला, अमृतसर। (अन्तरिती)।

3 जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अभिधोग में सम्पत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1½ मंजिला इमारत सं० 110 जिसका क्षेत्रफल 471.03 वर्गमीटर है जो कि लोयरेंस रोड़, अमृतसर जस कि रजिस्टर्ड डीड सं० 2065 दिनांक 7-9-78 आफ रजिस्ट्री अथारिटी अमृतसर शहर के कार्यालय में दर्ज है।

एम० के० धर
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख : 15-5-1979
मोहर :

प्रूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 15 मई 1979

निदेश सं० बी० टी० एल०/79-80/32—यतः मुझे, एम० के० धर

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० भूमि और इमारत जो आनन्द आईस फैक्ट्री है तथा जो कि जी० टी रोड़, बटाला में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय बटाला में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19 सितम्बर, 1978।

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और

दिनांक 10 मई 1979

सं० ए० 19023/15/78-प्र०-III—श्री टी० सबनानी, विपणन विकास अधिकारी को भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्ज लि० नई दिल्ली में वरिष्ठ डिजाइन इंजीनियर का पद ज्वाइन करने लिये इस निदेशालय में नई दिल्ली में तारीख 19-2-79 (पूर्वाह्न) से उनके कार्य-भार से मुक्त किया गया है।

बी० एल० मनिहार,
निदेशक प्रशासन,
कृते कृषि विपणन सलाहकार.

भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र

(कार्मिक प्रभाग)

बम्बई-400085, दिनांक 20 मार्च 1979

संदर्भ 5/1/79-स्थापना II/1071—नियंत्रक, भाभा परमाणु अनुसंधान केन्द्र, निम्नलिखित अधिकारियों की

1. श्री आनन्द प्रकाश वरमानी पुत्र स्वर्गीय श्री आर० एन० वरमानी निवासी—2 कावेलरी लेन, दी माल, दिल्ली। (अन्तरक)।

2. श्री मुहिन्द्र सिंह पुत्र श्री गुरदित्त सिंह सिनमा रोड़, बटाला। (अन्तरिती)।

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 म और कोई किराएदार हो तो। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)।

4. यदि और कोई व्यक्ति इस जायदाद में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेपः—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

पत्र सहायक लेखा अधिकारी/लेखा अधिकारी-II नियुक्त करते हैं:—

क्र० सं०	नाम तथा पद	स्थानापन्न नियुक्ति	अवधि से (पूर्वाह्न)	अवधि तक (अपराह्न)
1.	श्रीमती एम० पी० गिडवानी सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	15-1-79	22-2-79
2.	श्री टी० के० राममूर्ति सहायक लेखापाल	सहायक लेखा अधिकारी	31-1-79	3-3-79
3.	श्री एफ० डी'सूजा सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	4-3-79	अगले आदेशों तक
4.	श्रीमती एम० पी० मेहरजी सहायक लेखा-पाल	सहायक लेखा अधिकारी	1-2-79	अगले आदेशों तक

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अमृतसर

अमृतसर, दिनांक 16 मई, 1979

निदेश सं० यतः मुझे, एम० के० धर, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० भूमि जिसका क्षेत्रफल 28 कनाल 12 मरले है तथा जो कि गांव वैरोवाल में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय तरन तारन में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 4 सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री अजीत सिंह पुत्र श्री हरबंस सिंह गांव वैरोवाल तहसील तरन तारन जिला अमृतसर

(अन्तरक)

2. श्री बूटा सिंह, सुखदेव सिंह, पुत्रान श्री केसर सिंह, गांव लालपुर तहसील तरन तारन जिला अमृतसर

(अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर सं० 2 में और कोई किरायेदार हो तो (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. यदि और कोई व्यक्ति इस सम्पत्ति में रुचि रखता हो (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि जिसका क्षेत्रफल 28 कनाल 12 मरले है जो कि गांव वैरोवाल तहसील तरन तारन जिला अमृतसर में स्थित है जैसा कि रजिस्टर्ड डीड नं० 4024 दिनांक 4-9-78 आफ रजिस्ट्रीग अथारिटी तरन तारन के कार्यालय में दर्ज है।

एम० के० धर,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, अमृतसर

तारीख: 16-5-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस० ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) का धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 28 मार्च 1979

निदेश सं० 554/अर्जन/कानपुर/78-79—अतः, मुझे, भ० च० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, तारीख 4-9-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, इसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नीरज सूद, कु० पल्लवी सूद व अन्य 110 माडल टाउन, अम्बाला। (अन्तरक)

2. श्री घनश्याम दास देगला, श्रीमती भगवती देवी देगला 87/आर०/179 आचार्य नगर, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल संपत्ति मकान नं० 87/296 आचार्य नगर कानपुर 90000/- में बेची गई है जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 118200/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 28-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कलकत्ता

कानपुर, दिनांक 27 मार्च, 1979

निदेश सं० 275 ए०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं०·····है तथा जो·····में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय अनूपशहर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 20-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री जालिम सिंह पुत्र श्री मुलन सिंह नि० महाराजपुर उर्फ करकौरा, पर० डिबाई तह० अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर। (अन्तरक)

2. श्री रामवीर सिंह व कृपाल सिंह व राजेन्द्र सिंह व गोपम शशिपाल व प्रीतपाल कोठ व राजवीर सिंह व महीपाल सिंह व अधेराज सिंह मनवीर व विजयपाल पुत्रगण व ओमवीर सिंह पुत्रगण रोशन निवासी महाराजपुर उर्फ करकौरा पर० दिबाई, तह० अनूपशहर, जिला बुलन्दशहर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि महाराजपुर में रु० 36,000/- की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 81,525/- रुपये आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनाक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 276-ए०/पी० एन०---अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० ..... है तथा जो .....में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अनूपशहर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 20-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :---

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :---

1. श्री गोपी सिंह पुत्र मुल्तन सिंह नि० ग्राम महाराजपुर उर्फ करकौरा पं० डिबाई, जिला बुलन्दशहर। (अन्तरक)

2. श्री मदनसिंह व रामपाल सिंह, दीवान सिंह व हरपाल सिंह व जैपाल सिंह पुत्र छिद्दा सिंह, ग्राम महाराजपुर उर्फ करकौरा, पं० डिबाई, जिला बुलन्दशहर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:---इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि रकबा 1311/1+15 स्थित ग्राम महाराजपुर उर्फ करकौरा में 36000/- रुपये में बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 81525/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निर्देश सं० 289—ए—अर्ज., मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रुपए से अधिक है

और जिसकी स०··········है तथा जो··········में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गाजियाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13—9—1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269—घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1 श्री प्यारे लाल टन्डन पुत्र श्री के० सी० टन्डन, निवासी वेस्ट बिल्डिंग गांधी रोड, पोस्ट बाक्स न० 113 कानपुर द्वारा श्री एन० के० भसीन पुत्र श्री एम० भसीन, निवासी 42, माडल टाउन। (अन्तरक)

2. श्री भूषण प्रकाश व श्री सुदर्शन कुमार मुख्तयार खास व श्री अस्वनी कुमार पुत्रगण श्री जगदीश लाल निवासी जगदीश नगर, हापुड़ रोड, गाजियाबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नम्बर ए/6 स्थित आवासिक कालोनी, कविनगर गाजियाबाद 9700 वर्गगज 63000/- रुपए में बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 82,800/- रुपया आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27—3—1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 304—ए—— मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम अधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, बुलन्दशहर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन व अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती भगवती विधवा शशीप्रसाद ग्राम खकुन्डा पा० शिकारपुर तह० व जिला बुलन्दशहर। (अन्तरक)

. श्री प्यारे लाल पुत्र श्री धीतर मल व प्रेम चन्द्र पुत्र श्याम लाल नि० ग्राम खुकुन्डा पा० शिकारपुर तह० व जिला : बुलन्दशहर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि ग्राम खकुन्डा में 20,000/- रुपए की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 58,000/- रुपए आंकी गई है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 361/—ए०/पी० एन०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17—10—1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था या छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० एन० गुन्डुराव पुत्र स्व० एस० एन० कृष्न राव निवासी 4/278 वी "छाया" विष्नुपुरी कानपुर। (अन्तरक)।

2. श्री कैलाश नाथ टण्डन पुत्र स्व० बाई० एन० टण्डन निवासी 45/55 गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान स्थित 4/278 "वी० छाया" विशनुपुरी कानपुर के प्रथम खण्ड का आधा भाग 70,000/- रुपए में बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,11,000/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27—3—1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 36—ए०/पी० एन०—अतः मुझ, भरत चन्द्र चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो

स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम; या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० एन० गुन्डूराव पुत्र स्व० एस० एन० कृष्न राव निवासी 4/278 बी "छाया" विशनुपुरी, कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री दिनेश चन्द्र टन्डन पुत्र स्व० बाई० एन० टन्डन निवासी 45/55 गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

गृह सम्पत्ति स्थित 4/278 बी "छाया" विशनुपुरी कानपुर के ग्राउण्ड फ्लोर का आधा भाग 75,000/- रुपए में बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 2,22,000/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 362—ए०/पी० एन०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 17—10—1978 को
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) एसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एम० एन० गुन्डुराव पुत्र स्व० एम० एन० कृष्न राव निवासी 4/278 बी "छाया" विशनूपुरी, कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री रमेशचन्द्र टन्डन पुत्र स्व० बाई० एन० टन्डन निवासी 45/55 गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान स्थित 4/278 'बी' "छाया" विशनूपुरी, कानपुर के ग्राउण्ड फ्लोर का आधा भाग 75,000/- रुपए मे बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 2,22,000/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27—3—1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 364-ए/पी० एन०—अत. मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, कानपुर में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 17-10-1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री एस० एन० गुन्डूराव पुत्र स्व० एस० एन० कृष्ण राव निवासी 4/278 बी "छाया" बिशनपुरी, कानपुर। (अन्तरक)।

2 श्री सुरेश चन्द्र टण्डन पुत्र स्व० वाई० एन० टण्डन निवासी 45/55 गया प्रसाद स्ट्रीट, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मकान स्थित 4/278 बी "छाया" बिशनपुरी, का कानपुर के प्रथम खण्ड का आधा भाग 70,000/- रुपए मे बेचा गया जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,11,000/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 27-3-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269-ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं० 786-ए०—अतः मुझ भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, घाटमपुर, में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 16-10-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री धरमपाल सिंह पुत्र भोरेलाल सिंह ग्राम कुवार-वेडा पत्रालय ग्राम कैथा पर० घाटमपुर, जिला कानपुर। (अन्तरक)

2. श्री बाबूराम व राम आसरे व पुत्र लीला और बुलीचन्द्र व दनकई पुत्र घसीटे व मोतीलाल आत्मज बनवारी व कैलाश व कमलेश और बंशगोपाल ग्राम कैथा पर: घाटमपुर जिला : कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कृषि भूमि मौजा अनोइया परगना घाटमपुर कानपुर स्थित में 44,800/- रुपए की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 76,620/- रुपए आकी गई है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश सं॰ 810—ए॰—अतः मुझे भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मेरठ में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 5-10-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिये था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती वीना घोषाल पत्नी श्री एस॰ एन॰ घोषाल निवासी 9/1 एकडलिया प्लेस कलकत्ता 19। (अन्तरक)

2. श्री अमरीश कुमार गुप्ता पुत्र श्री सुरेश चन्द्र गुप्ता निवासी डालम पाडा शहर, मेरठ। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में यथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

एक कोठी नं॰ 71 तिलक रोड बेगम बाग शहर मेरठ में 1,20,000/- रुपए की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 1,72,500/- रुपए आंका गया है।

भरत चन्द्र चतुर्वेदी,
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 27-3-1979
मोहर :

प्रारूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 29 मार्च 1979

निदेश सं० 550/अर्ज०/ इगलास /78-79—अत. मुझे भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इगलास में, रजिट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 12-9-78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गोपाली पुत्र खरगसिंह निवासी व डा० टमोटिया तह० इगलास जिला अलीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री हरीसिंह, राजेन्द्र सिंह, गोवर्धन सिंह, बलवीर सिंह पुत्रगण बाबू सिंह निवासी धौम डा० हरौधा परगना गोरई तह० इगलास जि० अलीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि सम्पत्ति खाता नं० 34, 228 स्थित मौजा टमोटिया परगना गोरई तह० इगलास जिला अलीगढ़ 40000/- मे बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 77500/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 29-3-1979

मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एम०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 1 मई 1979

निदेश सं० 847—ए०—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000 रु० से अधिक है

और जिसकी सं०.... है तथा जो... में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, मंसूरी मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 30-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11), या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था, या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् : —

1 श्री सरदार हरवीर सिंह पुत्र सरदार जगजीत सिंह निवासी मेडिकल कालेज, एम० आर० ई०। (अन्तरक)

2. श्रीमती रमा डान्डा पत्नी जैदर डान्डा 1108 टैगोर नगर, लुधियाना। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:— इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस आयकर में दिया गया है।

अनुसूची

यह सम्पत्ति 8 मेस्टन हाउस दि माल मंसूरी में 41,500/- रुपए की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 60,000/- रुपए आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 1-5-1979

मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 मई 1979

निदेश सं० 521/अर्जन/सादाबाद/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सादाबाद में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 6-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री रमेश चन्द्र पुत्र सूरजबली गांव निवासी कस्बा सादाबाद जिला मथुरा। (अन्तरक)

2. श्रीमती कमला देवी विधवा मधुसूदन लाल निवासी सोस्ता तहसील सादाबाद जिला मथुरा। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति कृषि भूमि 14 बिघा क्षेत्रफल 5.46½ डि० स्थित मौजा सोस्ता तह० सादाबाद जिला : मथुरा का ½ भाग 55000/- में बेची गयी है जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 87944/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपूर

तारीख : 2-5-79

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 2 मई 1979

निदेश सं० 525/अर्जन/हाथरस/78-79—अतः, मुझे, भ० च० चतुर्वेदी
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है
और जिसकी सं०.... है तथा जो.... , में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हाथरस में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 13-9-1978
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती चन्द्रिनी पुत्र गोपीराम स्त्री कैलाश चंद, निवासी ग्राम दतौरा परगना व तह० हाथरस पोस्ट ऐहान, जिला अलीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री जगदीश प्रसाद पुत्र नौरंगी लाल व शांती देवी स्त्री जगदीश प्रसाद निवासी ग्राम महौ पो० खास, परगना व तह० हाथरस, जि० अलीगढ़। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 10 बीघा 12 बिस्वा 15 बिस्वासी स्थित ग्राम दतौरा, तहसील हाथरस जिला अलीगढ़ 20,000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित बाजारी मूल्य 95,640/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

कानपुर, दिनांक 2 मई, 1979

निदेश सं० 549/अर्जन/इगलास/78-79---यतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय इगलास में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 7-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों पर्यात्---

1. श्री चन्द्रशेखर ध्वज प्रसाद सिंह पुत्र रोहणी रमण ध्वज प्रसाद निवासी नाला बैसवां परगना गोरई तह० इगलास जिला अलीगढ़। (अन्तरक)

2. श्री राम प्रताप सिंह, रामवीर सिंह पुत्रगण करन सिंह निवासी मौजा बैसवां परगना गोरई तह० इगलास जिला अलीगढ़। (अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि 12 बीघा 7 बिस्वा 10 बिस्वांसी स्थित मौजा बैसवां परगन गोरई तहसील इगलास जिला अलीगढ़ 22500/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 60,000/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 2-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 मई 1979

निदेश सं० 46/अर्जन/छिमऊ/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय छिबरामऊ मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 6-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नही किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. मु० मतीन पुत्र डा० अख्तर निवासी सौरिख डा० व पर० सौरिख तह० छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद। (अन्तरक)

2. मै० सौरिख गोल्ड स्टोरेज प्रा० लि० प्रमोटर विनोद कुमार अग्रवाल पुत्र मदन मोहन निवासी 19 टैगोर रोड़, कानपुर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियो पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदो का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 2.26 एकड़ स्थित मौजा सौरिख परगना खास तहसील छिबरामऊ जिला फर्रुखाबाद 45000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 57500/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 3-5-1979
मोहर:

प्रारूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 मई, 1979

निदेश सं० 202—ए०—अतः मुझे, भरत चन्द्र चतुर्वेदी आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय देहरादून में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-9-1978 को

पूर्वोक्त, संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नही किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियो को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती सत्या देवी शर्मा निवासी 104 बाई का बाग, इलाहाबाद (अन्तरक)

2. श्रीमती कुसुम लता देवी पत्नी श्री ओध किशोर लाल निवासी 7 गुरु रोड़, देहरादून (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियो में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हित-बद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दो और पदो का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

भूमि खसरा नं० 829 स्थित पार्क रोड़ लक्ष्मण चौक देहरादून में 40,000/- रुपए की बेची गई जिसका उचित बाजारी मूल्य 51,000/- रुपए आंका गया है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख: 3-5-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ब(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-IV, कानपुर

कानपुर, दिनांक 3 मई, 1979

निदेश सं० 618/अर्जन/इटावा/78-79—अतः मुझे, भ० च० चतुर्वेदी

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269 ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, इटावा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 19-9-1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधि० नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 ख की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री मिश्रीलाल गुप्ता पुत्र लालमन गुप्ता निवासी व पो० सरा जिला कानपुर (अन्तरक)

2. श्री हजारी लाल गुप्ता व प्रेम कुमार गुप्ता पुत्र लखपतराय निवासी व पो० इकदिल परगना व जिला इटावा (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कृषि भूमि 8.85 जि० स्थित सरना इकदिल तहसील व जिला इटावा 9000/- में बेची गई जिसका कि अनुमानित उचित बाजारी मूल्य 122040/- है।

भ० च० चतुर्वेदी
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, कानपुर

तारीख : 3-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 27 मार्च 1979

निदेश स० पी० 70/एक्वि०—अतः मुझे, अमर सिंह बिसेन,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मन० बी०–38/1–ए है तथा जो मो० महमूदगंज वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्व रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 18–8–1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती सत्यवती अरोड़ा (अन्तरक)

2. श्रीमती परवेश रानी (अन्तरिती)

3. श्रीमती सत्यवती अरोड़ा (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिनजुमला मकान नं० बी० 38/1–ए स्थित मि० महमूरगंज वाराणसी तीन मंजिला क्षेत्रफल मय पूरी जमीन 2507 वर्गफीट असेसमेंट सालाना नगर महापालिका 3000/- यदि किराए पर दिया जाए तो 250 रु० मासिक हो सकती है। पूर्ण स्वामित्व तथा सम्पत्ति का वह विवरण जो फार्म 37–जी सं० 7092 दिनांक 11–8–78 फार्म 37–एच० में लिखी रजिस्ट्रेशन तारीख 19–9–78 तथा सेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 11–8–78/19–9–78 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 27–3–1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०---

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा

269 ख(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 28 मार्च, 1979

निदेश सं० के०-85/एक्वि०—यतः मुझे अमर सिंह बिसेन

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० बी०-38/1-ए है तथा जो मो० महमूरगंजन्ज वाराणसी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय वाराणसी में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 11-8-78/19-9-78 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. श्री हरबंस लाल भाटा (अन्तरक)

2. श्री कृष्ण लाल अरोड़ा (अन्तरिती)

उपरोक्त बिक्रेता (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में संपत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मिन जुमेला मकान नं० बी० 38/1-ए स्थित मोहल्ला महमूरगंज वाराणसी तजन मंजिला क्षेत्रफल 2507 वर्गफीट असेसमेंट नगर महापालिका सालाना 3000/- यदि किराए पर दिया जाए तो मासिक अन्य 250 रुपया हो सकती है पूर्ण स्वामित्व तथा सम्पत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37-ज सं० 1 7091 दिनांक 1-8-78 फार्म 37-एच० जिसमें रजिस्ट्रेशन की तारीख 19-9-78 लिखी है तथा सेल डीड जो तीन सब रजिस्ट्रारों वाराणसी के कार्यालय में दिनांक 11-8-78/19-9-78 को दर्ज है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख: 28-3-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, लखनऊ

लखनऊ, दिनांक 30 मार्च 1979

निदेश सं० 75-ए/अर्जन—अतः मुझ अमर सिंह बिसेन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० नाम "मानक" (अधिकारीनाज) 60 नेहरू रोड़ रानी टरेस कैन्ट अल्मोड़ा है तथा जो में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय रानीखेत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 29-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप में कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री सीताराम मेहरा (अन्तरक)।

2. आदित्य मिल्स लि० (अन्तरिती)

3. आदित्य मिल्स लि० (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग भाग में संपत्ति है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हू ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप।—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा; अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

अचल सम्पत्ति नामक "मानक" (अधिकारी लाज) बंगला नं० 60 नेहरू रोड़, रानीखेत कैन्ट जिला अल्मोड़ा व संपत्ति का वह सब विवरण जो फार्म 37-जी० सं० 768 व य मेलडीड में वर्णित है जो कि सब रजिस्ट्रार रानी खेत के कार्यालय में दिनांक 29-9-1978 को पंजीकृत है।

अमर सिंह बिसेन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, लखनऊ

तारीख : 30-3-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 फरवरी 1979

नं० एसी०क्यू० 23-क-1804 (776)/16-1/78-79—अतः मुझे, एस० सी० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० सर्वे न० 241 तथा 248 है तथा जो पावर हाउस के पीछे, धोराजी, जिला राजकोट मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, धोराजी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 21-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1 ओ० के० इण्डस्ट्रीज, श्री प्रविणभाई शाह बम्बई, मैनेजिग पार्टनर के मारफत कुल मुख्खत्यार श्री जयन्ती भाई जे० प्लाट भाकुभाजी परा, धोराजी, जिला राजकोट। (अन्तरक)

2 मेसर्स नाभीराज कंपनी, भागीदार श्री भूपेन्द्र दीनकरराय प्लाट शाह के मारफत 30, कार्मशियल चेम्बर्स, स्टेशन रोड, गेलेक्सी सिनेमा के पीछे धोराजी, जिला राजकोट। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका सर्वे न० 241/2 तथा 248 है जिसका क्षेत्रफल 23,23, वर्ग गज है जो पावर हाउस के पीछे धोराजी मे स्थित है जिसका पूर्ण वर्नन, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी धोराजी द्वारा रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 1094 सितम्बर 1978 मे दिया गया है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

तारीख : 2-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 9 फरवरी, 1979

सं० ए०सी०क्यू० 23-आई०-1812(781)/11-4/78—79—अतः मुझे, एम० सी० पारीख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 13) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 10 है तथा जो वाछेश्वरी प्लाट, पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण विलेख में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या जिसे प्रकट किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के परन्तुक में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

1. (1) श्री मोहन लाल वीर जी
   (2) श्री दामजी वीरजी
   (3) श्री अमृतलाल वीरजी
   (4) श्री लक्ष्मीकांत उर्फ छोटालाल वीरजी सभी पोरबंदर के। (अन्तरक)

2. श्री शांतिलाल मूलचंद मालवीया, नागरवाडा, राममंदिर के पास पोरबंदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका वार्ड नं० 10 (पोरबंदर म्युनिसीपालिटी) है, जिसका क्षेत्रफल 488—6—4 वर्ग गज है जो वाछेश्वरी प्लाट, पोरबंदर, जिला जूनागढ़ में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, पोरबंदर द्वारा बिक्री दस्तावेज नं० 2095 सितम्बर, 1978 से रजिस्टर्ड किया गया है जाने मिल्कित का पूर्ण वर्णन जिसमें दिया गया है।

एम० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंजI, अहमदाबाद

दिनांक : 9-2-1977

मोहर :

प्रकप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 14 फरवरी 1979

सं० पी० आर० 651/ए०सीक्यू० 23-164/7—4/78—79—अतः मुझे, एस० सी० पारिख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसम इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० वार्ड नं० 8 क्यू० नं० 364 है तथा जो टीका नं० 14/1 सर्वे नं० 89 बाजवाड, नवसारी में थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, नवसारी मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसा किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. (1) रुस्तम एस० बामजी (अन्तरक)
   (2) महरुख के० जोशी
   (3) फारुख एस० बामजी
   (4) एन० एस० बामजी
   (5) नरगिसर एन० मोनीचार बामाजी
   (6) एस० एस० बामाजी
   (7) दोगड़ो आर० मेहता तथा दो अन्य
   658, फरदोशी, रोड़ दादर, बम्बई (अन्तरक)

2. (1) अमृतलाल चुनीलाल मोदी
   (2) मोनह लाल चुनीलाल गांधी
   (3) कान्तीलाल चुनीलाल गांधी
   (4) जयन लाल चुनीलाल गांधी
   (5) नटवरलाल चुनीलाल गांधी बाजवाड, नवसारी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया शुरू करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र मे प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों मे से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसम प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क, में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन व मकान जो वार्ड नं० 8 क्यू० नं० 364 टीका नं० 14/1 सर्वे० न० 89, बाजवाड, नवसारी में स्थित है जिसका कुल माप 212-37-70 वर्ग मीटर है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी, नवसारी द्वारा 30-9-1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख न० 2721 में प्रदर्शित है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, अहमदाबाद

दिनांक : 14-2-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰टी॰एन॰एस॰-----

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 मार्च 1979

सं॰ एसीक्यू॰ 23-आई-1875 (795)/16-6/78-79—अतः मुझे, एस॰ सी॰ परिख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ प्लाट नं॰ 18, जागनाथ रोड की दक्षिण साईड में है तथा जो रामकृष्ण शेरी नं॰ 1, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री जितेन्द्रकुमार मणीलालभाई शेठ ज्युपीटर एपार्टमेन्टस, 14वी॰ मसला लक रोड कोलाबा, बम्बई-400 005।

(अन्तरक)

2. श्रीमति मधुबेन रमणीकलाल चोटाई लक्ष्मीबाडी मेईनरोड लक्ष्मीनारायण निवास राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिये एतद्द्वारा कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 350 वर्गगज है तथा प्लाट नं॰ 18 है जो जागनाथरोड की दक्षिण साईड में रामकृष्ण शेरी नं॰ 1 राजकोट में स्थित है तथा तारीख 12-9-78 में रजिस्टर्ड किये गये बिक्री दस्तावेज नं॰ 3787 में जिसका पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस॰ सी॰ परिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 24-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 24 मार्च 1979

सं० ए०सी०क्यू० 23-1-1875 (796)/16-6/78-79—अत: मुझे एस० सी० पारिख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० प्लाट नं० 18, जागनाथ रोड की दक्षिण साईड में है तथा जो रामकृष्ण शेरी नं० 1, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 12-9-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अत:, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री जितेन्द्रकुमार मणीलाल भाई शेठ, ज्युपीटर एपार्टमेन्ट्स, 14वीं मंजल, कोलाबा, बम्बई-400005 (अन्तरक)

2 श्रीमति मानुबेन त्रिभोवनदास, डॉ० बामनी शेरी, सगनवा चोक, राजकोट (अन्तरक)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जिसका क्षेत्रफल 350 वर्ग गज है तथा प्लाट नं० 18 है जो जागनाथ रोड की दक्षिण साईड में रामकृष्ण शेरी नं० 1 राजकोट में स्थित है तथा ता० 12-9-78 को रजिस्टर्ड बिक्री दस्तावेज नं० 3786 में पूर्णत वर्णन किया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक: 24-3-1979

मोहर:

फार्म आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० पी० आर० नं० (798) ए०सी०क्यू० 23-आई०-1985/11-4/78—79—अतः मुझे एम० सी० पारिख, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० सर्वे० नं० 3206-वार्ड नं० II सीटी सर्वे नं० 3 है तथा जो पोरबंदर राणाबाब की तरफ (एम० जी० रोड), पोरबंदर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व से कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. पी० एच० वाडीया एंड सन्स, ट्रांसपोर्ट महात्मा गांधी रोड, पोरबंदर (अन्तरक)

2. श्री भानुशंकर लीलाधर जोली पोरबंदर का छाया रोड, पी० एच० वाडीया एंड सन्स के मारफत महात्मा गांधी रोड, पोरबंदर (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुली जमीन जिसका क्षेत्रफल 302-00 वर्ग गज है जिसका वार्ड नं० 11, सीटी सर्वे० नं० 3, सर्वे नं० 3206 जो पोरबंदर राणाबाब रोड (एम० जी० रोड) पोरबंदर में स्थित है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा दिनांक 26-9-1978 को रजिस्टर्ड किये गये बिक्री दस्तावेज नं० 2182/19-5-1978 (जिसकी सूचना दिसम्बर 1978 के प्रथम पखवाड़े में प्राप्त हुई थी) में जिसका पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एम० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 30-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 30 मार्च 1979

सं० ए० सी० क्यू० 23-आई०-1985(799)11-4/78-79—अतः मुझे एस० सी० पारिख,
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जमिकी सं० सर्वे० नं० 3206 वार्ड नं० 11 सिटी सर्वे नं० 3 है। तथा जो पोरबंदर राणावाव की तरफ (एम० जी० रोड) पोरबंदर में स्थित (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय पोरबंदर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 26-9-1978
पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री पी० एच० वडीया एण्ड सन्स, ट्रांसपोर्ट महात्मा गांधी रोड, पोरबंदर। (अन्तरक)

2 श्री दयाराम लीलाधर जोशी, छाया प्लाट, पोरबंदर के पी० एच० वडीया एंड सन्स के मारफत एम० जी० रोड, पोरबंदर। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खली जमीन जिसका क्षेत्रफल 344.45 वर्ग गज है जो वार्ड नं० 11, सिटी सर्वे वार्ड नं० 3, सर्वे नं० 3026, पोरबंदर राणावाव रोड (एम० जी० रोड) पोरबंदर में स्थान है तथा रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी पोरबंदर द्वारा ता० 26-9-78 को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 2181/19-5-1978, जिसी सूचना दिसम्बर, 1978 के प्रथम पखवाड़े में प्राप्त हुई, में मिलकत का पूर्ण वर्णन दिया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

दिनांक 30-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—— ——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 27 मार्च 1979

निर्देश सं० पी० आर० नं० (800) एसीक्यू०-23-आई-1872(16-6/78-79—अतः मुझे एस० सी० पारिख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० नील— मकान का बीसवा हिस्सा जिस का क्षेत्रफल 1727-7-0 वर्ग गज है। तथा जो राजश्री टोकीस नामसे प्राख्यात है तथा भुवनेश्वर राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1 श्री हेमकुवर नरोत्तमदास एन० डी० मणीयार के मारफत धर्मेंद्ररोड, राजकोट (अन्तरक)

2 श्री बकुल शान्तीलाल के० डी० मोनी के मारफत 48, प्रहला प्लाट, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

1727-7-0 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान का बीसवा हिस्सा जो मेसर्स राजश्री टोकीस नाम से प्रख्यात है तथा जो सुभेद्ररोड राजकोट में स्थान है जिसका पूर्ण वर्णन दिनांक 15-9-1978 को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 3877 में दिया गया है जो रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्टर्ड किया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I अहमदाबाद

दिनांक 30-3-1978
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की

धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 3 मार्च 1979

सं० पी० आर० नं० (801) ए०सी०क्यु० 23-आई०-1873/16-6-78-79—अतः मुझे एस० सी० परिख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं०—नीस— 1727-7-0 वर्ग गज क्षेत्रफल वाले मकान का बीसवां हिस्सा है जो राजश्री टोकीम नाम से प्रख्यात है तथा भूपेन्द्ररोड, राजकोट में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, राजकोट में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 15-9-78 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) श्री डेमकुंवर नरोत्तमदास, एम० डी० मणीयार के० मारफत धर्मेंद्ररोड, राजकोट (अन्तरक)

2. श्री मनमोहन जयंतिलाल, जयंतिलाल डी० सोनी के मारफत, 48, प्रहलाद प्लोट, राजकोट (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाही करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मेर्सस राजश्री टोकीम नाम से प्रख्यात मकान का बीसवां हिस्सा जो 1727-7-0 वर्ग गज जमीन पर खड़ा है तथा भूपेन्द्ररोड राजकोट में स्थित है तथा जिसका पूर्ण वर्णन ता० 15-9-1978 को, रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी राजकोट द्वारा रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज नं० 3878 में दिया गया है।

एस० सी० परिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

दिनांक : 30-3-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-I, अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 4 मई 1979

सं० ए० सी० क्यू० 23-आई० 1934(812)1–1/78—79—अतः मुझे एस० सी० पारिख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे० नं० 54, फायनल प्लाट नं० 165, सब प्लाट नं० 24, टी० पी० एस० 4 का है। तथा जो खोखरा मरेमदाबाद, मणीनगर, अहमदाबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, अहमदाबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 27-9-78 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती सवीताबेन, ठकोरलाल चुनीलाल की विधवा, बंगला नं० 24, दलाल कोलोनी मणीनगर, अहमदाबाद-4 (अन्तरक)

2. (1) श्री पटेल घनश्याम पुरुषोत्तमदास,
(2) श्री पटेल चंद्रकान्त पुरुषोत्तमदास
(3) श्री पटेल जगदीशभाई पुरुषोत्तमदास,
14, पंचवटी कोलोनी जयहिंद हाईस्कूल के सामने मणीनगर अहमदाबाद-8 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन पर खड़ा मकान जिसका क्षेत्रफल 766—0 वर्ग गज है जिसका सर्वे० नं० 54, फायनल प्लाट नं० 165 सब प्लाट नं० 24, टी० पी० एस० 4 में है, जो खोखरा मरेमदाबाद मणीनगर, अहमदाबाद में स्थित है। तथा जिस का पूर्ण वर्णन रजिस्ट्रेशन नं० 8630 से ता० 27-9-78 को रजिस्ट्रीकृत बिक्री दस्तावेज में दिया गया है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-I अहमदाबाद

दिनांक 4-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II अहमदाबाद

अहमदाबाद दिनांक 5 मई, 1979

सं० पी० आर० 675/ए० सी० क्यू० 23-1147/19—7/78—79—अतः मुझे एम० सी० पारिख **आयकर** अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा **269-ख** के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित **बाजार** मूल्य **25,000/-** रुपये से अधिक है,

और जिसकी सं० सर्वे नं० 116/4 पैकी पूर्व तथा पश्चिम दिशा है। तथा जो गाव फुलपाडा ता० चोरासी, जिला सूरत मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978

को **पूर्वोक्त** सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण **है** कि **यथापूर्वोक्त** सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके **दृश्यमान** प्रतिफल से, ऐसे **दृश्यमान प्रतिफल का** पन्द्रह प्रतिशत **से अधिक है और** अन्तरक (अन्तरकों) और **अन्तरिती** (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल **निम्नलिखित उद्देश्य** से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप **से कथित नहीं किया** गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की **बाबत** उक्त **अधिनियम** के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए **था**, छिपाने में **सुविधा** के लिए,

अतः अब, उक्त **अधिनियम** की धारा **269-ग के अनुसरण** में, मैं, **उक्त** अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा **(1) के अधीन**, निम्नलिखित व्यक्तियों, **अर्थात्** :—

1. श्री दयारामभाई जीवनभाई पटेल गांव : बुटवेडा, पेटा महल, वालोड (अन्तरक)

2. श्री अश्वनी को० आ० हाउसिंग सोसायटी मि० विभाग-2, 7/45, गोटालावाडी, कतारगाम (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के **अर्जन के लिए कार्यवाहियां** करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी **आक्षेप**:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से **45** दिन की अवधि या तत्संबंधी **व्यक्तियों** पर सूचना **की** तामील से 30 दिन की **अवधि**, **जो भी** अवधि **बाद में** समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में **से** किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की **तारीख से 45** दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास **लिखित** में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त **अधिनियम** के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही **अर्थ** होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग गज है (दो दस्तावेजों मे) तथा जो गाव फुलपाडा सर्वे नं० 116/4 पैकी पूर्व तथा पश्चिम भाग जो० ता० चोरासी जिला सूरत मे स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 मे दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख मे प्रदर्शित है।

एम० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II अहमदाबाद

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1979

सं० पी० आर० 676/ए० सी० क्यु० 23-1147/19—7/78—79—अतः मुझे एस० सी० परिख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है और जिसकी सं० सर्वे नं० 116/2 पैकी पश्चिम ओर जमीन है । तथा जो गांव फुलवाड़ा ता० चोरासी, जिला सूरत मे स्थित है (और इसमे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कायम नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री कान्तीलाल बापुभाई गांव अन्थाना ता० चोरासी (अन्तरक)

2. अश्वनी को० आ० हाउसिंग सोसायटी लि० विभाग :2 6/45, गोटालावाडी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप —

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय मे दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन, जिसका कुल माप 1500 वर्ग गज है तथा जो वें सनं० 116/2 पैकी पश्चिम तरफ गांव फुलपाड़ा ता० चोरासी जिला सूरज में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख मे प्रदर्शित है ।

एस० सी० परिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक : 5 मई 1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1979

नं० पी० आर० 677/ए०सी०क्यू० 23-1147/19—7/78—79—अतः मुझे एस० सी० पारीख

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 116/3 पैकी पूर्वी ओर जमीन है तथा जो गांव फुलपाडा, ता० चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या;

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री नरसीभाई पुरसोतमीबाई गांव देसड, ता० कामरेज जिला, सूरत (अन्तरक)

2. अश्वीन को० आ० हाउसींग सोसायटी लि० विभाग 2 7/45, गोटालावाडी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्ग गज है (दो दस्तावेज) है जो सर्वे नं० 116/3 पैकी पूर्वी पश्चिम भाग में गांव फुलपाडा जमीन जो ता० चोरासी जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकर्ता विलेख में प्रदर्शित है।

एस० सी० पारीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई०टी०एन०एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज- अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनाक 5 मई 1979

नं० पी० आर० 678/ए०सी०क्यू० 23-1147/19-7/78-79—अतः मुझ एस० सी० पारीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० सर्वे नं० 116/1 गाव फुलपाडा है। तथा जो चोरासी, जिला सूरत में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों का जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1 श्री छिताभाई देवीभाई पटेल गाव पिसाद ता० नवसारी, जिला थलसाऊ (अन्तरक)

2 श्री अश्वनी को० आ० हाउसींग सोसायटी लि० विभाग-2 7/45 गोटालावाडी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहिया करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका क्षेत्रफल 3000 वर्गगज है(दो दस्तावेज) तथा जो सर्वे नं० 116/1 की पूर्व तथा पश्चिम दिशा गाव फुलपाडा ता० चोरासी जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 को दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है।

एस० सी० पारिख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

दिनाक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 5 मई 1979

नं० पी० आर० 679/ए० सी० क्यू० 23-1147/19-7/78-79—अतः मुझे एस० सी० परीख,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम', कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० सर्वे नं० 116/2 पैकी पूर्वी दिशा में जमीन है। तथा जो गांव फुलपाड़ा ता० चोरासी जिला सूरत में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1808 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1976

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों के अर्थात्:—

1. श्री कानी लाल बापुभाई गांव अल्लाना ता० चोरासी (अन्तरक)

2. श्री अश्वनी को० आ० हाउसिंग सोसायटी लि० विभाग-2—7/45, गोटालावाडी, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो 'उक्त अधिनियम' के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका कुल माप 1500 वर्ग गज है जो सर्वे नं० 116/2 पैकी पूर्वी दिशा में गांव फुलपाड़ा ता० चोरासी जिला सूरत में स्थित है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज-II, अहमदाबाद

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II अहमदाबाद

अहमदाबाद, दिनांक 2 मई 1979

सं० पी० आर० 680/ए०सी०क्यू० 23-1251/19-7/78-79—अतः मुझ एस० सी० पारिख आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० आठवां नोध नं० 1931 एम० पी० नं० 421 (पैकी) टी० पी, एस० नं० 5 है । तथा जो आरोग्य नगर सोसायटी, अठवां सूरत में स्थित है (और उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सूरत में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बचने, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी आय या निधि या धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री भास्करभाई जीनाभाई देसाई 9/752, अमलीरान, सूरत (अन्तरक)

2. श्रीमति जसीकाबेन गिरीश चन्द्र चूड़ीवाला कुंजलता बन दिलीप कुमार चूड़ीवाला नवा पुरा, तरकस मोहल्ला, सूरत (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूँ ।

उक्त संपत्ति के हित के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

खुली जमीन का प्लाट जो टी० पी० एस० नं० 5 नोंध नं० 1931 (पैकी) एफ० पी० नं० 5 आरोग्य नगर, अथवा, सूरत में स्थित है जिसका कुल माप 520 वर्ग गज है जैसा कि रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी सूरत द्वारा सितम्बर, 1978 में दर्ज किये गये रजिस्ट्रीकृत विलेख में प्रदर्शित है ।

एस० सी० परीख
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज अहमदाबाद

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज जालन्धर

जालन्धर दिनांक , 1979

निदेश सं० ए० बी० नं० 1902—अतः मुझे बी० एम० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बमन्ती परिदादरकन में स्थित है (और इससे उपाब अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, सितम्बर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. दुर्गा आईल मिल्ज जालन्धर राधे प्रेम भगत बमन्ती बाबाखेल जालन्धर (अन्तरक)

2. श्री मुरिन्द्र कुमार पुत्र भीमसैन सहगल (विजय नगर जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4326 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एम० दहिया
सक्षम प्राधिकारी
(सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की
धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त, (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 5 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1903—अतः मुझे बी० एस० दहिया
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है
और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो बसती पीर दाद खान जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 61) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किसी जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

1. दुर्गा आईल मिल्ज जलन्धर (राटी) प्रेम भगत बसती बाकख जलन्धर (अन्तरक)
2. श्री मोहन लाल पुत्र भीम सैन महगल विजय नगर जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नें नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त-सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4608 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक : 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 5 मई, 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 904—अतः मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० जसा कि अनुसूची में है तथा जो 7-.2 माडल टाऊन जलन्धर में स्थित है (और इसस उपाबद्ध अनुसूचि में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का निम्न प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों, को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सतनाम सिंह पुत्र हरदियाल सिंह, गांव जामाई जलन्धर (अन्तरक)

2. श्री मोहिन्द्रपाल सिंह पुत्र प्रीतम सिंह 7-एल०-माडल टाऊन जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रूचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4525 सितम्बर, 1978 को रजिट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 5-5-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ध (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1905—अतः मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो मुहल्ला काजी जलन्धर में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अंतरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण में हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधितियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ध की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

2. श्रीमती धनकेदी देवी विधवा शिवराम 67 आफीसर कालोनी, जलन्धर (अन्तरक)

2. 1. जसवंत कौर पत्नी प्यारा सिंह 2. सुरिन्द्र सिंह पुत्र प्यारा सिंह 14-ई० सी० पंजगीर जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति, द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4709 सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार
कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जालन्धर, दिनांक 5 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1906—अतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची है तथा जो न्यू जवाहर नगर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख सितम्बर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री गुरमीत सिंह पुत्र मेहरबान सिंह द्वारा टिनसन इंजीनियरिंग वर्क्स करपूथला रोड, जलन्धर (अन्तरक)

2. श्री विजय कुमार सहगल पुत्र डी० डी० सहगल 99/3 सैंटरल टाऊन, जलन्धर (अन्तरिती)

3 जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए एतद्वारा कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4447 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 5-5-1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कार्यालय

जलन्धर, दिनांक 5 मई 1979

निदेश सं० पी० ए० 1907—अतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० जैसाकि अनुसूची में है तथा जो बसती मो० जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक सितम्बर, 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्री राजिन्द्र कुमार पुत्र (किशन दास 2 देवराज पुत्र रोशन लाल 954 गोबिन्दगढ़ जलन्धर (अन्तरक)
2. श्री के० जी० स्पोरटस बसती रोड, जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर नं 2 में है। (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4402 सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 5-5-1979
मोहर :

रूप आई० टी० एस० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ऐ० पी० नं० 1908—अतः मुझे बी० एस० दहिया आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो माडल टाऊन जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ध्यान चन्द पुत्र मंद सिंह गांव नूसी। (अन्तरक)
2. श्री गुरचरण सिंह पुत्र सुखदेव सिंह 305 आर माडल टाऊन जलन्धर (अन्तरिती)
3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह संपत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4852 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर

प्रारूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1909—अत मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची मे है तथा जो माडल टाऊन जलन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्टूबर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देन के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने मे सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री ध्यान चन्द पुत्र मंद सिह गाँव नूसी (अन्तरक)

2 श्रीमति प्रेम कौर पत्नी सुखदेव सिह 305-आर माडल टाऊन जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर न० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग मे सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति संपत्ति मे रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरु करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण —इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4869 अक्तूबर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर मे लिखा है ।

बी० एस दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनाक : 8-5-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेशक सं० ए० पी० नं० 1910—अतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो आदर्श नगर जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 की 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

1. श्रीमती हरबंस कौर बेवा कृपाल सिंह गांव बेगोवाल तहसील जिला कपूरथला (अन्तरक)

2. श्री ओम प्रकाश 168 आदर्श नगर जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4512 सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एम० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ऐ० पी० नं० 1911—अतः मुझे बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो आदर्श नगर जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जालन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत प्रतिफल से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरक के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हरबंस कौर बेवा कृपाल सिंह गांव बेगोवाल तहसील जिला कपूरथला । (अन्तरक)

2. श्री आज्ञा रामी पत्नी ओम प्रकाश 168 आदर्श नगर, जलन्धर । (अन्तरिती)

3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि, या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तारीख से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4513 सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जालन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया,
सक्षम अधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जालन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1912—अतः मुझे, बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रू० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो आदर्श नगर जालन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269 घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती हरबंस कौर बेवा कृपाल सिंह गांव बेगोवाल तहसील जिला कपूरथला (अन्तरक)

2. श्री नवल किशोर पुत्र ओम प्रकाश 168 आदर्श नगर, जालन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता हो। (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4518 सितम्बर 1978 रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनाक 8 मई 1979

निदेश स० ए० पी० नं० 1913—अत मुझे बी० एस० दहिया,

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी स० जैसा कि अनुसूची मे है तथा जो जलन्धर मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्ण रुप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) अधीन दिनाक सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लि, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियो) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित म वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने म सुविधा के लिए ; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हे भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियो, अर्थात :—

1. श्री जे० पी० शर्मा और अदर्ज जलन्धर। (अन्तरक)

2. श्रीमति जीत कौर पत्नी बलबीर सिह गांव जडियाला जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 मे है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है)

4. जो व्यक्ति सम्पत्ति मे रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे मे अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति मे हितबद्ध है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा ;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमे प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय म दिया गया है।

अनुसूची

जैसा कि विलेख न० 2 मे 4539 सितम्बर 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर मे लिखा है।

बी० एम दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंक, जलन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1914—अतः मुझे, बी० एम० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रुप मे वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन दिनांक सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा, 269 ग के अनुसरण में मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1), अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्—

1. श्री जे० पी० शर्मा और अदर्ज जलन्धर। (अन्तरक)
2. श्रीमति जीत कौर पत्नी बलबीर सिंह गांव जडियाला जलन्धर। (अन्तरिती)
3. जैसा ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति,जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।
4. जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिनके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानाता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित ह, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 4599, सितम्बर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एम० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, जलन्धर

जलन्धर, दिनांक 10 मई 1979

निदेश सं० ए० पी० नं० 1915—अतः मुझे, बी० एस० दहिया

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० जैसा कि अनुसूची में है तथा जो जलन्धर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय जलन्धर में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, दिनांक अक्टूबर, 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्रीमती गुरदियाल कौर पुत्र मालूक सिंह 21 मजीत नगर, जलन्धर । (अन्तरक)

2. श्री चन्द्रशेखर पुत्र सत्यपाल ई-जी० 794 नेहरु गारडन रोड जलन्धर (अन्तरिती)

3. जैसा कि ऊपर नं० 2 में है (वह व्यक्ति, जिसके अधिभोग में सम्पत्ति है) ।

4 जो व्यक्ति सम्पत्ति में रुचि रखता है (वह व्यक्ति, जिसके बारे में अधोहस्ताक्षरी जानता है कि वह सम्पत्ति में हितबद्ध है) ।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जैसा कि विलेख नं० 5366 अक्तूबर, 1978 को रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी जलन्धर में लिखा है ।

बी० एस० दहिया,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, जलन्धर

दिनांक 10-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की

धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

सं० 33/79-80—यतः मुझे के० एम० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० खुली जमीन नं० 27/बी है और जो 28 गनडला पली राऊं में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय धीतुर में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 सितम्बर, 78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) श्री पी० सुबय्या चेटी पिता वेंनकटसुबय्या सेटी धनि 4/85 मुकुनदापुरम नेलूर-2

(2) श्री वी० सीरामुलुचेटी पिता वी० रनगप्पाचेटी 2-1-13 आफीसर्स लैन धीतूर

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

खुल जमीन वार्ड नं० 2 सर्वे नं० 27/1-बी, और 28 रानडलापल्ली गाअ धीतुर म्यूनिसिपैलिटी रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 4996/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय धीतुर में

के० एम० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० 34/79-80—यत, मुझे के० एम० वकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269—ख के अधीन सक्षम अधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी 38 है, जो एम० जी० रास्ता सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन अक्तूबर, 1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 की 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मै० यूनाईटेड बिल्डर्स 139/-एम० पी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री दिनेश आर० लुना घर नं० 1-8-264/6 एम० पी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण.—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

मलगी नं० 38 यूनाईटेड बिल्डर्स घर नं० 139-एम० जी० रास्ता सिकन्दराबाद दस्तावेज नं० 2655/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में ।

के० एम० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश सं० 35/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 317 तार 319 है, जो चन्द्रालोक काम्पलैक्स, सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 15) के अधीन सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद
(अन्तरक)

(2) श्रीमती के० रामावती 1-10-1/15 अशोक नगर हैदराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कार्यालय 317, 318, 319 तीसरा मनजलपर चन्द्रालोक कम्प्लैक्स 111-सरोजनी देवी रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3831/78-उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एम० वेंकटा रामन,
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 36/79-80—यतः मुझे के० एम० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है) की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० 304 और 305 है, जो चन्द्रालोक कार्यालय में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री के० हरित राधु (मैनर)
के० एस० थेन राजु के द्वारा आसरम रास्ता पटामटालनका वीजयावाडा

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 304, 305, तीसरी मंजिल पर चन्द्रालोक कम्प्लैक्स 111-सरोजनीदेवी रास्ता सिकन्दराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3832/78 जैसा रजिस्ट्रार हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश नं० 37/79-80—यत: मुझे के० एस० वेंकट रामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 306 और 307 है, जो चन्द्रालोक कम्प्लैक्स सिकन्दराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1978 की

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब उक्त, अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात —

(1) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती के० आशा रानी
के० एम० थेनराजु आसरम रास्ता पटामटालनका बीजयावाडा-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कार्यालय नं० 306 और 307 तीसरी मंजिल पर चन्द्रलोक काम्पलैक्स-111-एस० डी० रास्ता सीकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3833/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन,
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 38/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम, कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है और जिसकी सं० 320 और 321 है जो चन्द्रालोक काम्पलैक्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए, तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त, अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें, भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद
(अन्तरक)

(2) श्री के० वी० विष्णुराजु
के० के० रामापत्तीं 1-10-1/15
अशोकनगर हैदराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 320 और 321 तीसरी मंजिल पर चन्द्रालोक कम्प्लैक्स 111 एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3834/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकट रामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 39/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है ।

और जिसकी सं० 315 और 316 है, जो चन्द्रलोक काम्पलैक्स में स्थित है और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए,

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मै० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद

(2) श्रीमती के० वनीता केअर आफ के० एस० एन० राजु 1-10-1/15 अशोकनगर हैदराबाद

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कार्यालय नं० 315, और 316 तीसरा मंजिला पर चन्द्रालोक काम्पलैक्स 111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3835/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख: 8-5-79

मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 40/79-80—यत: मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी स० मलगी न० 70 है, जो चन्द्रालोक काम्प्लैक्स मे स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची मे और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैं० स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी
111-एस० डी० रास्ता सिकन्दराबाद
(अन्तरक)

(2) श्री के० नरसीमयम
घर नं० 21-एफ/डी बल्लागटा रामगोपालपेट
सिकन्दराबाद
(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा.

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 70 चन्द्रालोक काम्पलैक्स 111-सरोजिनी देवी रास्ता सिकन्दराबाद रजिस्ट्री वस्तावेज न० 3836/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰——————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269 घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश नं॰ 41/79-80—यतः मुझे के॰ एस॰ वेंकटरामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है
और जिसकी सं॰ आफिस 308 और 309 है, जो चन्द्रालोक काम्पलेक्स में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय सिकन्दराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78
को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै॰ स्वास्तिक कन्स्ट्रक्शन कम्पनी 111-एम॰ डी॰ रास्ता सिकन्दराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री के॰ बालाविष्णु राधु (मैनर)
के॰ एम॰ एन॰ राजु अधिकारी आशरम रास्ता पटामट लनका विजयवाड़ा-6

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं॰ 308 और 309 तीसरी मंजिल पर चन्द्रालोक काम्पलेक्स 111-एस॰ डी॰ रास्ता सिकन्दराबाद मे रजिस्ट्री दस्तावेज नं॰ 2322/78-उप-रजिस्ट्री कार्यालय सिकन्दराबाद में।

के॰ एस॰ वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई॰ टी॰ एन॰ एस॰———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश नं॰ 43/79-80—यतः मुझे के॰ एस॰ वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु॰ से अधिक है

और जिसकी सं॰ 114 पहलीमता है, जो सागरवुमकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत 'उक्त अधिनियम' के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए।

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै॰ स्वास्तिक बिल्डर्स
घर नं॰ 1-2-524/3 दीमलगुडा
हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पुलुसटीमनुकाल शर्मा
पत्नी स्वर्गीय पी॰ श्री हरी
(2) पी॰ वी॰ आर॰ राउ
(3) पी॰ वी॰ एल॰ राउ घर नं॰ 15-7-82
कीलसावाडी, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियाँ करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं॰ 114 पहली मनजिल पर सागर व्यू मकान नं॰ 1-2-524/3 दीमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं॰ 3489/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के॰ एस॰ वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश नं० 44/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है

और जिसकी सं० नं० 113 पहली मंत पर है, जो सागर व्यू बील्डीवरा में स्थित है, (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात् :—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1-2-524/3 दीमलगुडा हैदराबाद

(2) श्रीमती पी० कनुकालशयी पती स्वर्गीय श्री हरी (2) और पी० वी० एल० राऊ (3) राउ घर नं० 15-7-82 बेगमबाजार हैदराबाद-12

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा,

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कार्यालय नं० 113 पहली मंजिल पर सागर व्यू घर नं० 1-2-524/3 दीमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3490/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 45/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकट रामन, आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दुकान नं० 10 है, जो सागर ब्यू बिल्डिंग हैदराबाद में स्थित है और इस उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है,) रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में भारतीय रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल के पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और यह कि अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था छिपाने में सुविधा के लिए ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1-8-584/3 दोमलगुडा हैदराबाद (अन्तरक)

(2) श्री सतीश कुमार महाजन
घर नं० 40 रामगोपालपेट
सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम', के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1-2-524/3 दोमलगुडा मलगी का नं० 10-सागर व मकान हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज 3868/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 46/79-80—यतः मुझे के० एम० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी सं० 309 तीसरी मंजिल है, जो सागर न्यू मकान में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात :—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स घर नं० 1-2-524/3 दोमल गुडा हैदराबाद

(अन्तरक)

श्री के० कृ बी० रामप्रसाद घर नं० 1-2-412/2 गगनमहल, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20—क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय नं० 309 तीसरे मंजिल पर सागर न्यू मकान दोमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज़ नं० 3869/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एम० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त निरीक्षण

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 47/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० घर नं० 308 तीसरी मंजिल है, जो सागर व्यू बिल्डिंग में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, हैदराबाद मे रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधि० नियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में; मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थातः—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स मकान न० 1-2-524/3 दो गुडा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री के० वी० सरनकुमार घर नं० 1-2-412/2 गगनमहल, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

कार्यालय न० 308 तीसरी मंजिल पर सागर व्यू बिल्डिंग दोमलगुडा हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3870/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे

के०एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 48/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपये से अधिक है, और जिसकी सं० 307 तीसरी मंजिल है, जो सागर व्यू मकान हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिष्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन 19 सितम्बर 78 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिये, और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये ;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269 ग के अनुसरण में, मैं उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा, (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 1-2-524/3 दोमलगुडा, हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्रीमती आशा रमन पति के० वी० रामन घर नं० 1-2-412/2 गगनमहल, हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां शुरू करता हूं ।

उक्त सम्पति के अर्जन के संबंध मे कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पति मे हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :— इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में यथापरिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

कार्यालय नं० 307 तीसरी मन्जिल पर सागर व्यू मकान दोमलगुडा हैदराबाद मे दस्तावेज नं० 3871/78 है रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद मे ।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्रारूप आई० टी० एन० एस०——

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश नं० 49/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० आर० सी० नं० 12 है, जो सागर न्यू बिल्डिंग हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण-रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 1978 को

पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखत में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 1-2-524/3 दोमलगुडा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) श्री जे० एल० महाजन घर नं० 40 रामगोपाल पेट सिकन्दराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किये जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

रेर-सेलर नं० 12 जमीन के सतापर सागर न्यू मकान नं० 1-2-524/3 दोमलगुडा हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3872/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज I, हैदराबाद

तारीख: 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०----------

आयकर अधिनियम 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई, 1979

निदेश न० 50/79-80—यत: मुझे के० एस० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रुपए से अधिक है

और जिसकी स० मलगी न० 10 है, जो सागर न्यू मकान हैदराबाद में स्थित है (और इसमें उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता के अधिकारी कार्यालय, हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर, 78

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिये, अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित वास्तविक से रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के लिए।

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम, की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात :—

(1) मै० स्वास्तिक बिल्डर्स 1-2-524/3 दोमलगुडा हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) मैसर्स सतीश महाजन
जी० एल महाजन नं० 40 रामगोपालपेट सिकन्दराबाद।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उस सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति से हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी नं० 10 सामने का विभाग सागर न्यू 1 मकान नं० 1-2-524/3 दोमलगुडा हैदराबाद में रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3873/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 8-5-1979
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 8 मई 1979

निदेश न० 51/79-80—यतः मुझे के० एस० वेंकरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० मलगी न० 30 है, जो मकान न० 22-7-268/30 दीवानदेवडी हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के [कार्यालय आजमपुरा में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 78

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के वृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके वृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे वृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण, लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

(1) मैसर्स शाहा बिल्डर्स
नं० 22-7-269/3 दीवान देवडी,
हैदराबाद

(अन्तरक)

(2) मैसर्स प्रीतम कौर पति महेन्दर सीन्ग
1-1-230/25 चीकडपली हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

मलगी न० 30 घर न० 22-7-269/30 सालार जन्ग मारकिट दीवान देवडी हैदराबाद रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 2509/78 उप रजिस्ट्री कार्यालय आजमपुरा में।

के० एस० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अजन रेंज-II, हैदराबाद

तारीख: 8-5-1979
मोहर:

प्रकप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-ख (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, हैदराबाद

हैदराबाद, दिनांक 14 मई, 1979

निदेश न० 52/79-80—यत: मुझे के० एम० वेंकटरामन आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/-रु० से अधिक है

और जिसकी सं० प्लाट न० 1 घर नं० है, जो 15-8-417/1 पीलकाना हैदराबाद में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसची में और पूर्णरूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय हैदराबाद में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन सितम्बर 1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय को बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन, कर देने से अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने के सुविधा के लिए;

अत: अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-ख की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात:—

(1) श्रीमती लक्ष्मीबाडी पति जगदीश परशाद घर न० 21-1-293 रिकाबगंज अदीदती स्त्री० जगदीश परशाद है।

(अन्तरक)

(2) श्रीमती पो० कृष्णा वेना पति लक्ष्मीनारायणन घर न० 15-8-317/1 पीलकाना हैदराबाद

(2) श्रीमती पो० नरसम्मा हैदराबाद

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

प्लाट नं० 1 दूसरा मनजिल पर घर नं० 5-8-525 चोरागली लेन आबाद रास्ता रजिस्ट्री दस्तावेज नं० 3619/78 उप-रजिस्ट्री कार्यालय हैदराबाद में।

के० एम० वेंकटरामन
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण),
अर्जन रेंज, हैदराबाद

तारीख : 14-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, शिलांग

शिलांग, दिनांक, 10 मई, 1979

निदेश नं०ए०-127/गौ०/78-79—अतः मुझे राजेन्द्र नाथ बरा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 27 के० पी० पट्टा है तथा जो गांव हुंगराबारी मौजा बेल तोला, गौहाटी जिला कामरूप असम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी मे, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-9-1978 को

पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम, के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. 1. श्री जी० सी० कागती
2. श्रीमती नीलिमा कागती स्व० गोपाल चन्द्र कागती की पत्नी
3. श्री लिखन चन्द्र कागती, 4. श्री जितामरीत कागती और 5. सत्यामरीत कागती, उजान बाजार गौहाटी ।

(अन्तरक)

2. श्री मतीलाल जानकी, नवजान, शिवसागर ।

(अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं ।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे ।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है ।

अनुसूची

जमीन का माप 1 (एक) बिगहा जो दिसपुर, गौहाटी, जनता भवन के विपरीत, कामरूप जिला असम में स्थित है ।

राजेन्द्र नाथ बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 10-5-79
मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ(1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, कानपुर

शिलांग, दिनांक 15 मई 1979

निदेश सं० ए०-219/गौ०/78-79—अतः मुझे राजेन्द्र नाथ बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 129, 130 व 131 के० पी० पट्टा सं० 30 है तथा जो दिसपुर गाँव बेलतोला मौजा कामरूप जि०गौहाटी में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है) रजिस्ट्रीकर्त्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 12-9-1978 को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए, था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः, अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री राजेन्द्र कुमार राय चौधरी, एस० के० भूंगा रोड, गौहाटी। (अन्तरक)

1. श्री के० पी० विद्यावात का चेरीटेबुल ट्रस्ट, गौहाटी (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20 क में परिभाषित है, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 4 (चार) कट्टा जो जी० एम० रोड, गौहाटी में स्थित है।

राजेन्द्र नाथ बरा
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 15-5-1979

मोहर :

प्ररूप आई० टी० एन० एस०—

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज II, शिलांग

शिलांग, दिनांक 15 मई 1979

निदेश सं० ए०—220/गौ०/170—71—अतः मुझे, राजेन्द्र नाथ बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 131 और 128 के० पी० पट्टा सं० 30 है तथा जो गांव दिसपुर मौजा बेलतोला जिला कामरूप असम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय, गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 15—9—1978 को पूर्वोक्त सम्पति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती-(अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिये तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय का संबंध उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को जिन्हों भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या वित्त-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था; या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिये;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात्:—

1. श्री बाबूलाल चौधरी, आलिस बाब्ल राय चौधरी, गौहाटी। (अन्तरक)

2. श्री शिव भगवान गुप्ता, गौहाटी—5 (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप :—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण :—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 4 (चार) कट्टा 4 (चार) लसा एक असमे टाइप मकान के साथ जो 750 (सात सौ पचास) स्क्वायर फीट में जी० एस० रोड गौहाटी में स्थित है।

राजेन्द्र नाथ बरा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख : 15—5—1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज I शिलांग

शिलांग, दिनांक 15 मई 1979

निर्देश सं० ए० 221/गौ०/78-79—अतः मुझे, राजेन्द्र नाथ बरा

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर संपत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० दाग सं० 27 के० पी० पट्टा सं० 146 है तथा जो गांव हुंगराबारी मौजा बेलतोला गौहाटी जिला कामरूप असम में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनूसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गौहाटी में, रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख 25-9-1978 को पूर्वोक्त संपत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त संपत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धनकर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उप-धारा (1) के अधीन निम्नलिखित व्यक्तियों अर्थात्:—

1. श्री जी० सी० कागती, 2. श्रीमती नीलिमा कागती स्व० गोपाल चन्द्र कागती की पत्नी, 3. श्री लिखन चन्द्र कागती, 4. श्री जिनामारीत कागती और श्री सत्यामरीत कागती, उजान बाजार गौहाटी। (अन्तरक)

2. श्री मोती लाल नन्दी, बोलियारा, जिला दरंग। (अन्तरिती)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त संपत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त संपत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्संबंधी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो; के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर संपत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा, जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन का माप 1 (एक) बीगहा जो दीसपुर, गौहाटी जनता भवन के विपरीत, कामरूप जिला असम में स्थित है।

राजेन्द्र नाथ बरा
सक्षम प्राधिकारी,
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, शिलांग

तारीख: 15-5-1979
मोहर:

प्ररूप आई० टी० एन० एस०———————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज, पटना

पटना, दिनांक 12 अप्रैल, 1979

निदेश सं० 111–315/अर्जन/79–80—अतः मुझे, ज्योतीन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), की धारा 269-घ के अधीन सक्षम प्राधिकारी को यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है

और जिसकी सं० होल्डिंग नम्बर 148 (पुराना) 251 (नया) है तथा जो वार्ड नम्बर 1 गिरीडीह म्युनिसिपल कारपोरेशन के अन्तर्गत मखतपुर, गिरीडीह बेगाबाद रोड, गिरीडीह शहर में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप से वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गिरीडीह में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन तारीख 29–9–1978

को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यमान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का 15 प्रतिशत से अधिक है और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है :—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत, उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आय-कर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्रीमती जीवन देवी विधवा स्वर्गीय सरदार बुद्ध सिंह गिरीडीह थाना गिरीडीह जिला गिरीडीह (अन्तरक)
2. श्रीमती जसवन्त कौर पत्नी सरदार संतोख सिंह स्टेशन रोड, गिरीडीह, जिला गिरीडीह। (अन्तरिती)।
3. मेसर्स मोटर कारपोरेशन लिमिटेड गिरीडीह। (वह व्यक्ति जिसके अधियोग में सम्पत्ति है)

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के संबंध में कोई भी आक्षेप, यदि कोई हो, तो:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामील से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरणः—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम के अध्याय 20क में तथा परिभाषित हैं, वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रकबा 1 विघा 2 कट्ठा 11 छटांक जिसमें पक्का बना मकान जो पक्का का बना चारदीवीरी के साथ है जो गिरीडीह के गिरीडीह बेगाबाद रोड पर स्थित है। जिसका होल्डिंग नम्बर 148 (पुराना) 251 (नया) वार्ड नम्बर 1, मौजा मकतपुर थाना नम्बर 95 गदी करहर-बाडी तौजी नम्बर 15/11 थाना तथा जिला गिरीडीह है। जो पूर्ण रूप से दस्तावेज संख्या 9976 दिनांक 29–9–78 में वर्णित है और जो जिला अवर निबन्धन पदाधिकारी गिरीडीह के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतीन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 12–4–1979
मोहर

प्ररूप आई० टी० एन० एस०————————

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269-घ (1) के अधीन सूचना

भारत सरकार

कार्यालय, सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)

अर्जन रेंज पटना

पटना, दिनांक 11 अप्रैल, 1979

निदेश सं० 111-316/अर्जन/79-80—अतः मुझे, ज्योतिन्द्र नाथ

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) (जिसे इसमें इसके पश्चात् 'उक्त अधिनियम' कहा गया है), कि धारा 269-ख के अधीन सक्षम प्राधिकारी को, यह विश्वास करने का कारण है कि स्थावर सम्पत्ति, जिसका उचित बाजार मूल्य 25,000/- रु० से अधिक है,

और जिसकी सं० होल्डिंग नम्बर 400 जो वार्ड नम्बर 1 (पुराना) वार्ड नं० 11 (नया) है, तथा जो मौजा मकतपुर जिला गिरीडीह में स्थित है (और इससे उपाबद्ध अनुसूची में और पूर्ण रूप में वर्णित है), रजिस्ट्रीकर्ता अधिकारी के कार्यालय गिरीडीह में रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1908 (1908 का 16) के अधीन, तारीख को पूर्वोक्त सम्पत्ति के उचित बाजार मूल्य से कम के दृश्यान प्रतिफल के लिए अन्तरित की गई है और मुझे यह विश्वास करने का कारण है कि यथापूर्वोक्त सम्पत्ति का उचित बाजार मूल्य, उसके दृश्यमान प्रतिफल से, ऐसे दृश्यमान प्रतिफल का पन्द्रह प्रतिशत से अधिक है, और अन्तरक (अन्तरकों) और अन्तरिती (अन्तरितियों) के बीच ऐसे अन्तरण के लिए तय पाया गया प्रतिफल, निम्नलिखित उद्देश्य से उक्त अन्तरण लिखित में वास्तविक रूप से कथित नहीं किया गया है:—

(क) अन्तरण से हुई किसी आय की बाबत उक्त अधिनियम के अधीन कर देने के अन्तरक के दायित्व में कमी करने या उससे बचने में सुविधा के लिए; और/या

(ख) ऐसी किसी आय या किसी धन या अन्य आस्तियों को, जिन्हें भारतीय आयकर अधिनियम, 1922 (1922 का 11) या उक्त अधिनियम, या धन-कर अधिनियम, 1957 (1957 का 27) के प्रयोजनार्थ अन्तरिती द्वारा प्रकट नहीं किया गया था या किया जाना चाहिए था, छिपाने में सुविधा के लिए;

अतः अब, उक्त अधिनियम, की धारा 269-ग के अनुसरण में, मैं, उक्त अधिनियम की धारा 269-घ की उपधारा (1) के अधीन, निम्नलिखित व्यक्तियों, अर्थात् :—

1. श्री सत्येन्द्र नाथ मित्रा पुत्र स्व० डा० द्विजेन्द्र नाथ मित्रा 4, एस० एन० पंडीत गली, कलकत्ता-700020।

(अन्तरक)

2. मेसर्स रतन मायका ऐक्सपोर्ट (प्रा०) लिमिटेड द्वारा ,निदेशक श्री राजन वेगरिया पुत्र श्री गोवरधन दास वेगरिया मुख्यालय 90, मूताराम बाबू गली, कलकत्ता।

(अन्तरिती)।

को यह सूचना जारी करके पूर्वोक्त सम्पत्ति के अर्जन के लिए कार्यवाहियां करता हूं।

उक्त सम्पत्ति के अर्जन के सम्बन्ध में कोई भी आक्षेप:—

(क) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन की अवधि या तत्सम्बन्धी व्यक्तियों पर सूचना की तामिल से 30 दिन की अवधि, जो भी अवधि बाद में समाप्त होती हो, के भीतर पूर्वोक्त व्यक्तियों में से किसी व्यक्ति द्वारा;

(ख) इस सूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 45 दिन के भीतर उक्त स्थावर सम्पत्ति में हितबद्ध किसी अन्य व्यक्ति द्वारा, अधोहस्ताक्षरी के पास लिखित में किए जा सकेंगे।

स्पष्टीकरण:—इसमें प्रयुक्त शब्दों और पदों का, जो उक्त अधिनियम, के अध्याय 20-क में परिभाषित हैं वही अर्थ होगा जो उस अध्याय में दिया गया है।

अनुसूची

जमीन जिसका रकवा 3 विघा 6 छटाक जो रूबी लौज से जाना जाता है तथा जिसमें एक मंजिलम मकान आउट हाउस जो चाहरदीवारी से घिरा है और एक कुआं जो मौजा मकतपुर थाना एवं जिला गिरीडीह में स्थित है जिसका होल्डिंग नम्बर 400, वार्ड नम्बर 1 (पुराना) और वार्ड नं० 11 (नया) है। जो पूर्ण रूप से दस्तावेज सं० I-4697 दिनांक 25-9-1978 में वर्णित है और जो अवर निबंधन ऐश्योरेंस कलकत्ता के द्वारा पंजीकृत है।

ज्योतिन्द्र नाथ
सक्षम प्राधिकारी
सहायक आयकर आयुक्त (निरीक्षण)
अर्जन रेंज, पटना

तारीख : 11-4-1979
मोहर :

संघ लोक सेवा आयोग

नोटिस

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा— नवम्बर, 1979

नई दिल्ली, दिनांक 2 जून 1979

प० फ० 8/3/79 प० I (ख) —संघ लोक सेवा आयोग द्वारा निम्नांकित पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु 6 नवम्बर, 1979 से एक सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा आयोजित की जाएगी :—

पाठ्यक्रम का नाम	रिक्तियों की संभावित सं०
भारतीय सेना अकादमी, देहरादून (जुलाई, 1980 में प्रारम्भ होने वाला 69वां पाठ्यक्रम)	120 [एन० सी० सी० 'ग' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आरक्षित 32 रिक्तियां सम्मिलित हैं]
नौ सेना अकादमी, कोचीन (जुलाई, 1980 में प्रारम्भ होने वाला पाठ्यक्रम)	80
अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मद्रास (अक्तूबर, 1980 में प्रारम्भ होने वाला 32वां पाठ्यक्रम)	160

नोट I—एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवार नौसेना अकादमी तथा अल्पकालिक सेवा कमीशन (गैर तकनीकी) पाठ्यक्रमों की रिक्तियों के लिये भी प्रतियोगिता में बैठ सकते हैं। चूंकि अभी तक उनके लिये इन पाठ्यक्रमों में कोई आरक्षण नहीं है, अतः इन पाठ्यक्रमों में रिक्तियों को भरने के लिये उन्हें सामान्य उम्मीदवारों की तरह समझा जाएगा। जिन उम्मीदवारों को अभी भी एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) परीक्षा अभी उत्तीर्ण करनी है, किन्तु अन्यथा वे आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता में बैठने के पात्र हों, तो वे भी आवेदन कर सकते हैं, किन्तु उन्हें एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण प्रस्तुत करना होगा, जो कि आयोग के कार्यालय में 30 जून, 1980 तक पहुंच जाए।

आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता की पात्रता के लिये उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर के सेना स्कंध के वरिष्ठ डिवीजन में सेवा का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव होना चाहिये और आयोग के कार्यालय में आवेदन-पत्र स्वीकार करने की अन्तिम तारीख को उम्मीदवार को राष्ट्रीय कैडेट कोर से मुक्त हुए 12 महीने से अधिक न हुए हों।

नोट II—भारतीय सेना अकादमी पाठ्यक्रमों में आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये परीक्षा परिणाम के आधार पर अर्हता प्राप्त एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र प्राप्त उम्मीदवारों के पर्याप्त संख्या में न मिलने के कारण न भरी गई आरक्षित रिक्तियों को अनारक्षित समझा जाएगा और उन्हें सामान्य उम्मीदवारों से भरा जाएगा।

आयोग द्वारा आयोजित होने वाली लिखित परीक्षा तथा उसके बाद सेवा चयन बोर्ड द्वारा लिखित परीक्षा में योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों के लिये आयोजित बौद्धिक और व्यक्तित्व परीक्षण के परिणाम के आधार पर उपर्युक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश दिया जाएगा। (क) परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्यचर्या (ख) अकादमी/शाला में प्रवेश हेतु शारीरिक क्षमता-स्तर तथा (ग) भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवारों की सेवा आदि की संक्षिप्त सूचना के संबंध में क्रमशः परिशिष्ट I, II और III में विस्तार से समझाया गया है।

नोट : परीक्षा के समस्त विषयों के प्रश्न पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जाएंगे। नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट V पर "उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका" में देखिए।

2. परीक्षा के केन्द्र : अहमदाबाद, इलाहाबाद, बंगलौर, भोपाल, बंबई, कलकत्ता, चंडीगढ़, कोचीन, कटक, दिल्ली, दिसपुर, (गोहाटी), हैदराबाद, जयपुर, लखनऊ, जम्मू, मद्रास, नागपुर, पणजी (गोआ), पटियाला, पटना, पोर्ट ब्लेअर, शिलांग, शिमला, श्रीनगर और त्रिवेन्द्रम।

3. पात्रता की शर्तें :

(क) राष्ट्रिकता :

उम्मीदवार या तो

(i) भारत का नागरिक हो, या

(ii) भूटान की प्रजा हो, या

(iii) नेपाल की प्रजा हो, या

(iv) तिब्बती शरणार्थी जो स्थाई रूप से भारत में रहने के इरादे से 1 जनवरी, 1962 से पहले आ गया हो, या

(v) भारतीय मूल का व्यक्ति हो जो भारत में स्थाई रूप से रहने के उद्देश्य से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका, और पूर्वी अफ्रीकी देश जैसे कीन्या, उगांडा तथा तंजानिया का संयुक्त गणराज्य या जाम्बिया, मलावी, जेरे तथा इथियोपिया और वियतनाम से प्रव्रजन कर आया हो।

परन्तु उपर्युक्त वर्ग (iii), (iv) और (v) के अंतर्गत आने वाला उम्मीदवार ऐसा व्यक्ति हो जिसको भारत सरकार ने पात्रता प्रमाण-पत्र प्रदान किया हो।

पर नेपाल के गोरखा उम्मीदवारों के लिये यह पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक नहीं होगा।

जिस उम्मीदवार के लिये यह पात्रता-प्रमाण-पत्र आवश्यक होगा, उसको इस शर्त पर परीक्षा में प्रवेश दिया जा सकता है और अकादमी या शाला में भी, जैसी भी स्थिति हो, प्रवेश दिया जा सकता है कि बाद में भारत सरकार द्वारा यह उक्त प्रमाण-पत्र प्राप्त करे।

(ख) आयु-सीमाएं, स्त्री या पुरुष या वैवाहिक स्थिति :—

(i) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी के लिये : केवल अविवाहित पुरुष उम्मीदवार पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1958 से पहले और 1 जुलाई, 1961 के बाद न हुआ हो।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला के लिये : केवल वही पुरुष उम्मीदवार (विवाहित या अविवाहित) पात्र हैं जिनका जन्म 2 जुलाई, 1957 से पहले और 1 जुलाई, 1961 के बाद न हुआ हो।

नोट : जन्म की तारीख केवल वही मान्य होगी जो मैट्रिकुलेशन/हायर सेकेंडरी या समकक्ष परीक्षा के प्रमाण-पत्र में लिखी गई हो।

(ग) शैक्षिक योग्यताएं :—किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय की डिग्री या समकक्ष। जो उम्मीदवार अभी डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाले हैं, वे भी आवेदन कर सकते हैं परन्तु, उनको डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण नीचे की तारीख तक आयोग के कार्यालय में पहुंचाना होगा अन्यथा उनकी उम्मीदवारी रद्द मानी जाएगी।

(i) भा० से० अकादमी और नौ सेना अकादमी में प्रवेश के लिये—30 जून, 1980 को या उससे पहले।

(ii) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये—15 सितम्बर, 1980 को या उससे पहले।

जिन उम्मीदवारों के पास व्यावसायिक और तकनीकी योग्यताएं हों, जो सरकार द्वारा व्यावसायिक और तकनीकी डिग्री के समकक्ष मान्यता प्राप्त हों वे भी परीक्षा में प्रवेश के लिये पात्र होंगे।

अपवाद की परिस्थितियों में, आयोग किसी ऐसे उम्मीदवार को इस नियम में निर्धारित योग्यताओं में से किसी से युक्त न होने पर भी, शैक्षिक रूप से योग्य मान सकता है जिसके पास ऐसी योग्यताएं हों जिनका स्तर, आयोग के विचार से, इस परीक्षा में प्रवेश पाने योग्य हो।

नोट I—ऐसे उम्मीदवार, जिन्हें डिग्री परीक्षा में अभी अर्हता प्राप्त करनी है और जिनको संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बैठने की अनुमति दे दी है, उन्हें नोट कर लेना चाहिए कि उनको दी गई यह विशेष छूट है। उन्हें डिग्री परीक्षा उत्तीर्ण करने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत करना है और अनिवार्य अर्हक विश्वविद्यालय परीक्षा के देर से आयोजित किये जाने, परिणाम की घोषणा में विलम्ब या अन्य किसी कारण से इस तारीख को और आगे बढ़ाने से संबद्ध किसी भी अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जाएगा।

नोट II—जो उम्मीदवार रक्षा मंत्रालय द्वारा रक्षा सेवाओं में किसी प्रकार के कमीशन से अपवर्जित हैं, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे। अगर प्रवेश दिया गया तो उनकी उम्मीदवारी रद्द की जायेगी।

नोट III—विशेष सेवा अनाशप्तों को छोड़कर बाकी अनाशप्त नाविक (जिनमें किशोर और कारीगर, प्रशिक्षु सम्मिलित हैं), जिनको अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है, इस परीक्षा में बैठने के पात्र नहीं होंगे। जिन विशेष सेवा अनाशप्तों को अपने नियत कार्य पूरे करने में छह महीने से कम समय बाकी है, उनके आवेदन पत्र तभी लिये जाएंगे जब वे उनके कमांडिंग अफसरों के द्वारा विधिवत् अनुशासित हों।

4. आवेदन के साथ देय शुल्क: रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के लिये रु० 7.00)। जिन आवेदन पत्रों के साथ यह निर्धारित शुल्क नहीं भेजा जाएगा, उनको एकदम अस्वीकार कर दिया जाएगा।

5. शुल्क से छूट: आयोग, यदि चाहे तो, निर्धारित शुल्क से छूट दे सकता है जब उनको इस बात का आश्वासन हो कि आवेदक भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) से वस्तुतः विस्थापित व्यक्ति है जो 1-1-1964 और 25-3-1971 के बीच की अवधि में भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह बर्मा से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूल का व्यक्ति है जो 1-6-1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन कर आया है या वह श्रीलंका से वस्तुतः प्रत्यावर्तित भारतीय मूलतः व्यक्ति है जो अक्तूबर 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अंतर्गत 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत आया है या आने वाला है और निर्धारित शुल्क दे सकने की स्थिति में नहीं है।

6. आवेदन कैसे किया जाए: केवल सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा नवम्बर, 1979 के लिये निर्धारित पत्र में छपे हुए आवेदन-पत्र ही लिये जाएंगे जो इस परीक्षा के नोटिस के साथ लगे हुए हैं। आवेदन पत्र भर कर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 को भेजे जाने चाहिएं। आवेदन प्रपत्र और परीक्षा के पूरे विवरण निम्नांकित स्थानों से प्राप्त किये जा सकते हैं:—

(i) दो रुपये का मनीआर्डर या संघ लोक सेवा आयोग के सचिव को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर भेजकर सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के यहां से डाक द्वारा।

(ii) दो रुपये नकद देकर आयोग के कार्यालय के काउंटर पर।

(iii) निकटतम भर्ती कार्यालय, मिलिटरी एरिया/सब-एरिया मुख्यालय, एन० सी० सी० एकक तथा नौ सेना प्रतिष्ठानों के यहां से निःशुल्क।

सभी उम्मीदवारों को, चाहे वे पहले से ही सरकारी नौकरी में हों, या सरकारी स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों या इसी प्रकार के संगठनों में काम कर रहे हों या गैर सरकारी संस्थाओं में नियुक्त हों, आयोग को सीधे आवेदन-पत्र भेजने चाहिएं। अगर किसी उम्मीदवार ने अपना आवेदन पत्र अपने नियोक्ता के द्वारा भेजा हो और वह संघ लोक सेवा आयोग में देर से पहुंच जाए तो उस आवेदन-पत्र पर विचार नहीं किया जाएगा, भले ही वह नियोक्ता को आखिरी तारीख के पहले प्रस्तुत किया गया हो।

जो व्यक्ति पहले से ही सरकारी नौकरी में आकस्मिक या दैनिक दर कर्मचारी से इतर स्थायी या अस्थायी हैसियत से या कार्यभारित कर्मचारियों की हैसियत से काम कर रहे हैं उन्हें यह परिवचन (अंडरटेकिंग) प्रस्तुत करना होगा कि उन्होंने लिखित रूप से अपने कार्यालय विभाग के अध्यक्ष को सूचित कर दिया है कि उन्होंने इस परीक्षा के लिये आवेदन किया है।

सशस्त्र सेना में काम कर रहे उम्मीदवार अपने आवेदन पत्र अपने कमांडिंग अफसर के माध्यम से प्रस्तुत करें जो पृष्ठांकन (देखिये आवेदन प्रपत्र के भाग "ख") को भर करके आयोग को भेजेंगे।

7. आयोग के कार्यालय में आवेदन की प्राप्ति की अंतिम तारीख:—

(i) भारत में रहने वाले उम्मीदवारों से 30 जुलाई, 1979

(ii) विदेश में या अंडमान निकोबार द्वीप समूह या लक्षद्वीप में रहने वाले उम्मीदवारों से 13 अगस्त, 1979

8. प्रलेख जो आवेदन के साथ भेजे जाएं।

(क) सभी उम्मीदवारों द्वारा:

(i) रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/जन जातियों के उम्मीदवारों के लिए रु० 7.00) का शुल्क जो सचिव, संघ लोक सेवा आयोग को नई दिल्ली प्रधान डाकघर पर देय रेखांकित भारतीय पोस्टल आर्डर के रूप में हो या सचिव, संघ लोक सेवा आयोग के नाम भारतीय स्टेट बैंक, मुख्य शाखा, नई दिल्ली पर देय भारतीय स्टेट बैंक की किसी भी शाखा से जारी किये गये रेखांकित बैंक ड्राफ्ट के रूप में हो।

विदेश में रहने वाले उम्मीदवारों को चाहिए कि वे अपने यहां के भारत के उच्चायुक्त या राजदूत या विदेशी प्रतिनिधि के कार्यालय में निर्धारित शुल्क जमा करें जिससे वह "051 लोक सेवा आयोग-परीक्षा शुल्क" के खाते में जमा हो जाए और उसकी रसीद आवेदन-पत्र के साथ भेज दें।

(ii) उपस्थिति पत्रक (आवेदन-प्रपत्र के साथ संलग्न) विधिवत् भरा हुआ।

(iii) उम्मीदवार के हाल ही के पासपोर्ट आकार (लगभग 5 सें० मी०×7 सें० मी०) के फोटो की एक जैसी दो प्रतियां जिनके ऊपरी हिस्से पर उम्मीदवार के हस्ताक्षर विधिवत् अंकित हों।

फोटो की एक प्रति आवेदन प्रपत्र के पहले पृष्ठ पर और दूसरी प्रति उपस्थिति पत्रक में दिए गए निर्धारित स्थान पर चिपका देनी चाहिए।

(ख) अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों द्वारा:—

अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के होने के दावे के समर्थन में, जहां उम्मीदवार या उसके माता-पिता (या जीवित माता या पिता) आम तौर पर रहते हों, उस जिले के (किसी प्रमाण-पत्र के नीचे उल्लिखित) सक्षम प्राधिकारी से परिशिष्ट IV में दिये गये प्रपत्र में लिये गये प्रमाण पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(ग) शुल्क से छूट चाहने वाले उम्मीदवारों के द्वारा:—

(i) किसी जिला अधिकारी या राजपत्रित अधिकारी या संसद या राज्य विधान मंडल के सदस्य से लिये गये प्रमाण पत्र की

अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि जिसमें यह प्रमाणित किया गया हो कि उम्मीदवार निर्धारित शुल्क देने की स्थिति में नहीं है।

(ii) वस्तुतः विस्थापित/प्रत्यावर्तित व्यक्ति होने के दावे के समर्थन में निम्नलिखित प्राधिकारियों से लिये गये प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतिलिपि।

(क) भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित व्यक्ति

(i) दंडकारण्य परियोजना के ट्रैजिट्रेंजिट केन्द्रों या विभिन्न राज्यों के राहत शिविरों का शिविर संचालक।

अथवा

(ii) उस इलाके का जिला मजिस्ट्रेट जहां पर वह, फिलहाल, रह रहा हो।

अथवा

(iii) अपने जिले के शरणार्थी पुनर्वास का प्रभारी अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट।

अथवा

(iv) सब-डिवीजनल अफ़सर अपने अधीनस्थ सब-डिवीजनल की सीमा तक।

अथवा

(v) शरणार्थी पुनर्वास उपायुक्त, पश्चिमी बंगाल/निदेशक (पुनर्वासन) कलकत्ता।

(ख) श्रीलंका से प्रत्यावर्तित—:

श्रीलंका में भारत का उच्चायुक्त।

(ग) बर्मा से प्रत्यावर्तित

भारतीय दूतावास, रंगून या जहां का वह रहने वाला हो, उस क्षेत्र का जिला मजिस्ट्रेट।

(घ) सा० से० अ० पाठ्यक्रम में आरक्षित रिक्तियों के लिये प्रतियोगिता में भाग लेने वाले एन० सी० सी० (सी०) प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) प्राप्त उम्मीदवारों द्वारा :—

यह दिखाने के लिये कि उनके पास एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) है अथवा वह एन० सी० सी० 'सी०' प्रमाण-पत्र (सेना स्कंध) परीक्षा में प्रवेश ले रहा है/प्रवेश ले चुका है, इस आशय के प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित प्रतिलिपि।

9. शुल्क की वापसी :—आवेदन के साथ आयोग को अदा किया गया शुल्क वापस करने के किसी अनुरोध पर नीचे की परिस्थितियों को छोड़कर विचार नहीं किया जा सकता और न वह किसी दूसरी परीक्षा या चयन के लिये सुरक्षित रखा जा सकता है :—

(i) जिस उम्मीदवार ने निर्धारित शुल्क दे दिया है, पर जिसको आयोग में परीक्षा में बैठने नहीं दिया, उसको रु० 15.00 (अनुसूचित जातियां/अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों के मामले में रु० 4.00) वापस कर दिया जाएगा। परन्तु यदि कोई आवेदन यह सूचना प्राप्त होने पर अस्वीकार कर दिया गया हो कि उम्मीदवार डिग्री परीक्षा में अनुत्तीर्ण हुआ है या डिग्री परीक्षा में उत्तीर्ण होने का प्रमाण निर्धारित तारीख तक प्रस्तुत नहीं कर पाएगा तो उसके लिये शुल्क की वापसी मंजूर नहीं की जाएगी।

(ii) जो उम्मीदवार मई, 1979 को सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा में बैठा हो और उस परीक्षा के परिणाम के आधार पर किसी पाठ्यक्रम के लिये उसका नाम अनुशंसित हुआ हो तो उनके मामले में रु० 28.00 (अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जन जातियों के मामले में रु० रु० 7.00) का शुल्क वापस किया जा सकता है, पर यह जरूरी है कि नवम्बर, 1979 की सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी रद्द कराने और शुल्क वापस पाने के लिये उस उम्मीदवार का अनुरोध आयोग के कार्यालय में 31 मार्च, 1980 को या उससे पहले पहुंच जाए।

10. आवेदन प्राप्ति की सूचना :—इस परीक्षा के लिये निर्धारित फार्म में मिले सभी आवेदनों के पहुंचने की सूचना भेजी जाएगी। अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन पहुंचने की सूचना इस परीक्षा के आवेदन पहुंचने की अंतिम तारीख से एक महीने के अन्दर न मिले तो उसको प्राप्ति सूचना पाने के लिये तत्काल आयोग से संपर्क करना चाहिए।

11 आवेदन का परिणाम :—अगर किसी उम्मीदवार को अपने आवेदन के परिणाम की सूचना परीक्षा शुरू होने की तारीख से एक महीने पहले तक आयोग से प्राप्त न हुई तो उसे परिणाम की जानकारी के लिये आयोग से तत्काल संपर्क करना चाहिए। अगर इस बात का पालन नहीं हुआ तो, उम्मीदवार अपने मामले में विचार किये जाने के अधिकार से वंचित हो जाएगा।

12. परीक्षा में प्रवेश :—किसी उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के संबंध में संघ लोक सेवा आयोग का निर्णय अंतिम होगा। आयोग से प्राप्त प्रवेश प्रमाण-पत्र के बिना किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

13. कदाचार के दोषी उम्मीदवारों के खिलाफ कार्रवाई :—उम्मीदवारों को चेतावनी दी जाती है कि वे आवेदन-पत्र भरते समय कोई गलत विवरण न दें और न किसी महत्वपूर्ण सूचना को छिपाएं। उम्मीदवारों को यह भी चेतावनी दी जाती है कि उनके द्वारा प्रस्तुत किसी प्रलेख या उसकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रति में किसी भी हालत में वे किसी तरह का संशोधन या परिवर्तन या कोई फेर-बदल न करें और न ही फेर बदल किये गये/गढ़े हुए प्रलेख को वे प्रस्तुत करें। अगर इस प्रकार के दो अधिक प्रलेखों में या उनकी अभिप्रमाणित/प्रमाणित प्रतियों में कोई अशुद्धि या असंगति हो तो इस असंगति के बारे में स्पष्टीकरण प्रस्तुत करना चाहिए।

जो उम्मीदवार आयोग द्वारा निम्नांकित कदाचार का दोषी घोषित होता है या हो चुका है—

(i) किसी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी का समर्थन प्राप्त करना; या

(ii) किसी व्यक्ति के स्थान पर स्वयं प्रस्तुत होना; या

(iii) अपने स्थान पर किसी दूसरे को प्रस्तुत कराना; या

(iv) जाली प्रलेख या फेर-बदल किये गये प्रलेख प्रस्तुत करना; या

(v) अशुद्ध या असत्य वक्तव्य देना या महत्वपूर्ण सूचना को छिपा कर रखना; या

(vi) परीक्षा के लिये अपनी उम्मीदवारी के संबंधों में किसी अनियत या अनुचित लाभ उठाने का प्रयास करना; या

(vii) परीक्षा के समय अनुचित तरीके अपनाए हों; या

(viii) उत्तर पुस्तिका(ओं) पर असंगत बातें लिखी हों जो अश्लील भाषा या अभद्र आशय की हों; या

(ix) परीक्षा भवन में और किसी प्रकार का दुर्व्यवहार किया हो; या

(x) परीक्षा चलाने के लिये आयोग द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को परेशान किया हो या अन्य प्रकार की शारीरिक क्षति पहुंचाई हो, या

(xi) ऊपर के खंडों में उल्लिखित सभी या किसी कदाचार की ओर प्रवृत्त होना या आयोग को उत्तेजित कराना।

वह अपने को दंड-अभियोजन का शिकार बनाने के अतिरिक्त :—

(क) वह जिस परीक्षा का उम्मीदवार है, उसके लिये आयोग द्वारा अयोग्य ठहराया जा सकता है ; अथवा

(ख) (i) आयोग द्वारा उनकी किसी भी परीक्षा या चयन के लिए।

(ii) केन्द्र सरकार द्वारा उनके अधीन किसी नियुक्ति के लिये स्थायी रूप से या कुछ निर्दिष्ट अवधि के लिये अपवर्जित किया जा सकता है ; और

(ग) अगर वह पहले से सरकारी नौकरी में हो तो उचित नियमावली के अनुसार अनुशासनिक कार्रवाई का पात्र होगा।

14. मूल प्रमाण-पत्र—प्रस्तुतीकरण :—जो उम्मीदवार लिखित परीक्षा के परिणाम के आधार पर साक्षात्कार के लिये योग्यता प्राप्त करते हैं, उनको, लिखित परीक्षा के परिणाम घोषित होते ही अपनी आयु, शैक्षिक योग्यता आदि के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र आयोग को प्रस्तुत करने को कहा जाएगा। लिखित परीक्षा के परिणाम संभवतः जनवरी, 1980 में घोषित किया जा सकता है।

15. आवेदन के संबंध में पत्र व्यवहार : आवेदन के संबंध में सभी पत्र व्यवहार, सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, धौलपुर हाउस, नई दिल्ली-110011 के पते पर करना चाहिए और उसमें निम्नांकित विवरण अवश्य होना चाहिए :—

(1) परीक्षा का नाम।

(2) परीक्षा का वर्ष और महीना।

(3) रोल नम्बर, या जन्म की तारीख (अगर रोल नम्बर नहीं मिला हो)।

(4) उम्मीदवार का नाम (पूरा और साफ लिखा हुआ)।

(5) पत्र व्यवहार का पता, जैसा आवेदन-पत्र में दिया है।

ध्यान दें :—जिन पत्रों के साथ ऊपर का ब्योरा नहीं होगा, हो सकता है, उन पर कोई कार्रवाई न हो।

16. पते में परिवर्तन: उम्मीदवार को इस बात की व्यवस्था कर लेनी चाहिए कि उसके आवेदन पत्र में दिये पते पर भेजे जाने वाले पत्र आदि आवश्यक होने पर उनके नए पते पर भिजवा दिये जायं। पते में जो भी परिवर्तन हो उसे ऊपर के पैरा 15 में उल्लिखित विवरण के साथ आयोग को यथाशीघ्र सूचित कर देना चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये आयोग द्वारा अनुशंसित उम्मीदवारों ने अगर परीक्षा के लिये आवेदन करने के बाद अपना पता बदल लिया हो तो उन्हें परीक्षा के लिखित भाग के परिणाम घोषित हो जाते ही अपना नया पता तत्काल सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्रांच रिक्रूटिंग, 6 (एस० पी०) (ई) (ii) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम्, नई दिल्ली-110022 को सूचित कर देना चाहिए। जो उम्मीदवार इन आदेशों का पालन नहीं करेगा वह सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये सम्मन पत्र न मिलने पर अपने मामले में विचार किए जाने के दावे से वंचित हो जायेगा।

यद्यपि प्राधिकारी इस प्रकार के परिवर्तनों पर पूरा पूरा ध्यान देते हैं फिर भी इस संबंध में वह अपने ऊपर कोई जिम्मेदारी नहीं ले सकते।

17. लिखित परीक्षा में योग्य उम्मीदवारों के साक्षात्कार के संबंध में पूछताछ : जिन उम्मीदवारों के नाम सेवा चयन बोर्ड के साक्षात्कार के लिये अनुशंसित हैं, उनको अपने साक्षात्कार के संबंध में सभी पूछताछ और अनुरोध सीधे सेना मुख्यालय, ए० जी० ब्रांच रिक्रूटिंग, 6 (एस० पी०) (ई)(ii) वेस्ट ब्लाक 3, विंग 1, रामकृष्णपुरम, नई दिल्ली-110022 के पते पर लिखने चाहिए।

उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिये भेजे गये सम्मन-पत्र द्वारा सूचित की गई तारीख को सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु रिपोर्ट करनी है। साक्षात्कार को स्थगित करने से सम्बद्ध अनुरोध पर केवल यथार्थ परिस्थितियों में और प्रशासनिक सुविधा को ध्यान में रखकर ही विचार किया जाएगा जिसके लिये निर्णायक प्राधिकरण सेना मुख्यालय होगा।

विभिन्न सेवा चयन केन्द्रों पर सेवा चयन बोर्ड के समक्ष साक्षात्कार हेतु बुलाए गए उम्मीदवार अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं लाएंगे :—

(क) सफेद कमीज में पासपोर्ट आकार के फोटो की 6 प्रतियां।

(ख) बिस्तर और कम्बल (मौसम के अनुसार)

(ग) सफेद कमीजों और हाफ पैंटों के दो जोड़े।

(घ) एक जोड़ी, पी० टी० के सफेद जूते और दो जोड़े सफेद मौजे।

(ङ) पैंटों और कमीजों के दो जोड़े।

(च) फाउंटेन पेन, स्याही और पेंसिल।

(छ) बूट पालिश और सफेद ब्लैंको।

(ज) एक मच्छरदानी।

18. लिखित परीक्षा के परिणाम की घोषणा, योग्यता प्राप्त उम्मीदवारों का साक्षात्कार, अंतिम परिणाम की घोषणा और अंतिम रूप से योग्य पाए गए उम्मीदवारों का, प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में, प्रवेश :—

संघ लोक सेवा आयोग, लिखित परीक्षा में आयोग के निर्णय पर निर्धारित न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों की एक सूची तैयार करेगा। ये उम्मीदवार उन सभी प्रविष्टियों के लिये जिन के लिये उन्होंने अर्हता प्राप्त की है बौद्धिक तथा व्यक्तित्व परीक्षाओं के लिये सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होंगे।

जो उम्मीदवार आई० एम० ए० (डी० ई०) कोर्स/और या नेवी (एस० ई०) कोर्स की लिखित परीक्षा में अर्हता प्राप्त करते हैं, चाहे वे एस० एस० सी० (एन० टी०) कोर्स के लिये अर्हता प्राप्त करें या नहीं, उनको मार्च/अप्रैल, 1980 में सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा जाएगा और जो उम्मीदवार केवल एस० एस० सी० (एल० टी०) कोर्स के लिये अर्हता प्राप्त करते हैं, उनको जून/जुलाई, 1980 सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों के लिये भेजा जाएगा।

उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के सामने हाजिर होकर अपनी ही जोखिम पर वहां के परीक्षणों में शामिल होंगे और सेवा चयन बोर्ड में उनका जो परीक्षण होता है उसके दौरान या उसके फलस्वरूप अगर उनको कोई चोट पहुंचती है तो उसके लिये सरकार की ओर से कोई क्षतिपूर्ति या सहायता पाने के वे हकदार नहीं होंगे, चाहे वह किसी व्यक्ति की लापरवाही से हो या दूसरे किसी कारण से हो। उम्मीदवारों को आवेदन-पत्र के साथ संलग्न प्रपत्र में इस आशय के एक प्रमाण-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे।

स्वीकृति हेतु उम्मीदवारों को (i) लिखित परीक्षा तथा (ii) सेवा चयन बोर्ड के परीक्षणों में अलग-अलग न्यूनतम अर्हक अंक प्राप्त करने होंगे जो कि आयोग द्वारा, उनके निर्णय के अनुसार, निश्चित किये जाएंगे। लिखित परीक्षा तथा से० च० बोर्ड के परीक्षणों में प्राप्त कुल अंकों के आधार पर उम्मीदवारों को योग्यता-क्रम में रखा जाएगा। अलग, अलग उम्मीदवारों को परीक्षा के परिणाम किस रूप में और किस प्रकार सूचित किये जाएं, इस बात का निर्णय आयोग अपने आप करेगा और परिणाम के संबंध में उम्मीदवारों से कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

परीक्षा में सफल होने मात्र से भारतीय सेना अकादमी, नौसेना अकादमी या अधिकारी प्रशिक्षणशाला में, जैसी स्थिति हो, प्रवेश का कोई अधिकार नहीं मिलेगा। अंतिम चयन शारीरिक क्षमता और अन्य सभी बातों में उपयुक्तता के अतिरिक्त उपलब्ध रिक्तियों की संख्या को दृष्टि में रखते हुए योग्यता के क्रम से किया जाएगा।

19. प्रशिक्षण पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिये अनर्हताएं : जो उम्मीदवार राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, भारतीय सेना अकादमी, वायुसेना उड्डयन महाविद्यालय, नौसेना अकादमी, कोचीन और अधिकारी प्रशिक्षणशाला, मद्रास में पहले प्रवेश पा चुके हैं, पर अनुशासनिक आधार पर वहां से निकाल दिये गये हैं, उनको भारतीय सेना अकादमी, नौसेना अकादमी या थलसेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन में प्रवेश देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण पहले भारतीय सेना अकादमी में वापस लिया गया हो उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

जिन उम्मीदवारों को स्पेशल एण्ट्री नेवल कैडेट्स के रूप में पहले चुन लिया गया हो, पर बाद में एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण राष्ट्रीय रक्षा अकादमी या नौसेना प्रशिक्षण प्रतिष्ठानों से वापस लिया गया हो, वे भारतीय नौसेना में प्रवेश के पात्र नहीं होंगे।

जिन उम्मीदवारों को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण भारतीय सेना अकादमी, अधिकारी प्रशिक्षणशाला, एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से वापस लिया गया हो, उनके बारे में थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन देने की बात पर विचार नहीं किया जाएगा ।

जिन उम्मीदवारों, को एक अधिकारी में अपेक्षित लक्षणों के अभाव के कारण, एन० सी० सी० तथा स्नातक पाठ्यक्रम से पहले वापस लिया गया हो, उनको भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

20. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय विवाह पर प्रतिबन्ध : भारतीय सेना अकादमी और नौ सेना अकादमी के पाठ्यक्रमों के उम्मीदवारों को इस बात का वचन देना है कि जब तक उनका सारा प्रशिक्षण पूरा नहीं होगा, तब तक वे शादी नहीं करेंगे। जो उम्मीदवार अपने आवेदन की तारीख के बाद शादी कर लेता है, उसको प्रशिक्षण के लिये चुना नहीं जाएगा, चाहे वह इस परीक्षा में या अगली किसी परीक्षा म भले ही सफल हो। जो उम्मीदवार प्रशिक्षण-काल में शादी कर लेगा, उसे वापस भेजा जाएगा और उस पर सरकार ने जो पैसा खर्च किया है, वह सब उससे वसूल किया जाएगा। अल्प-कालिक सेवा कमीशन (एस० टी०) के पाठ्यक्रम का कोई भी उम्मीदवार :

(क) जिसने किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शादी की हो या शादी के लिये संविदा कर ली हो जिसकी पहले से कोई जीवित पति —है या था

(ख) जिसने, पहले से जीवित पति-पत्नी होते हुए भी, किसी व्यक्ति से शादी की हो या शादी के लिये संविदा कर ली हो ।

अधिकारी प्रशिक्षणशाला में प्रवेश/अल्पकालिक सेवा कमीशन की प्रवृत्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु, यदि केन्द्रीय सरकार इस बात से संतुष्ट हो कि इस तरह की शादी ऐसे व्यक्तियों के लिये और शादी की दूसरी तरफ के व्यक्तियों के लिये लागू व्यक्तिगत कानून के अनुसार अनुमोदनीय है और ऐसा करने के अन्य ठोस कारण हैं तो किसी व्यक्ति को वह इस नियम के अनुपालन से छूट दे सकती है।

21. भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के समय अन्य प्रतिबन्ध : भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रवेश प्राप्त करने के बाद उम्मीदवार किसी दूसरे कमीशन के लिये विचार योग्य नहीं होंगे। भारतीय सेना अकादमी या नौ सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से उनका चयन हो जाने के बाद उनको और किसी भी साक्षात्कार या परीक्षा में उपस्थित होने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

22. बौद्धिक परीक्षण संबंधी सूचना, रक्षा मंत्रालय (मनोवैज्ञानिक अनुसंधान निदेशालय) ने "सेवा चयन बोर्डों में उम्मीदवारों की बौद्धिक परीक्षण उपलब्धियों का अध्ययन" (ए स्टडी आफ इंटेलिजेन्स टेस्ट कोर्स आफ कंडीडेट्स एट सर्विसेज सेलेक्शन बोर्डस) शीर्षक पुस्तक प्रकाशित की है। इस पुस्तक को प्रकाशित करने का उद्देश्य यह है कि उम्मीदवार सेवा चयन बोर्ड के बौद्धिक परीक्षणों के स्वरूप और स्वभाव से परिचित हो जाएं।

यह समूल्य पुस्तक प्रकाशन है और बिक्री के लिये प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइन्स, दिल्ली 110054 के यहां मिल सकती है। डाक द्वारा आदेश देकर या नकद भुगतान के द्वारा उनसे यह सीधे प्राप्त की जा सकती है। केवल नकद भुगतान के द्वारा यह (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने, एम्पोरियम बिल्डिंग, सी० ब्लाक, बाबा खड़ग सिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001 (ii) उद्योग भवन की प्रकाशन शाखा, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001 के बिक्री केन्द्र पर तथा (iii) भारत सरकार पुस्तकालय 8 के० एस० राय रोड, कलकत्ता-700001 पर भी मिल सकती है।

23. जिन पुस्तकाओं में नियमावली तथा पिछली परीक्षाओं के प्रश्न पत्रों का ब्यौरा सम्मिलित होता है उसके बारे में सूचना।

सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा, मई, 1978 से इस परीक्षा की योजना में सम्मिलित सभी प्रश्न-पत्रों के लिये वस्तुपरक प्रश्न के लागू किये जाने पर इस परीक्षा के लिये नियमावली और प्रश्न-पत्रों सहित पुस्तिका का मुद्रण बन्द कर दिया गया है। किन्तु जिन पुस्तिकाओं में नियमावली तथा नवम्बर, 1977 में हुई सम्मिलित रक्षा सेवा परीक्षा तक पिछली परीक्षाओं के प्रश्न-पत्रों का ब्यौरा सम्मिलित है, उनकी बिक्री प्रकाशन नियंत्रक, सिविल लाइंस, दिल्ली-110054 के द्वारा की जाती है और उन्हें वहां से मेल आर्डर अथवा नकद भुगतान द्वारा सीधे प्राप्त किया जा सकता है। उन्हें (i) किताब महल, रिवोली सिनेमा के सामने एम्पोरियम बिल्डिंग 'सी' ब्लाक, बाबा खड़गसिंह मार्ग, नई दिल्ली-110001, (ii) प्रकाशन शाखा का बिक्री काउंटर, उद्योग भवन, नई दिल्ली-110001, और (iii) गवर्नमेंट आफ इण्डिया बुक डिपो, 8-के० एस० रोड, कलकत्ता-700001 से भी नकद पैसा देकर खरीदा जा सकता है। ये पुस्तिकाएं विभिन्न मुफस्सिल नगरों में भारत सरकार के प्रकाशन एजेंटों से प्राप्त की जा सकती हैं।

आर० एस० अहलुवालिया,
उप-सचिव

परिशिष्ट I

(परीक्षा की योजना, स्तर और पाठ्य-विवरण)

क. परीक्षा की योजना

1. प्रतियोगिता परीक्षा में निम्नलिखित सम्मिलित होगा—

(क) नीचे के पैरा 2 में निर्दिष्ट रीति से लिखित परीक्षा,

(ख) उन उम्मीदवारों का बुद्धि और व्यक्तित्व परीक्षण (इस परिशिष्ट के भाग ख के अनुसार) के लिये साक्षात्कार जिन्हें किसी भी एक सर्विसेज सेलेक्शन सेंटर में साक्षात्कार के लिये बुलाया जाये।

2. लिखित परीक्षा के विषय, उनके लिये दिया जाने वाला समय और प्रत्येक विषय के लिये नियत अधिकतम अंक निम्नलिखित होंगे :—

(क)—भारतीय सेना अकादमी में प्रवेश के लिये

विषय	अवधि	अधिकतम अंक
अनिवार्य :—		
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
3. प्रारंभिक गणित	2 घंटे	100

वैकल्पिक —निम्नलिखित में से कोई एक विषय

विषय	कोड संख्या	नियत समय	अधिकतम अंक
भौतिकी	01	2 घंटे	150
रसायन विज्ञान	02	2 घंटे	150
गणित	03	2 घंटे	150
वनस्पति विज्ञान	04	2 घंटे	150
प्राणि विज्ञान	05	2 घंटे	150
भूविज्ञान	06	2 घंटे	150
भूगोल	07	2 घंटे	150
अंग्रेजी साहित्य	08	2 घंटे	150
भारत का इतिहास	09	2 घंटे	150
सामान्य अर्थशास्त्र	10	2 घंटे	150
राजनीति विज्ञान	11	2 घंटे	150
समाज शास्त्र	12	2 घंटे	150
मनोविज्ञान	13	2 घंटे	150

(ख) नौसैना अकादमी में प्रवेश के लिये

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
अनिवार्य :—		
1. अंग्रेजी	2 घंटे	100
*2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100
वैकल्पिक		
*3. प्रारम्भिक गणित या प्रारम्भिक भौतिकी	2 घंटे	100
*4. गणित या भौतिकी	2 घंटे	150

*जो उम्मीदवार प्रारम्भिक गणित लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न पत्र में भौतिकी विषय लेना होगा तथा जो उम्मीदवार प्रारम्भिक भौतिकी लेंगे उन्हें चौथे प्रश्न-पत्र में गणित विषय लेना होगा।

(ग) अधिकारी प्रशिक्षण शाला में प्रवेश के लिये

विषय	नियत समय	अधिकतम अंक
1. अंग्रेजी	2 घंट	100
2. सामान्य ज्ञान	2 घंटे	100

लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये जो अधिकतम अंक नियत किये गये हैं वे प्रत्येक विषय के लिये समान होंगे अर्थात भारतीय सेना अकादमी, नौ सेना अकादमी और अफसर ट्रेनिंग स्कूल में भर्ती के लिए लिखित परीक्षा और साक्षात्कार के लिये नियत अधिकतम अंक क्रमशः 450, 450 और 200 होंगे।

3. समस्त विषयों के प्रश्न-पत्रों में केवल वस्तुपरक प्रश्न पूछे जायेंगे। नमूने के प्रश्नों सहित विस्तृत विवरण कृपया परिशिष्ट-V पर उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका में देखिये।

4. प्रश्न-पत्रों में जहां भी आवश्यक होगा केवल तोल और माप की मीटरी पद्धति से संबंधित प्रश्नों को ही पूछा जाएगा।

5. उम्मीदवारों को प्रश्न पत्रों के उत्तर अपने हाथ से लिखने चाहियें किसी भी दशा में उन्हें प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिये लिखने वाले की सहायता सुलभ नहीं की जायेगी।

6. परिक्षा के एक या सभी विषयों के अर्हक अंकों का निर्धारण आयोग की विवेक्षा पर है।

ख. परीक्षा का स्तर और पाठ्य विवरण

स्तर :

प्रारम्भिक गणित के प्रश्न पत्रों का स्तर मैट्रिकुलेशन परीक्षा का होगा, प्रारम्भिक भौतिकी के प्रश्न-पत्र का स्तर उच्चतर माध्यमिक परीक्षा जैसा होगा।

अन्य विषयों में प्रश्न-पत्रों का स्तर लगभग वही होगा जिसकी किसी भारतीय विश्वविद्यालय के स्नातक से अपेक्षा की जा सकती है।

इनमें से किसी भी विषय में प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी।

पाठ्य विवरण

अंग्रेजी

प्रश्न-पत्र इस प्रकार होगा जिससे उम्मीदवार की अंग्रेजी और अंग्रेजी के शब्दों के बोध की परीक्षा ली जा सके।

सामान्य ज्ञान

सामान्य ज्ञान तथा साथ में समसामयिक घटनाओं और दिन प्रतिदिन देखे और अनुभव किये जाने वाले इसी तरह के मामलों के वैज्ञानिक पक्ष की जानकारी, जिसकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है, जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का विशेष अध्ययन न किया हो प्रश्न-पत्र में भारत के इतिहास और भूगोल से संबंधित ऐसे प्रश्न भी होंगे जिनका उत्तर उम्मीदवारों को, उन विषयों का विशेष अध्ययन किये बिना, देना चाहिये।

प्रारम्भिक गणित

अंक गणित

संख्या पद्धतियां—धनपूर्ण संख्यायें, पूर्णांक, परिमेय और वास्तविक संख्यायें, मूल संक्रियायें—जोड़, घटाना, गुणन और विभाजन, वर्ग मूल, दशमलव भिन्न।

ऐकिक विधि—समय तथा दूरी, समय तथा कार्य प्रतिशतता-साधारण तथा चक्रवृद्धि ब्याज में अनुप्रयोग, लाभ तथा हानि, अनुपात और समानुपात विचरण।

प्रारम्भिक संख्या सिद्धान्त—विभाजन की कलन विधि, अभाज्य और भाज्य, संख्याय, 2, 3, 4, 5, 9 और 11 द्वारा विभाज्यता के परीक्षण अपवर्त्य और गुणन खण्ड / गुणन खंडन प्रमेय / महत्तम समापवर्तक तथा लघुत्तम समापवर्तक, युक्लिड की कलन विधि।

आधार 10 तक लघुगणक, लघुगणक के नियम, लघुगणकीय सारणियों का प्रयोग।

बीज गणित

आधारभूत संक्रियाएं: साधारण गुणन खण्ड। शेष फल प्रमेय, बहुपदों का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्त्य। द्विघात समीकरणों का हल, इसके मूलों और गुणांकों के बीच समबन्ध। (केवल वास्तविक मूल पर विचार किया जाए)। दो अज्ञात राशियों में युगपत रैखिक समीकरण—विश्लेषण और ग्राफ सम्बन्धी हल। दो चरों में युगपत रैखिक असिमकाएं और उनके हल प्रयोगिक प्रश्न जिनसे दो चरों में दो युगपत् रैखिक समीकरण या असमिकाएं बनती हैं या एक चर में द्विघात, समीकरण तथा उनके हल, समुच्चय भाषा तथा समुच्चय अंकन पद्धति, परिमेय व्यंजक तथा सप्रतिबन्ध तत्समक घातांक नियम।

त्रिकोणमिति :

ज्या X, कोटिज्या X, स्पर्श रेखा X जब $0° \leqslant X \leqslant 90°$।

ज्या X, कोटिज्या, X, स्पर्श रेखा X का मान क्योंकि X—0°, 30°, 45°, 60°, और 90° सरल त्रिकोणमितिय तत्समक।

त्रिकोणमित्तीय सारणियों का प्रयोग।

ऊंचाइयों और दूरियों के सरल कोश।

ज्यामिति :

रेखा और कोण, समतल और समतल आकृति : निम्नलिखित पर प्रमेय :—(i) किसी बिन्दु पर कोणों के गुण धर्म, (ii) सतांतर रेखाएं, (iii) किसी त्रिभुज की भुजाएं, और कोण, (iv) त्रिभुजों की समवांगसमता (v) समरूप त्रिभुज, (vi) माध्यिकाओं और शीर्ष लम्बों का संगमन (vii) समांतर चतुर्भुजों, आयत और वर्ग के कोणों, भुजाओं के विकर्णों के गुण धर्म, (viii) वृत और उसके गुण धर्म जिसमें, स्पर्श रेखा, तथा अभिलम्ब भी शामिल हैं (ix) स्थानिक संबंध।

विस्तार कलन :

वर्गों आयतों, समान्तर चतुर्भुजों, त्रिभुजों और वृतों क्षेत्रफल। उन आकृतियों के क्षेत्रफल जो इन आकृतियों में विभाजित की जा सकती हैं। (क्षेत्रवही) घनाभों का पृष्ठीय क्षेत्र फल तथा आयतन/लम्ब वृत्तीय शंकुओं और बेलनों का पार्श्व-पृष्ठ तथा आयतन/गोलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन।

सांख्यिकी :

सांख्यिकीय तथ्यों का संग्रहण तथा सारणीयन। आलेखी निरूपण-बारम्बारता बहुभुज आयत चित्र शलाका चार्ट पाई चार्ट आदि केन्द्रीय प्रवृत्ति के माप रेखाओं के बीच कोण।

प्रारम्भिक भौतिकी

(क) विस्तार कलन :—मापन के मात्रक, सी० जी० एस० और एम० के० एस० मात्रक। आवेग और सदिश। बल और वेग का संयोजन तथा वियोजन। एक समानत्वरण। एक समानत्वरण के अधीन ऋजु-रेखीय गति। न्यूटन के गति नियम। बल की संकल्पना। बल के मात्रक। मात्रा और भार।

(ख) पिंड का बल विज्ञान :—गुरुत्व के अधीन/समानान्तरण बल। गुरुत्व केन्द्र साम्यवस्था/साधारण मशीन/वेग अनुपात आनत समतल/पेंच और गियर सहित विभिन्न साधारण मशीनें/घर्षण, घर्षणकोण, घर्षण गुणांक कार्य, शक्ति, और ऊर्जा/स्थितिज और गतिज ऊर्जा।

(ग) तरल गुणधर्म:—दाब और प्रणोद/पास्कल का नियम। आर्कमिडीज का नियम। घनत्व और विशिष्ट गुरुत्व पिंडों और द्रव्यों के विशिष्ट गुरुत्वों को निर्धारित करने के लिये आर्किमिडीज के नियम का अनुप्रयोग। प्लवन का नियम के गैस द्वारा प्रयोग में लाये गये दाब का मापन। बायल नियम/वायु पम्प।

(घ) ताप—पिंडों का रेखिक विस्तार और द्रव्यों का घनाकार विस्तार द्रव्यों का वास्तविक तथा आभासी विस्तार। ट्वार्ल्स, नियम परमशून्य बायल और चार्ल्स नियम, पिंडों और द्रव्यों का विशिष्ट ताप, कैलो-रीमिति/ताप का संचरण, धातुओं की ताप संवाहकता। स्थिति परिवर्तन। संलयन और वाष्पन की गुप्त ऊष्मा। एस० बी० पी० नमी (आर्द्रता ओसांक और आपेक्षिक आर्द्रता।

(ङ) प्रकाश :—ऋजुरेखीय संचरण। परावर्तन के नियम। गोलीय दर्पण, अपवर्तन, अपवर्तन के नियम, लैन्स, प्रकाशिक यंत्र कैमरा, प्रक्षेपित, पारापार चित्रदर्शी दूरबीन, सूक्ष्मदर्शी, वाइनीक्युलर तथा परिदर्शी। प्रिज्म, प्रकीर्ण के माध्यम से अपवर्तन।

(च) ध्वनि :—ध्वनि संचरण, ध्वनि परावर्तन, अनुनाद। ध्वनि ग्रामोफोन का अभिलेखन।

(छ) चुम्बकत्व तथा विद्युत—चुम्बकत्व के नियम, चुम्बकीय, क्षेत्र। चुम्बकीय बल रेखायें, पार्थिक चुम्बकत्व। चालक और रोधी। ओमनियम, पी० डी० प्रतिरोधक विद्युत् चुम्बकीय बल, श्रेणी पार्श्व में प्रतिरोधक। विभवमापी विद्युत् चुम्बकीय बल की तुलना। विद्युत धारा का चुम्बकीय प्रभाव चुम्बकीय क्षेत्र में संवाहकता। फ्लेमिंग का वाम हस्तनियम। मापक यंत्र—धारामापी ऐमीटर, वोल्ट मीटर, वाटमीटर, विद्युत धारा का रासायनिक प्रभाव, विद्युत्, लेपन, विद्युत चुम्बकीय प्रेरण, फेराडे नियम, बेसिक ए० सी० तथा डी० सी० जनित्र।

भौतिकी (कोड 01)

1. पदार्थ के सामान्य गुण और यांत्रिकी

यूनिटें और विभाएं, स्केलर और वैक्टर, मात्रायें, जड़त्व, आघूर्ण, कार्य ऊर्जा और संवेग। यांत्रिकी के मूल नियम, घूर्णी गति; गुरुत्वाकर्षण। सरल आवर्त गति, सरल और असरल लोलक, प्रत्यास्थता; प्रष्ठ तनाव, द्रव की श्यानता, रोटरी पम्प।

2 ध्वनि

अवमंदित, प्रणोदित और मुक्त कम्पन, तरंग-गति, डाप्लर प्रभाव, ध्वनि तरंग वेग, किसी गैस में ध्वनि के वेग पर दाब, तापमान और आर्द्रता का प्रभाव, डोरियों, झिल्लियों और गैस स्तम्भों का कम्पन, अनुनाद, विस्पंद, स्थिर तरंगें। ध्वनि का आवृत्ति वेग तथा तीव्रता। पराश्रव्य के मूल तत्व। ग्रामोफोन, टाकीज और लाउड स्पीकरों के प्रारम्भिक सिद्धांत।

3. ऊष्मा और ऊष्मा गति विज्ञान

तापमान और उसका मापन; तापीय प्रसार, गैसों में समतापी तथा रुद्धोष्म परिवर्तन। विशिष्ट ऊष्मा और ऊष्मा चालकता; द्रव्य के अनुगति सिद्धांत के तत्व; बोल्टसमन के वितरण नियम का भौतिक बोध, वांडरवाल का अवस्था समीकरण, जूल थाम्पसन प्रभाव, गैसों का द्रवण; ऊष्मा इंजन; कार्नोट-प्रमेय, ऊष्मागति-विज्ञान के नियम और उनका सरल अनुप्रयोग। कृष्णिका विकिरण।

4. प्रकाश

ज्यामितीय प्रकाशिकी। प्रकाश का वेग, समतल और गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन। प्रकाशीय प्रतिबिम्बों में गोलीय और वर्णिक दोष और उनका निवारण। नेत्र और अन्य प्रकाशिक यंत्र। प्रकाश का तरंग सिद्धान्त, व्यतिकरण।

5. विद्युत् और चुम्बकत्व

विद्युत-क्षेत्र के कारण ऊर्जा, द्रव्य के वैद्युत और चुम्बकीय गुण धर्म, हिस्टेरिसिस चुम्बकशीलता और चुम्बकीय प्रवृत्ति; विद्युत धारा से उत्पन्न चुम्बकीय क्षेत्र; मूविंग मग्नेट एण्ड मूविंग क्वायल गैलवेनोमीटर; धारा और प्रतिरोध का मापन; रिएक्टिव सर्किट एलिमेंट्स के गुण धर्म और उनका निर्धारण; ताप-विद्युत प्रभाव, विद्युत् चुम्बकीय प्रेरण, प्रत्यावर्ती धाराओं का उत्पादन। ट्रांसफार्मर और मोटर; इलैक्ट्रानिक वाल्व और उनके सरल अनुप्रयोग।

6. आधुनिक भौतिकी

बोर के परमाणु सिद्धान्त के तत्व, इलैक्ट्रांस, गैसों द्वारा विद्युत् का विसर्जन, कथोड़रे। रेडियोएक्टिवता, कृत्रिम रेडियो ऐक्टिवता, आइसोटोप, विखंडन और संलयन की प्रारम्भिक धारणा।

रसायन विज्ञान (कोड 02)

1. अकार्बनिक रसायन विज्ञान :

तत्वों का इलैक्ट्रानिक, विन्यास, आफ़बाऊ सिद्धान्त, तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण। परमाणु क्रमांक। संक्रमण तत्व और उनके लक्षण।

परमाणु और आयमिक त्रिज्याएं, आयनन विभव। इलैक्ट्रान बंधुता और विद्युत ऋणात्मकता।

प्राकृतिक और कृत्रिम विघटनामिकता। नाभिकीय विखण्डन और संलयन।

संयोजकता का इलैक्ट्रानिक सिद्धांत, सिग्म और पाई बन्ध के बारे में प्रारम्भिक विचार, सहसभोजी आबन्ध की संकरण और दिशिक प्रकृति।

वारनेर का समन्वय मिश्रण सिद्धान्त। उभेयनिष्ठ धातुकर्मीय तथा विश्लेषीय प्रचालनों में निहित सम्मिश्रों का इलैक्ट्रानिक विन्यास।

आक्सीकरण स्थितियां और आक्सीकरण संख्या। सामान्य उपचायक तथा अपचायक आक्सीकारक। आयनिक समीकरण।

ल्यूइस और ब्रान्सटेड के अम्ल क्षार सिद्धांत।

सामान्य तत्वों का रसायन विज्ञान और उनके आमिश्र जिनकी विशेष रूप से आवर्ती वर्गीकरण की दृष्टि से अभिक्रिया की गई हो। निष्कर्षण के सिद्धान्त। महत्वपूर्ण तत्वों का नियोजन (और धातुकी)।

हाइड्रोजन परआक्साईड की संरचना, डाईबोरेन, ऐलूमिनियम क्लोराइड तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस क्लोरीन और गन्धक के महत्वपूर्ण आक्सीऐसिड।

अक्रिय गैस : वियोजन तथा रसायन।

अकार्बनिक रसायन विश्लेषण के सिद्धान्त।

सोडियम कार्बोनेट सोडियम हाईड्रोक्साइड, अमोनिया, नाइट्रिक अम्ल, गन्धकीय अम्ल, सीमेंट, ग्लास और कृत्रिम उर्वरकों के निर्माण की रूप रेखा।

2. कार्बनिक रसायन विज्ञान

सहसंयोजी आर्येधन, की आधुनिक सकल्पनाएं। इलैक्ट्रान विस्थापन प्रेरणिक, मेसोनरी और अति संयुग्मन प्रभाव। अनुनाद और कार्बनिक) रसायन में उसका अनुप्रयोग। नियोजन स्थिरांक। (डिसो सिएशन कांस्टेंट पर संरचना का प्रभाव।

ऐल्केन, ऐल्कीन और ऐल्काइन। कार्बनिक मिश्रण के स्रोत के रूप में पेट्रोलियम। एलिफेटिक मिश्रणों के सरल व्युत्पन्न। ऐल्कोहल ऐल्डी हाइड्स कीटोन, अम्ल, हैलाइड, एस्टर्स, ईथर, अम्ल ऐनीड्राइड, क्लोरोइड और अमिड। एकक्षारकी हाईड्राक्सीकीटेनी और ऐमीनो अम्ल। कार्बधात्विक मिश्रण और एसीटोएसिटिक एस्टर। टार्टरिक सिट्रिक मैलेइक और फ़ूमैरिक अम्ल। कार्बोहाइड्रेड वर्गीकरण और सामान्य अभिक्रिया। ग्लूकोस, फल शर्करा और इक्षु शर्करा।

त्रिविम रसायन : प्रकाशकीय और ज्यामित्तीय समावयवता। संरूपण की संकल्पना।

बेन्जीन और इसके साधारण व्युत्पन्न, टालूईन, जाइलीन, फीनाल, हैलाइड, नाइट्रो और एमीनो मिश्रण। बेन्जाइक सैलिसिक, सिनेमिक, मडेलिक और सिल्फोनिक अम्ल, एरोमेटिक ऐल्डिहाइड और कीटोन। डाइजो, एजो और हाइड्रोजो मिश्रण, ऐरामेटिक, प्रतिस्थापन। नेपथलीन, पिरिडीन और क्यूनोलिन

3 भौतिक रसायन

गैसों और गैस नियमों का गतिक सिद्धान्त। मैक्सवैल का वेग वितरण नियम। वानडेरवाल का समीकरण। संगत अवस्थाओं का नियम। गैसों का द्रावण। गैसों की विशेष ऊष्मा। सी० पी०/सी० वी० का अनुपात।

ऊष्मागतिकी :

ऊष्मागतिकी का पहला नियम। समतापी और रुद्धोष्म प्रसार/पूर्ण ऊष्मा। ऊष्मा धारिता। ऊष्मरसायन अभिक्रिया। ऊष्मा; विरचन, विलयन और वहन। आबन्ध ऊर्जा की गणना। किरखोफ समीकरण।

स्वतः प्रवर्तित परिवर्तन का मानदण्ड। ऊष्मागतिकी का दूसरा नियम एन्ट्रापी। मुक्त ऊर्जा। रासायनिक सन्तुलन का मानदण्ड।

घोल—पारासरण दाब, वाष्प दाब का कम करना, वाष्पहिमांक अवनयन, क्वथनांक बढ़ाना। घोल में अनभार निश्चित करना। विलयों का संगणन और वियोजन।

रासायनिक सन्तुलन। द्रव्यमान अनुपाती अभिक्रिया और समांगी तथा विषमांगी सन्तुलन। ला-शातेलिए नियम। रासायनिक सन्तुलन पर ताप का प्रभाव।

विद्युत रसायन : फेराडे विद्युत् अपघटन नियम; विद्युत् अपघटन की चालकता; तुल्यांकी चालकता और तनुता में उसका परिवर्तन, अल्प विलय लवणों की विलयता; विद्युत् अपघटनी वियोजन। ओस्टवाल्ड तनुता नियम, प्रबल, विद्युत् अपघटकी की असंगति, विलयता, गुणनफल, अम्लों और क्षारकों की प्रबलता, लवणों का जल अपघटन; हाइड्रोजन आयन की सान्द्रता, उभय प्रतिरोध क्रिया (बफरक्रिया) सूचक सिद्धांत।

उत्क्रमणीय सेल। मानक हाइड्रोजन और कलोमेल इलक्ट्रोड और रेडाक्स विभव। सान्द्रता सेल। पी० एच० का निर्धारण। अभिगमनांक पानी का आयनी गुणनफल। विभव मूलक अनमापन।

रासायनिक बलगतिविज्ञान। अणुसंख्यता और अभिक्रिया की कोटि। प्रथम कोटि की अभिक्रिया और दूसरी कोटि की अभिक्रिया। तापमान अभिक्रिया की कोटि का निर्धारण, अपशान्तिकता सापांक और सक्रियण ऊर्जा। अभिक्रिया दरों पर संघट्ट सिद्धांत। सक्रियित संकुल सिद्धान्त।

प्रावस्था नियम : इसकी शब्दावलियों की व्याख्या। एक और दो घटक तन्त्र का अनुप्रयोग। वितरण नियम।

कोलाइड : कोलाइडी विलयन का सामान्य स्वरूप और उनका वर्गीकरण, कालाइड के विरचन और गुणों की सामान्य रीति। स्कन्दनरक्षक क्रिया और स्वर्णांक। अधिशोषण।

उत्प्रेरण : समांग और विषमांग उत्प्रेरण। विषाकतन वर्धक।

प्रकाश रसायन : प्रकाश रसायन के नियम। सरल संख्यात्मक।

गणित : (कोड : 03)

1 बीजगणित :

समुच्चयों का बीजगणित, संबंध और फ़लन, फ़लन का प्रतिलोम, संयुक्त फ़लन, तुल्यता संबंध; परिमेयसूचकांक के लिये द-मौयवर का प्रमेय और उसका सरल अनुप्रयोग।

2 मैट्रिसेस : मैट्रिसेस की बीजक्रिया, सारणिक सारणिकों के सरल गुण, सारणिकों के गुणनफल, सहखंडज-आव्यूह; मैट्रिसेसों का प्रतिलोमन मैट्रिक्स की जाति। रैखिक समीकरण के हल निकालने के लिये मैट्रिसेसों का अनुप्रयोग (तीन अज्ञात संख्याओं में)।

3 विश्लेषिक ज्यामिति :

द्विविम की विश्लेषिक ज्यामिति : सरल रेखाएं, सरल रेखाओं की जोड़ी, वृत्त निकाय, परवलय दीर्घवृत्त अतिपरिवलय (मुख्य अक्षों के संदर्भ में)। द्वितीय अंश समीकरण का मानक रूप में लघुकरण। स्पर्शरेखाएं और अभिलंब।

त्रिविम की विश्लेषिक ज्यामिति :

समतल, सीधी रेखाएं और गोलक (केवल कार्तीय निर्देशांक)।

4 कलन (केलकुलस) और विभिन्न समीकरण :

अवकल गणित : सीमान्त की संकल्पना, वास्तविक चर फ़लन का सांतत्व और अवकलनियता, मानक फ़लन का अवकलन, उत्तरोत्तर अवकलन। रोल का प्रमेय। मध्यमान प्रमेयः मैक्लारिन और टेलर सीरिज (प्रमाण) आवश्यक नहीं है) और उनका अनुप्रयोग; परिमेय सूचकांकों के लिए द्विपदप्रसरण चरघातांकी प्रसरण, लघुगणकीय त्रिकोण-मितीय और प्रति-परवलयिक फ़लन। अनिर्धारित रूप। एकल चर फ़लन का उच्चिष्ट और अल्पिष्ठ, स्पर्शरेखा अभिलम्ब, अध:स्पर्शी, अधोलम्ब, अनन्तस्पर्शी, वक्रता (केवल कार्तीय निर्देशांक) जैसे ज्यामितीय अनुप्रयोग। एनक्लेप आंशिक अवकलन। समांगी फलनों से संबंधित आयलर प्रमेय।

समाकलन गणित—समाकलन की मानक प्रणाली। सतत फ़लन के निश्चित समाकलन की सीमान—परिभाषा। समाकलन गणित के मूल सिद्धान्त। परिशोधन, क्षेत्रकलन, आयतन और परिभ्रमण घनाकृति का पृष्ठीय क्षेत्रफल। संख्यात्मक समाकलन के बारे में सिम्प्सन का नियम।

अवकल समीकरण : प्रथम कोटि के मानक अवकल समीकरण का हल निकालना। नियम गुणांक के साथ द्वितीय और उच्चतर कोटि के रैखिक समीकरण का हल निकालना। वृद्धि और क्षय की समस्याओं का सरल अनुप्रयोग, सरल हारमोनिक रूपान्तरण। साधारण पेन्डुलम और समदिश।

5 यांत्रिक (वेक्टर पद्धति का उपयोग किया जा सकता है)।

स्थिति विज्ञान —समतलीय तथा संगामी बलों की साम्यावस्था की स्थिति। साधारण तत्वों के गुरुत्व केन्द्र। स्थैतिक घर्षण, साम्याघर्षण और सीमान्त घर्षण। घर्षण कोण। रूक्ष आनत समतल पर के कण की साम्यावस्था। कल्पित कार्य (दो आयामों में)।

गति विज्ञान :—शुद्ध गति विज्ञान—कण का त्वरण, वेग, चाल और विस्थापन, आपेक्षित वेग। निरन्तर त्वरण की अवस्था में सीधी रेखा की गति। न्यूटन गति संबंधी सिद्धान्त। सकेन्द्र कक्षा। सरल आवर्तक गति। (निर्वात में) गुरुत्वाकर्षण में गति। आवेग कार्य और ऊर्जा रैखिक संवेग और ऊर्जा के संरक्षण। समान वर्तुल गति।

6 सांख्यिकी—प्रायिकता—प्रायिकता की शास्त्रीय और सांख्यिकीय परिभाषा, संचयात्मक प्रणाली की प्रायिकता का परिकलन, योग एवं गणन प्रथम, सप्रतिबंध प्रायिकता। यादृच्छिक चर (विविक्त और अविरत), घनत्व फलन, गणितीय प्रत्याशा।

मानक वितरण : द्विपद वितरण, परिभाषा, माध्य और प्रसरण, वैषम्य सीमान्त रूप सरल अनुप्रयोग। प्वासों वितरण परिभाषा मध्य और प्रसरण, योग्यता, उपलब्ध आंकड़ों में प्वासों बंटन का समंजन। सामान्य वितरण, सरल समानुपात और सरल अनुप्रयोग, उपलब्ध आंकड़ों में सामान्य में प्रसामान्य बंटन का समंजन।

द्विचर वितरण :—सह संबंध, दो चरों का रैखिक समाश्रयण, सीधा रेखा का समंजन, परवलयिक और चलघातांकी, वक्र, सह संबंधित गुणांक के गुण।

सरल प्रतिदर्श वितरण और परिकल्पनाओं का सरल परीक्षण यादृच्छिक प्रतिदर्श/सांख्यिकी, प्रतिदर्शी बंटन और मानक त्रुटि। मध्य मदों के अन्दर की अर्थवत्ता के परीक्षण में प्रसामान्य टी०, सी० एच० आई० (CHi12) और एफ० का सरल वितरण।

टिप्पणी : उम्मीदवारों को दो विषयों—सं० 5 यांत्रिकी और सं० 6 सांख्यिकी—में से किसी एक विषय पर प्रश्नों के उत्तर लिखने का विकल्प होगा।

वनस्पति विज्ञान (कोड 04)

1. वनस्पति जगत का सर्वेक्षण—प्राणियों और पौधों में अन्तर :— जीवित जीव की विशेषताएं : एक कोशिक और बहु कोशिक जीव : वाइरस वनस्पति जगत के विभाजन का आधार।

2 आकृति विज्ञान :—(i) एक कोशिका पौधे—कोशिका, इसकी संरचना और अन्तर्वस्तु कोशिकाओं का विभाजन और संवर्धन।

(ii) बहुकोशिक पौधे—असंवहनी और संवहनी पौधों के कार्य में भेद : संवहनी पौधों का बाह्य और आंतरिक आकृति विज्ञान।

3 जीवन वृत्त : इन पादप वर्गों के प्रत्येक वर्ग के कम से कम एक पौधे का जीवनवृत्त—बक्टीरिया, नील रहित शैवाल वर्ग (साइनोफाइसी) क्लोरोफाइसी : भूरा शैवाल वर्ग, कियाफालाल शयाल वर्ग (रोडोफाइसी), पाइकम्पामाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियमी, कवक, लिवरवर्ट, मासेस; टेरिडोफाइटीज, जिम्नोस्पर्म और ऐन्जियोस्पर्म।

4 वर्गिकी—वर्गीकरण के नियम, ऐन्जियोस्पर्म के वर्गीकरण की मुख्य पद्धतियां :

निम्नलिखित कुलों के विशिष्ट लक्षण और आर्थिक महत्व :— ग्रामिनि सिटामिन, पामेसी, लिलिएसी, आर्किडसी, मोरेसी, लोरेन्थेसी; मनोलिएसी, लारेसी; क्रूसिफेरी; लगयमिनोसी, रुटेसी; मीलिएसी; यफोर्नियासी; एनाकार्डिएसी, मालवेसी; एसोमाइनेसी; एक्कलीपिएडेसी; क्रिप्टोकारमसी; मर्टेसी, ग्रापबेलीफेरी; तुलसीकल (लेबिएटी), सोलेनेसी; एबिएसी कुकरबिटेरिएसी; बर्नासी और कम्पोजिटी।

5 पादप शरीर क्रियाविज्ञान—स्वपोषण, परपोषण, जल और पोषक तत्वों का अन्तग्रहण, वाष्पोत्सर्जन, प्रकाश संश्लेषण; खनिज पोषण; श्वसन, वृद्धि, जनन, पादप प्राणि संबंध, सहजीवन, परजीवित, एन्जाइम; आक्सिमस हारमोन दीप्तिकालिता।

6 पादप रोग विज्ञान—पौधों की बीमारियों के कारण और उनके विकार; रोग जांच, वाइरस, हीनता, जन्म रोग; प्रतिरोध।

7 पादप परिस्थिति विज्ञान—विशेष रूप से भारतीय पेड़-पौधों और भारत के वनस्पति क्षेत्रों के संदर्भ में परिस्थिति विज्ञान और पादप भूगोल से संबंधित आधार भूत तत्व।

8 सामान्य जीव विज्ञान—कोशिका—विज्ञान, आनुवंशिक विज्ञान पादप प्रजनन मण्डेलवाद, संकर ओज, उत्परिवर्तन, विकास।

9 आर्थिक वनस्पति विज्ञान—पौधों का विशेषतः अनाजों, दालों, फलों चीनी, स्टार्च, तिलहनों, मसालों पेय पदार्थों, रेशों लकड़ियों, रबर, औषधियों और वाष्पशील तेलों आदि वनस्पति उत्पादों से संबंधित पुष्प पादपों का मानव कल्याण के लिए लाभकारी उपयोग।

10 वनस्पति विज्ञान का इतिहास—वनस्पति विज्ञान संबंधी विज्ञान के विकास की सामान्य जानकारी।

प्राणि विज्ञान : (कोड 05)

प्राणि जगत का प्रमुख समूहों में वर्गीकरण विभिन्न वर्गों में विशिष्ट लक्षण रज्जू रहित (नान कार्डेट) किस्म के प्राणियों की बनावट, आदतें और जीवन वृत्त :

अमीबा, मलेरिया—परजीवी। स्पंज, हाइड्रा, लिवरफ्लू, फीता, कृमि; गोल कृमि; केंचुआ; जोंक तिलचट्टा।; गृह मक्खी; बिच्छू; ताजे पानी का मत्स्य, ताल घोंघा और स्टार-फिश (केवल बाह्य लक्षण)।

कीटों का आर्थिक महत्व। निम्नलिखित कीटों की परिस्थिति और जीवन वृत्त :—

दीमक; टिड्डी; शहद की मक्खी और रेशम का कीड़ा।

रज्जुकी—कम वर्गीकरण।

निम्नलिखित प्रकार के रज्जुमान प्राणियों की बनावट और तुलनात्मक शरीर :—

बैंकिओस्टोमा; स्कोलिओडान; मेंढक; यरोमस्टिक्स या कोई अन्य छिपकली (बेरनस का अस्थिपिंजर); कबूतर (कुक्कुट का अस्थिपंजर); और खरगोश, चूहा या गिलहरी।

मेंढक और खरगोश के संदर्भ में जन्तु कार्य के विभिन्न अंगों के उतकविज्ञान और शरीर क्रिया विज्ञान की प्रारम्भिक जानकारी; अन्तः—स्त्रावी ग्रंथियां और उनका कार्य।

मेंढक और चूजे के विकास की रूपरेखा, स्तनी जन्तुओं की बनावट और कार्य।

विकास के सामान्य नियम; विविधता; आनुवंशिकता; अनुकूलन; पुनरावर्तन परिकल्पना; मेंडेलीय आनुवंशिकता; अलगिक जनन और लैंगिक जनन की विधियां; अनिषेक जनन (पार्थनोजेनसिस); कायांतरण, पीढ़ी एकान्तरण।

विशेष रूप से भारतीय जन्तु समूह के संदर्भ से जन्तुओं का परिस्थितिक और भूवैज्ञानिक वितरण।

भारत के वन्य प्राणी जिनमें विषैले और विषहीन सांप भी शामिल हैं। शिकार पक्षी।

भूविज्ञान : (कोड 06)

सामान्य भूविज्ञान :

पृथ्वी, की उत्पत्ति, काल और आंतरिक भाग, विभिन्न भूवैज्ञानिक एजेंसियां और स्थलाकृति, अपक्षय और अपरदन (इरोजन) पर उनका प्रभाव मृदा के प्रकार, उनका वर्गीकरण और भारत के मृदा समूह, भारत के भू आकृति उप-भाग, वनस्पति और स्थलाकृति, ज्वालामुखी, भूकम्प, पर्वत पटलविरूपण है (डयास्ट्रोफिज्म)।

2 संरचनात्मक भूविज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और कायांतरित जट्टानें, नति, नतिलम्ब और वलन वलन, भ्रंश और विषम विन्यास और दरयांशों पर उनका प्रभाव, भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण और मानचित्रण की विधियों के सम्बन्ध में प्रारम्भिक जानकारी।

3 क्रिस्टल विज्ञान और खनिज विज्ञान :

क्रिस्टल सममिति के बारे में प्रारम्भिक जानकारी। क्रिस्टल विज्ञान के नियम, क्रिस्टल की प्रकृति और यमलन (ट्विनिंग)।

मृण्मय खनिजों, महत्वपूर्ण शैल-रचना, रसायनिक संघिठन, भौतिक गुण, प्रकाशिक गुण, धर्म, परिवर्तन प्राप्ति और वाणिज्यिक उपयोग संबंधी अध्ययन।

4. आर्थिक भू विज्ञान :

भारत के महत्वपूर्ण खनिजों और उनकी उपस्थिति की अवस्था का अध्ययन । अयस्क निक्षेपों का उद्भव और वर्गीकरण ।

5. शैल विज्ञान :

आग्नेय, अवसादी और का यांतरित चट्टानों तथा उनके उद्भव और वर्गीकरण का प्रारम्भिक अध्ययन । चट्टानों के सामान्य प्रकारों का अध्ययन ।

6. स्तर क्रम विज्ञान :

स्तर क्रम विज्ञान नियम : वैज्ञानिक अभिलेखों का अन्य वैज्ञानिक और कालानुक्रम उप-विभाजन : भारतीय स्तर क्रम विज्ञान की महत्वपूर्ण विशेषताएं ।

7. जीवाश्म विज्ञान :

जीवाश्म विज्ञान सम्बन्धी आधार सामग्री का विकास से संबंध, जीवाश्म (फासिल्स) उनका स्वरुप और परिक्षण की विधि। प्राणी-जीवाश्मों और पादप-जीवाश्मों की निम्न आकृतियों के आकृति विज्ञान और विभाजन की प्रारम्भिक जानकारी ।

भूगोल (कोड 07)

(i) प्रारम्भिक भू-आकृति विज्ञान : सौर मंडल और पृथ्वी का उद्भव, भू-आकृति, भू-लक्षण, प्रारम्भिक, भू-विज्ञान, चट्टानों और मिट्टी का बनाना ।

(ii) जलवायु विज्ञान : जलवायु और इसके तत्व, तापमान वायु आर्द्रता पवन पद्धति, चक्रवात और प्रतिचक्रवात का प्रारम्भिक ज्ञान, वृष्टि पात के प्रकार ।

(iii) समुद्र विज्ञान : भूमि और जल का वितरण, समुद्र जल का संचालन ज्वार धारायें, लवणता, समुद्रता निक्षेप ।

(iv) पादप भूगोल : वनस्पतियों के प्रकार, भौगोलिक पर्यावरण से उनका सम्बन्ध, वन, घास के मैदान, रेगिस्तान, प्रधान प्राकृतिक क्षेत्र ।

(v) मानव भूगोल : पर्यावरण में मानव, मनुष्य की प्रजातियां, मनुष्य के कार्यकलाप और जनसंख्या का विभाजन ।

(vi) आर्थिक भूगोल : मुख्य वनस्पतियां, पशु, खनिज उत्पादन, उनके वितरण और भौगोलिक पृष्ठ भूमि, उद्योग और उनका स्थानीकरण, कच्चे माल, खाद्यान्न और विनिर्मित माल का अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार ।

(vii) क्षेत्रीय भूगोल :—भारत का विस्तार से और संयुक्त राज्य अमेरिका, ब्रिटेन, रुस, चीन, जापान, दक्षिण पूर्वी एशिया, मध्य पूर्व श्रीलंका बर्मा और पाकिस्तान का सामान्य रुप से ज्ञान ।

अंग्रेजी साहित्य (को 08)

उम्मीदवार को स्पेंसर काल से लेकर महारानी विक्टोरिया का शासन समाप्त होने तक के अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का सामान्य और निम्नलिखित लेखकों की कृतियों का विशेष ज्ञान होना चाहिए :—

शेक्सपीयर, मिल्टन, जानसन, डिकन्स, वर्डसवर्थ, कीट्स, कार्लाईल, टेनिसन और हार्डी ।

भारत का इतिहास (कोड 09)

1600 ई० से लेकर भारतीय गणराज्य की स्थापना तक का भारत तथा इस अवधि में घटित सांविधिक प्रगति ।

टिप्पणी—इस विषय में उम्मीदवारों को भूगोल के उस पक्ष का भी ज्ञान होना चाहिए जिसका संबंध इतिहास से होता है । किसी अवधि के प्रारम्भ होने की यदि कोई निश्चित तारीख दी जाए तो उम्मीदवारों को सामान्य रुप से यह भी जानना चाहिए कि इस प्रारम्भिक स्थिति तक किस प्रकार पहुंचे हैं ।

सामान्य अर्थशास्त्र (कोड 10)

उम्मीदवारों को अर्थशास्त्र के सिद्धांत का ज्ञान होना चाहिए और उनकी तथ्यों की सहायता से सिद्धांत का निरुपण करना और सिद्धांत के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण करना दोनों आना चाहिए । भारत और इंग्लैंड के आर्थिक इतिहास और उन देशों की आर्थिक स्थिति का कुछ ज्ञान भी होना चाहिए ।

राजनीति विज्ञान (कोड 11)

उम्मीदवारों को राजनीति विज्ञान और उसके इतिहास का ज्ञान होना चाहिए । राजनीति विज्ञान का ज्ञान केवल विधि-निर्माण के सिद्धांत के रुप में नहीं, वरन राज्य के सामान्य सिद्धांत के रुप में भी होना चाहिए । सांविधिक शासक के प्रकारों (प्रतिनिधि सरकार संघवाद आदि) और लोक प्रशासन-केन्द्रीय और स्थानीय—पर भी प्रश्न पूछे जाएंगे उम्मीदवारों को वर्तमान संस्थाओं के उद्भव और विकास का भी ज्ञान होना चाहिए ।

समाज विज्ञान (कोड 12)

समाज विज्ञान की प्रकृति और क्षेत्र : समाज का अध्ययन, समाज विज्ञान और अन्य सामाजिक विज्ञानों से उनका संबंध ।

मूल धारणाएं : महत्व एवं कार्य, प्राथमिक एवं गौण वर्ग, सामाजिक संस्थाएं सामाजिक संरचना, सामाजिक नियन्त्रण एवं अपवर्तो, सामाजिक द्वन्द्व, सामाजिक परिवर्तन :—

मूल सामाजिक सरचनाए एवं संस्थाएं, विवाह, परिवार एवं रिश्तेदारी राजनीति संस्थाएं; धार्मिक संस्थाएं; सामाजिक स्तरण-जाति वर्ग एवं वंश ।

वातावरण, समाज एवं संस्कृति : भारतीय समाज विज्ञान, जाति एवं जाति वाद; परिवार एवं रिश्तेदारी, ग्राम समाज आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन ।

मनोविज्ञान (कोड 13)

सामान्य मनोविज्ञान

मनोविज्ञान की परिभाषा और विषय-वस्तु, मनोविज्ञान की पद्धतियां, अनुकूलन एवं आचरण क्रियाविधि की अवधारण; आचरण का शरीर शास्त्रीय आधार ।

(क) अभिग्राहक, चाक्षुष, एवं श्रवन संबंधी, (ख) नाड़ी तन्त्र की सामान्य रुप रेखा

(ग) कारक—मांसपेशियां एवं ग्रंथियां :—

मानव विकास के सरवे—आनुवंशिकता एवं पर्यावरण, परिपक्वता एवं शिक्षा प्राप्ति ।

अभिप्रेरणा एवं मनोवेग—उनकी प्रकृति, किस्म और विकास । प्रत्यक्ष ज्ञान एवं उनकी प्रकृति—रूप रंग और स्थान ।

प्रशिगम—उनकी प्रकृति, अनुकलन, अन्तदृष्टि और प्रयत्न त्रुटि ।

अधिगम तथा स्मरण शक्ति और विस्मरण प्रक्रियाओं को प्रभावित करने वाले तत्व, स्मरण करने की सफल विधियां ।

चिन्तन और तर्क ।

प्रज्ञा और योग्यताएं—उनकी प्रकृति और मापन ।

व्यक्तित्व—प्रकृति निर्धारक और मापन ।

असामान्य मनोविज्ञान

असामान्य, आचरण—अवधारणा और कारण ।

कुंठा और द्वन्द्व, रक्षात्मक युक्ति ।

मनोवैज्ञानिक विकार—मनस्ताप एवं मनोविक्षिप्ति, व्यक्तित्व एवं मनोशारीरिक विकार ।

मानसिक विकार के उपचार का सामान्य ज्ञान-मनोरोग चिकित्सा ।

सामाजिक मनोविज्ञान

समूह प्रतिक्रियाएं—व्यक्ति और समूह, नेतृत्व, मनोबल एवं भीड़ का व्यवहार

प्रचार और मनोवैज्ञानिक युद्ध।

बुद्धि तथा व्यक्तित्व परीक्षण

उम्मीदवारों की बुनियादी बुद्धि की जांच करने के लिए साक्षात्कार के अतिरिक्त मौखिक तथा लिखित बुद्धि परीक्षा ली जाएगी। उनके ग्रुप परीक्षण भी किए जाएंगे जैसे ग्रुप परिचर्चा, ग्रुप योजना, बहिरंग ग्रुप कार्यकलाप तथा उन्हें निर्दिष्ट विषयों पर संक्षिप्त व्याख्यान देने के लिए कहा जाएगा। ये सभी परीक्षा उम्मीदवारों की मेधाशक्ति की जांच के लिए हैं। मोटे तौर पर ये परीक्षण वास्तव में न केवल उसके बौद्धिक गुणों की जांच के लिए हैं अपितु इससे उनकी सामाजिक विशेषताओं तथा सामयिक घटनाओं के प्रति दिलचस्पी का भी पता चलेगा।

परिशिष्ट II

(अकादमी स्कूल में प्रवेश के लिए स्वास्थ्य का मानक)

टिप्पणी—उम्मीदवारों को निर्धारित स्वास्थ्यता मानक के अनुसार शारीरिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए। स्वस्थता संबंधी मानक नीचे बताए गए हैं।

बहुत से अर्हताप्राप्त उम्मीदवार बाद में अस्वस्थता के आधार पर अस्वीकृत कर दिए जाते हैं। अतः उम्मीदवारों के अपने हित के लिए सलाह दी जाती है कि अन्त में निराशा से बचने के लिए उन्हें अपना आवेदन पत्र भेजने से पहले अपने स्वास्थ्य की जांच करा लेनी चाहिए।

सेवा चयन बोर्ड द्वारा अनुशासित बहुत से उपयुक्त उम्मीदवार की स्वास्थ्य परीक्षा सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा की जाएगी। जो उम्मीदवार मेडिकल बोर्ड द्वारा स्वस्थ घोषित नहीं किया जाएगा उसको अकादमी या स्कूल में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। सेना के डाक्टरों के बोर्ड द्वारा स्वास्थ्य परीक्षा कर लिए जाने का अर्थ यह नहीं होगा कि या तो नहीं निकाला जाएगा कि उम्मीदवार अंतिम रूप से चुन लिया गया है। मेडिकल बोर्ड की कार्यवाही गुप्त होती है जिसको किसी को नहीं बताया जा सकता। अनुपयुक्त या अस्थायी रूप से अनुपयुक्त घोषित उम्मीदवारों का परिणाम उन्हें स्वस्थता प्रमाण-पत्र तथा अपील प्रस्तुत करने की कार्यविधि के साथ सूचित कर दिया जाता है। मेडिकल बोर्ड के अध्यक्ष द्वारा मेडिकल बोर्ड के परिणाम से सम्बद्ध कोई अनुरोध स्वीकार नहीं किया जाएगा।

उम्मीदवारों को अपने हित में परामर्श है कि यदि उनकी दृष्टि अपेक्षित स्तर की न हो तो सेवा चयन बोर्ड द्वारा साक्षात्कार स्वास्थ्य-परीक्षा हेतु बुलाए जाने पर उन्हें अपने साथ संशोधक ऐनक लानी चाहिए।

1 अकादमी/स्कूल में प्रवेश के लिए उस उम्मीदवार को ही योग्य समझा जाएगा जिसका शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य बिल्कुल ठीक होगा और जिसमें कोई ऐसी अशक्तता नहीं होगी जिससे कुशलतापूर्वक काम करने में बाधा पड़ने की संभावना हो।

2 किन्तु निम्नलिखित बातों के विषय में तसल्ली कर ली जाएगी :

(क) कमजोर शरीर गठन, अपूर्ण विकास, गम्भीर कुरचना या स्थूलता तो नहीं है।

(ख) हड्डियों और सन्धियों का कुविकास तो नहीं हुआ है और उन में किसी प्रकार की क्षीणता तो नहीं हो गई है।

टिप्पणी—अल्पवर्धित अंग पशुका वाल उम्मीदवारों को भी स्वस्थ माना जा सकता है यदि उसमें उक्त रोग के लक्षण न हों। तथापि चिकित्सा बोर्ड की कार्यवाही में इस दोष का उल्लेख छोटी-मोटी अशक्तता के रूप में कर दिया जाएगा।

(ग) बोलने में तो बाधा नहीं पड़ती है।

(घ) सिर की संरचना में तो दोष नहीं है या खोपड़ी की हड्डी टूटने से या दबने से विरूपता तो नहीं आ गई है।

(ङ) कम सुनाई तो नहीं पड़ता है। कोई कान बह तो नहीं रहा है या रोगग्रस्त तो नहीं है। टिम्पनिक मेम्ब्रेन में कच्चा जख्म तो नहीं है या उग्र या पुराना मध्य कर्ण शोथ के चिन्ह तो नहीं है या आमूल या संशोधित आमूल कर्ण तो नहीं हुआ है।

टिप्पणी: यदि कान के पर्दे का छेद पूरी तरह से भरा गया हो, इसको और क्षति न पहुंची हो तथा सुनाई ठीक पड़ता हो तो इस अवस्था को थल सेना के लिए उम्मीदवार को स्वीकार करने में बाधक नहीं समझना चाहिए।

(च) नाक की हड्डी या उपास्थि का कोई रोग तो नहीं है या नोज पालिपस तो नहीं है अथवा नासाग्रसनी या सहायक कोटरी का कोई रोग तो नहीं है।

टिप्पणी —नासा पट के छोटे अलक्षण ऊर्ध्वाधरज छेद के कारण उम्मीदवार को एक दम अस्वीकृत नहीं किया जाएगा वरन् ऐसे मामलों की जांच और मत के लिए कर्ण विज्ञान सलाहकार के पास भेजा जाएगा।

(छ) गर्दन या शरीर के अन्य भागों की ग्रंथियां बढ़ी हुई तो नहीं हैं और थाइराइड ग्रंथि सामान्य है।

टिप्पणी —पेंदिक की ग्रंथियों को हटाने के लिए किए गए आपरेशन के निशान उम्मीदवार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकते हैं बशर्ते कि गत 5 वर्षों में सक्रिय रोग न हुआ हो हो छाती लाक्षणिक जांच तथा एक्सरे करने पर रोग मुक्त पाई जाए।

(ज) गले तालू, टॉसिल या मसूड़ों का को रोग नहीं है तथा किसी भी चिम्बकी संधियों की सामान्य क्रिया पर प्रभाव डालने वाली कोई बीमारी या चोट तो नहीं है।

टिप्पणी —यदि बार-बार टॉसिल शोथ होने का कोई वृत्त न हो तो टॉसिलों की अतिवृद्धि अस्वीकृति का कारण नहीं होती।

(झ) हृदय तथा रक्त वाहिकाओं का क्रिया सम्बन्धी या अंग रोग के लक्षण तो नहीं है।

(ण) फेफड़ों की तपेदिक या इस बीमारी का पूर्ववृत्त या फेफड़ों की कोई जीर्ण बीमारी का प्रमाण तो नहीं है।

(ट) जिगर और तिल्ली की किसी विलक्षणता सहित पाचक तन्त्र के किसी रोग का चिन्ह तो नहीं है।

(ठ) वक्षण हर्निया तो नहीं है या उसके होने की प्रवृत्तियां तो नहीं हैं।

टिप्पणी —(i) वक्षण हर्निया (जिसकी शल्य चिकित्सा न की गई हो), अस्वीकृत का कारण होगा।

(ii) जिनका हर्निया का आपरेशन हो चुका है उन्हें शारीरिक रूप से स्वस्थ माना जाएगा बशर्ते कि :

(i) आपरेशन हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया हो। इसके लिए उम्मीदवार को लिखित प्रमाण प्रस्तुत करना होगा।

(ii) पेट की पेशी समूह सामान्यता ठीक है।

(iii) हर्निया की पुनरावृत्ति नहीं हुई है, या इसकी शल्य चिकित्सा से संबंधित कोई उलझन पैदा नहीं हुई।

(i) हाइड्रोसिल या निश्चित वरिकोसील या जननेंद्रियों का अन्य कोई रोग या खराबी तो नहीं है।

ध्यान दें — (ii) यदि हाइड्रोसील के आपरेशन के बाद कोई रज्जु और अण्ड ग्रंथियों की विलक्षणताएं न हों और फाइलेरिया सिस का प्रमाण न हो तो उम्मीदवार को स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ii) यदि एक ओर की अन्ततः उदरीय अण्ड ग्रन्थि आरोही हो तो इस आधार पर उम्मीदवार को अस्वीकार नहीं किया जाता बशर्ते कि दूसरी अण्डग्रंथि असामान्य हो तथा इस आरोही अण्डग्रंथि के कारण शारीरिक या मनोवैज्ञानिक कुप्रभाव न हो। यदि आरोही अण्डग्रंथि वंक्षण नलिका में अथवा उदरीय विलय में रुकी हो और आपरेशन से ठीक न हो सकती तो इस स्थिति से उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ङ) फिस्टुला और या गुदा का विदर या बवासीर के मस्से तो नहीं है ।

(ण) गुर्दों को कोई बीमारी तो नहीं है । ग्लुकोजमेह या एलब्युमिन मेह के सभी रोगी अस्वीकृत कर दिए जाएंगे ।

(त) अस्थायी अथवा मामूली क्षत चिह्नों को छोड़कर कोई ऐसा चर्म रोग तो नहीं है जिसके प्रचार अथवा स्थिति के कारण उम्मीदवार में अशक्तता या बहुत अधिक कुरूपता आ गई हो या आने की संभावना हो । उसी उम्मीदवार को इसी आधार पर अस्वीकार किया जाएगा ।

(थ) कोई सक्रिय गुप्त या जन्मजात रक्तिज रोग तो नहीं है ।

(द) उम्मीदवार या उसके परिवार में मानसिक रोग का कोई पूर्व वृत्त या प्रमाण तो नहीं है । जिन उम्मीदवारों को मिर्गी आती हो, जिनका पेशाब वैसे ही या नींद में निकल जाता हो उन्हें स्वीकार नहीं किया जाएगा ।

(ध) भगापन या आंत्र या पलकों की ऐसी विकृति तो नहीं जिसके बढ़ने या दुबारा होने का खतरा हो सकता है ।

(न) सक्रिय रोहे (ट्रैकोमा) या इसकी जटिलताएं तथा अनुप्रभाव तो नहीं है ।

टिप्पणी— इलाज के लिए आपरेशन प्रवेश से पूर्व करवाए जाएं । अस्तिम रूप से स्वीकार किए जाने की गारन्टी नहीं दी जाती है तथा उम्मीदवारों को यह स्पष्टतया समझ लेना चाहिए कि क्या आपरेशन वांछनीय है या आवश्यक है इस बात का निर्णय उनके निजी चिकित्सा सलाहाकर को ही करना है । आपरेशन के परिणाम अथवा किसी और खर्च का दायित्व सरकार अपने ऊपर नहीं लेगी ।

कद, वजन तथा छाती के मापों के लिए मानक :

(क) कद :

(i) उम्मीदवार के कद का नाप उसे मापदण्ड के सामने दोनों पैर मिलाकर खड़ा करके ली जाएगी । उस समय वजन एड़ियों पर होना चाहिए जो पैर या पांव के बाहरी पार्श्वों पर नहीं । वह बिना अकड़े इस प्रकार सीधा खड़ा होगा कि उसकी एड़ियां, पिंडलियां नितम्ब और कन्धे मापदण्ड के साथ लगे होंगे उसकी ठोड़ी नीचे की ओर रखी जाएगी ताकि सिर का स्तर आड़ी छड़ के नीचे आ जाए । कद सेंटीमीटरों में रिकार्ड किया जाएगा । 0·5 सेंटीमीटर से कम दशमलव भिन्न की अपेक्षा की जाएगी 0.5 सेंटीमीटर का इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या उससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा ।

(ii) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 157.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर) है किन्तु गोरखा, निपाली, असमिया, गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे (ख) (i) में दी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 5.0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है । मणिपुर, नेफा, मेघालय और त्रिपुरा के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में कद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा ।

(ख) वजन :

(i) उम्मीदवार का वजन पूरी तरह से कपड़े उतरवा कर या केवल जांघिया के साथ लिया जाएगा । वजन करते समय 1/2 किलोग्राम का रिकार्ड नहीं किया जाएगा । आयु, कद तथा औसत वजन विषय पर परस्पर संबंधी सारी मार्गदर्शन के लिए दी जा रही है :

पिछले जन्म दिवस को आयु	बिना जूतों के ऊंचाई	वजन	
		औसत	
		न्यूनतम	अधिकतम
1	2	3	4
वर्ष	सेंटीमीटर	किलोग्राम	किलोग्राम
17 से 18	157.5 तथा 165.0 से कम	43.5	55.0
तक	165.0 तथा 172.0 से कम	48.0	59.5
	172.5 तथा 183.0 से कम	52.5	64.0
	183.0 तथा इससे अधिक	57.0	—
19	160.0 तथा 165.0 से कम	44.5	56.0
	165.0 तथा 172.5 से कम	49.0	60.5
	172.0 तथा 178.0 से कम	53.5	65.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	58.0	69.5
	183.0 तथा इससे अधिक	62.5	—
20 तथा	160.0 तथा 165.0 से कम	45.5	56.5
अधिक	165.0 तथा 172.5 से कम	50.0	61.0
	172.5 तथा 178.0 से कम	54.5	66.0
	178.0 तथा 183.0 से कम	59.0	50.5
	183.0 तथा इससे अधिक	63.5	—

केवल नौसेना के लिए

कद और वजन

सेंटीमीटरों में ऊंचाई	आयु		
	18 वर्ष	20 वर्ष	22 वर्ष
	कि० ग्रा० में वजन		
157 . . .	47	49	50
160 . . .	48	50	51
162 . . .	50	52	53
165 . . .	52	53	55
168 . . .	53	55	57
170 . . .	55	57	58
173 . . .	57	59	60
175 . . .	59	61	62
178 . . .	61	62	63
180 . . .	63	64	65
183 . . .	65	67	67
185 . . .	67	69	70
188 . . .	70	71	72
190 . . .	72	73	74
193 . . .	74	76	77
195 . . .	77	78	78

(ii) कद तथा आयु के संबंध में वजन का ठीक-ठीक मानक निश्चित करना संभव नहीं है । अतः परस्पर संबंधी सारणों केवल निर्देशिका मात्र

है तथा सभी मामलों में लागू नहीं की जा सकती है। सारणी में दिये गये औसत वजन से 10 प्रतिशत (नौसेना के मामले में 6 कि० ग्राम कम-ज्यादा) होने पर उसे वजन की सामान्य सीमा के अन्तर्गत माना जाता है। ऐसा भी हो सकता है कि कुछ व्यक्तियों का वजन उपर्युक्त मानक से अधिक हो किन्तु शरीर के सामान्य गठन की दृष्टि से वे सभी प्रकार से योग्य हो सकते हैं। ऐसे व्यक्तियों के अधिक वजन का कारण भारी हड्डियों और पेशीय विकास हो सकता है न कि मोटापा। इसी प्रकार जिसका वजन मानक से कम हो उसके बारे में भी उपर्युक्त सारणी मानकों के पूरी तरह पालन की अपेक्षा उनका सामान्य शरीर गठन और आनुपातिक विकास की कसौटी होना चाहिए।

(ग) छाती:—छाती भली प्रकार विकसित होनी चाहिए और फैलाने पर न्यूनतम फैलाव 5.0 सेंटीमीटर होना चाहिए । उम्मीदवार की छाती का नाप लेते समय उसे इस प्रकार सीधा खड़ा किया जाए कि उसके पांव जुड़े हों और उसकी बाहें सिर के ऊपर उठी हों । फीते को छाती के गिर्द इस प्रकार से लाया जायेगा कि पीछे की ओर उसका ऊपरी किनारा अफसलकों (शोल्डर ब्लेड) के निम्न कोणों (इन्फीरियर ऐंगिल्स) के साथ लगा रहे और इसका निचला किनारा सामने चूचकों के ऊपरी भाग से लगा रहे। फिर बाहों को नीचा किया जाएगा और उन्हें शरीर के साथ लटका रहने दिया जाएगा किन्तु इस बात का ध्यान रखा जाएगा कि कंधे उठे या पीछे की ओर झुके न हों जिससे कि फीता हट जाए, जब उम्मीदवार को कई बार गहरा सांस लेने के लिए कहा जाएगा और छाती का अधिकतम तथा न्यूनतम फैलाव सावधानी से लिख लिया जाएगा। अधिकतम तथा न्यूनतम फलाव सेंटीमीटर में रिकार्ड किया जाएगा जैसे 84/89, 86/91 इत्यादि।

नाप को रिकार्ड करते समय 0.5 सेंटीमीटर से कम वक्षमलक भिन्न की उपेक्षा की जाएगी तथा 0.5 सेंटीमीटर को इसी रूप में रिकार्ड किया जाएगा तथा 0.6 सेंटीमीटर या इससे अधिक को एक सेंटीमीटर के रूप में रिकार्ड किया जाएगा।

नौसेना के लिए—छाती का एक्सरे अनिवार्य है।

4. दांतों की हालत

इस बात को सुनिश्चित कर देना चाहिए कि चबाने का काम अच्छी तरह करने के लिए प्राकृतिक तथा मजबूत दांत काफी संख्या में हों।

(क) स्वीकृत होने के लिए यह आवश्यक है कि उसने दांतों के लिए कम से कम 14 प्वाइंट प्राप्त किये हों। किसी भी व्यक्ति के दांतों की हालत का पता लगाने के लिए परस्पर अच्छी तरह सटे और दूसरे जबड़े के अनुरूप दांतों को निम्न प्रकार प्वाइंट दिये जाएंगे :—

(i) बीच के काटने वाले दांत, बगल के काटने वाले दांत, रवनक प्रथम तथा द्वितीय छोटी दाढ़ तथा कम विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ प्रत्येक के लिए एक-एक वाइंट।

(ii) प्रथम तथा द्वितीय बड़ी दाढ़ तथा पूर्ण तया विकसित तृतीय बड़ी दाढ़ के लिए दो-दो प्वाइंट।

पूरे 32 दांत होने पर कुल 22 प्वाइंट दिए जाएंगे ।

(ख) प्रत्येक जबड़े के निम्नलिखित दांत एक दूसरे से इस प्रकार सटे हुए हों कि उनसे अच्छी तरह काम लिया जा सके :—

(i) आगे के 6 में से कोई 4 दांत।

(ii) पीछे के 10 में से कोई 6 दांत।

टिप्पणी:—जिन उम्मीदवारों के नकली दांत अच्छी तरह लगे हों उन्हें कमीशन के लिए स्वीकार कर लिया जाएगा।

(ग) तीव्र पायरिया वाले उम्मीदवार को स्वीकार नहीं किया जाएगा। जिस उम्मीदवार का पायरिया दंत अधिकारी की राय में बिना दांत निकाले अच्छा किया जा सकता है उसे स्वीकार किया जा सकता है।

(5) दृष्टिमानक (थलसेना)

	अच्छी आंख	खराब आंख
दूर की नजर (चश्मा लगाकर)	6/6	6/18

निकट दृष्टि (मायोपिया) जिसमें व्यक्त अभिन्दुकता (एस्टिगमेंटिज्म मैनीफस्ट) सम्मिलित—3.5 डी० से अधिक नहीं । दीर्घ दृष्टि (हाइपर-मेट्रोपिया) जिसमें अभिन्दुकता (एस्टिगमेंटिज्म) सम्मिलित है +3.5 डी० से अधिक नहीं।

टिप्पणी: 1. फेन्डस तथा मीडिया स्वस्थ तथा सामान्य सीमा में होना चाहिए।

2. वर्धान निकट दृष्टि के सूचक विटियसम या कोरियोरेटिना के अनावश्यक न्यपगनन चिह्न न हों।

3. दोनों आंखों में द्विनेत्री (बाइनोकुलर) दृष्टि संयमित शक्ति और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए।

4. कोई ऐसा आंगिक रोग नहीं होना चाहिए जिसके प्रकोपन अथवा खराब होने की संभावना हो।

निकट दृष्टि (मायोपीया)

किसी भी एक मैरेडियम में 0.5 डायोप्ट्रेस अधिक नहीं होना चाहिए।

द्विनेत्री दृष्टि—उम्मीदवार की द्विनेत्री दृष्टि ठीक होनी चाहिए। (दोनों आंखों में फ्यूजन फैकल्टी और पूर्ण दृष्टि क्षेत्र होना चाहिए)। रंग का प्रत्यक्ष ज्ञान।

जिन उम्मीदवारों को अधोपरिभाषित न्यूनतम वर्ण अवगम मानक सी० पी० 3 (सदोष सुरक्षा) न होता हो उन्हें अयोग्य माना जाएगा :—

सी० पी०-3 (सदो सुरक्षा)—उम्मीदवार इस योग्य न हों कि वे 1.5 मीटर की दूरी से सफेद, संकेत लाल और संकेत हरे रंगों को ठीक प्रकार से पहचान सकें जैसा कि मार्टिन लैटर्न में दिखाया गया है या इशिहारा बुक/टोकियो मैडिकल कालिज बुक की अपेक्षित प्लेटों को पढ़ सकें।

दृष्टि मानक (नौसेना)

(क) दृष्टि तीक्ष्णता	मानक 1	
दूर की नजर	अच्छी आंख बी 6/6 चश्मा	खराब आंख बी० 6/9 सहित 6/6

(i) नौसेना दृष्टिमानक 1:

कार्य-पालक शाखा के उम्मीदवार चश्मा नहीं लगायेंगे लेकिन नौसेना मुख्यालय की अनमति से इस मानक में ढील दी जा सकती है। इंजीनियरी, इलेक्ट्रिकल सप्लाई और सचिवालय शाखा के सब प्रकार उपयुक्त उम्मीदवारों के मामले में 6/18, 6/36 तक ढील दी जाए बशर्ते कि चश्मा चढ़ाने पर दृष्टि 6/6 हो।

(ii) विशेष अपेक्षाएं:

सामान्यतः नौसेना की सभी शाखाओं के कैडेटों/डाइरेक्ट एंट्री अफसरों को रात्रि दृष्टि तीक्ष्णता के वास्ते डेलाकासा की जांच नहीं की जाएगी और स्वास्थ्य परीक्षा के समय उनसे निम्नलिखित प्रमाण पत्र देने के लिए कहा जाएगा जो मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट के साथ नत्थी कर दिया जाएगा :

"मैं प्रमाणित करता हूं कि मुझे रतौंधी नहीं है और जहां तक मेरी जानकारी है मेरे परिवार के किसी सदस्य को भी जन्म से रतौंधी नहीं है।"

चिकित्सा अधिकारी के प्रति

हस्ताक्षर उम्मीदवार

'ग' का प्रत्यक्ष ज्ञान

नेत्र विचलन प्रवृत्ति मेडोक्स राड/विगटेस्ट के साथ (बशर्ते कि अभिसरण दोष तथा अन्य रोग लक्षण न हो) निम्नलिखित से अधिक नहीं होनी चाहिए:—

(क) 6 मीटर की दूरी से		
एक्सोफोरिया	8 प्रिज्म	डायोप्टर
इसोफोरिया	8 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म	डायोप्टर
(ख) 30 सें० मी० की दूरी से		
इसोफोरिया	6 प्रिज्म	डायोप्टर
एक्सोफोरिया	16 प्रिज्म	डायोप्टर
हाइपरफोरिया	1 प्रिज्म	डायोप्टर

कार्यान्वित स्तर (होमाट्रोपिना के अन्तर्गत) सही आंख

दूर दृष्टिता की सीमा

दूरदृष्टिता	1.5 डायोप्टर
साधारण दीर्घ दृष्टिता वैषम्य	0.75 दीर्घ दृष्टिता मेरिडियन का दोष
संयुक्त दीर्घ दृष्टिता वैषम्य	1.5 डायोप्टर से अधिक नहीं होना चाहिए इसमें से 0.75 डायोप्टर से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होना चाहिए।
दूरदृष्टिता	सबसे खराब आंख 2.5 डायोप्ट्रेस
साधारण दूरदृष्टिता वैषम्य	1.5 डायोप्ट्रेस
संयुक्त दूर दृष्टिता वैषम्य	दूरदृष्टिता वैषम्य दोष 2.5 डायोप्ट्रेस से अधिक नहीं होना चाहिए, इसमें से 1.00 डायोप्ट्रेस से अधिक दृष्टि वैषम्य के कारण नहीं होना चाहिए

6. श्रवण मानक

श्रवण परीक्षा वाक परीक्षण द्वारा की जाएगी। जहां आवश्यक होगा श्रव्यता मापी (आडियोमैट्रिक) रिकार्ड भी ले लिए जाएंगे।

(क) वाक् परीक्षा:—उम्मीदवार को जो कि एक उचित ढंग से शान्त कमरे में परीक्षण की ओर पीठ करके 609.5 सेंटीमीटर की दूरी पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए अर्थात् वह साधारण निःश्वास अन्त में लेगा।

(ख) श्रव्यता मितिक रिकार्ड:—उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 128 से 4096 साइकल वृति सैकिन्ड की आवृत्ति पर सुनना चाहिए। (श्रव्यता-मितिक पाठ्यांक + 10 तथा—10 के बीच होना चाहिए) (नौ सेना के लिए लागू नहीं है)।

परिशिष्ट III

सेना आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं—

भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:—

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :—

(क) उसे आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या अन्यथा आवश्यक किसी सर्जिकल आपरेशन या संवेदनाहरण दावा के परिणामस्वरूप उसमें कोई शारीरिक अशक्तता आ जाने या उसकी मृत्यु हो जाने पर वह या उसके वैध उत्तराधिकारी को सरकार के विरुद्ध किसी मुआवजे या अन्य प्रकार की राहत का दावा करने का हक न होगा।

(ख) उसके माता-पिता या संरक्षक को इस आशय के बन्ध-पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि यदि किसी ऐसे कारण से जो उसके नियंत्रण में समझे जाते हैं, उम्मीदवार पाठ्यक्रम पूरा होने से पहले वापस आना चाहता है या कमीशन अस्वीकार कर देता है तो उस पर शिक्षा शुल्क, भोजन, वस्त्र पर किए गए व्यय तथा दिए गए वेतन और भत्ते की कुल राशि या उतनी राशि जो सरकार निश्चित करे उसे वापस करनी होगी।

2. अंतिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को लगभग 18 महीनों का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इन उम्मीदवारों के नाम सेना अधिनियम के अधीन "जेन्टलमैन कैडेट" के रूप में दर्ज किए जाएंगे। जैन्टलमैन कैडेट पर साधारण अनुशासनात्मक प्रयोजनों के लिए भारतीय सेना अकादमी के नियम और विनियम लागू होंगे।

3. यद्यपि, आवास, पुस्तकें, वर्दी, बोर्डिंग और चिकित्सा सहित, प्रशिक्षण के खर्च का भार सरकार वहन करेगी लेकिन यह आशा की जाती है कि उम्मीदवार अपना खर्च खुद बर्दाश्त करेंगे। भारतीय सेना अकादमी में (उम्मीदवार का न्यूनतम मासिक व्यय 55.00 रु० से अधिक होने की संभावना नहीं है)। यदि किसी कैडेट के माता-पिता या संरक्षक इस खर्च को भी पूरा या आंशिक रूप में बर्दाश्त करने में असमर्थ हों तो सरकार द्वारा उन्हें वित्तीय सहायता दी जा सकती है। लेकिन जिन उम्मीदवारों के माता-पिता या संरक्षक की मासिक आय 450.00 रु० या इससे अधिक हो, वे इस वित्तीय सहायता के पात्र नहीं होंगे वित्तीय सहायता की पात्रता निर्धारित करने के लिए अचल सम्पत्तियों और सभी साधनों से होने वाली आय का भी ध्यान रखा जाएगा।

यदि उम्मीदवार के माता-पिता/संरक्षक किसी प्रकार की वित्तीय सहायता प्राप्त करने के इच्छुक हों तो उन्हें अपने पुत्र/संरक्षित के भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुने जाने के तुरन्त बाद अपने जिले के जिला मजिस्ट्रेट के माध्यम से एक आवेदन-पत्र देना चाहिए जिसे जिला मजिस्ट्रेट अपनी अनुशंसा सहित भारतीय सेना अकादमी, देहरादून के कमाण्डेंट को अग्रेषित कर देगा।

4. भारतीय सेना अकादमी में प्रशिक्षण के लिए अन्तिम रूप से चुने गए उम्मीदवारों को आने पर, कमाण्डेंट के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी:—

(क) प्रतिमास 55.00 के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च	275.00
(ख) वस्त्र तथा उपस्कर की मदों के लिए	800.00
योग	1075.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी:—

55.00 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च 275.00

5 भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं:—

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति:—यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रु० प्रति वर्ष है जो कि कैडेटों को भारतीय सेना अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

(2) कर्नल कैंडल फैंक मेमोरियल छात्रवृत्ति :—

इस छात्रवृत्ति की राशि 360/- रुपया प्रति वर्ष है और यह किसी ऐसे पात्र मराठा कैडेट को दी जाती है जो किसी भूतपूर्व सैनिक का पुत्र हो। यह छात्रवृत्ति सरकार से प्राप्त होने वाले किसी वित्तीय सहायता के अतिरिक्त होती है ।

6. भारतीय सेना अकादमी के प्रत्येक कैडेट के लिए सामान्य शर्तों के अन्तर्गत समय-समय पर लागू होनेवाली दरों के अनुसार परिधान भत्ता अकादमी के कमांडेंट को सौंप दिया जाएगा। इस भत्ते की जो रकम खर्च होगी वह

(क) कैडेट को कमीशन दिए जाने पर दे दी जाएगी।

(ख) यदि कैडेट को कमीशन नहीं दिया गया तो भत्ते की यह रकम राज्य को वापस कर दी जाएगी।

कमीशन प्रदान किए जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी। किन्तु यदि प्रशिक्षणाधीन कैडेट त्याग पत्र दे दे या कमीशन से पूर्व उसे निकाल दिया जाए या वापस बुला लिया जाए तो उपर्युक्त वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित का दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

7. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण के दौरान त्यागपत्र देने वाले जेंटलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्यागपत्र स्वीकार होने तक घर जाने की आज्ञा दे दी जानी चाहिए। उनके प्रस्थान से पूर्व उनके प्रशिक्षण, भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च उनसे वसूल किया जाएगा। भारतीय सेना अकादमी में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उनके माता-पिता अभिभावकों को इस आशय के एक बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे। जिस जेंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का सम्पूर्ण पाठ्यक्रम पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सेना मुख्यालय की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है। इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को अपनी रेजिमेंट या कोर में वापस भेज दिया जाएगा।

8. यह कमीशन प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने पर ही दिया जाएगा। कमीशन देने की तारीख प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख अगले दिन से शुरू होगी। यह कमीशन स्थायी होगा।

9. कमीशन देने के बाद उन्हें सेना के नियमित अफसरों के समान वेतन और भत्ते पेंशन और छुट्टी दी जाएगी तथा सेवा की अन्य शर्तें भी वही होंगी जो सेना के नियमित अफसरों पर समय-समय पर लागू होंगी।

प्रशिक्षण :—

10. भारतीय सेना अकादमी में आर्मी कैडेट को "जेंटलमैन कैडेट" का नाम दिया जाता है तथा उन्हें 18 मास के लिए कड़ा सैनिक प्रशिक्षण दिया जाता है ताकि वे इन्फैंट्री के उप यूनिटों का नेतृत्व करने के योग्य बन सकें। प्रशिक्षण को सफलतापूर्वक पूरा करने के उपरांत जेंटलमैन कैडेटों को सैकिंड लेफ्टिनेंट के रूप में कमीशन प्रदान किया जाता है बशर्ते कि एस० एच० ए० पी० ई० में शारीरिक रूप से स्वस्थ हों।

II सेवा की शर्तें :—

(i) वेतन :—

रैंक	वेतनमान
सैकिण्ड लेफ्टिनेंट	750-790
लेफ्टिनेंट	830-950
कैप्टन	1100-1550
मेजर	1450-1800
लेफ्टिनेंट-कर्नल (चयन द्वारा)	1750-1950
लेफ्टिनेंट कर्नल (समय वेतनमान)	1800 नियत
कर्नल	1950-2175
ब्रिगेडियर	2200-2400
मेजर जनरल	2500-125/2-2750
लेफ्टिनेंट जनरल	3000 प्रतिमास

(ii) योग्यता वेतन और अनुदान

लेफ्टिनेंट कर्नल और उससे नीचे के रैंक के कुछ निर्धारित योग्यता रखने वाले अधिकारी अपनी योग्यताओं के आधार पर 1600 रु०, 2400 रु०, 4500 रु० अथवा 6000—रु० के एकमुश्त अनुदान के हकदार हैं। उड्डान प्रशिक्षक (वर्ग 'ख') रु० 70 की दर पर योग्यता वेतन के अधिकारी होंगे।

III भत्ते :—

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को इस समय निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(क) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार ही इन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ते दिए जाते हैं।

(ख) 50 रु० प्रतिमास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता।

(ग) भारत के बाहर सेवा करने पर ही प्रवास भत्ता मिलेगा। यह विदेश भत्ते की तदनुरूपी एकल दर का 25 प्रतिशत से 40 प्रतिशत तक होगा।

(घ) नियुक्ति भत्ता जब विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाता है जहां परिवार सहित नहीं रहा जा सकता है। तब वे अफसर 70/— रु० प्रतिमास की दर से नियुक्ति भत्ता प्राप्त करने के हकदार होते हैं।

(ङ) सज्जा भत्ता :—प्रारम्भिक सज्जा भत्ता : रु० 1400 है। प्रथम कमीशन की तारीख से प्रत्येक सात वर्ष के बाद एक नए सज्जे भत्ते का दावा किया जा सकता है।

(iv) तैनाती

थल सेना अफसर भारत में या विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

(v) पदोन्नति :

(क) स्थायी पदोन्नति :

उच्चतर रैंकों पर स्थायी पदोन्नति के लिये निम्नलिखित सेवा सीमाएं हैं :—

समय वेतनमान से

लेफ्टिनेंट	2 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कैप्टन	6 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर	13 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर से लेफ्टिनेंट कर्नल यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
चयन द्वारा	
लेफ्टिनेंट कर्नल	16 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
कर्नल	20 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
ब्रिगेडियर	23 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
मेजर जनरल	25 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
लेफ्टिनेंट जनरल	28 वर्ष कमीशन प्राप्त सेवा
जनरल	कोई प्रतिबन्ध नहीं

(ख) कार्यकारी पदोन्नति

निम्नलिखित न्यूनतम सेवा सीमाएं पूरी करने पर, अफसर उच्चतर रैंकों पर कार्यकारी पदोन्नति के लिए पात्र होंगे बशर्ते कि रिक्तियां उपलब्ध हों :—

कैप्टन	3 वर्ष
मेजर	5 वर्ष
लेफ्टिनेंट कर्नल	6-1/2 वर्ष
कर्नल	8-1/2 वर्ष
ब्रिगेडियर	12 वर्ष
मेजर जनरल	20 वर्ष
लेफ्टिनेंट जनरल	25 व०

(ख) नौसेना अकादमी कोचीन में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिये :—

1. (क) जो उम्मीदवार अकादमी में प्रशिक्षण के लिये अंतिम रूप से चुन लिये जायेंगे, उन्हें नौसेना की कार्यकारी शाखा में कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जायेगा। उन उम्मीदवारों को नौसेना अकादमी कोचीन के प्रभारी अफसर के पास निम्नलिखित राशि जमा करानी होगी।

(1) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र नहीं दिया हो :

(i) 45.00 रुपए प्रतिमास की दर से पांच मास के लिये जेब खर्च	225.00 रु०
(ii) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिये	460.00 रु०
जोड़	685.00 रु०

(2) जिन उम्मीदवारों ने सरकारी वित्तीय सहायता के लिये आवेदन-पत्र दिया हो

	रु०
(i) 45.00 रु० प्रति मास की दर से दो मास के लिये जेब खर्च	90.00
(ii) कपड़ों और सज्जा-सामग्री के लिये	460.00
जोड़ .	550.00

(ख) (i) चुने हुए उम्मीदवारों को कैडेटों के रूप में नियुक्त किया जायेगा तथा उन्हें नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में नीचे दिया गया प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा :—

(क) कैडेट प्रशिक्षण तथा सीकार्य प्रशिक्षण . .	6 मास—1 वर्ष
(ख) मिडशिपमैन नौकाएं प्रशिक्षण	6 मास
(ग) कार्यकारी सब-लेफ्टिनेंट तकनीकी पाठ्यक्रम . .	8 मास

(घ) सब-लेफ्टिनेंट :

पहरा देने का प्रमाण-पत्र लेने के लिये 6 मास की न्यूनतम समुद्री सेवा आवश्यक है।

(ii) नौ-सेना अकादमी में कैडेटों के शिक्षण, आवास और संबद्ध सेवाओं, पुस्तकों, वर्दी, भोजन तथा डाक्टरी इलाज का खर्च सरकार वहन करेगी। किन्तु कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को उनका जेब खर्च और निजी खर्च वहन करना होगा। यदि कैडेट के माता-पिता अभिभावकों की मासिक आय 450 रु० से कम हो और वह कैडेट का जेब खर्च पूर्णतया अथवा आंशिक रूप से पूरा न कर सकते हों तो, सरकार कैडेट के लिए 55 रु० प्रतिमास वित्तीय सहायता स्वीकार कर सकती है। वित्तीय सहायता लेने का इच्छुक उम्मीदवार अपने चुने जाने के बाद शीघ्र ही अपने जिला मैजिस्ट्रेट के माध्यम से आवेदन-पत्र दे सकता है। जिला मैजिस्ट्रेट उस आवेदन पत्र को अपनी अनुशंसा के साथ निदेशक, कार्मिक सेवा, नौ-सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

यदि किसी माता-पिता/अभिभावक के दो अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजों/प्रतिष्ठानों में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपर्युक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता-अभिभावक की मासिक आय 500/ रु० से अधिक न हो।

(iii) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाओं में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है। अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समान सहायता दी जाएगी। भारतीय नौसेना के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिडशिपमैन के रैंक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे, तब उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा।

(iv) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे। इन कपड़ों के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा उनका खर्च कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को वहन करना होगा। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिए जा सकते हैं। उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे।

(v) प्रशिक्षण के दौरान सर्विस कैडेटों को अपने मूल रैंक के वही वेतन और वही भत्ते मिलेंगे जो वे कैडेटों के चुने जाने के समय नाविक या सेवक या अप्रेंटिस के पद पर काम करते हुए प्राप्त कर रहे होंगे। यदि उन्हें उस रैंक में वेतन वृद्धि दी जानी हो तो वे उस वेतन वृद्धि को पाने के भी हकदार होंगे यदि उनके मूल रैंक का वेतन और भत्ते, सीधे भर्ती होने वाले कैडेटों को मिलने वाली वित्तीय सहायता से कम हों तथा वे उस सहायता को प्राप्त करने के पात्र हों तो उन्हें उपर्युक्त दोनों राशियों के अन्तर की राशि भी मिलेगी।

(vi) सामान्यतः किसी कैडेट को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिस कैडेट को भारतीय नौसेना जहाजों और प्रतिष्ठानों में कोर्स पूरा करने के योग्य नहीं समझा जाएगा उसे सरकार के अनुमोदन से प्रशिक्षण से वापस बुलाया जा सकता है तथा उसे प्रशिक्षण से हटाया भी जा सकता है। इन परिस्थितियों में किसी सर्विस कैडेट को उसकी मूल सर्विस पर वापस भेज दिया जाएगा। जिस कैडेट को इस प्रकार प्रशिक्षण से हटाया जाएगा या मूल सर्विस पर वापस भेजा जाएगा, वह परवर्ती कोर्स में दुबारा दाखिल होने का पात्र नहीं रहेगा। किन्तु जिन कैडेटों को कुछ करुणाजन्य कारणों के आधार पर त्यागपत्र देने की अनुमति दी जाती है उनके मामलों पर गुण-अवगुण के आधार पर विचार किया जाता है।

1. किसी उम्मीदवार के भारतीय नौसेना में कैडेट चुने जाने से पूर्व माता-पिता/अभिभावक को :

(क) इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि यदि उसके पुत्र को या आश्रित को प्रशिक्षण के दौरान या उसके कारण कोई चोट लग जाए या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या उपर्युक्त कारणों या अन्य कारण से चोट लगने पर किए गए आपरेशन से या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप मृत्यु हो जाए तो उसे या उसके पुत्र या आश्रित को सरकार से मुआवजा मांगने के बारे में या सरकार से अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा।

(ख) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो, यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क, भोजन, वस्त्र, वेतन तथा भत्ते, जो कैडेटों ने प्राप्त किए हैं, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेवारी वह लेता है।

3. वेतन और भत्ते

(क) वेतन

रैंक	वेतनमान सामान्य सेवा
मिडशिपमैन . . .	560.00 रुपए
एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट . . .	750.00 रुपए
सब-लेफ्टिनेंट . . .	830-870 रुपए
लैफ्टिनेंट . . .	1100-1450 रुपए
लैफ्टिनेंट-कमोडोर . .	1450-1800 रुपए
कमाण्डर (चयन मान द्वारा) . .	1750-1950 रुपए
कमांडर (समय वेतन द्वारा) . .	1800.00 रुपए (नियत)
कैप्टन	1950-2400 रुपए (कमोडोर वह वेतन प्राप्त करता है जिसके लिए वह कैप्टन के रूप में वरिष्ठता के आधार पर हकदार होता है)।
रियर एडमिरल . . .	2500-125/2-2750
वाइस एडमिरल . . .	3000 रुपए

(ख) भत्ते

वेतन के अतिरिक्त अफसरों को निम्नलिखित भत्ते मिलते हैं :—

(i) सिविलियन राजपत्रित अफसरों पर समय-समय पर लागू दरों और शर्तों के अनुसार उन्हें भी नगर प्रतिकर तथा मंहगाई भत्ता मिलता है।

(ii) 50/- रु० प्रति मास की दर से किट अनुरक्षण भत्ता (कमोडोर रैंक के तथा उन से नीचे के रैंक के अफसरों को)।

(iii) जब अफसर भारत के बाहर सेवा कर रहा हो, तब धारित रैंक के अनुसार 50/- रुपए से 250/- तक प्रतिमास प्रवास भत्ता।

(iv) 70/- रु० प्रति मास के हिसाब से इन अफसरों को नियमित भत्ता मिलेगा :—

(i) जिन विवाहित अफसरों को ऐसे स्थानों पर तैनात किया जाएगा जहां वे परिवार सहित नहीं रह सकते।

(ii) जिन विवाहित अफसरों को आई० एन० जहाजों पर तैनात किया जाएगा अथवा जितनी अवधि के लिए वे बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे।

(iii) जितनी अवधि के लिए बेस पत्तनों से दूर जहाजों पर रहेंगे, उतनी अवधि के लिए उन्हें मुक्त राशन मिलेगा।

टिप्पणी I :—उपर्युक्त के अलावा संकट के समय काम करने की राशि पनडुब्बी भत्ता, पनडुब्बी वेतन, सर्वेक्षण आनुतोषिक/अर्हता वेतन/ अनुदान तथा गोताखोरी वेतन जैसी कुछ विशेष रियायत भी अफसरों को दी जा सकती है।

टिप्पणी II:—अफसर पनडुब्बी तथा विमानन सेवाओं के लिए अपनी सेवाएं अर्पित कर सकते हैं। इन सेवाओं में सेवा के लिए चुने गए अफसर बढ़े हुए वेतन तथा भत्तों को पाने के हकदार होते हैं।

4. पदोन्नति

(क) समय वेतनमान द्वारा

मिडशिपमैन से एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट तक	1/2 वर्ष
एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट से सब-लेफ्टिनेंट तक	1 वर्ष
सब-लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट तक	एक्टिंग और स्थायी सब-लेफ्टिनेंट (वरिष्ठता के लाभ/समपहरण के अधीन) रूप में 3 वर्ष
लेफ्टिनेंट से लेफ्टिनेंट कमोडोर तक	लेफ्टिनेंट के रूप में 8 वर्ष की वरिष्ठता
लैफ्टिनेंट कमोडोर से कमोडोर तक (यदि चयन द्वारा पदोन्नति न हुई हो)	24 वर्ष की संगणीय कमीशन प्राप्त सेवा।

(ख) चयन द्वारा

लेफ्टिनेंट कमोडोर से कमोडोर तक	लेफ्टिनेंट कमोडोर के रूप में 2—8 वर्ष की वरिष्ठता।
कमोडोर से कैप्टन तक	कमोडोर के रूप में 4 वर्ष की वरिष्ठता।
कैप्टन से रियर एडमिरल और उससे ऊपर तक	कोई सेवा प्रतिबन्ध नहीं।

5. तैनाती

अफसर भारत और विदेश में कहीं भी तैनात किए जा सकते हैं।

टिप्पणी:—यदि किसी और सूचना की आवश्यकता हो तो वह निदेशक कार्मिक सेवा नौसेना मुख्यालय नई दिल्ली-110011 से प्राप्त की जा सकती है।

(ग) अफसर ट्रेनिंग स्कूल मद्रास में भर्ती होने वाले उम्मीदवारों के लिए:

1. इससे पूर्व कि उम्मीदवार अफसर ट्रेनिंग स्कूल म ास, मद्रास में भर्ती हो :—

(क) उसे इस आशय के प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करने होंगे कि वह भली भांति समझता है कि उसे या उसके वैध वारिसों को सरकार से मुआवजे या अन्य किसी सहायता के दावे का कोई हक नहीं होगा, यदि उसे प्रशिक्षण के दौरान कोई चोट या शारीरिक दुर्बलता हो जाए या मृत्यु हो जाए या उपर्युक्त कारणों से चोट लगने पर किए गए आपरेशन या आपरेशन के दौरान मूर्छित करने की औषधि के प्रयोग के फलस्वरूप ऐसा हो जाए।

(ख) उसके माता-पिता या अभिभावक को एक बाण्ड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी कारण से जो उसके नियंत्रण के अधीन मान लिया जाए यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा करने से पूर्व वापिस जाना चाहे या यदि दिए जाने पर कमीशन स्वीकार न करे या अफसर ट्रेनिंग स्कूल में प्रशिक्षण, प्राप्त करते हुए शादी कर ले तो उसे शिक्षा, खाना, वस्त्र और वेतन तथा भत्ते जो उसने प्राप्त किए हैं, उनकी लागत या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने के जिम्मेदार होंगे।

2. जो उम्मीदवार अंतिम रूप से चुने जाएंगे उन्हें अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 महीने का प्रशिक्षण कोर्स पूरा करना होगा। इन उम्मीदवारों को "सेना अधिनियम के अन्तर्गत जैन्टलमैन कैडेट" के रूप में नामांकित किया जाएगा। सामान्य अनुशासन की दृष्टि से ये जैन्टलमैन कैडेट अफसर ट्रेनिंग स्कूल के नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत रहेंगे।

3. प्रशिक्षण की लागत जिसमें आवास पुस्तकें वर्दी व भोजन तथा चिकित्सा सुविधा शामिल है, सरकार वहन करेगी और उम्मीदवारों को अपना जेब खर्च स्वयं वहन करना होगा। कमीशन पूर्व प्रशिक्षण के दौरान न्यूनतम 55 रु० प्रतिमास से अधिक खर्च की संभावना नहीं है। किन्तु यदि उम्मीदवार कोई फोटोग्राफी, शिकार खेलना, सैरसपाटा इत्यादि का शौक रखता हो, तब उसे अतिरिक्त धन की आवश्यकता होगी यदि कोई कैडेट यह न्यूनतम व्यय भी पूर्ण या आंशिक रूप में वहन नहीं कर सके तो उसे समय-समय पर परिवर्तनीय दरों पर इस हेतु वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि कैडेट और उसके माता पिता/अभिभावक की आय 450 रुपए प्रति मास से कम हो। वर्तमान आदेशों के अनुसार वित्तीय सहायता की दर 55 रुपए प्रति मास है। जो उम्मीदवार वित्तीय सहायता प्राप्त करने का इच्छुक हो, उसे प्रशिक्षण के लिए अंतिम रूप से चुने जाने के बाद निर्धारित प्रपत्र पर एक आवेदन अपने जिले के जिला मैजिस्ट्रेट को भेजना होगा जो अपनी सत्यापन रिपोर्ट के साथ आवेदन-पत्र को कमांडेंट, अफसर ट्रेनिंग स्कूल, मद्रास को भेज देगा।

4. अफसर ट्रेनिंग स्कूल में अंतिम रूप से प्रशिक्षण के लिए चुने गए उम्मीदवारों को वहां पहुंचने पर कमांडेंट के पास निम्नलिखित धन राशि जमा करनी होगी :—

(क) 55.00 रु० प्रतिमास की दर से दस महीने के लिए जेब खर्च—	550.00 रुपए।
(ख) वस्त्र तथा उपकरण के लिए	रु० 500.00
योग रु०	1050.00

यदि कैडेटों को वित्तीय सहायता स्वीकृत हो जाती है तो उपर्युक्त राशि में से (ख) के सामने दी गई राशि वापस कर दी जाएगी।

5. समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अन्तर्गत परिधान भत्ता मिलेगा।

कमीशन मिल जाने पर इस भत्ते से खरीदे गए वस्त्र, तथा अन्य आवश्यक चीजें कैडेट की व्यक्तिगत सम्पत्ति बन जाएगी। यदि कैडेट प्रशिक्षणाधीन अवधि में त्याग पत्र दे दे या उसे निकाल दिया जाए या कमीशन से पूर्व वापस बुला लिया जाए तो इन वस्तुओं को उससे वापस ले लिया जाएगा। इन वस्तुओं का सरकार के सर्वोत्तम हित को दृष्टिगत रखते हुए निपटान कर दिया जाएगा।

6. सामान्यतः किसी उम्मीदवार को प्रशिक्षण के दौरान त्याग-पत्र देने की अनुमति नहीं दी जाएगी। लेकिन प्रशिक्षण आरंभ होने के बाद

त्याग-पत्र देने वाले जैन्टलमैन कैडेटों को थल सेना मुख्यालय द्वारा उनका त्याग-पत्र स्वीकृत होने तक पर जाने की आज्ञा दी जा सकती है । प्रस्थान से पूर्व उनसे प्रशिक्षण भोजन तथा सम्बद्ध सेवाओं पर होने वाला खर्च वसूल किया जाएगा । अफसर प्रशिक्षण स्कूल में उम्मीदवारों को भर्ती किए जाने से पूर्व उन्हें तथा उनके माता-पिता/अभिभावकों को इस आशय का एक बांड भरना होगा ।

7. जिस जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण का संपूर्ण कोर्स करने के योग्य नहीं समझा जाएगा जैसे सरकार की अनुमति से प्रशिक्षण से हटाया जा सकता है । इन परिस्थितियों में सैनिक उम्मीदवार को उसकी रेजिमेंट कोर में वापस भेज दिया जाएगा ।

8. कमीशन प्रदान कर दिए जाने के बाद वेतन तथा भत्ते पेंशन छुट्टी तथा अन्य सेवा शर्तें निम्न प्रकार होंगी ।

9. प्रशिक्षण

1. चुने गए उम्मीदवारों को सेना अधिनियम के अन्तर्गत जैंटलमैन कैडेटों के रूप में नामांकित किया जाएगा तथा वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल में लगभग 9 मास तक प्रशिक्षण कोर्स पूरा करेंगे । प्रशिक्षण सफलता पूर्वक पूरा करने के उपरांत जैंटलमैन कैडेट को प्रशिक्षण के सफलतापूर्वक पूरा करने की तारीख से सैकेंड लैफ्टिनेंट के पद पर अल्पकालिक सेवा कमीशन प्रदान किया जाता है ।

10. सेवा की शर्तें :—

(क) परिवीक्षा की अवधि

कमीशन प्राप्त करने की तारीख से अफसर 6 मास की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेगा । यदि उसे परिवीक्षा की अवधि के दौरान कमीशन धारण करने के अनुपयुक्त बताया गया तब उसकी परिवीक्षा अवधि के समाप्त होने से पूर्व या उसके बाद किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त किया जा सकता है।

(ख) तैनाती

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त करने पर उन्हें भारत या विदेश में कहीं भी नौकरी पर तैनात किया जा सकता है।

(ग) नियुक्ति की अवधि तथा पदोन्नति

नियमित थल सेना में अल्पकालिक सेवा कमीशन पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाएगा जो अफसर सेना में पांच वर्ष के अल्पकालिक सेवा कमीशन की अवधि के बाद सेना में सेवा करने के इच्छुक होंगे वे, यदि हर प्रकार से पात्र तथा उपयुक्त पाए गए, तो संबंधित नियमों के अनुसार उनके अल्पकालिक सेवा कमीशन के अंतिम वर्ष में उनको स्थाई कमीशन प्रदान किए जाने पर विचार किया जाएगा । जो पांच वर्ष की अवधि के दौरान स्थायी कमीशन प्रदान किए जाने की अर्हता प्राप्त नहीं कर पाएंगे । उन्हें पांच वर्ष की अवधि पूरी होने पर निर्मुक्त कर दिया जायेगा ।

(घ) वेतन और भत्ते

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर वही वेतन और भत्ते प्राप्त करेंगे जो सेना के नियमित अफसरों को प्राप्त होता है ।

सैकेन्ड लैफ्टिनेंट और लैफ्टिनेंट के वेतन की दर इस प्रकार है :—

सैकेन्ड लैफ्टि०, 750–790 रु० प्रति मास ।

लैफ्टि०, 830–950 रु० प्रति मास ।

तथा अन्य भत्ते जो नियमित अफसरों को मिलते हैं ।

(ङ) छुट्टी

छुट्टी के संबंध में ये अफसर अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसरों के लिए, लागू नियमों से शासित होंगे जो सेना अवकाश नियमावली खंड-1 थल सेना, के अध्याय पांच में उल्लिखित हैं । वे अफसर ट्रेनिंग स्कूल के पासिंग आउट करने पर तथा ड्यूटी ग्रहण करने से पूर्व उक्त नियम 91 में दी गई व्यवस्थाओं के अनुसार भी छुट्टी के हकदार होंगे ।

(च) कमीशन की समाप्ति

अल्पकालिक सेवा कमीशन प्राप्त अफसर को पांच वर्ष सेवा करनी होगी किन्तु भारत सरकार निम्नलिखित कारणों से किसी भी समय उसका कमीशन समाप्त कर सकती है :—

(i) अत्याचार करने या असंतोषजनक रूप से या सेवा करने पर,; या

(ii) स्वास्थ्य की दृष्टि से अयोग्य होने पर;

(iii) उसकी सेवाओं की और अधिक आवश्यकता होने पर; या

(iv) उसके किसी निर्धारित परीक्षण या कोर्स में अर्हता प्राप्त करने में असफल रहने पर ।

तीन महीने का नोटिस देने पर किसी अफसर की करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति दी जा सकती है किन्तु इसकी पूर्णतः निर्णायक भारत सरकार ही होगी । करुणाजन्य कारणों के आधार पर कमीशन से त्याग-पत्र देने की अनुमति प्राप्त कर लेने पर कोई अफसर सेवांत उपदान पाने का पात्र नहीं होगा ।

(छ) पेंशन लाभ

(i) ये अभी विचाराधीन है ।

(ii) अल्पकालिक सेवा कमीशन अफसर 5 वर्ष की सेवा पूरी करने पर 5000.00 रु० का सेवांत उपदान पाने के हकदार होंगे ।

(ज) रिजर्व में रहने का दायित्व

5 वर्ष की अल्पकालिक सेवा कमीशन सेवा या बढ़ाई गई कमीशन सेवा पूर्ण करने के बाद वे 5 वर्ष की अवधि के लिए या 40 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो, रिजर्व में रहेंगे ।

(झ) विविध

सेवा संबंधी अन्य सभी शर्तें, जब तक उनका उपर्युक्त उपबंधों के साथ भेद नहीं होता है, वही होंगी जो नियमित अफसरों के लिए लागू हैं ।

परिशिष्ट IV

भारत सरकार के अधीन पदों पर नियुक्ति हेतु आवेदन करने वाले अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जन जातियों के उम्मीदवारों द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाले प्रमाण-पत्र का फार्म ।

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ..... सुपुत्र श्री ..... जो गांव/कस्बा* ..... जिला/मंडल* ..... राज्य/संघ राज्य क्षेत्र* ..... के निवासी हैं ..... जाति/जन जाति* के हैं जिसे निम्नलिखित के अधीन अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति* के रूप में मान्यता दी गई है :—

संविधान (अनुसूचित जातियां) आदेश, 1950

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) आदेश, 1950*

संविधान (अनुसूचित जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (संघ राज्य क्षेत्र) आदेश, 1951*

[अनुसूचित जातियां और अनुसूचित जन जातियां सूचियां (आशोधन) आदेश, 1956, बम्बई पुनगर्ठन अधिनियम, 1960, पंजाब पुनगर्ठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 और उत्तर-पूर्वी क्षेत्र (पुनगर्ठन) अधिनियम, 1971, और अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित]

संविधान (जम्मू और काश्मीर) अनुसूचित जातियां आदेश, 1956*

संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1959* अनुसूचित जातियां तथा अनुसूचित जन जातियां आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित ।

संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जातियां आदेश, 1962*

संविधान (दादरा और नागर हवेली), अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1962*

संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जातियां आदेश, 1964*

संविधान (अनुसूचित जन जातियां) (उत्तर प्रदेश), आदेश, 1967* ।

संविधान (गोआ, दमन और दीयू) अनुसूचित जातियां आदेश, 1968*
संविधान (गोआ, दमन और दीयू) अनुसूचित जनजातियां आदेश, 1968*।
संविधान (नागालैंड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970*

2. श्री .....

और/या* उनका परिवार आम तौर से गांव/कस्बा* .....
.....जिला/मण्डल* .....
राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र .....में रहता है।

हस्ताक्षर .....
**पदनाम .....
(कार्यालय की मोहर के साथ
राज्य/संघ* राज्य क्षेत्र

स्थान .....
तारीख .....

*जो शब्द लागू न हों उन्हें कृपया काट दें।

नोट :—यहां "आम तौर से रहता है" का अर्थ वही होगा जो "रिप्रेजेंटेशन आफ दि पीपुल एक्ट, 1950" की धारा 20 में है।

**जाति/जनजाति प्रमाण-पत्र जारी करने के लिए सक्षम अधिकारी।

(i) जिला मजिस्ट्रेट/अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट/कलक्टर/डिप्टी कमिश्नर/ऐडीशनल डिप्टी कमिश्नर/डिप्टी कलक्टर/प्रथम श्रेणी का स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट/सिटी मजिस्ट्रेट *सब डिवीजनल मजिस्ट्रेट/तालुक मजिस्ट्रेट/एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट/एक्स्ट्रा असिस्टेंट कमिश्नर।

*(प्रथम श्रेणी के स्टाइपेंडरी मजिस्ट्रेट से कम ओहदे का नहीं)।

(ii) चीफ प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट/एडीशनल चीफ प्रेसीडेंसी मजिस्ट्रेट/प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट।

(iii) रेवेन्यू अफसर जिनका ओहदा तहसीलदार से कम न हो।

(iv) उस इलाके का सब-डिवीजनल अफसर जहां उम्मीदवार और/या उसका परिवार आमतौर से रहता हो।

(v) एडमिनिस्ट्रेटर/एडमिनिस्ट्रेटर का सचिव/डेवलपमेंट अफसर (लक्षद्वीप)।

परिशिष्ट V

संघ लोक सेवा आयोग

उम्मीदवारों को सूचनार्थ विवरणिका

क. वस्तु परक परीक्षण

आप जिस परीक्षा में बैठने वाले हैं उसको "वस्तुपरक परीक्षण" कहा जाता है। इस प्रकार के परीक्षण में आपको उत्तर फैलाकर लिखने नहीं होंगे। प्रत्येक प्रश्न (जिनको आगे प्रश्नांश कहा जाएगा) के लिए कई संभाव्य उत्तर दिए जाते हैं। उनमें से प्रत्येक के लिए एक उत्तर (जिसको आगे प्रत्युत्तर कहा जाएगा) आपको चुन लेना है।

इस विवरणिका का उद्देश्य आपको इस परीक्षा के बारे में कुछ जानकारी देना है जिससे कि परीक्षा के स्वरूप से परिचित न होने के कारण आपको कोई हानि न हो।

ख. परीक्षण का स्वरूप

प्रश्न-पत्र "परीक्षण पुस्तिका" के रूप में होंगे। इस पुस्तिका में क्रम संख्या 1, 2, 3..... के क्रम में प्रश्नांश होंगे। हर प्रश्नांश के नीचे a, b, c क्रम में संभावित प्रत्युत्तर लिखे होंगे। आपका काम प्रत्येक प्रश्न के लिए एक सही या यदि एक से अधिक प्रत्युत्तर सही है तो उनमें से सर्वोत्तम प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। (अंत में दिए गए नमूने के प्रश्नांश देख लें)। किसी भी स्थिति में, प्रत्येक प्रश्नांश के लिए आपको एक ही प्रत्युत्तर का चुनाव करना होगा। यदि आप एक से अधिक चुन लेते हैं तो आपका उत्तर गलत माना जाएगा।

ग. उत्तर देने की विधि

उत्तर देने के लिए आपको अलग से एक उत्तर पत्रक परीक्षा भवन में दिया जाएगा। आपको अपने उत्तर इस उत्तर पत्रक में लिखने होंगे परीक्षण पुस्तिका में या उत्तर पत्रक को छोड़कर अन्य किसी कागज पर लिखे गए उत्तर जांचे नहीं जाएंगे।

उत्तर पत्रक में प्रश्नांशों की संख्याएं 1 से 200 तक चार खंडों में छापी गई हैं। प्रत्येक प्रश्नांश के सामने a, b, c, d, e.. के क्रम से प्रत्युत्तर छपे होंगे। परीक्षण पुस्तिका के प्रत्येक प्रश्नांश को पढ़ लेने और यह निर्णय करने के बाद कि कौन सा सही प्रत्युत्तर या सर्वोत्तम है, आपको उस प्रत्युत्तर के अक्षर को दर्शाने वाले आयात को पेन्सिल से काला बनाकर उसे अंकित कर देना है, जैसा कि संलग्न उत्तर पत्रक नमूने पर दिखाया गया है। उत्तर पत्रक के आयात को काला बनाने के लिए स्याही का प्रयोग नहीं करना चाहिए।

1. [a] [b] [c] [d] [e]

2. [a] [b] [c] [d] [e]

3. [a] [b] [c] [d] [e]

आपके उत्तर पत्रक में दिए गए उत्तरों का मूल्यांकन एक मूल्यांकन मशीन से किया जाएगा जो गलत उत्तर, एच० बी० पेंसिल के अतिरिक्त दूसरी पेंसिल के प्रयोग और विकृत उत्तर पत्रक को पहचानने में बड़ी सुग्राही है। इसलिए यह जरूरी है कि प्रश्नांशों के उत्तरों के लिए केवल अच्छी किस्म की एच० बी० पेंसिल (पेंसिलों) ही लाएं और, उन्हीं का प्रयोग करें। दूसरी पेंसिलों या पेन के द्वारा बनाए गए निशान संभव है, मशीन से ठीक-ठीक न पढ़े जाएं।

2. अगर आपने गलत निशान लगाया है तो उसे पूरा मिटाकर फिर से सही उत्तर का निशान लगा दें। इसके लिए आप अपने साथ एक रबड़ भी लाएं।

3. उत्तर पत्रक का उपयोग करते समय कोई ऐसी असावधानी न हो जिससे वह खराब हो जाए या उसमें सीढ़ व सलवट आदि पड़ जाएं और वह टेढ़ा हो जाए।

घ. कुछ महत्वपूर्ण नियम

1. आपको परीक्षा आरंभ करने के लिए निर्धारित समय से बीस मिनट पहले परीक्षा भवन में पहुंचना होगा और पहुंचते ही अपना स्थान ग्रहण करना होगा।

2. परीक्षा शुरू होने के 30 मिनट बाद किसी को परीक्षा में प्रवेश नहीं दिया जाएगा।

3. परीक्षा शुरू होने के बाद 45 मिनट तक किसी को परीक्षा भवन छोड़ने की अनुमति नहीं मिलेगी।

4. परीक्षा समाप्त होने के बाद परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक निरीक्षक/पर्यवेक्षक को सौंप दें। (आप को परीक्षण पुस्तिका परीक्षा-भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है। इन नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ा दंड दिया जाएगा।

5. उत्तर पत्रक पर नियत स्थान पर परीक्षा/परीक्षण का नाम, अपना रोल नम्बर, केन्द्र, विषय, परीक्षण की तारीख और परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या स्याही से साफ-साफ लिखें। उत्तर पत्रक पर आप कहीं भी अपना नाम न लिखें।

6. परीक्षण पुस्तिका में दिए गए सभी अनुदेश आपको सावधानी से पढ़ने हैं। चूंकि मूल्यांकन मशीन के द्वारा होता है इसलिए संभव है कि इन अनुदेशों का सावधानी से पालन न करने से आपके नंबर कम

हो जाएं । अगर उत्तर पत्रक पर कोई प्रविष्टि संदिग्ध है तो उस प्रश्नांश के लिए आपको कोई नंबर नहीं मिलेगा । पर्यवेक्षक के दिए गए अनुदेशों का पालन करें । जब पर्यवेक्षक किसी परीक्षण या उसके किसी भाग को आरंभ या समाप्त करने को कह दें तो उनके अनुदेशों का तत्काल पालन करें ।

7. आप अपना प्रवेश प्रमाण पत्र साथ लाएं । आपको अपने साथ एक एच० बी० पेंसिल, एक रबड़, एक पेंसिल शार्पनर और नीली या काली स्याही वाली कलम भी लानी होगी । आपको परीक्षा भवन में कोई कच्चा कागज या कागज का टुकड़ा पैमाना या आरेखण उपकरण नहीं लाने हैं क्योंकि उनकी जरूरत नहीं होगी । कच्चे काम के लिए आपको एक अलग कागज दिया जाएगा । आप कच्चा काम शुरू करने के पहले उस पर परीक्षा का नाम, अपना रोल नम्बर और तारीख लिखें और परीक्षण समाप्त होने के बाद उसे अपने उत्तर पत्रक के साथ पर्यवेक्षक को वापस कर दें ।

ङ. विशेष अनुदेश

जब आप परीक्षा भवन में अपने स्थान पर बैठ जाते हैं तब निरीक्षक से आपको उत्तर पत्रक मिलेगा । उत्तर पत्रक पर अपेक्षित सूचना अपनी कलम से भर दें । यह काम पूरा होने के बाद निरीक्षक आपको परीक्षण पुस्तिका देंगे । प्रत्येक परीक्षण पुस्तिका में हाशिये में सील लगी होगी जिससे कि परीक्षण शुरू हो जाने के पहले उसे कोई खोल नहीं पाए । जैसे ही आपको परीक्षण पुस्तिका मिल जाए तुरंत आप देख लें कि उस पर पुस्तिका की संख्या लिखी हुई है और सील लगी हुई है । अन्यथा उसे बदलवा लें । जब यह हो जाए तब आपको उत्तर पत्रक के संबद्ध खाने में अपनी परीक्षण पुस्तिका की क्रम संख्या लिखनी होगी जब तक पर्यवेक्षक परीक्षण पुस्तिका की सील तोड़ने को न कहें तब तक आप उसे न तोड़ें ।

च कुछ उपयोगी सुझाव

यद्यपि इस परीक्षण का उद्देश्य आपकी गति की अपेक्षा शुद्धता को आंकना है फिर भी यह जरूरी है कि आप अपने समय का दक्षता से उपयोग करें । संतुलन के साथ आप जितनी जल्दी आगे बढ़ सकते हैं बढ़ें पर लापरवाही न हो । अगर आप सभी प्रश्नों का उत्तर नहीं दे पाते हैं तो चिंता न करें । आप को जो प्रश्न अत्यन्त कठिन मालूम पड़ें उन पर समय व्यर्थ न करें । दूसरे प्रश्नों की ओर बढ़ें और उन कठिन प्रश्नों पर बाद में विचार करें ।

सभी प्रश्नों के अंक समान होंगे । सभी प्रश्नों के उत्तर दें । आपके द्वारा अंकित सही प्रत्युत्तरों की संख्या के आधार पर आपको अंक दिए जाएंगे । गलत उत्तरों के अंक नहीं काटे जाएंगे ।

प्रश्न इस तरह बनाए जाते हैं कि उनसे आपकी स्मरण शक्ति की अपेक्षा जानकारी, सूझबूझ और विश्लेषण-क्षमता की परीक्षा हो । आपके लिए यह लाभदायक होगा कि आप संगत विषयों को एक बार सरसरी निगाह से देख लें और इस बात से आश्वस्त हो जाएं कि आप अपने विषय को अच्छी तरह समझते हैं ।

छ. परीक्षण का समापन

जैसे ही पर्यवेक्षक आपको लिखना बंद करने को कहें आप लिखना बन्द कर दें ।

जब आप का उत्तर लिखना समाप्त हो जाए तब आप अपने स्थान पर तब तक बैठे रहें जब तक निरीक्षक आपके यहां आकर आपकी परीक्षण पुस्तिका और उत्तर पत्रक न ले जाएं और आपको "हाल" छोड़ने की अनुमति न दें । आपको परीक्षण-पुस्तिका और उत्तर पत्रक परीक्षा भवन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं है ।

नमूने के प्रश्न

1. मौर्य वंश के पतन के लिए निम्नलिखित कारणों में से कौन-सा उत्तरदायी नहीं है ?
   (a) अशोक के उत्तराधिकारी सबके सब कमजोर थे ।
   (b) अशोक के बाद साम्राज्य का विभाजन हुआ ।
   (c) उत्तरी सीमा पर प्रभावशाली सुरक्षा की व्यवस्था नहीं हुई ।
   (d) अशोकोत्तर युग में आर्थिक रिक्तता थी ।

   उत्तर (d)

2. संसदीय स्वरूप की सरकार में
   (a) विधायिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है ।
   (b) विधायिका कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी है ।
   (c) कार्यपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ।
   (d) न्यायपालिका विधायिका के प्रति उत्तरदायी है ।
   (e) कार्यपालिका न्यायपालिका के प्रति उत्तरदायी है ।

   उत्तर (c)

3. पाठशाला के छात्र के लिए पाठ्येतर कार्यकलाप का मुख्य प्रयोजन
   (a) विकासकी सुविधा प्रदान करना है ।
   (b) अनुशासन की समस्याओं की रोकथाम है ।
   (c) नियत कक्षा-कार्य से राहत देना है ।
   (d) शिक्षा के कार्यक्रम में विकल्प देना है ।

   उत्तर (a)

4. सूर्य के सबसे निकट ग्रह है
   (a) शुक्र
   (b) मंगल
   (c) बृहस्पति
   (d) बुध

   उत्तर (d)

5. वन और बाढ़ के पारस्परिक संबंध को निम्नलिखित में से कौन-सा विवरण स्पष्ट करता है ?
   (a) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं मिट्टी का क्षरण उतना अधिक होता है जिससे बाढ़ होती है ।
   (b) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं नदियां उतनी ही गाद से भरी होती हैं जिससे बाढ़ होती है ।
   (c) पेड़ पौधे जितने अधिक होते हैं, नदियां उतनी ही कम गाद से भरी होती हैं जिससे बाढ़ रोकी जाती है ।
   (d) पेड़ पौधे जितने कम होते हैं उतनी ही धीमी गति से बर्फ पिघल जाती है जिससे बाढ़ रोकी जाती है ।

   उत्तर (c)

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

New Delhi-110011, the 27th April 1979

No. A.19014/2/79-Adnm.I.—The President is pleased to appoint Smt. Prem V. P. Singh, an officer of the Indian Revenue Service, to the post of Under Secretary in the office of the Union Public Service Commission with effect from the Forenoon of 16th April, 1979, until further orders.

S. BALACHANDRAN
Under Secretary

New Delhi-110011, the 30th April, 1979

No. A. 32014/1/79-Admn. III—The President is pleased to appoint the following permanent Assistants of the C.S.S. cadre of Union Public Service Commission to officiate, an on ad-hoc basis, as Section Officer in the same cadre for the period indicated against each or ntil further orders, whichever is earlier.

S. No.	Name	Period for which promoted as Section Officer
1.	Sh. B. R. Basra . . .	2-5-79 to 30-6-79
2.	Sh. R.K. Jasuja . . .	1-5-79 to 30-6-79
3.	Sh. S.N. Sharma . . .	1-5-79 to 30-6-79
4.	Sh. Jai Narain . . .	1-5-79 to 30-6-79

S. BALACHANDRAN
Under Secretary,
(Incharge of administration),
Union Public Service Commission

ENFORCEMENT DIRECTORATE

FOREIGN EXCHANGE REGULATION ACT

New Delhi, the 19th April, 1979

No. A-4/1/78—The following Asstt. Enforcement Officers have been appointed to officiate as Enforcement Officer w.e.f. the date of their assumption of charge and until further orders.

Their places of posting and dates of assumption of charge are indicated against each :-

S. No.	Name	Place of posting	Date of assumption of charge
1.	Shri A.K. Murmu	Gauhati	4-12-78
2.	Shri R. Chakrapani	Madras	8-3-79
3.	Shri A.N. Naik	Goa	16-12-78
4.	Shri N.K. Unnithan	Calcutta	1-1-79
5.	Shri K. Chakraborty	Gauhati	21-3-79

J. N. ARORA
Deputy Director (Admn)

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION

New Delhi, the 14th May 1979

No. 29 RCT 5.—The Central Vigilance Commissioner hereby appoints Shri Devinder Singh, an officer of Indian Railway Service of Engineers, as Commissioner for Departmental Inquiries in the Central Vigilance Commission, in an officiating capacity, with effect from the forenoon of 4th May, 1979, until further orders.

K. L. MALHOTRA
Under Secretary (Admn.)
for Central Vigilance Commissioner

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

DIRECTORATE GENERAL, CRP FORCE

New Delhi-110001, the 10th May 1979

No. C.II-1437/79-Estt.—The Director General, CRP Force is pleased to appoint Dr (Miss) Umarani Narzary as Junior Medical Officer in the CRP Force on *ad-hoc* basis with effect from the forenoon of 19-4-1979 for a period of three months only or till recruitment to the post is made on regular basis, whichever is earlier.

The 14th May 1979

No. D.I-12/77-Estt.—Consequent on their apointment as Dy.S.P. on deputation with Mizoram Police, the services of the following officers of CRPF are placed at the disposal of Mizoram Police w.e.f. the dates mentioned against their names :—

1. Shri S. K. Rath, DYSP of GC Gauhati—28-2-79 (AN).
2. Shri Ranvir Singh, DYSP of 29th Bn.—16-3-79 (AN).

The 16th May 1979

No. O.II-1079/78-Estt.—The President is pleased to accept resignation tendered by Dr. N. Nagaraja Rao, GDO, Grade-II of Base Hospital-II CRPF Hyderabad with effect from the afternoon of 25th April, 1979.

A. K. BANDYOPADHYAY
Assistant Director (Adm.)

OFFICE OF THE INSPECTOR GENERAL

CENTRAL INDUSTRIAL SECURITY FORCE

New Delhi, the 10th May 1979

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer to Neemuch Shri Raghunath Singh, relinquished the charge of the post of Asstt. Commandant, CISF Training Reserve, BHEL Hardwar, w.e.f. the afternoon of 31st March 1979.

No. E-38013(3)/1/78-Pers.—On transfer from Hardwar Shri Raghunath Singh assumed the charge of the post of Asstt. Commandant CISF Unit GOF Neemuch (M.P.) w.e.f. the afternoon of the 16th April 1979 *vice* Shri Ishwar Singh, Asstt. Commandant, who, on transfer to Bhilai, relinquished the charge of the said post w.e.f. the same date.

A. N. BHALLA
Asstt. Inspector General/Pers

OFFICE OF THE REGISTRAR GENERAL,

New Delhi-110011, the 14th May 1979

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri R. Y. Revashetti, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Karnataka, Bangalore as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office, on regular basis in a temporary capacity with effect from the afternoon of 17th April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri R. Y. Revashetti will be at Bangalore.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri J. R. Vashistha, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Haryana, Chandigarh as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Registrar General, India, New Delhi on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 24th April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri J. R. Vashistha will be at New Delhi.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri C. L. Chehra, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Jammu & Kashmir,

Srinagar as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 23rd April, 1979 until further orders.

The headquarters of Shri Chebra will be at Lucknow.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri R. C. Bhargava, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Rajasthan, Jaipur to the post of Assistant Director of Census Operations (Technical) on regular basis in a temporary capacity in the same office with effect from the afternoon of 16th April, 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Bhargava will be at Jaipur.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri S. Jayashanker, Investigator in the office of the Director of Census Operations, Kerala, Trivandrum and at present working as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on *ad-hoc* basis, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11 April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri Jayashanker will be at Trivandrum.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri G. S. Pabla, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Punjab, Chadigarh as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office, on regular basis in a temporary capacity with effect from the afternoon of 11th April, 1979 until further orders.

The headquarters of Shri Pabla will be at Chandigarh.

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri D. P. Chatterjee, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, West Bengal, Calcutta, as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th April, 1979 until further orders.

The headquarters of Shri Chatterjee will be at Calcutta.

No. 11/1/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. K. Puri, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Madhya Pradesh, Bhopal, as Deputy Director of Census Operations, in the office of the Director of Census Operations, Gujarat, Ahmedabad on regular basis, in temporary capacity, with effect from the forenoon of 30th March, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri Puri will be at Ahmedabad.

No. 11/1/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri M. L. Sharma, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Gujarat, Ahmedabad as Deputy Director of Census Operations, in the office of the Director of Census Operations, Madhya Pradesh, Bhopal on regular basis, in temporary capacity, with effect from the forenoon of 9th April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri Sharma will be at Bhopal.

No. 11/1/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri R. D. Aggarwal, Assistant Director of Census Operations (Technical) in the office of the Director of Census Operations, Rajasthan, Jaipur as Deputy Director of Census Operations, in the office of the Director of Census Operations, Bihar Patna on regular basis, in temporary capacity, with effect from the afternoon of 25th April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri Aggarwal will be at Patna.

No. 11/47/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri Ravindra Gupta, an officer belonging to the Uttar Pradesh Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow, with effect from the forenoon of 24th April, 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Gupta will be at Lucknow.

No. 11/63/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri S. N. Ghosh, an officer belonging to the West Bengal Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, West Bengal, Calcutta, with effect from the forenoon of 24th April, 1979 until further orders.

2. The headquarters of Shri Ghosh will be at Calcutta.

No. P/M(24)Ad.I.—On the recommendation of the Departmental Promotion Committee and in consultation with the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Bijaya Prasad Mahapatra as Assistant Registrar General (Language) in a substantive capacity with effect from the forenoon of the 30th April, 1979 until further orders.

The headquarters of Shri Mahapatra will be at Calcutta.

The 15th May 1979

No. 11/28/78-Ad.I.—The President is pleased to appoint on promotion Shri M. C. Padalia, an Investigator in the office of the Director of Census Operations, Uttar Pradesh, Lucknow as Assistant Director of Census Operations (Technical) in the same office on regular basis in a temporary capacity with effect from the forenoon of 11th April, 1979, until further orders.

The headquarters of Shri Padalia will be at Lucknow.

The 17th May 1979

No. 11/60/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri N. K. Chaudhury, an officer belonging to the Assam-Meghalaya Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Assam, Gauhati, with effect from the forenoon of 20th April, 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Chaudhury will be at Gauhati.

No. 11/67/79-Ad.I.—The President is pleased to appoint Shri J. Tayeng, an officer belonging to the Assam-Meghalaya Cadre of the Indian Administrative Service, as Director of Census Operations, Meghalaya, Shillong with effect from the forenoon of 23rd April, 1979, until further orders.

2. The headquarters of Shri Tayeng will be at Shillong.

V. P. PANDEY
Deputy Registrar General

MINISTRY OF FINANCE
(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)
INSURANCE WING

New Delhi, the 5th May 1979

No. 51(12)Ins I/76.—WHEREAS I, R. K. Mahajan Controller of Insurance, am satisfied that the affairs of the Society known as Pen Friends Provident Insurance Company Limited, have been fully wound up;

NOW, THEREFORE, in pursuance of the provisions of sub-section (5) of section 93 of the Insurance Act, 1938 (4 of 1938), I hereby declare the said Society dissolved.

R. K. MAHAJAN
Controller of Insurance

INDIA SECURITY PRESS

Nasik Road, the 8th May 1979

No. 219/A.—The undersigned hereby appoints the following Inspectors Control (Class III non-Gazetted), India Security Press Nasik Road as Deputy Control Officers (Class II Gazetted post) in India Security Press, in the revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on regular basis against the two newly created posts of Dy.C.Os. *vide* G.I.M.F. letter No. F.5/56/77-Cy. dated 24-1-1979, with effect from 4-5-1979 (FN).

1. Shri G. C. Rastogi.
2. Shri A. M. Raool.

No. 221/A.—The undersigned hereby appoints Shri S. N. Chakraborty, Inspector Control (Class III non-Gazetted), India Security Press, Nasik Road, to officiate as Deputy Control Officer (Class II Gazetted post) in India Security Press, in the revised scale of Rs. 650-30-740-35-810-EB-35-880-40-1000-EB-40-1200 on an ad-hoc basis w.e.f. the forenoon of 4th May, 1979 to 30th September 1979 or till the post is filled on a regular basis whichever is earlier.

D. C. MUKHERJEA
General Manager

INDIAN AUDIT & ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL-I

Gwalior, the 17th April 1979

No. OE.I/15.—The Accountant General-I, Madhya Pradesh has been pleased to promote the following permanent Section Officers as Accountants Officers in an officiating capacity in the scale of Rs. 840-40-1000-EB-40-1200 with effect from the dates noted against each :—

Sarvashri

1. J. R. Padmanabhan (02/0246)—31-3-1979 Forenoon.
2. M. Ramamurthy (02/0247)—31-3-1979 Forenoon.

KRISHNA GOPAL
Senior Deputy Accountant General (Admn.)

MINISTRY OF DEFENCE

INDIAN ORDNANCE FACTORIES SERVICE

DIRECTORATE GENERAL, ORDNANCE FACTORIES

Calcutta-700016, the 5th May 1979

No. 27/79/G.—On attaining the age of superannuation (58 years) Shri Sukumar Bose Offg. DADG Subst. & Permt. T.S.O. retired from service w.e.f. 31st March, 1979 (A.N.).

V. K. MEHTA
Assistant Director General, Ordnance Factories

DGOF HQRS. CIVIL SERVICE

ORDNANCE FACTORY BOARD

Calcutta-700069, the 9th May 1979

No. 7/79/A-E-1(NG).—On attaining the age of superannuation, Shri Satya Brata Nag, substantive and permtt. ASO, and S/Shri Krishan Mohan and Sudhir Kumar Dutta, substantive and permanent Assistant, Temporary A.S.O., retired from service with effect from 30-4-79 (A.N.).

D. P. CHAKRAVARTI
ADGOF/ADMIN
for Ordnance Factory Board

DRAFT
NOTICE OF TERMINATION

Meerut, the 16th May 1979

No. AN/F/8319288/AMC.—In pursuance of Sub Rule (i) of Rule 5 of Central Civil Services (Temporary Service) Rules, 1965 the undersigned hereby gives notice to Shri Balendra Shekar Ty. Auditor A/C No. 8319288 serving in the organisation of C.D.A. (ORs) North, Meerut that his services shall stand terminated with effect from the date of expiry of a period of one month computed from the date of the Gazette notification.

P. C. THOMAS
Controller of Defence Accounts
(ORs) North, Meerut

MINISTRY OF COMMERCE, CIVIL SUPPLIES AND COOPERATION

(DEPARTMENT OF COMMERCE)

OFFICE OF THE CHIEF CONTROLLER OF IMPORTS AND EXPORTS

New Delhi, the 30th April 1979

IMPORT AND EXPORT TRADE CONTROL

(ESTABLISHMENT)

No. 6/585/59-Admn(G)/3256.—On attaining the age of superannuation, Shri D. M. Chowdhury, Controller of Imports and Exports in the office of the Joint Chief Controller of Imports and Exports, Calcutta, relinquished charge of the post in that office on the afternoon of the 31st March, 1979.

No. 6/939/71-Admn.(G)/3291.—Shri L. S. Butola, an officer officiating in the Section Officer's Grade of the CSS, is permitted to retire voluntarily from Government service with effect from the forenoon of the 1st April, 1979.

The 14th May 1979

No. 6/528/58-Admn.(G)/3509.—The President is pleased to appoint Shri J. S. Sahota, a permanent officer of Section Officer's Grade of CSS to officiate in Grade I of the service for the period from 23-2-79 to 30.4-79.

2. The President is also pleased to appoint Shri Sahota, as Dy. Chief Controller of Imports and Exports in this office for the aforesaid period.

RAJINDER SINGH
Dy Chief Controller of Imports and Exports
for Chief Controller of Imports and Exports

DEPARTMENT OF SUPPLY
DTE. GENERAL OF SUPPLIES & DISPOSALS
(ADMN. SECTION A-6)

New Delhi, the 26th April 1979

No. A6/247(476).—The President has been pleased to appoint Shri V. J. M. Rao Asstt. Inspecting Officer (Tex.) in the office of Director of Inspection, Madras to officiate as Inspecting Officer (Tex.) (Grade III) of IIS Group A Tex. Branch in the same Inspectorate on *ad-hoc* basis w.e.f. 21-3-79 (FN) and until further orders.

Shri Rao relinquished the charge of the office of AIO (Tex.) and assumed charge of the office of IO (Tex.) on the forenoon of 21-3-79.

The 9th May 1979

No. 17011/13/71-A6.—The President is pleased to appoint Shri D. R. Chandran, Inspecting Officer (Engg.) in the Engineering Branch of the Indian Inspection Service, Group 'A' who was on foreign service with the National Thermal Power Corporation Ltd., to officiate as Deputy Director of Inspection in Engineering Branch of Indian Inspection Service, Group 'A' with effect from the forenoon of 18th April 1979 and until further orders.

2. On reversion, from foreign service, Shri D. R. Chandran relinquished charge of the post of Sr. Engineer in the National Thermal Power Corporation Ltd., New Delhi on the afternoon of 16-4-1979 and assumed charge of the post of Deputy Director of Inspection (Engg.) in the office of Director of Inspection, Bombay on the forenoon of 18-4-1979.

P. D. SETH
Dy. Director (Admn.)

New Delhi the 10th May 1979

No. A-17011/151/79-A6.—The Director General of Supplies & Disposals is pleased to appoint Shri U. C. Dutta, Examiner of Stores (Met.) in the Burnpur Inspectorate to officiate as Assistant Inspecting Officer (Met.) in the Jamshedpur Inspectorate under this Directorate General w.e.f. the forenoon of 31st March, 1979 and until further orders.

P. D. SETH
Dy. Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

(ADMINISTRATION SECTION A-1)

New Delhi-1, the 10th May 1979

No. A41/1(262).—The President is pleased to appoint Shri P. Chakravarti, permanent Director (Grade I of the Indian Supply Service) in the Director of Supplies & Disposals, Calcutta, to officiate as Deputy Director General (Supplies & Disposals) in the office of the Director General of Supplies & Disposals, New Delhi, with effect from the forenoon of the 22nd February, 1979 and until further orders.

K. KISHORE
Deputy Director (Admn.)
for Director General of Supplies & Disposals

MINISTRY OF STEEL & MINES

DEPARTMENT OF STEEL

IRON & STEEL CONTROL

Calcutta-20, the 2nd May 1979

No. EI-2(3)/73(.).—The Iron & Steel Controller hereby appoints Shri Sasanka Sekhar Mukherjee, Superintendent, to the post of Assistant Iron & Steel Controller with effect from 23-4-1979 (F.N.), on an *ad hoc basis*.

S. N. BISWAS
Jt. Iron & Steel Controller

SURVEY OF INDIA

SURVEYOR GENERAL'S OFFICE

Dehra Dun, the 8th May 1979

No. E1-5496/698-Map Curator.—Shri A. B. Sarkar, who was appointed as Map Curator (G.C.S. Group 'B') on transfer on deputation in Eastern Circle Office, Survey of India, Calcutta in the scale of pay of Rs. 550—25—750—FB—30—900 *vide* Notification No. E1-5063/698-Map Curator dated 2-4-1976 issued under this office No. E1-16798/698-Map Curator dated 2-4-1976 will continue as Map Curator for a further period of one year beyond 10-3-1979.

K. L. KHOSLA
Major-General
Surveyor General of India
(Appointing Authority)

DIRECTORATE GENERAL, ALL INDIA RADIO

New Delhi, the 9th May 1979

No. 2/28/61-SII.—Director General, All India Radio is pleased to appoint Shri G. N. Srivastava, Administrative Officer, Doordarshan Kendra, New Delhi to the post of Sr. Administrative Officer, All India Radio, New Delhi with effect from 31-1-79 (AN).

S. V. SESHADRI
Deputy Director of Administration
for Director General

MINISTRY OF INFORMATION & BROADCASTING

PUBLICATIONS DIVISION

New Delhi, the 30th April 1979

CORRIGENDUM

No. A.20011/3/69-Admn.I.—In partial modification of this Division's Notification No. A.20011/3/69-Admn.I dated 18/19-1-79 the Director, Publications Division is pleased to appoint, on *ad-hoc* basis, Shri S. M. Chahal, a permanent Technical Assistant as Asstt. Director (Production) in this Division w.e.f. 6-9-78 *instead of* 25-9-78 until further orders. The appointment has been made in the leave vacancy of Shri B. S. Chaudhry, Asstt. Director (Prod.).

INDRAJ SINGH
Deputy Director (Admn.)

FILMS DIVISION

Bombay-26, the 9th May 1979

No. 9/31/49-Est.I.—The Chief Producer, Film Division, has appointed Shri H. G. Bhandarkar, Permanent Superintendent, Film Division Bombay, to officiate as Assistant Administrative Officer on ad hoc basis in the same office with effect from the forenoon of the 19th April, 1979, until further orders.

M. CHANDRAN NAIR
Administrative Officer
for Chief Producer

DIRECTORATE OF ADVERTISING & VISUAL PUBLICITY

New Delhi, the 8th May 1979

No. A.12026/19/78-Est.—The Director of Advertising and Visual Publicity hereby appoints Shri D. N. Gandhi, Technical Assistant (Printed Publicity) to officiate as Assistant Production Manager (Printed Publicity) in this Directorate in a temporary capacity on ad-hoc basis with effect from 1st May, 1979, until further orders.

R. DEVASAR
Deputy Director (Admn.)
for Director of Advertising & Visual Publicity

DIRECTORATE GENERAL OF HEALTH SERVICES

STORES I SECTION

New Delhi the 1979

No. A.22012/1/79-SI(Part).—The Director General of Health services is pleased to appoint Shri G. Subramanian Senior scientific Assistant, Govt Medical Store Dept. Madras to the post of Depot Manager, (Group A, Gazetted), Govt. Medical Store Depot, Bombay with effect from the forenoon of 29th March, 1979, on a temporary basis and until further orders.

S. K. KARTHAK,
Deputy Director Admn. (Stores)

MINISTRY OF AGRICULTURE & IRRIGATION

(DEPARTMENT OF RURAL DEVELOPMENT)

DIRECTORATE OF MARKETING & INSPECTION

HEAD OFFICE

Faridabad, N.H. IV, the 9th May 1979

No. A-19024/2/79-A.III.—Shri N. Kasi Rao, Senior Chemist is appointed to officiate as Chief Chemist at Cochin w.e.f. 21.4.79 (AN) on purely short-term basis for a period not exceeding three months or till the post is filled on regular basis, whichever is earlier.

No. A.19026/1/79-A.III.—Shri C. D. Batra, Superintendent (Ministerial) is appointed to officiate as Administrative Officer under the scheme of 'Setting up of Marketing Planning & Design Centre' at Faridabad w.e.f. 5.5.79 (AN) to 31.7.79 on short-term basis.

The 10th May 1979

No. A-19023/15/78 A.III.—Shri T. Sabnani, Marketing Development Officer, has been relieved of his duties in this Directorate at New Delhi w.e.f. 19-2-1979 (F.N.) to join the post of Senior Design Engineer in the Bharat Heavy Electricals Ltd., New Delhi, on 'Notional' foreign service.

B. L. MANIHAR,
Director of Administration
for Agricultural Marketing Adviser

BHABHA ATOMIC RESEARCH CENTRE

Personnel Division

Bombay-400085, the 20th March 1979

No: 5/1/79-Estt. II/1071—The Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Asstt. Personnel Officer for the period shown against their names :

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period From	Period To
1.	Shri S.G. Sapaliga Assistant	Asstt. Personnel Officer	26-12-78 (FN)	25-1-79 (AN)
2.	Shri V. Narayana Rao Sr. Steno	Asstt. Personnel Officer	15-1-79 (FN)	1-3-79 (AN)
3.	Shri S.G. Sapaliga Assistant	Asstt. Personnel Officer	31-1-79 (FN)	13-3-79 (AN)
4.	Shri P.V. Krishnamoorthy Sr. Steno	Asstt. Personnel Officer	31-1-79 (FN)	13-3-79 (AN)

The 22nd March 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1099—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints the undermentioned officials to officiate on an ad-hoc basis as Assistant Accounts Officers/ Accounts Officer II for the period shown against their names :

Sl. No.	Name & Designation	Appointed to officiate as	Period From	Period To
1.	Smt. M.P. Gidwani Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	15-1-79 (FN)	22-2-79 (AN)
2.	Shri T.K. Ramamurthy Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	31-1-79 (FN)	3-3-79 (AN)
3.	Shri F. D'Souza Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	4-3-79 (FN)	until further orders
4.	Smt. S.P. Meherjee Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	1-2-79 (FN)	until further orders
5.	Kum. N.M. Merchant Asstt. Accounts Officer	Accounts Officer II	15-1-79 (FN)	17-2-79 (AN)
6.	Smt. H.H. Kapadia Asstt. Accountant	Asstt. Accounts Officer	15-1-79 (FN)	17-2-79 (AN)

The 23rd March 1979

No. C-318/TSD/Estt. II/1112.—On attaining the age of superannuation, Shri Remedios Conceicao Coutinho, a permanent Chargehand and officiating Scientific Officer/Engineer (SB), retired from Government Service on the afternoon of 31-12-1978.

The 26th March 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1148.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri S. N. Sen, ASO, to officiate on an *ad-hoc* basis as Security Officer in this Research Centre for the period from 27-12-78 (FN) to 23-2-79 (AN).

Kum. H. B. VIJAYAKAR
Dy. Establishment Officer

Bombay-400 085, the 29th March 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1203.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri B. M. Naik, S.G.C., to officiate on an *ad-hoc* basis as Assistant Personnel Officer, in this Research Centre for the period from 13-2-1979 (FN) to 23-3-1979 (AN).

The 5th April 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1329.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri T. C. R. Kutty, ASO, to officiate on an *ad-hoc* basis as Security Officer in this Research Centre for the period from 1-3-79 (FN) to 31-3-79 (AN).

V. M. KHATU
Dy. Establishment Officer

Bombay-400 085, the 18th April 1979

No. 5(5)/78-Confirmation/1971.—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints Shri K. K. Viswambharan Nair, a temporary Scientific Officer/Engineer SC, Bio-Chemistry & Food Technology Division in a substantive capacity as Scientific Officer/Engineer Grade SB in Bhabha Atomic Research Centre with effect from February 1, 1977.

No. 5(5)/78-Confirmation/1970—The Director, Bhabha Atomic Research Centre, hereby appoints the undermentioned officers in a substantive capacity as Scientific Officer/Engineer Grade SB in Bhabha Atomic Research Centre with effect from February 1, 1977.

Sl. No.	Name	Present Grade	Division	Permanent post held in BARC
1.	Shri H.V. Khandekar	SC	Divislon of Radiological Protection	SA C
2.	Shri D.R. Ralpurkar	SC	Health Physics	SA C
3.	Shri R.N. Sujir	SC	Technical Services	Foreman
4.	Shri V.R. Kulkarny	SB	R-5 Project	D'man B
5.	Shri A.S. Deshmukh	SB	Biology & Agriculture	SA C

V.R. PATGAONKAR
Dy. Establishment Officer

Bombay-85, the 9th April 1979

No. P-1462/FRD/Estt. II/1420.—Director, B.A.R.C. has accepted the resignation from service tendered by Shri Parambath Padmanabhan, Officiating Scientific Officer/Engineer grade (SB), BARC with effect from the afternoon of February 19, 1979.

The 18th April 1979

No. B/1701/Esstt. II/1504.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri K. G. Balachandran, permanent U.D.C. in P.P.E.D., officiating SGC in Madras Atomic Power Project, Kalpakkam, to officiate as Assistant Personnel Officer in the Bhabha Atomic Research Centre, with effect from the forenoon of March 12, 1979.

The 26th April 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1616.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri P. Sivam, Assistant Security Officer, to officiate on an *ad-hoc* basis as Security Officer in this Research Centre for the period from 7-9-1977 (FN) to 30-11-1977 (AN).

The 30th April 1979

No. 5/1/79-Estt. II/1658.—Controller, Bhabha Atomic Research Centre appoints Shri V. A. V. Menon, Assistant, to officiate on an *ad-hoc* basis as Assistant Personnel Officer, in this Research Centre for the period from 15-1-1979 (FN) to 23-2-1979 (AN).

T. T. PISHORI,
Dy. Establishment Officer

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

POWER PROJECTS ENGINEERING DIVISION

Bombay-5, the 27th April 1979

No. PPED/3(283)/76-Adm./7488.—In continuation of this Division's notification's of even number dated March 1, 1979 Shri P. Vasu, a permanent UDC of BARC and officiating Asstt. Accountant in this Division who was appointed as Asstt. Accounts Officer in the same Division in a temporary capacity with effect from the forenoon of February 26, 1979 to the afternoon of April 18, 1978 has been permitted to continue to hold temporary charge of the same post upto the afternoon of May 5, 1979.

B. V. THATTE
Administrative Officer

DIRECTORATE OF PURCHASE AND STORES

Bombay-400 001, the 9th May 1979

No. DPS/21/1(2)/78-Est./12849.—The Director, Directorate of Purchase and Stores appoints Shri Chinkurli Srikantiah Shivaramu, a temporary Purchase Assistant to officiate as Assistant Purchase Officer in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 in an *ad-hoc* capacity from the forenoon of April 2, 1979 to the forenoon of May 5, 1979 and in a regular capacity with effect from the forenoon of May 5, 1979 until further orders in the same Directorate.

K. P. JOSEPH
Administrative Officer

NUCLEAR FUEL COMPLEX

Hyderabad-500 762, the 2nd May 1979

No. PAR/0704/1473.—The Chief Executive, Nuclear Fuel Complex, appoints Shri B.H.L.G. Sastry, an industrial temporary Stenographer (SG) to officiate as Assistant Personnel Officer, against a leave vacancy in Nuclear Fuel Complex from 29-3-1979 to 18-6-1979.

U. VASUDEVA RAO
Administrative Officer

17—86GI/79

(ATOMIC MINERALS DIVISION)

Hyderabad-500016, the 10th May 1979

No. AMD-1/10/77-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri D. S. Israni, Assistant Accounts Officer of the Atomic Minerals Division, as Accounts Officer-II in the same Division in a purely temporary capacity with effect from 7-5-1979 to 22-6-1979 *vice* Shri K. P. Sekharan, Accounts Officer-II, granted leave.

No. AMD-1/10/77-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy, hereby appoints Shri J. K. Sharma, Accountant of the Atomic Minerals Division, as Assistant Accounts Officer in the same Division in a purely temporary capacity with effect from 7-5-1979 to 22-6-1979 *vice* Shri D. S. Israni promoted as Accounts Officer-II.

No. AMD-1/29/78-Adm.—The Director, Atomic Minerals Division of the Department of Atomic Energy hereby appoints Shri Rajgopal Mohanty as Scientific Officer/Engineer Grade 'SB' in the Atomic Minerals Division in an officiating capacity with effect from the forenoon of 5-4-1979 until further orders.

for (M. S. RAO)
Sr. Administrative & Accounts Officer

HEAVY WATER PROJECTS

Bombay-400 008, the 8th May 1979

No. HWPs/Estt/1/C-16/2088.—Officer-on-Special Duty, Heavy Water Projects, appoints Shri Parathamala Phillipose Cherian, an Upper Division Clerk of Heavy Water Project (Tuticorin) to officiate as Assistant Personnel Officer in the same project, in a temporary capacity, w.e.f. 8-3-1979 to 7-4-1979 (AN) *vice* Shri C. Padmanabhan, Assistant Personnel Officer, granted leave.

K. SANKARANARAYANAN
Senior Administrative Officer

OFFICE OF THE DIRECTORATE GENERAL OF CIVIL AVIATION

New Delhi, the 19th May 1979

No. A. 38015/1/78-EC.—While proceeding on earned leave for 110 days from 21-9-78 to 8-1-79 combined with half pay leave for 23 days from 9-1-79 to 31-8-79 as L.P.R., Shri K. N. K. Poduval, Technical Officer, Aeronautical Communication Station, Bombay relinquished charge of the post on the 21-9-78 (FN) and on expiry of leave retired from Government Service on the 31-1-79 (AN) under the provision of F.R. 56(k).

S. D. SHARMA
Deputy Director of Administration

New Delhi, the 9th May 1979

No. 12025/16/77-ES.—On the recommendations of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Sh. D. P. Ghosh, Aircraft Inspector in the Civil Aviation Department in officiating capacity with effect from 24-4-79 and until further orders.

The 10th May 1979

No. A. 44012/1/78-ES.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri B. R. Borah, Aircraft Inspector, in the office of the Director of Aircraft Inspection, Kanpur, with effect from 21-4-79 (A.N.).

No. A. 44012/1/78-ES.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri S. P. Singh, Aircraft Inspector, in the office of the Regional Director, Bombay, Bombay Airport Bombay with effect from 18-4-79 (A.N.).

No. A. 44012/1/78-ES.—The President is pleased to accept the resignation from service of Shri Rajeev Kapoor, Aircraft Inspector, in the office of the Regional Director, Delhi Region, Safdarjung Airport, New Delhi with effect from 17-4-79 (A.N.).

S. L. KHANDPUR
Assistant Director of Administration

OVERSEAS COMMUNICATIONS SERVICE

Bombay, the 10th May 1979

No. 1/449/79-Est.—The Director General, Overseas Communications Service, hereby appoints Shri Vimal Wakhlu, as Assistant Engineer, in a temporary capacity in Switching Complex, Bombay, with effect from the forenoon of the 9th April, 1979 and until further orders.

H. L. MALHOTRA
Deputy Director (Admn.)
for Director General

CENTRAL WATER COMMISSION

New Delhi-22 the 10th May 1979

No. A-32012/2/70-Adm. V.—On the recommendations of the Departmental Promotion Committee (Group-B), the Chairman, Central Water Commission hereby appoints the following Senior Research Assistant/Research Assistant, presently officiating as Assistant Research Officer (Physics) on *ad-hoc* basis in the Central Water & Power Research Station Pune, on regular basis in the same post in the pay scale of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000—EB 40—1200 w.e.f. 1st January, 1979, until further orders.

S/Shri

1. N. M. Mahajan
2. M. D. Kamble
3. H. S. N. Swamy

2. These officers will be on probation to the posts of Assistant Research officer (Physics) for a period of two years with effect from 1st January, 1979.

The 15th May 1979

No. A-19012/686/78-Adm. V.—The Chairman, Central Water Commission hereby appoints on promotion Shri P. K. Chatterjee Supervisor to the grade of EAD/AE in the Central Water Commission in the scale of pay of Rs. 650—30—740—35—810— EB —35—880—40—1000— EB —40—1200 on a purely temporary and *ad-hoc* basis with effect from the afternoon of 28th January, 1978 till the post is filled on regular basis.

J. K. SAHA
Under Secretary
Central Water Commission

INTEGRAL COACH FACTORY
GENERAL MANAGER'S OFFICE
PERSONNEL BRANCH

Madras-38, the April 1979

No. PB/GG/9/Misc./II.—On transfer from Central Railway, Shri K B. SANKARAN, Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer (J.A.) has reported for duty on 4-1-79 and posted as Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer/System Development Group (J.A.).

On transfer from Chittaranjan Locomotive Works, Sri P. J. ABRAHAM, Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer (J.A.), has reported for duty on 4-1-79 and posted as Officiating Deputy Chief Mechanical Engineer/Planning (J.A.).

3. Sri T. S. KRISHNAMURTHY, Officiating Deputy Financial Adviser & Chief Accounts Officer/MTP (J.A.) has been relieved with effect from 4-1-79 on transfer to Central Railway.

Sri T. M. NARASIMHAN, Officiating Senior Accounts Officer/Finance (S.S.), is promoted to officiate as Deputy Financial Adviser & Chief Accounts Officer/MTP (J.A.) with effect from 4-1-79.

Sri M. N. KRISHNAMURTHY, Assistant Accounts Officer/Fur. (Class II) *is promoted to officiate* as Senior Accounts Officer/Finance (SS) with effect from 4-1-1979.

Shri T. R. RAJAMANI, Officiating Chief Draftsman (Class III) is promoted to officiate in Class II service on *ad-hoc* basis and posted as officiating Assistant Engineer/C from 8-1-1979.

Sri K. S. VENKATARAMANI, Senior System Analyst (SS) (*ad-hoc*) is reverted to Class II service as Officiating Assistant Accounts Officer with effect from the afternoon of 22-1-1979.

The above officer is promoted to officiate in Senior Scale as Senior Accounts Officer/Fur. from 26-2-79 to 11-4-1979.

Shri R. C. TANDON, Officiating Additional Chief Mechanical Engineer (S.A.—Level II) is relieved on 27-1-79 (AN) on transfer to South Eastern Railway as Chief Workshop Engineer (Level I HOD).

Sri K. P. KARUNAKARAN, Depot Store Keeper (Class III) is promoted to officiate as Assistant Controller of Stores/C&D (Class II) from 13-2-1979.

Sri S. SUBBIAH, Officiating Assistant Controller of Stores (C&D) *Ad hoc* is reverted to Class III service with effect from 13-2-1979.

On transfer from South Central Railway/SC, Sri E. GONSALVES, Assistant Security Officer is posted as Officiating Assistant Security Officer/Fire (Class II) from 5-3-1979.

Sri K. MAYAN, Officiating Depot Store Keeper/Gr. I (Class III) is promoted to Officiate as Assistant Controller of Stores/C&D, (Class II) with effect from 26-3-1979.

Sri G. SESHAGIRI RAO, Shop Superintendent/PC/Fur. who has been placed on deputation with RITES, is granted proforma promotion as Assistant Mechanical Engineer (Class II) from 6-12-1978.

Shri V. CARMELUS, Assistant Works Manager/A/F (J. S.), is promoted to officiate in Senior Scale and posted as Officiating Production Engineer/PR/F (SS) with effect from 31-3-1979 A.N.

R. RANGARAJAN
Dy. Chief Personnel Officer
For General Manager

CENTRAL RAILWAY
GENERAL MANAGER'S OFFICE

Bombay, the 7th May 1979

No. HPB/220/G/II/L.—The undermentioned officiating Assistant Electrical Engineer (Class II) is confirmed in that appointment with effect from the date shown against his name.

Name & Date of confirmation in Class II service

Shri G. N. Salvan—5-1-1979.

The 11th May 1979

No. HPB/220/G/II/P.—The following Officers are confirmed in Class II Service as Assistent Personnel Officer with effect from the dates shown against each :-

Sl. No.	Name	Date of confirmation
1.	Shri O.P. Misra	9-22-72
2.	" N.C. Sundararaman	26-2-73
3.	" N.U.B.U. Varma	11-7-73
4.	" E.S. Mahalingam	30-6-74
5.	" K.S. Ramachandran	31-10-75
6.	" Balbir Singh	1-1-76
7.	" P.S. Harlharan	1-1-76
8.	" T.R. Vaidyanathan	1-1-76

1	2	3
9.	Shri S.C. Saxena	1-1-76
10.	" K. Jagannathan	7-6-76
11.	" V.D. Vadhavkar	11-4-77
12.	" K.B. Pillai	11-4-77

KRISHAN CHANDRA
General Manager

MINISTRY OF LAW, JUSTICE & COMPANY AFFAIRS
DEPARTMENT OF COMPANIES

OFFICE OF THE REGISTRAR OF COMPANIES,

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Bhatia Brothers Transport Company Private Limited

New Delhi, the 9th May 1979

No. 2916/7892.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Bhatia Brothers Transport Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the Company will be dissolved.

HAR LAL
Asstt. Registrar of Companies
Delhi & Haryana

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Anandpur Chit Fund Company Private Limited.

Jullundur, the 15th May 1979

No. G./Stat/560/3075/1228.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Anandpur Chit Fund Company Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Bans Bros. Chit Fund & Financiers Private Limited.

Jullundur, the 15th May 1979

No. B/Stat/560/3283/1230.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Bans Bros. Chit Fund & Financiers Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Eureka Exports Private Limited.

Jullundur, the 15th May 1979

No. G/Stat/560/3671/1232.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Eureka Exports Private Limited. has this day been struck off the register and the said company is dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Punjab Rubber & Chemical Industries Private Limited.

Jullundur, the 15th May 1979

No. G/Stat/560/2952/1235.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Punjab Rubber & Chemical Industries Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. M. H. Combers Private Limited

Jullundur, the 6th May 1979

No. G/Stat/560/3070/1408.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. M. H. Combers Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

O. P. JAIN
Registrar of Companies
Punjab, H.P. & Chandigarh

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Nylotex Engineering Private Limited.

Ahmedabad, the 16th May 1979

No. 2133/560.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (3) of section 560 of the Companies Act, 1956, that at the expiration of three months from the date hereof the name of the M/s. Nylotex Engineering Private Limited, unless cause is shown to the contrary, will be struck off the Register and the said company will be dissolved.

J. G. GATHA
Registrar of Companies, Gujarat

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. The Blue Mount Hotels Private Limited.

Cuttak, the 9th May 1979

No. S.O./677/546.—Notice is hereby given pursuant to sub-section (5) of section 560 of the Companies Act, 1956, that the name of M/s. Blue Mount Hotels Private Limited has this day been struck off the Register and the said company is dissolved.

D. K. PAUL
Registrar of Companies, Orissa.

In the matter of the Companies Act, 1956, and of M/s. Seethai Mills Limited

(Sec. 445 of the Companies Act 1956)

Madras, the 9th May 1979

No. 2009/C.Liqn/445/74.—Notice is hereby given that by an order of the High Court of Judicature at Madras, dated 6-10-77 passed in C.P. No. 96 of 1974 the company M/s. Seethai Mills Limited was wound up,

Sd/- ILLEGIBLE
Asst. Registrar of Companies
Tamil Nadu

In the matter of Companies Act, 1956, and of M/s. Maero Tools Limited

Madras, the 9th May 1979

No. 5163/Co. Liqn./445/77.—Notice is hereby given that by an order of the High Court of Judicature at Madras No. 32/1977 dated 3-11-1977 the company M/s. Maero Tools Limited was wound up.

S. SATYANARAYAN
Asstt. Registarar of Companies, Madras

OFFICE OF THE COMMISSIONER OF INCOME TAX

INCOME TAX DEPARTMENT (CENTRAL CHARGE-I)

Bombay-400 020, the May 1979

Following is the list of assessees (i) being Individuals or Hindu Undivided Families, who have been assessed on an income of more than 2 lakhs of Rupees and (ii) being Firms, Companies or Other Association of Persons, who have been assessed on an income of more than 10 lakhs of Rupees, during the financial year 1977-78 wherein the first appeal has either been disposed of or the time for presenting the first appeal has expired without an appeal having been presented, indicating : (i) Status 'I' for Individual, 'C' for Company 'F' for Registered Firm, (ii) Assessment year, (iii) Figures of income returned, (iv) Income assessed, (v) Tax payable by the assessee inclusive of interest charged and (vi) Tax paid by the assessee inclusive of interest charged.

SCHEDULE—I

1. Shri Goenka Chiranjilal S., 16, Walkeshwar Road, Bombay. (i) I, (ii) 1963-64, (iii) Rs. 70,530, (iv) Rs. 2,22,380, (v) Rs. 1,46,432, (vi) Rs. 1,46,432.

   (ii) 1964-65, (iii) Rs. 70,803, (iv) Rs. 2,38,560, (v) Rs. 1,53,031, (vi) Rs. 1,53,031.

   (ii) 1965-66, (iii) Rs. 70,414, (iv) Rs. 2,80,570, (v) Rs. 1,57,947, (vi) Rs. 1,57,947.

   (ii) 1966-67, (iii) Rs. 55,165, (iv) Rs. 2,79,524, (v) Rs. 1,78,967, (vi) Rs. 1,68,080.

2. Shri Patel J. V., Mewar, 40-A, Pedder Road, Bombay. (i) I, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 2,67,760, (iv) Rs. 3,16,915, (v) Rs. 1,62,337, (vi) Rs. 1,62,337.

SCHEDULE—II

1. Bralco Metal Industries Pvt. Ltd., Gupta Mills Estate, Reay Road, Bombay. (i) C, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 34,07,733, (iv) Rs. 36,54,920, (v) Rs. 21,09,283, (vi) Rs. 21,09,283.

2. The Century Spg. & Mfg. Co. Ltd., Century Bhavan, Dr. Annie Bessant Road, Worli, Bombay. (i) C, (ii) 1975-76, (iii) Rs. 20,86,40,400, (iv) Rs. 21,61,62,724, (v) Rs. 12,47,70,305, (vi) Rs. 12,47,70,305.

3. M/s. Prakash Cotton Mills Pvt. Ltd., 139, Medows Street, Fort, Bombay. (i) C, (ii) 1966-67, (iii) Nil, (iv) Rs. 12,67,846, (v) Rs. 20,260, (vi) Rs. Nil.

   (ii) 1967-68, (iii) Nil, (iv) Rs. 30,23,149, (v) Rs. 17,63,890, (vi) Rs. 17,63,890.

   (ii) 1968-69, (iii) Nil, (iv) Rs. 42,98,409, (v) Rs. 3,93,859, (vi) Rs. 43,259.

   (ii) 1974-75, (iii) Nil, (iv) Rs. 49,04,482, (v) Rs. 43,52,168, (vi) Rs. 86,876.

4. M/s. Shreeniwas Cotton Mills Ltd., Shreeniwas House, Hazarimal Somani Marg, Bombay. (i) C, (ii) 1971-72, (iii) Rs. 15,69,984, (iv) Rs. 17,62,420, (v) Rs. 8,78,801, (vi) Rs. 8,78,801.

   (ii) 1974-75, (iii) Loss Rs. 22,73,620, (iv) Rs. 48,48,130, (v) Rs. 29,01,004, (vi) Rs. 29,01,004.

S. S. KAPUR
Commissioner of Income Tax
(Central-I), Bombay

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, 3RD FLOOR,
SARAF CHEMBER, SADAR, NAGPUR

Nagpur, the 13th March 1979

Ref. No. IAC/ACQ/89/78-79.—Whereas, I, M. V. R. PRASAD
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding
Rs. 25,000/- and bearing
N.I.T. Plot No. 24-A, in Ward No. 11, Circle No. 2, Divn. No. 1, Great Nag Road, Nagpur situated at Nagpur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at
Nagpur on 12-9-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purpos of the Indian ncome-tax Act, 1922) 11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Vasant Krishnarao Shirpurkar, Badkas Chowk, Nagpur.
(Transferor)

(2) Shri Shridhar Moreshwar Vaidya, Proprietor, Snehadeep Industries, Great Nag Road, Nagpur, r/o 'Snehadeep' Rani Laxminagar, Nagpur.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

N.I.T. Plot No. 24-A, in Ward No. 11, Circle No. 2, Division No. 1, (Area 12,000 sq. ft.) Great Nag-Road, Nagpur.

M. V. R. PRASAD,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Nagpur.

Dated : 13-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-III, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 17th May 1979

Ref. No. IAC/Acq-III/5-79/340.—Whereas, I, D. P. GOYAL Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No. A-9/15, situated at Vasant Vihar, New Delhi. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at New Delhi on 30-9-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer: and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Air Commodore C. K. Singha (Retd)
S/o late Shri J. C. Singha and
Mrs. Priti Lata Singha
W/o Air Commodore C. K. Singha
R/o A-9/15, Vasant Vihar,
New Delhi.
(Transferor)

(2) Shri Om Wadhwa
S/o Late Shri Harbhagwan Wadhwa
R/o A-7, Gulmohar Park, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A Single Storey house on Plot No. 15, Block A, Street No. 9 measuring 600 sq. yds. situated in Vasant Vihar, New Delhi and is bounded as under :—
North : House No. 16
South : House No. 14
East : 15' wide service road
West : Street No. A/9

D. P. GOYAL,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-III,
Delhi/New Delhi.

Date : 17-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I, 4/14A, ASAF ALI ROAD NEW DELHI

New Delhi, the 15th May 1979

No. IAC Acq-I/SR-III/Sept-I(37)/78-79./644.—Wheeras, I, D. P. GOYAL, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. S-503 situated at Greater Kailash, Part II, New Delhi (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the Office of the Registering Officer at New Delhi on 15-9-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for [illegible] Income-tax Act 1922

किया जाएगा ।

(ii) उम्मीदवार के लिए न्यूनतम स्वीकार्य 157.5 सेंटीमीटर (नौसेना के लिए 157 सेंटीमीटर) है किन्तु गोरखा, निपाली, असमिया, गढ़वाली उम्मीदवारों के लिए नीचे (ख) (i) में दी गई उससे संबंधित सारणी में दिए गए कद से 5.0 सेंटीमीटर कम किया जा सकता है। मणिपुर, नेफा, मेघालय और त्रिपुरा के नौसेना के उम्मीदवारों के मामले में न्यूनतम कद 5 सेंटीमीटर और लक्षद्वीप के उम्मीदवारों के मामले में कद 2 सेंटीमीटर कम कर दिया जाएगा।

(1) Smt. Swaraj Bhatia
W/o Harbans Lal Bhatia
R/o Flat No. 15, 163, S. P. Mukherjee Road, Calcutta-26.
(Transferor)

(2) Shri Thakur Nanak Singh
S/o Shri Jai Singh
R/o 137, Satya Niketan, New Delhi.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A freehold plot of land bearing No. S-503, measuring 550 sq. yds., situated at Greater Kailash-II, New Delhi and bounded as under :—

North : Road
North : Service Lane
East : Plot No. S-505
West : Plot No. S-501

180 . . .			
183 . . .	65	67	67
185 . . .	67	69	70
188 . . .	70	71	72
190 . . .	72	73	74
193 . . .	74	76	77
195 . . .	77	78	78

(ii) कद तथा आयु के संबंध में वजन का ठीक-ठीक मानक निश्चित करना संभव नहीं है। अतः परस्पर संबंधी सारणी केवल निर्देशिका मात्र

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 5th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/25.—Whereas, I,
M. L. MAHAJAN,
being the competent authority under section 269 of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Kothi No. 2 (Pvt), Mall Road, situated at Amritsar.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Amritsar City on 1-9-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons namely :—

(1) Shrimati Pushpa Wati W/o Shri Prem Nath Kothin No. 2, Mall Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) Shri Ajaib Singh, Gulari and Shri Inderpal Singh Kothi No. 2 (Pvt.), The Mall Road, Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleafe mentioned and tenants(s), (if any. Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One Kothi bearing No. 2 (Pvt), Mall Road, Amritsar as mentioned in Registered Deed No. 2015 of 1-9-78 of the Registering Authority, Amritsar City.

M. L. MAHAJAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 7th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/26.—Whereas, I,
M. L. MAHAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No
Plot No. 31 situated at Amarkot, G. T. Road, Amritsar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar City, on 18 Sept. 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(1) Smt. Kulwant Kaur wd/o Shri Nihal Singh, R/o House No. 1671, Ranjit Pura, Khalsa College Amritsar.
(Transferor)

(2) Sri Surinder Singh s/o Shri Mohal Singh R/o Kohali and Smt. Simarjit Kaur w/o Sh. Amrik Singh R/o Chhidan Teh. Ajnala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleaf mentioned and tenants(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazettee or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

पर खड़ा हो प्रत्येक कान से फुसफुसाहट की आवाज सुनाई पड़नी चाहिए। परीक्षक को अवशिष्ट वायु से फुसफुसाना चाहिए अर्थात् वह साधारण निःश्वास अन्त में लेगा।

(ख) अव्यता मितिक रिकार्ड:—उम्मीदवार को प्रत्येक कान से 128 से 4096 साइकल वृति सैकिन्ड की आवृत्ति पर सुनना चाहिए। (अव्यता-मितिक पाठ्यांक + 10 तथा—10 के बीच होना चाहिए) (नौ सेना के लिए लागू नहीं है)।

परिशिष्ट III

सेना आदि के संक्षिप्त विवरण नीचे दिए गए हैं—

भारतीय सेना अकादमी देहरादून में प्रवेश लेने वाले उम्मीदवारों के लिए:—

1. भारतीय सेना अकादमी में भर्ती करने से पूर्व :—

(क) उसे आशय का प्रमाण पत्र देना होगा कि वह यह समझता है कि किसी प्रशिक्षण के दौरान या उसके परिणामस्वरूप यदि उसे कोई चोट लग जाए या ऊपर निर्दिष्ट किसी कारण से या

लिए	800.00
योग	1075.00

उम्मीदवारों को वित्तीय सहायता मंजूर हो जाने पर उपर्युक्त राशि में से नीचे लिखी राशि वापिस कर दी जाएगी:—

55.00 प्रतिमाह के हिसाब से पांच महीने का जेब खर्च
275.00

5 भारतीय सेना अकादमी में निम्नलिखित छात्रवृत्तियां उपलब्ध हैं:—

(1) परशुराम भाऊ पटवर्धन छात्रवृत्ति:—यह छात्रवृत्ति महाराष्ट्र तथा कर्नाटक के कैडेटों को दी जाती है। इस छात्रवृत्ति की राशि अधिक से अधिक 500.00 रु० प्रति वर्ष है जो कि कैडेटों को भारतीय सेना अकादमी में रहने की अवधि के दौरान दी जाती है बशर्ते कि उसकी प्रगति संतोषजनक हो। जिन उम्मीदवारों को यह छात्रवृत्ति मिलती है वे किसी अन्य सरकारी वित्तीय सहायता के हकदार न होंगे।

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 7th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/27.—Whereas, I, M. L. MAHAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Plot of land situated at Dinanagar (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gurdaspur on 22-9-1978. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising frmo the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Bimla Devi w/o Shri Radha Kishan R/o Malowal, Teh. Gurdaspur. (Transferor)

(2) Shri Gurbachan Singh s/o Shri Rawel Singh, Clerk New Bank of India, Gurdaspur. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleafe mentioned and tenants(s), (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 24 K 8 Marlas, situated in V. Dinanagar as mentioned in Regd. Deed No. 4076 dated 22-9-1978 of Registering Authority, Gurdaspur.

M. L. MAHAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-5-79
Seal :

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 7th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/28.—Whereas, I, M. L. MAHAJAN, being the competent authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Plot of land situated at Chardobathwala Tch. Gurdaspur (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Gurdaspur, on 6 Oct 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(1) Shri Nirinjan Singh s/o Shri Sant Singh R/o Mohalla Sant Nagar, Gurdaspur.

(Transferor)

(2) Shri Hans Ram s/o Shri Dulo Ram, Brick Kiln owner, Mandi Gurdaspur.

(Transferee)

*(3) As at S. No. 2 overleafe mentioned and tenants(s). (Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons **whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

[illegible] निदेशक, कार्मिक सेवा, नौ-सेना मुख्यालय, नई दिल्ली के पास भेज देगा।

यदि किसी माता-पिता/अभिभावक के दो अथवा उससे अधिक पुत्र या आश्रित नौसेना जहाजों/प्रतिष्ठानों में साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हों तो उन सभी को साथ-साथ प्रशिक्षण प्राप्त करने की अवधि के लिए उपर्युक्त वित्तीय सहायता दी जा सकती है बशर्ते कि माता-पिता-अभिभावक की मासिक आय 500/ रु० से अधिक न हो।

(iii) बाद का प्रशिक्षण भारतीय नौसेना के जहाजों और स्थापनाओं में भी उन्हें सरकारी खर्च पर दिया जाता है। अकादमी छोड़ने के बाद उनके पहले छह मास के प्रशिक्षण के दौरान उन्हें उपर्युक्त पैरा (ii) के अनुसार अकादमी में प्रशिक्षण प्राप्त करने वालों को मिलने वाली वित्तीय सहायता के समान सहायता दी जाएगी। भारतीय नौसेना के जहाजों और उनके प्रतिष्ठानों में छह मास का प्रशिक्षण प्राप्त कर लेने के बाद जिन कैडेटों की मिडशिपमैन के रैंक में पदोन्नति कर दी जाएगी और वे वेतन प्राप्त करने लगेंगे, तब उनके माता-पिता को उनका कोई खर्च नहीं देना होगा।

(iv) कैडेटों को सरकार से निःशुल्क वर्दी मिलेगी किन्तु उन्हें इसके अलावा कुछ और कपड़े भी लेने होंगे। इन कपड़ों के सही नमूने और उनकी एकरूपता को सुनिश्चित करने के लिए, ये कपड़े नौसेना अकादमी में तैयार किए जाएंगे तथा उनका खर्च कैडेटों के माता-पिता/अभिभावकों को वहन करना होगा। वित्तीय सहायता के लिए आवेदन-पत्र देने वाले कैडेटों को कुछ कपड़े निःशुल्क या उधार दिए जा सकते हैं। उन्हें कुछ विशेष कपड़े ही खरीदने होंगे।

[illegible] को सरकार से मुआवजा मांगने के दावे का या सरकार से अन्य सहायता मांगने का कोई हक नहीं होगा।

(ख) इस आशय के बांड पर हस्ताक्षर करने होंगे कि किसी ऐसे कारण से जो उनके नियंत्रण के अधीन हो, यदि उम्मीदवार कोर्स पूरा होने से पहले वापस जाना चाहे या यदि कमीशन दिए जाने पर स्वीकार न करे तो शिक्षा, शुल्क, भोजन, वस्त्र, वेतन तथा भत्ते, जो कैडेटों ने प्राप्त किए हैं, उनका मूल्य या उनका वह अंश जो सरकार निर्णय करे, चुकाने की जिम्मेदारी वह लेता है।

3. वेतन और भत्ते

(क) वेतन

	वेतनमान
रैंक	सामान्य सेवा
मिडशिपमैन	560.00 रुपए
एक्टिंग सब-लेफ्टिनेंट . . .	750.00 रुपए
सब-लेफ्टिनेंट . . .	830-870 रुपए
लैफ्टिनेंट	1100-1450 रुपए
लैफ्टिनेंट-कमोडोर . .	1450-1800 रुपए
कमाण्डर (चयन मान द्वारा) . .	1750-1950 रुपए
कमांडर (समय वेतन द्वारा) . .	1800.00 रुपए (नियत)
कैप्टन	1950-2400 रुपए (कमोडोर यह वेतन प्राप्त करता है जिसके लिए वह कैप्टन के रूप में वरिष्ठता के आधार पर हकदार होता है)।
रियर एडमिरल . . .	2500-125/2-2750
वाइस एडमिरल . . .	3000 रुपए

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE

Amritsar, the 7th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/29.—Whereas, I, M. L. MAHAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.

Plot Khasra No. 38-39 situated at Dayanand Nagar, Amritsar (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Amritsar City on 25 Sept. 1978 consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the rdeuction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer, and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Shiv Narain Kapur, Ram Narain Kapur, Anoop Narain Kapur ss/o Shri Hari Ram Kapur and Smt. Sardara Seth and Smt. Shukla Mehra Ds/o Shri Hari Ram R/o Katra Parja Amritsar (P.O.A.) Shri Roshan Lal Mehra s/o Shri Tulsi Ram Mehra, resident of Mall Road, Amritsar. (Transferor)

(2) Shri Tilak Raj Mehra s/o Shri Des Raj Mehra resident of House No. 28/X-1, Beri Gate Amritsar. (Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleafe mentioned and tenant(s), if any. (Person in occupation of the property

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot khasra No. 38-39 situated in Daya Nand Nagar opposite Duni Chand Road, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 2345 dated 25-9-78 of Registering Authority, Amritsar City.

M. L. MAHAJAN.
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 9th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/30.—Whereas, I,
M. L. MAHAJAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 161), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Shops No. 2776/2840 measuring 60 Sq. Mts. situated at Partap Bazar, Amritsar
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer Amritsar City, on 6 Oct. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely : —

(1) Shri Ram Ditta Mal Dharamarth Trust Amritsar, Partap Bazar through Sh. Krishan Lal Mehra s/o Shri Ram Ditta Mal, 17 Maqbool Road, Amritsar.
(Transferor)

(2) M/s Firm Sunder Singh Joginder Pall, Partap Bazar, Amritsar Shop No. 2776/2840.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleaf mentioned and tenants(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the prop

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shops No. 2776/2840, two storeyed measuring 60 sq. mts. situated at Partap Bazar, Amritsar as mentioned in the Registered Deed No. 2479 dated 6-10-78 of Registering Authority, Amritsar City.

M. L. MAHAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 9-5-79
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th May 1979

Ref. No. ASR/79-80/31.—Whereas, I, M. L. MAHAJAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing 1½ storeyed Building No. 110 situated at lawrance Road, Amritsar (and more fully described in the Scheduled annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Amritsar City on 7-9-78.

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Bhai Vir Singh Sahitya Sadan Registered Society through Sh. Harbans Singh Honey. Secretary r/o E-6/13, Vasant Vihar, New Delhi c/o S. Sant Singh s/o Bahadur Sardar Hukam Singh r/o 7, Bahadur Hukam Singh Road, Amritsar, Makhtar Khas.
(Transferor)

(2) Shri Anant Menon Advocate r/o Bazar Gandha Wala Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleaf mentioned and tenants(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1½ storeyed building No. 110 covering area of 471.03 sq. mtrs. situated at Lawrance Road, Amritsar as mentioned in the registered deed No. 2065 dated 7-9-78 of the Registering Authority, Amritsar.

M. L. MAHAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 15-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 15th May 1979

Ref. No. BTL/79-80/32.—Whereas, I,
M. K. DHAR,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961),
(hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000[- and bearing
Land and building of Anand Ice Factory, G. T. Road, Batala.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Batala on 19 Sept. 1978.
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957) ;

Now, therefore in pursuance of Section 269 C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Anand Parkash Vermani s/o Late Sh. R. N. Vermani resident of 2-Cavalry Lane, The Mall, Delhi
(Transferor)

(2) Shri Mohinder Singh s/o Sh. Gurdit Singh, Cinema Road, Batala.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleaf mentioned and tenants(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and Building of Ice Factory situated at G. T. Road, Batala as mentioned in the Regd. Deed No. 3986 dated 19-9-78 of Registering Authority, Batala.

M. K. DHAR,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 15-5-79
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACUISITION RANGE, AMRITSAR

Amritsar, the 16th May 1979

Ref. No. .....—Whereas, I,
M. K. DHAR,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Land measuring 28 kanals 12 marlas situated at village Vairowal.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Taran Taran on 4-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. Ajit Singh s/o Harbans Singh Village Vairowal, Teh. Taran Taran Distt. Amritsar.
(Transferor)

(2) Sh. Buta Singh, Sukhdev Singh, ss/o Shri Kesar Singh, Village Lalpur, Teh. Taran Taran Distt. Amritsar.
(Transferee)

(3) As at S. No. 2 overleaf mentioned and tenants(s), if any.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 28 kanals 12 marlas situated in village Vairowal, Tehsil Taran Taran, Distt. Amritsar as mentioned in Regd. Deed No. 4024 dated 4-9-1978 of Registering Authority, Taran Taran.

M. K. DHAR,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 16-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur the 28th March 1979

Ref. No. TRNo. 554/Acq./Kpr/78-79.—Whereas I, B. C. Chaturvedi,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25.000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
at Kanpur on 8-9-78,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Niraj Sud, Km. Pallavi Sud & Others 110 Model Town, Ambala.

(Transferor)

(2) Shri Ganshyam Das Degala, Smt. Bhagwani Devi Degala 87/R/119 Acharyanagar, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 87/296 Acharyanagar, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 90,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 118,200/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 28-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX.

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur the 27th March 1979

Ref. No. 275-A/PN/B.Shahar.—Whereas I, B. C. Chaturvedi,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of at Anupshahar on 20-9-78,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Jalim Singh s/o Mullan Singh r/o Maharajpur Urf Karkaura Pargana Dibai Tah. Anupshahar Distt. Buland Shahar.

(Transferee)

(2) S/Shri Ramvir Singh, Kripal Singh, Rajendra Singh, Sheshpal, Shashipal, Parti Pal sons of Ghot, Rajvir Singh, Mahipal Singh, Adhraj Singh, Manvir, Vijaipal sons of Omvir Singh son of Roshan r/o Maharajpur Urf Karkaura Pargana Dibai Tah. Anupshahar Distt. Bulandshahar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Maharajpur Tah. Anupshahar Distt. Bulandshahar sold for an apparent consideration of Rs. 36,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 81,525/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur the 27th March 1979

Ref. No. 276-A/PN.—Whereas I, B. C. Chaturvedi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value

No. as per schedule situated at as per schedule

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Anupshahar on 20-9-1978,

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Gopi Singh s/o Mullan Singh r/o Vill. Mahrajpur Urf Karkaura Post Dibai Distt. Bulandshahar.

(Transferor)

(2) S/Shri Madan Singh, Rampal Singh, Diwan Singh, Harpal Singh, Jaipal Singh s/o Chidda Singh vill. Maharajpur Urf Karkaura Post Dibai Distt. Bulandshahar.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Mahrajpur Urf Karkaura sold an apparent consideration of Rs. 36,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 81,525/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax.
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur the 27th March 1979

Ref. No. TR/289-A.—Whereas I, B. C. Chaturvedi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registration officer
at Gaziabad on 13-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of ransfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) S/Shri Pyare Lal Tandon s/o Sri K. C. Tandon r/o West Building Gandhi Road Post Box No. 113, Kanpur through Sri S. K. Bhasin s/o Sri M. Bhasin r/o 42 Model Town Mukhtar-ai-am.

(Transferee)

(2) S/Shri Bhushan Prakash, Sri Sudarshan Kumar, Sri Ashwani Kumar s/o Sri Jagdish Lal r/o Jagdish Nagar, Hapur Road, Gaziabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are denfied in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot No. A/6 Residential colonies Kavinagar, Gaziabad measuring 1800 sq. yd. sold for an apparent consideration of Rs. 63,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 82,800/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 304-A/PN/Bulandshahar.—Whereas I. B. C. Chaturvedi,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000, and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Bulandshahar on 21-9-78,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Bhagwati w/o Shashi Prasad village Khakunda Pargana Shikarpur Tah & Distt. Bulandshahar.
(Transferor)

(2) Shri Pyare Lal s/o Chitar Mal, Prm Chand s/o Shyam Lal r/o village Khakunda Pargana Shikarpur Tah. & Distt-Bulandshahar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Khakunda Pargana Shikarpur Tah. & Distt. Bulandshahar sold for an apparent consideration of Rs. 20,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 58,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 361-A/PN/78-79.—Whereas I, B. C. Chaturvedi, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. as per schedule situated at as per schedule,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Kanpur on 17-10-1978 for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. N. Gundurao s/o Late S. N. Krishnan Rao r/o 4/278 V "Chaya", Vishnupuri, Kanpur.
(Transferor)

(2) Shri Kailashnath Tandon s/o Late Y. N. Tandon r/o 45/55 Gaya Pd. Street, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette of a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 4/278 'B' Chaya' Vishnupuri, Kanpur half portion of first floor sold for an apparent consideration of Rs. 70,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 111,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 362-A/PN/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Kanpur on 17-10-78, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922), or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. N. Gundurao s/o Late S. N. Krishnarao r/o 4/278 V 'Chaya' Vishnupuri, Kanpur.
(Transferor)

(2) Shri Dinesh Chandra Tandon s/o Late Y. N. Tandon r/o 45/55 Gaya Pd. Street, Kanpur.
(Transferor)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publications of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette;

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property situated at 4/278 B 'Chaya' Vishnupuri, Kanpur half portion of ground floor sold for an apparent consideration of Rs. 75 000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 222,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 363-A/PN/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Kanpur on 17-10-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. N. Gundurao s/o Late S. N. Krishnarao r/o 4/278 B 'Chaya' Vishnupuri, Kanpur.
(Transferor)

(2) Shri Ramesh Chandra Tandon s/o Late Y. N. Tandon r/o 45/55 Gaya Pd. Street, Kanpur.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

Explanation :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property No. 4/278 'B' Chaya' Vishnupuri, Kanpur half portion of ground floor sold for an apparent consideration of Rs. 75,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 222,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 364-A/PN/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per Schedule (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Kanpur on 17-10-78, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri S. N. Gundurao s/o Late S. N. Krishanrao r/o 4/278 B 'Chaya' Vishnupuri, Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Suresh Chand Tandon s/o Late Y. N. Tandon r/o 45/55 Gaya Pd. Street, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

One plot bearing No. 31 situated at Amarkot, G. T. Road, Amritsar as mentioned in the Regd. Deed No. 2098 dated 8-9-78 of Registering Authority, Amritsar City.

M. L. MAHAJ
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 786-A/Kanpur/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority, under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ghatampur on 16-10-78,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair
market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitationg the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dharampal Singh s/o Bhoreylal Singh village Kuvankhera Patralaya village Kaitha Parg. Ghatampur Distt. Kanpur.

(Transferor)

(2) S/Shri Babu Ram, Ram Asrey, Putti Lal, Dulichand, Dankai s/o Ghasitay, Moti Lal Atmaj Banwari Kailash, Kamlesh, Bansgopal village Kaitha Pargana Ghatampur Distt. Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at village Anoiya Pargana Ghatampur, Kanpur sold for an apparent consideration of Rs. 44,800/- the fair market value of which has been determined at Rs. 76,720/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Dated : 27-3-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
KANPUR

Kanpur, the 27th March 1979

Ref. No. 810-A/Meerut/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961)
(hereinafter referred to as the said Act)
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Meerut on 5-10-78,
for an apparent consideration which is **less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per**cent of such apparent consideration and that the **consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of** transfer with the object of :—

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the 'said Act', to the following persons, namely :—

(1) Smt. Veena Ghoshal w/o Sri S. N. Ghoshal r/o 9/1 Skadlia Place, Calcutta-19.

(Transferor)

(2) Shri Amrish Kumar Gupta s/o Sri Suresh Chandra Gupta r/o Dalam Para, Distt. Meerut.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property **may be made in writing to the undersigned :—**

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this **notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;**

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official **Gazette.**

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land measuring 27 Kanals 10 Marlas situated in Village chardabathwala, Tehsil Gurdaspur as mentioned in the Regd. Deed No. 4197 dated 6-10-78 of Registering Authority, Gurdaspur.

M. L. MAHAJAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Amritsar.

Date : 7-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE,

Kanpur, the 29th March 1979

Ref. No. 550/Acq./Iglas/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Iglas on 12-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Gopali s/o Kharag Singh r/o Post Tamotia Tah. Iglas Distt. Aligarh.
(Transferor)

(2) S/Shri Hari Singh, Rajendra Singh, Goverdhan Singh, Balvir Singh s/o Babu Singh r/o Chaidai Post Haraudha Pargana Gomi Tah. Iglas Distt. Aligarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land No. 34, 228 situated at Mauja Tamotia Pargana Gorai Tahsil Iglas Distt. Aligarh sold for an apparent consideration of Rs. 40,000/- the fair market value of which has been determined at Rs. 77,550/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Kanpur

Date : 29-3-1979
Seal :

FORM ITNS

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE,

Kanpur the 1st May 1979

Ref No. 847-A/Dehradun/78-79.—Whereas I, B. C. Chaturvedi,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Mussoorie on 30-9-1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such trasnfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri S. Harbir Singh, s/o S. Jagjit Singh, r/o Model Cottage, Mussoorie.

(Transferor)

(2) Smt. Rama Dhanda, W/o Shri Jaider Dhandha, 1108, Tagore Nagar, Ludhiana.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other, person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House property having covered areas of 1638 sq. ft. situated at 8, Meston House, The Mall, Musoorie, sold for an apparent consideration of Rs. 41,500/-, fair market of which is at Rs. 60,000/-.

B. C. CHATURVEDI
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur

Date : 1-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd May 1979

Ref. No. TR No. 521/Acq/Sadabad/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'Said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Sadabad on 6-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Shri Ramesh Chand, s/o Shri Surajbali, r/o Sadabad, Distt. Mathura.
(Transferor)

2. Smt. Kamla Devi, widow of late Shri Madhusudan Lal, r/o Seesta, Teh : Sadabad, Distt. Mathura.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, situated at Vill. Seesta, Tehsil : Sadabad, Distt. Mathura sold for an apparent consideration of Rs. 55,000/- fair market value of which is at Rs. 87,944/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 2-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd May 1979

Ref. No. TR No. 525/Acq/Hathras/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269-B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000 and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hathras on 13.9.78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Smt. Chandni, w/o Kailash Chand, ..
r/o Vill : Datora, Parg. & Teh : Hathras,
Post : Ehan.

(Transferor)

2. (1) Jagdish Prasad, s/o Shri Naurangilal,
(2) Smt. Shanti Devi, d/o Shri Jagdish Prasad,
r/o Vill : Maho, Post : Khas, Teh. Hathras.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazeete or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at Vill : Datora. Teh. Hathras, Distt. Aligarh, sell for as apparent consideration of Rs. 20,000/-, fair market value of which it is Rs. 95,640.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 2.5.79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 2nd May 1979

Ref. No. TR No. 549/Acq/Iglas/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value
exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
AS PER SCHEDULE situated at AS PER SCHEDULE
(and more fully described in the Schedule
annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Iglas on 7-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922(11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of the notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :-

1. Shri Chandra Shekhar Dhwaj Prasad Singh, S/o Shri Rohriraman Dhwaj Prasad Singh, R/o Nala Beswan, Parg. Jorai, Teh : Iglas, Distt. Aligarh.
(Transferor)

2. (1) Ram Prakash Singh, (2) Ramvir Singh, s/o Shri Karan Singh, r/o Vill : Beswan, Parg. Gorai, Teh : Iglas, Distt. Aligarh.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land, situated Mauza Beswan, Parg : Gorai, Teh : Iglas, Distt. Aligarh, sold for an apparent consideration of Rs. 22,500/1, fair market value of which is at Rs. 72,500/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date . 2.5.79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd May 1979

Ref. No. 46/Acq/Chhibramau/78-79.—Whereas, I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at as per schedule (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Chhibramau on 6-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

21—86GI/79

(1) Shri Mohd. Mateen, s/o Dr. Akhtar, r/o Saurikh, Teh. Chhibramau, Distt. Farrukhabad.

(Transferor)

(2) Saurikh Cold Storage Pvt. Limited, through Shri Vinod Kumar Agarwal, s/o Shri Madan Mohan Agarwal, r/o 19, Tagore Road, Kanpur.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at Vill. Saurikh, Parg. Khas, Teh. Chhibramau, Distt. Farrukhabad, sold for an apparent consideration of Rs. 45,000/-, fair market value of which is at Rs. 67,500/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-5-1979

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd May 1979

Ref. No. 202-A/DDun/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dehradun on 29-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the folloing persons, namely :—

(1) Smt. Satya Devi Sharma, r/o 105, Bai Ka Bagh, Allahabad.

(Transferor)

(2) Smt. Kusum Lata Devi, w/o Shri Oudh Kishore Lal, r/o 7, Guru Road, Dehradun.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expired later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of land, situated at Park Road, Lakshman Chowk, Dehradun, sold for an apparent consideration of Rs. 40,000/-, fair market value of which is at Rs. 51,000/-.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, KANPUR

Kanpur, the 3rd May 1979

Ref. No. TR No. 618/Acq/Etawah/78-79.—Whereas I, B. C. CHATURVEDI,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. as per schedule situated at as per schedule
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Etawah on 19-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Shri Mishri Lal, s/o Shri Lalman Gupta, r/o Roora, Post Roora, Distt. Kanpur.

(Transferor)

(2) Shri Hazarilal Gupta, and Shri Prem Kumar Gupta, sons of Shri Lakhpat Rai, r/o Ekdil, Post Ekdil, Parg. and Distt. Etawah.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this noticed in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of the notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expression used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Agricultural land situated at Vill. Sarna, Post Ekdil, Shahertown area, Teh. and Distt. Etawah.

B. C. CHATURVEDI,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER, OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

57, RAMTIRTH MARG, LUCKNOW

Lucknow, the 27th March 1979

Ref. No. P-70/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN,
being the competent authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
House No. B-38/1-A, situated at Mohalla Mahmoorganj, Varanasi,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Varanasi on 18-8-1978/19-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269 D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Satyawati Arora.
(Transferor)

(2) Smt. Parweh Rani.
(Transferee)

(3) Smt. Satyawati Arora.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storeyed House No. B-38/1-A situate at Mohalla Mahmoorganj, Varanasi including land admeasuring 2507 sft and all that description of the property which is mentioned in Form 37G No. 7092 dated 11-8-78, Form 37H showing date of registration 19-9-79, sale deed, duly registered at the office of the Sub Registrar, Varanasi on 11-8-78/19-9-1978.

A. S. BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 27-3-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE
LUCKNOW

Lucknow, the 28th March 1979

Ref. No. K-85/Acq.—Whereas I, A. S. BISEN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- No. B-38/1-A, Mohalla Mahmurganj, Varanasi, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Varanasi on 18-8-1978/19-9-1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any monesy or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Harbansh Lal Mata. (Transferor)

(2) Shri Krishan Lal Arora. (Transferee)

(3) Above seller. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Three storeyed House No. B-38/1-A including land admeasuring 2507 sft. situated at Mohalla Mahmoorganj, Varanasi and all that description of the property which is mentioned in Form 37G No. I 7091 dated 11-8-1978 Form 37H showing the date of registration on 19-9-1978, sale deed duly registered in the office of the Sub Registrar, Varanasi on 11-8-1978/19-9-1978.

A. S. BISEN
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Lucknow

Date : 28-3-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE
57-RAM TIRTH MARG
LUCKNOW

Lucknow, the 30th March 1979

Ref. No. A-75/Acquisition.—Whereas I, AMAR SINGH BISEN,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Premises known as 'MANAK' Bunglow No. 60 situated at Nehru Road, Ranikhet, (Adhikari Lodge),
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Ranikhet on 29-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Professor Sitaram Mehra. (Transferor)

(2) M/s Aditya Mills Ltd. (Transferee)

(3) M/s. Aditya Mills Ltd. (Persons in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Premises known as 'MANAK' (Adhikari Lodge) bearing Bunglow No. 60 situate at Nehru Road, within limits of Ranikhet Cantt. District Almora and all that description of the property which is mentioned in form 37-G No. 768 and sale-deed duly registered at the Office of the Sub-Registrar Ranikhet on 2-9-1978.

AMAR SINGH BISEN
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Lucknow

Date : 30-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD
AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 2nd February 1979

No. Acq.23-I-1804(776)/16-1/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason
to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 241 & 248 situated at Opp. Power House, Dhoraji, Dist. Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Dhoraji on 21-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) O.K. Industries—thro' Managing Partner Shri Pravinbhai Shah of Bombay Power of Attorney holder Shri Jayantibhai J. Shah, Bhakunbhaji Para, Dhoraji Dist. Rajkot.
(Transferor)

(2) M/s. Nabhiraj Company, thro' partner Shri Bhupendra Dinkerrai Shah, 30, Commercial Chambers, Station Road, Opp. Galaxy Cinema, Dhoraji, Dist. Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :— The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open plot of land bearing S. No. 241/2 and 248 admeasuring 23,232 sq. yds. situated opp. Power House, Dhooraji, duly registered by Registering Officer, Dhoraji, vide Sale-deed No. 1094/September, 1978 and as fully described in the said deed.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 2-2-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX, ACT 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX
ACQUISITION RANGE-I, AHMEDABAD

Ahmedabad-380009, the 9th February 1979

No. Acq. 23-I-1812(781)/11-4/78-79.—Whereas I, S. C. PARIKH,
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Ward No. 10, Wagheshwari Plot, Porbandar,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Porbandar on 26-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1992) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforsaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Mohanlal Virji.
2. Shri Damji Virji.
3. Shri Amrutlal Virji.
4. Shri Laxmikant alias Chhotalal Virji.
all of Porbandar.
(Transferor)

(2) Shri Shantilal Mulchand Malaviya, Nagarwada, Nr. Rammandir, Porbandar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land bearing Ward No. 10 (Porbandar Municipality) admeasuring 488-6-4 sq. yds. situated at Wagheshwari Plot, Porbandar, Dist. Junagadh, duly registered by Registering Officer, Porbandar vide Sale-deed No. 2095 of September, 1978 i.e. property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 9-2-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-II

2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE; ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380 009

Ahmedabad-380009, the 14th February 1979

Ref. No. P.R. No. 651 Acq. 23-957/7-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Ward No. 8, Muni No. 364, standing on land situated at Tika No. 14/1 Sur. No. 89, in Bajavad, Navsari,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Navsari in September 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act. or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) 1. Shri Rustom S. Bamji;
2. Shri Mahrukh K. Joshi;
3. Shri Farokh S. Bamji;
4. Shri N. S. Bamji;
5. Shri S. S. Bamji;
6. Nargis N. Monichaher Bamji;
7. Dogdo R. Mehta; and others (two)
All residing : 658, Firdoshi Road, Dadar, Bombay.

(Transferor)

(2) 1. Shri Amratlal Chunilal Modi;
2. Shri Mohanlal Chunilal Gandhi;
3. Shri Kantilal Chunilal Gandhi;
4. Shri Jayantilal Chunilal Gandhi;
5. Shri Natverlal Chunilal Modi;
All residing at : Bajavad, Navsari.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expresions used herein are as defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land and building situated in Ward No. 8, Muni No. 364 Tika No. 14/1, Sur. No. 89, in Bajavad, Navsari admeasuring 212-37-70 sq. mts. as described in the sale-deed registered in September 1978 by registering Officer, Navsari. (Registration No. 2721/30-9-1978).

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range II, Ahmedabad

Date : 14-2-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I

Ahmedabad-380009, the 24th March 1979

No. Acq.23-I-1875(795)/16-6/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 18 on Southern side to Jagnath Road, situated at Ramakrishna Street No. 1, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Rajkot on 12-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of--

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jitendrakumar Manilalbhai Sheth, Jupitor Apartments, 14th Floor, Duf Road, Colaba, Bombay-400005.
(Transferor)

(2) Smt. Madhuben Ramniklal Chotai, Laxmiwadi Main Road, Laxminarayan Niwas, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are degned in Chapter XXA of the 'said Act'. shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 350 sq. yds. bearing Plot No. 18 on southern side to Jagnath Road, situated at Ramkrishna Sheri No. 1, Rajkot and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3787 dt. 12-9-1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 24-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-I

Ahmedabad-380009, the 24th March 1979

No. Acq. 23-I-1875(796)/16-6/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Plot No. 18 on southern side to Jagnath Road, situated at Ramkrishna Sheri No. 1, Rajkot,
(and more fully described in the Scheduled annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Rajkot on 12-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Jitendrakumar Manilalbhai Sheth, Jupitor Apartments, 14th floor, Colaba, Bombay-400005. (Transferor)

(2) Smt. Bhanuben Tribhovandas, Dr. Bamai Sheri, Sanganawa Chawk, Rajkot. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immivable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

An open plot of land admeasuring 350 sq. yds. bearing plot No. 18, on Southern side to Jagnath Road, situated at Ramkrishna Street No. 1, Rajkot, and as fully described in the sale-deed registered vide R. No. 3786 dt. 12-9-1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Dated : 24-4-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

Ahmedabad-380009, the 30th March 1979

Ref. No. P.R. No. (798) Acq. 23-I-1985/11-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing S. No. 3206—Ward No. 11 C.S. No. 3 situated at towards Porbandar Ranavav (M.G. Road), Porbandar, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Porbandar on 26-9-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys of other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) P. H. Wadia & Sons, Transport, Mahatma Gandhi Road, Porbandar.
(Transferor)

(2) Shri Bhanushanker Lecladhar Joshi, Chhaya Road of Porbandar C/o. P. H. Wadia & Sons, Mahatma Gandhi Road, Porbandar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land adm. 302-00 sq. yds. at Ward No. 11, City Survey No. 3, Survey No. 3206 situated at Porbandar—Ranavav Road, (M.G. Road), Porbandar, duly registered by Registering Officer, Porbandar, vide sale-deed No. 2182/19-5-1978—registered on 26-9-1978—intimation received in 1st F.N. of December, 1978—and property fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 30-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

Ahmedabad-380009, the 30th March 1979

No. Acq.23-I-1985(799)/11-4/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
S. No. 3206—Ward No. 11, C.S. No. 3 situated at towards Porbandar Ranavav (M.G. Road, Porbandar),
(and more fully described in the Schedule annexed hereto),
has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Porbandar on 26-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for which transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) P. H. Wadia & Sons, Transport, Mahatma Gandhi Road, Porbandar.
(Transferor)

(2) Shri Dayaram Liladhar Joshi, of Chhaya Plot, Porbandar, C/o. P. H. Wadia & Sons, M. G. Road, Porbandar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the afiresaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Open land adm. 344.45 sq. yds. at Ward No. 11, City Survey Ward No. 3, Survey No. 3206 situated at Porbandar—Ranavav Road, (M.G. Road), Porbandar, duly registered by Registering Officer, Porbandar. Vide Sale-deed No. 2181/19-5-1978—registered on 26-9-1978—intimation received in 1st F.N. of December, 1978 and property as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 30-3-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I

Ahmedabad-380009, the 30th March 1979

Ref. No. P.R. No. (800) Acq. 23-1-1872/16-6/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Nil—1/20th share in building adm. 1727-7-0 sq. yds. known as Rajshri Talkies, situated at Bhupendra Road, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at
Rajkot on 15-9-1978,
for an apparent
consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, 1961 43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Hemkunver Narottamdas C/o, N. D. Maniar, Dharmendra Road, Rajkot.
(Transferor)

(2) Shri Bakul Kantilal, C/o. K. D. Soni, 48, Prahlad Plot, Rajkot.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/20th share in building on land adm. 1727-7-0 sq. yds. known as M/s. Rajshri Talkies, situated at Bhupendra Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide sale-deed No. 3877/15-9-1978 and as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 30-3-1979.
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 30th March 1979

Ref. No. P.R. No. (801) Acq. 23-1-1873/16-6/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH,
Income-tax, Acquisition Range, Rohtak.
being the competent authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Nil—1/20th share in building adm. 1727-7-0 sq. yds. known as Rajshri Talkies, situated at Bhupendra Road, Rajkot,
(and more fully described in the Schedule Annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Rajkot on 15-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair marked value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Hemkunver Narottamdas, C/o N. D. Maniar, Dharmendra Road, Rajkot.

(Transferor)

(2) Shri Manmohan Jayantilal, C/o Jayantilal D. Soni, 48, Prahalad Plot, Rajkot.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which period expire later.

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

1/20th share in building known as M/s. Rajshri Talkies, standing on land adm. 1727-7-0 sq. yds. situated at Bhupendra Road, Rajkot, duly registered by Registering Officer, Rajkot vide Sale-deed No. 3878/15-9-1978 and as fully described therein.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 30-3-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 4th May 1979

No. Acq. 23-I-1934(812)/1-1/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Survey No. 54, F.P. No. 165, Sub-plot No. 24 of TPS| 4 situated at Khokhra Mehmadabad, Maninagar, Ahmedabad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer, at Ahmedabad on 27-9-1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration of such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Savitaben Wd./o Thakorlal Chunilal; B. No. 24, Dalal Colony, Maninagar, Ahmedabad-8.

(Transferor)

(2) 1. Patel Ghanshyam Purshottamdas;
2. Patel Chandrakant Purshottamdas;
3. Patel Jagdishbhai Purshottamdas;
14, Panchvati Colony,
Opp. Jaihind High School,
Maninagar, Ahmedabad-8.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

A building standing on land admeasuring 766 sq. yds. bearing S. No. 54 F.P. No. 165, Sub-plot No. 24, T.P.S. 4, situated at Khookhra Ahmedabad Maninagar, Ahmedabad and as fully described in the sale-deed registered vide Regn. No. 8630 dated 27-9-78.

S. C. PARIKH
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 4-5-1979.

Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009
Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 675 Acq. 23-1147/19-7/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe
that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey N. 116/4 paiki Eastern side and Western side situated at Village Fulpada -Tal. Choryasi, Dist. Surat,
(and more fully described
in the Schedule annexed hereto), has been transferred
under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat, in September 1978,
for an apparent consideration which
is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties
has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dayarambhai Jivanbhai Patel; Village—Butveda, Peta Mahala, Valod. (Transferor)

(2) Ashwin Co-op Housing Society Ltd. Vibhag 2, 7/45, Gotalavadi, Katargam. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3000 sq. yds. (two transactions) situated at village Fulpada, Tal. Choryasi, Dist. Surat at Sr. No. 116/4 paiki East and West side land duly registered at Surat in the month of September 1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 5-5-1979.
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 676 Acq. 23-1147/19-7/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
Survey No. 116/2 paiki West side land situated at Village Fulpada, Tal. Choryasi, Dist. Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at
Surat in September 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :

(1) Kantilal Bapubhai; village : Althana; Tal. Choryasi. (Transferor)

(2) Ashwin Coop. Housing Society Ltd., Vibhag-2, 7/45, Gotalavadi, Surat. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1500 sq. yds. situated at village Fulpada Tal. Choryasi, Dist. Surat at Survey No. 116/2, paiki West side land duly registered at Surat in the month of September 1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 5-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 677 Acq. 23-1147/19-7/78-79.—Whereas, I S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing Survey No. 116/3 paiki Eastern side land situated at village Fulpada Tal. Choryasi, Dist. Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in September 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Narsibhai Pursottambhai; village : Derude—Tal. Kamrej, Dist. Surat.

(Transferor)

(2) Ashwin Coop. Housing Society Ltd., Vibhag 2, 7/45, Getalavadi, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3000 sq. yds. (two transactions) situated at village Fulpada Tal. Choryasi, Dist. Surat S. No. 116/3 paiki East and West side land duly registered at Surat in the month of September 1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 5-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE-I
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 678 Acq. 23-1147/19-7/78-79.— Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Survey No. 116/1 in village Fulpada, Choryasi situated at Dist. Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Surat in September 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Chhitabhai Devabhai Patel; Village : Pinsad—Tal. Navsari, Dist. Valsad.

(Transferor)

(2) Ashwin Coop Housing Society Ltd., Vibhag-2, 7/45, Gotalavadi, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 3000 sq. yds. (two transactions) situated at village Fulpada—Choryasi, Surat S. No. 116/1 (Paiki) East and West side lands duly registered at Surat in the month of September 1979.

S. C. PARIKH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-I, Ahmedabad

Date : 5-5-1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269-D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE-II,
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 679 Acq. 23-1147/19-7/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. Survey No. 116/2 paiki Eastern side land situated at Village—Fulpada, Tal. Choryasi Dist. Surat,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been, transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Surat in September 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act 1961 (43 of 1961) to the following persons, namely :—

(1) Shri Kantilal Bapubhai Village—Althana, Tal. Choryasi.

(Transferor)

(2) Ashwin Coop. Housing Society Ltd., Vibhag-2, 7/45, Gotalavadi, Surat.

(Transferee)

Objections if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land admeasuring 1500 sq. yds. situated at village Fulpada Tal. Choryasi, Dist. Surat S. No. 116/2 paiki East side land duly registered at Surat in the month of September 1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range I, Ahmedabad.

Date : 5-5 1979.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE-II
2ND FLOOR, HANDLOOM HOUSE;
ASHRAM ROAD, AHMEDABAD-380009

Ahmedabad-380009, the 5th May 1979

Ref. No. P.R. No. 680 Acq. 23-1251/19-7/78-79.—Whereas, I, S. C. PARIKH,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Athwa Nondh No. 1931, viz. Final Plot No. 421 (Paiki) of T.P.S. No. 5 situated at Arogyanagar Society, Athwa, Surat (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Surat in September 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Bhaskarbhai Zinabhai Desai; 9/752, Amliran, Surat.

(Transferor)

(2) Shri Jasikaben Girischandra Chudiwala; Kunjlataben Dilipkumar Chudiwala; Navapura, Tarkas Mahollo, Surat.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot of open land in Surat T.P.S. No. 5, admeasuring 520 sq. yds. situated at Arogyanagar Society, Athwa Nondh No. 1931 (Paiki) of TPS No. 5, (Final Plot No. 5) Atawa Surat duly registered in the month of September 1978.

S. C. PARIKH
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range-II, Ahmedabad

Date : 5-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P.No. 1902.—Whereas I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule.
situated at Jullundur.
(and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur, on Sept. 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefore by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferer to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

lowing persons, namely :—

(1) M/S Durga Oil Mills Jullundur Through G. A. Prem Bhagat Basti Bawa Khel, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Surinder Mohan S/o Bhim Sain Sehgal, Vijay Nagar, Julunldur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property.

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4326 of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 5-5-1979
Seal :

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1903.—Whereas I, B. S. Dehiya,

being the Competent Authority under Section 269B of the income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule.
situated at Jullundur,
(and more fully described in the Sschedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Sept. 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) M/S Durga Oil Mills Jullundur through G. A. Prem Bhagat Basti Bawa Khel, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Mohan Lal S/o Bhim Sain Sehgal, Vijay Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION:—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration sale deed No. 4608 of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commission of Income-tax
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 5-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1904.—Whereas I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. As per schedule. situated Model Town Jullundur, (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on September 1978. for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satnam Singh s/o Hardayal Singh Village Jabhai Teh. Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Mohinder Paul Singh S/o Pritam Singh 7-L Model Town, Jullundur.

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration sale deed No. 4525 of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 5-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX,

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1905.—Whereas I. B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per schedule.
situated at Qazi Mohalla Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at at Jullundur on Sept. 1978,
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Chhankandi Devi Wd/o Shiv Ram, 67 Officer Colony, Karnal.
(Transferor)

(2) Smt. Jaswant Kaur W/o Piara Singh 2. Surinder Singh S/o Piara Singh 14-FC Panjpir Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

House as mentioned in the Registeration sale Deed No. 4709 of Sept. 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 5-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1906.—Whereas I, B. S. Dehiya, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule.
situated at New Jawahar Nagar Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act,
1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at at Jullundur, on Sept. 1978.
for an apparent consideration which is
less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

(1) Shri Gurmit Singh S/o Meharban Singh c/o Himson Engg. Works, Kapurthala Rd., Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Vijay Kumar Sehgal S/o D. D. Sehgal 99/3 Central Twon, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(b) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later,

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4447 of September, 1978 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Competent Authority.

Acquisition Range, Kanpur.

Date : 3-5-1979

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1907.—Whereas I, B. S. Dehiya, Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing

No. As per schedule
situated at Basti Nau, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Sept. 1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Rajinder Kumar S/o Bishan Dass 2. Dev. Raj S/o Roshan Lal 954-Govind Garh, Jullundur. (Transferor)

(2) M/S K. G. Sports, Basti Road, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2. (Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Plot as mentioned in the Registeration sale deed No. 4402 of September, 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 5-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

Jullundur, the 5th May 1979

Jullundur, the 5th May 1979

Ref. No. A.P.-1908.—Whereas I, B. S. Dehiya.
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
As per schedule
situated at Model Town, Jullundur.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908) (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Sept. 1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely—

(1) Shri Dhian Singh S/o Nand Singh Vill. Nussi.
(Transferor)

(2) Shri Gurcharan Singh S/o Sukhdev Singh 305-R, Model Town, Jullundur.
(Transferees)

(3) As per Sr. No. 2.
(Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned.—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gaette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in the Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4853 of Sept., 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 8-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 8th May 1979

Ref. No. A.P.-1909.—Whereas I, B. S. Dehiya, being the competent authority under section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per schedule
situated at Model Town, Jullundur,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Jullundur on Sept. 1978.
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any money or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Dhian Singh S/o Nand Singh Vill. Nussi. (Transferor)

(2) Smt. Prem Kaur W/o Sukhdev Singh 305-R, Model Town, Jullundur. (Transferee)

(3) As per Sr. No. 2. (Person in occupation of the property).

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property).

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4869 of Oct., 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE

Jullundur, the 8th May 1979

Ref No. A.P.-1910.—Whereas I, B. S. DEHIYA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on Sept., 1978, for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely:—

(1) Smt. Harbans Kaur Wd/o Kartar Singh, Vill. Begowal Teh: & Distt. Kapurthala. (Transferor)

(2) Shri Om Parkash 168-Adrash Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersinged knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writng to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4512 of Sept., 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range
Jullundur

Date : 8-5-1979

FORM I.T N S.——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th May 1979

Ref. No. AP-1911.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on September 1978
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(a) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harbans Kaur W/o Kartar Singh, Vill. Begowal Teh. & Distt. Kapurthala. (Transferor)

(2) Smt. Agya Rani W/o Om Parkash, 168-Adarsh Nagar, Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned:—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4513 of September, 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-5-79.

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th May 1979

Ref. No. AP-1912.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
No. As per Schedule situated at Adarsh Nagar, Jullundur and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Jullundur on September 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income airising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act,' I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) Smt. Harbans Kaur W/o Kartar Singh, Vill. Begowal Teh. & Distt. Kapurthala.
(Transferor)

(2) Sh. Naval Kishore S/ō Om Parakash, 168-Adarsh Nagar, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The term and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in htat Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4518 of Sept., 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asst. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-5-79.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX, ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th May 1979

Ref. No. AP-1913.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. No. As per Schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer Jullundur on September 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Sh. J. P. Sharma & Bros. S/236, Indl. Area, Jullundur. (Transferor)

(2) Smt. Jeet Kaur W/o Balbir Singh, Vill. Jendiala Distt. Jullundur. (Transferee)

(3) As per S. No. 2 above. (Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property. (Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property asmentioned in the Registration Sale Deed No. 4539 of Sept., 78 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-5-79.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 8th May 1979

Ref. No. AP-1914.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. As per Schedule situated at Jullundur (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering officer at Jullundur on September 1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

(1) M/s. J. P. Sharma & Bros.
S/236, Indl. Area, Jullundur.
(Transferor)

(2) Smt. Jeet Kaur W/o Balbir Singh,
Vill. Jendiala Distt. Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 4599 of Sept., 1978 of the Registering Authority, Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-Tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 8-5-79.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, JULLUNDUR

Jullundur, the 10th May 1979

Ref. No. A.P. No. 1915.—Whereas, I B. S. DEHIYA being the Competent Authority under Section 269B of the Inoome-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinatfer referred to as the 'said Act', have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. As per Schedule situated at Jullundur
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Jullundur on September 1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shrimati Gurdial Kaur D/o Malook Singh, 21 Ranjit Nagar, Jullundur.
(Transferor)

(2) Shri Chander Sheikhar S/o Satya Pal E.G., 794 N.G. Road, Jullundur.
(Transferee)

(3) As per S. No. 2 above.
(Person in occupation of the property)

(4) Any other person interested in the property.
(Person whom the undersigned knows to be interested in the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Property as mentioned in the Registeration Sale Deed No. 5366 of October, 1978 of the Registering Authority Jullundur.

B. S. DEHIYA
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Jullundur

Date : 10-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 33/79-80.—Whereas, I
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Open land in situated at S. No. 27/B & 28 Ward, 2 at Gandia, pally, Villg.
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer
at Chittoor on September-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Sri P. Subbiahchetty, S/o Sri Venkatesubbiah Chetty, H. No. 4/85 at Mukundapuram, Nellore-2.
(Transferor)

2. Sri V. Sreeramulu Chetty, S/o V. Rangiah Chetty, H. No. 2-1-13 at Officer's line, Chittoor.
(Transferee)

Objections, if any to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective person, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Vacant land in Ward No. 2 S.No. 27/1-B & 28 situated in Gandlapally Village, Chittoor Municipality, registered vide Document No. 4996/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Chittoor.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 34/79-80.—Whereas, I
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'),
have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Shop No. 38 situated at M-G Road, Secunderabad,
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Secunderabad on October 1978
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. United Builders, H.No. 139 at M. G. Road, Secunderabad.

(Transferor)

2. Sri Dinesh R. Lula, H.No. 1-8-264/6 at S.P. Road, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Mulgi No. 38 in the United Builders situated at 139 M.G. Road, Secunderabad, registered vide Document No. 2655/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 35/79-80.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said' Act'), have reason to believe that immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 317 to 319 situated at Chandralok Building, Secunderaad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Swastik Construction Co., situated at 111-S.D. Road, Secunderabad.
(Transferor)
2. Smt. K. Ramavathy, H. No. 1-10-1/15 at Ashok Nagar Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 317, 318, and 319 in IIIrd floor of Chandralok Complex, situated at 111-Sarojini Devi Road, Secunderabad, registered vide Document No. 3831/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 36/79-80.—Whereas, I
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
304 & 305 situated at Chandralok complex, Secunderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on September-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax, Act 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the 'said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under Sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Swastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad.
(Transferor)
2. Sri K. Harith Raju, (Minor) C/o K. S. N. Raju R/o Asram Road, Patamata Ianka, Vijayawada.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act,' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office premises No. 304 and 305 in III rd floor of Chandralok Complex, situated at 111-Sarojini Devi Road, Secunderabad, registered vide Document No. 3832/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 37/79-80.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 306 & 307 situated at Chandralok Complex, Secd-bad, (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad. (Transferor)

2. Smt. K. Usha Rani, C/o K. S. N. Raju, at Asram Road, Patamata lanka, Vijayawada-6. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 306 and 307 in IIIrd floor of Chandralok Complex, at 111-S.D. Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 3833/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 38/77-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961) (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number 320 & 321 situated at Chandralok Complex, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Swastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad.

(Transferor)

2. Sri K. V. Vishnu Raju, C/o K. Ramawathy, 1-10-1/15 at Ashoknagar, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 320 and 321 in IIIrd floor of Chandralok Complex, at 111-S.D. Road, Secunderabad, registered vide Doc. No. 3834/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 39/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 315 & 316 situated at Chandralok Complex, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. Swastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad.
(Transferor)
2. Smt. K. Vanitha, C/o Dr. K. S. N. Raju, 1-10-1/15 at Ashoknagar, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, which ever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA in the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 315 and 316 in IIIrd floor of Chandralok Complex, situated at 111-S.D. Road, Secunderabad, registered vide Document No. 3835/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS ———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 40/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Ship No. 70 situated at Chandralok Complex, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or exasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Sawastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad.
(Transferor)
2. Sri K. Narsimham H. No. 21-F/D at Nallagunta, Ramgopalpet, Secundrabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the srvice of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop No. 70 in Chandrayok omplex, situated at 111-Sarojjini Devi Road, Secundrabad, registered vide Document No. 3836/78 in the Office of the joint Sub-Regitrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 41/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. 308 & 309 situated at Chandralok Complex, Secunderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Secunderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957).

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastik Construction Co., at 111-S.D. Road, Secunderabad. (Transferor)
2. K. Bala Vishnu Raju, (Minor) C/o K. S. N. Raju, Asram Road, at Patamata lanka, Vijayawada-6. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 308 and 309 in IIIrd floor of Chandralok Complex, situated at 111-Sarojini Devi Road, Secunderabad, registered vide Document No. 2322/78 in the office of the Sub-Registrar Secunderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 43/79-80.—Whereas, I,
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
114 on 1st floor situated at Sagar view Building, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer
at Hyderabad on September-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, H. No. 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad.
(Transferor)

2. Smt. Pulumati Manuka Lakshmi, W/o late P. Srihari, 2. Sri P. V. R. Rao, and 3. P. V. L. Rao, residing at H. No. 15-7-82 at Kolsawadi, Begum Bazar, Hyderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office premises No. 114 on first floor of Sagarview Building H. No. 1-2-524/3 at Domulguda, Hyderabad, registered vide Document No. 3489/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,
ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 44/79-80.—Whereas, I,
K .S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing
No. 113 on Ist Hyderabad floor of Sagarview Building situated at (and more fully described in the Schedule annexed
hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on Sept.-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid
property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, H.No. 1-2-524/3 at Domulguda, Hyderabad.
(Transferor)

2. Smt. Pulumati Kanuka Laxmi, W/o late P. Srihari, S/Sri P. V. L. Rao, 3. P. V. R. Rao, residing at H. No. 15-7-82 at Kolsawadi, Begumbazar, Hyderabad. 12.
(Transferee)
(Person in occupation of the property)
(Person whom the undersigned knows

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 113 in Ist floor of Sagar view Building at premises M No. 1-2-524/3 at Domulguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 3490/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority.
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D (1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION, RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 45/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 10 situated at Sagar View Building, Hyderabad (and more fully described in the schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act 1908 (16 of 1908) in the Office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons namely :—

1. Sri Swastik Builders, H. No. 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

2. Sri Satish Kumar Mahajan, H. No. 40 at Ramgopalpet, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop. No. 10 in Sagar View Building, H. No. 1-2-524/3 at Domalguda Hyderabad, registered vide Document No. 3868/78 in the office of the Joint Sub-Registrar, Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 28-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 46/79-80.—Whereas, I,
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs 25,000/- and bearing
309 in IIIrd Hyderabad floor of Sagar view Building situated at (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on September-78
for an apparent consideration
which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax, Act 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following person, namely :—

1. Swastik Builders, H. No. 1-2-42/3 at Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

2. Sri K. V. Ramprasad, H.No. 1-2-412/2 at Gaganmahal Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 309 in IIIrd floor of Sagar view Building situated at Domalguda, Hyderabad, registered vide Doc. No. 3869/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979

Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref .No. RAC. No. 37/79-80.—Whereas, I, K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax. Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing number 308 in 3rd floor at Sagar view Building, situated at Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908), in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth Tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, H.No. 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

2. Sri K. V. Saran Kumar, H.No. 1-2-412/2 at Gaganmahal Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act' shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office premises No. 308 in 3rd floor of Sagar view Building situated at Domalguda, Hyderabad, registered vide Document No. 3870/78 in the Joint Sub-Registrar Hyderabad Office.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979.
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 48/79-80.—Whereas, I
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
307 in 3rd floor at Sagar view Building, Hyderabad
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the
Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on September-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the
aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, 1-524/3 at Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

2. Smt. Usha Raman, W/o K. V. Raman, H. No. 1-2-412/2 at Gaganmahal, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Office No. 307 on 3rd floor of Sagar view Building situated at Domalguda, Hyderabad, registered vide Doc .No. 3871/78 in the Office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 49/79-80.—Whereas, I
K. S. VENKATARAMAN,
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
RC. No. 12 in situated at Sagar view Building, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Hyderabad on September-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad.
(Transferor)

2. Mr. G. L. Mahajan, H.No. 40 Ramagopalpet Secunderabad.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Rare cellor No. 12 in ground floor of Sagar View Building No. 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad, registered vide Document No. 3872/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 50/79-80.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop No. 10 situated at Sagarview Building, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. Swastic Builders, 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad.

(Transferor)

2. Mrs. Santosh Mahajan, W/o Sri G. L. Mahajan, H. No. 40- Ramgopalpet, Secunderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publ' cation of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop. No. 10 front cellar in Sagar view Building, M. No. 1-2-524/3 at Domalguda, Hyderabad, registered vide Document No. 3873/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-1979
Seal :

FORM ITNS—

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hyderabad, the 8th May 1979

Ref. No. RAC. No. 51/79-80.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Shop. No. 30 situated at 22-7-26830 Dewan Devdi, Hyd. (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Azampura on September178 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) of the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957):

Now therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-Section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

1. M/s Shaw Builders, Office No. 22-7-269/3 at Dewan Deodi, Hyderabad. (Transferor)

2. Mrs. Preetam Kaur, W/o Sri Mahender Singh, H.No. 1-1-230/25 at Chikadpally, Hyderabad. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Shop. No. 30 in the premises No. 22-7-269/30 at Salar Jung Market, Dewan Dewdi, Hyderabad, registered vide Document No. 2509/78 in the Office of the Sub-Registrar Azampura.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 8-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER

OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, HYDERABAD

Hydearabad, the 14th May 1979

Ref. No. RAC. No. 52/79-80.—Whereas, I K. S. VENKATARAMAN, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act') have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Flat. No. 1 in situated at 15-8-417/1 Feelkhana, Hyderabad (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Hyderabad on September-78 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons namely :—

1. Smt. Lakshmi Bai, W/o Jagdish Pershad, H. No. 21-1-293 at Rikabgunj, G.P.A. Sri Jagdish Pershad, Hyderabad.

(Transferor)

2. Smt. P. Krishna Veni W/o Sri Lakshminarayana, H. No. 15-8-417/1 Feelkana, Hyderabad. 2. Smt. P. Narasamma, W/o P. Prakash, Feelkhana, Hyderabad.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Flat No. 1 in the 2nd floor of premises No. 5-8-525 at Chiragali lane, Abid Road, Hyderabad, registered vide Document No. 3619/78 in the office of the Joint Sub-Registrar Hyderabad.

K. S. VENKATARAMAN,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Hyderabad.

Date : 14-5-1979

Seal :

FORM ITNS——

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 10th May 1979

Ref. No. A-127/Gam/78-79/134-139.—Whereas, I, R. N. **BARA,**
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No.
Dag. No. 27, K. P. Patta No. 146, situated at Village Hangrabari, Mauza Beltotal, Gauhati, Distt. Kamrup, Assam
(and more fully described in the Schedule annexed hereto) has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati on 25-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri G. C. Kagti, 2. Smt. Nilima Kagti D/o L. Gopal Chand Kagti, 3. Shri Likhan Chand Kagti, 4. Shri Jitamrit Kagti and 5. Shri Satyamrit Kagti, Gauhati.
(Transferor)

(2) Shri Satilal Nandy, Nawjan, Sibsagar.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 (ana) Bigha situated at Dishpur, Gauhati in the opposite side of the Janta Bhavan, in the district of Kamrup, Assam.

R. N. BARA,
Competent Authority.
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong

Date : 10-5-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME TAX

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 15th May 1979

Ref. No. A-219/Gan/78-79.—Whereas, I, R. N. BARA, being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing No. Dag No. 129, 120 & 131 of K. P. Patta No. 30 situated at Village Dispur, Mouza Beltola, Gauhati in the District of Kamrup, Gauhati (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati on 12-9-1978 for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reasons to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of:—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269-D of the said Act, to the following persons, namely :—

28—86GI/79

(1) Shri Rajendra Kumar Roy Choudhury, S. K. Bhuya Road, Gauhati.

(Transferors)

(1) Shri K. P. Bidyawatka Charitable Trust, Gauhati.

(Transferee)

Obejctions, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid person within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 (four) Katha situated at G.S. Road, Gauhati.

R. N. BARA,
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Shillong.

Date : 15-5-1979
Seal ;

FORM ITNS————

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 15th May 1979

Ref. No. A-220/Gan/78-79/170-71.—Whereas, I, R. N. BARA,

being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- Dag No. 131 and 128 of K.P. Patta No. 30 situated at Village Dispur, Mouza Beltola, Gauhati in the district of Kamrup, Assam

(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Gauhati on 15-9-78

for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Babulal Chowdhury, alias Bablu Roy Choudhury, Gauhati. (Transferor)

(2) Shri Shiv Bhawan Gupta Dishpur, Gauhati-5. (Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the srvice of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 4 Katha 4 Lecha along with a house of Assam type measuring 750 Sq. Ft. situated at G.S. Road, Gauhati.

R. N. BARA,
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Shillong.

Date : 15-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, SHILLONG

Shillong, the 15th May 1979

Ref. No. A-221/Gau/78-79/159-64.—Whereas, I, R. N. BARA
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property, having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- Dag No. 27 K.P. Patta No. 146 situated at Village Hangrabari, Mouza, Beltola, Gauhati, Dist. Kamrup, Assam (and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the registering Officer Gauhati on 25-9-1978
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property, and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of :—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or the assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C, of the said Act, I hereby initite proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) 1. Shri G. C. Kagti,
2. Smt. Nilima Kagti,
D/o L. Gopal Ch. Kagti,
3. Shri Kikhan Ch. Kagti,
4. Shri Jitamrit Kagti and
5. Shri Satyamrit Kagti,
Ujan Bazar, Gauhati.

(Transferors)

(2) Shri Motilal Nandy,
Balipara, Dist. Darrang.

(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION :—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

The land measuring 1 (one Bigha) situated at Dishpur, Gauhati, in the opposite side of the Janata Bhavan, in the Dist. of Kamrup, Gauhati.

R. N. BARA
Competent Authority
Inspecting Asstt. Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Shillong

Date : 15-5-1979
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSISTANT COMMISSIONER OF INCOME-TAX,

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 12th April 1979

Ref. No. III-315/Acq/79-80.—Whereas, I, J. NATH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and part of bearing holding No. 148 (old) and 251 (new) of Ward No. 1 within Giridih Municipality situated at Mouza Makatpur, on Giridih Bengabad Road in Giridih town
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at Giridih on 29-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideration and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assests which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act, or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269 C, of the said Act I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the of this notice under sub-section (1) of Section 269 D of the Said Act (1961 (43 of 1961) to the following persons, namely—

(1) Smt. Jiwan Devi, widow of late Sardar Budh Singh, Giridih, P.S. Giridih, Dist. Giridih.
(Transferor)

(2) Smt. Jaswant Kaur,
W/o Sardar Santokh Singh,
Station Road, Giridih, Dist. Giridih.
(Transferee)

(3) M/s. Motors Corporation Ltd.,
Giridih.
(Person in occupation of the property)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned :—

(a) by any of the aforesaid persons with a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later.

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION : The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the 'said Act', shall have the same mearing as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 1 Bigha 2 Kathas 11 Chhataks together with brick-built pucca constructed house with its fixtures and fittings and brick-built compound wall situated in Giridih Bengabad Road in Giridih town bearing holding No. 148 (old) and 251 (new) of ward No. 1, Mouza, Makatpur, Thana No. 95 Gadi Karharbaree, Tozi No. 15/11, PS. & Dist. Giridih morefully described in Deed No. 9976 dated 29-9-78 registered at Giridih.

J. NATH
Competent Authority,
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax,
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date :12-4-79
Seal :

FORM ITNS———

NOTICE UNDER SECTION 269D(1) OF THE INCOME-TAX ACT, 1961 (43 OF 1961)

GOVERNMENT OF INDIA

OFFICE OF THE INSPECTING ASSTT. COMMISSIONER OF INCOME-TAX

ACQUISITION RANGE, BIHAR
BORING CANAL ROAD, PATNA

Patna, the 12th April 1979

Ref. No. III-316/Acq/79-80.—Whereas, I. J. NATH, Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax, Acquisition Range, Bihar, Patna
being the Competent Authority under Section 269B of the Income-tax, Act, 1961 (43 of 1961) (hereinafter referred to as the 'said Act'), have reason to believe that the immovable property having a fair market value exceeding Rs. 25,000/- and bearing holding
No. 400, Ward No. I(old) & Ward No. II (new) situated at Mouja Makatpur, Dist. Giridih
(and more fully described in the Schedule annexed hereto), has been transferred under the Registration Act, 1908 (16 of 1908) in the office of the Registering Officer at
Calcutta on 25-9-78
for an apparent consideration which is less than the fair market value of the aforesaid property and I have reason to believe that the fair market value of the property as aforesaid exceeds the apparent consideration therefor by more than fifteen per cent of such apparent consideraiton and that the consideration for such transfer as agreed to between the parties has not been truly stated in the said instrument of transfer with the object of—

(a) facilitating the reduction or evasion of the liability of the transferor to pay tax under the said Act, in respect of any income arising from the transfer; and/or

(b) facilitating the concealment of any income or any moneys or other assets which have not been or which ought to be disclosed by the transferee for the purposes of the Indian Income-tax Act, 1922 (11 of 1922) or the said Act or the Wealth-tax Act, 1957 (27 of 1957);

Now, therefore, in pursuance of Section 269C of the said Act, I hereby initiate proceedings for the acquisition of the aforesaid property by the issue of this notice under sub-section (1) of Section 269D of the said Act, to the following persons, namely :—

(1) Shri Satendra Nath Mitra,
S/o Late Dr. Dwijendra Nath Mitra,
4, S. N. Pandit Street, Calcutta-700020.
(Transferor)

(2) M/s. Ratan Mica Export (P.) Ltd.
through its Director, Sri Rajan Bagaria,
S/o Sri Gobardhan Das Bagaria having its Head office at 90, Mutaram Babu Street, Calcutta.
Branch office at Giridih, P.S. Giridih, Dist. Giridih.
(Transferee)

Objections, if any, to the acquisition of the said property may be made in writing to the undersigned—

(a) by any of the aforesaid persons within a period of 45 days from the date of publication of this notice in the Official Gazette or a period of 30 days from the service of notice on the respective persons, whichever period expires later;

(b) by any other person interested in the said immovable property, within 45 days from the date of the publication of this notice in the Official Gazette.

EXPLANATION.—The terms and expressions used herein as are defined in Chapter XXA of the said Act, shall have the same meaning as given in that Chapter.

THE SCHEDULE

Land measuring 3 Bighas 6 Chhataks known as "Ruby Lodge" together with as one storeyed building, out-houses, compound walls, a well situated in Mauza Makatpur within police Station and Dist. Giridh bearing holding No. 400 of Ward No. 1(old) & Ward No. II (new) of Giridih municipaltiy morefully described in deed No. I-4697 dated 25-9-78 registered with the Sub Registrar of Assurance, Calcutta.

J. NATH
Competent Authority
Inspecting Assistant Commissioner of Income-tax
Acquisition Range, Bihar, Patna

Date :12-4-79

Seal :

UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION

NOTICE

COMBINED DEFENCE SERVICES EXAMINATION

NOVEMBER, 1979

New Delhi, the 2nd June 1979

No. F.8/3/79-EI(B).—A Combined Defence Services Examination will be held by the Union Public Service Commission commencing from 6th November, 1979 for admission to the under mentioned courses :—

Name of the Course	*Approximate No. of Vacancies*
Indian Military Academy, Dehra Dun (69th Course commencing in July, 1980	120
[Includes 32 vacancies reserved for NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders].	
Naval Academy, Cochin (Course commencing in July, 1980)	80
Officers' Training School Madras (32nd course commencing in October 1980)	160

NOTE I : NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders may also compete for the vacancies in the Naval Academy and Short Service Commission (Non-Technical) Courses, but since there is no reservation of vacancies for them in these courses, they will be treated as general candidates for the purpose of filling up vacancies in these Courses. Candidates who have yet to pass NCC 'C' Certificate (Army Wing) examination, but are otherwise eligible to compete for the reserved vacancies, may also apply but they will be required to submit the proof of passing the NCC 'C' Certificate (Army Wing) examination to reach the Commission's office by 30th June, 1980.

"To be eligible to compete for reserved vacancies the candidate should have served for not less than 2 academic years in the Senior Division Army Wing of National Cadet Corps and should not have been discharged from the NCC for more than 12 months on the last date for receipt of applications in the Commission's Office."

NOTE II : In the event of sufficient number of qualified NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders not becoming available on the results of the examination to fill all the vacancies reserved for them in the Indian Military Academy Course, the unfilled reserved vacancies shall be treated as unreserved and filled by general candidates.

Admissions to the above courses will be made on the results of the written examination to be conducted by the Commission followed by intelligence and personality test by a Services Selection Board, of candidates who qualify in the written examination. The details regarding the (a) scheme, standard and syllabus of the examination, (b) physical standards for admission to the Academy/School, and (c) brief particulars of service etc. for candidates joining the Indian Military Academy, Naval Academy and Officers' Training School, are given in Appendices I, II and III respectively.

NOTE : THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS OF THE EXAMINATION WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

2. *CENTRES OF EXAMINATION.*—Ahmedabad, Allahabad, Bangalore, Bhopal, Bombay, Calcutta, Chandigarh, Cochin, Cuttack, Delhi, Dispur (Gauhati), Hyderabad, Jaipur, Jammu, Lucknow, Madras, Nagpur, Panaji (Goa), Patiala, Patna, Port Blair, Shillong, Simla, Srinagar and Trivandrum.

3. *CONDITIONS OF ELIGIBILITY*

(a) *Nationality*

A candidate must either be—

(i) a citizen of India, or

(ii) a subject of Bhutan, or

(iii) a subject of Nepal, or

(iv) a Tibetan refugee who came over to India before the 1st January, 1962 with the intention of permanently settling in India, or

(v) a person of Indian origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sri Lanka and East African countries of Kenya, Uganda, United Republic of Tanzania, Zambia, Malawi, Zaire and Ethiopia and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

Provided that a candidate belonging to categories (iii), (iv) and (v) above shall be a person in whose favour a certificate of eligibility has been issued by the Government of India.

Certificate of eligibility will not however, be necessary, in the case of candidates who are Gorkha subjects of Nepal.

A candidate in whose case a certificate of eligibility is necessary may be admitted to the examination and he may also be provisionally admitted to the Academy or School, as the case may be, subject to the necessary certificate being given to him by the Government.

(b) *Age limits, sex and marital status* :—

(i) For I.M.A. and Naval Academy : Unmarried male candidates born not earlier than 2nd July, 1958 and not later than 1st July, 1961 are only eligible.

(ii) For Officers' Training School—Male candidates (married or un-married) born not earlier than 2nd July, 1957 and not later than 1st July, 1961 are only eligible.

NOTE : Date of birth as recorded in Matriculation/Higher Secondary or equivalent examination certificate will only be accepted.

(c) Educational Qualifications :—Degree of a recognised University or equivalent. Candidates who have yet to pass the degree examination can also apply but they will be required to submit proof of passing the degree examination to reach the Commission's office by the following date failing which their candidature will stand cancelled :—

(i) For admission to I.M.A. & Naval Academy—on or before the 30th June, 1980.

(ii) For admission to Officers' Training School—on or before 15th September, 1980.

Candidates possessing professional and technical qualifications which are recognised by Government as equivalent to professional and technical degrees would also be eligible for admission to the examination.

In exceptional cases the Commission may treat a candidate, who has not any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which, in the opinion of the Commission justifies his admission to the examination.

NOTE I : Those candidates who have yet to qualify in the Degree Examination and are allowed to appear in the UPSC Examination should note that this is only a special concession given to them. They are required to submit proof of passing the Degree examination by the prescribed date and no request for extending this date will be entertained on the grounds of late conduct of basic qualifying University Examination, delay in declaration of result or any other ground whatsoever.

NOTE II : Candidates who are debarred by the Ministry of Defence from holding any type of Commission in the Defence Services shall not be eligible for admission to the examination and if admitted, their candidature will be cancelled.

NOTE III : Naval Sailors (including boys and artificer apprentices) except Special Service Sailors having less than 6 months to complete their engagements are not eligible to take this examination. Applications from Special Service Sailors having less than six months to complete their engagements will be entertained only if these have been duly recommended by their Commanding Officers.

4. *FEE TO BE PAID WITH THE APPLICATION.*— Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates). Applications not accompanied by the prescribed fee will be summarily rejected.

5. *REMISSION OF FEE.*—The Commission may, at their discretion, remit the prescribed fee where they are satisfied that the applicant is a *bona fide* displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and has migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Burma who migrated to India on or after 1st June, 1963 or is a *bona fide* repatriate of Indian origin from Sri Lanka who migrated to India on or after 1st November, 1964 or is a prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964 and is not in a position to pay the prescribed fee.

6. *HOW TO APPLY.*—Only printed applications on the form prescribed for the Combined Defence Services Examination November, 1979 appended to the Notice will be entertained. Completed applications should be sent to the Secretary Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011. Application forms and full particulars of the examination can be had from the following sources :—

(i) By post from Secretary, Union Public Service Commission, Dholpur House, New Delhi-110011 by remitting Rs. 2/- by Money Order or by crossed Indian Postal Order payable to Secretary, U.P.S.C. at New Delhi G.P.O.

(ii) On cash payment of Rs. 2/- at the counter in the Commission's office.

(iii) Free of charge from nearest Recruiting Office Military Area/Sub-Area Headquarters, N.C.C Directorates and Naval Establishments.

All candidates whether already in Government service or in Government owned industrial undertakings or other similar organisations or in private employment should submit their applications direct to the Commission. If any candidate forwards his application through his employer and it reaches the Union Public Service Commission late the application, even if submitted to the employer before the closing date will not be considered.

Persons already in Government service whether in a permanent or temporary capacity or as work charged employees other than casual or daily rated employees are, however, required to submit an undertaking that they have informed in writing their Head of Office/Department that they have applied for the Examination.

A candidate serving in the Armed Forces must submit his application through his Commanding Officer who will complete the endorsement (vide Section 'B' of the application form) and forward it to the Commission.

7. *LAST DATE FOR RECEIPT OF APPLICATIONS IN THE COMMISSION'S OFFICE* :—

(i) From candidates in India 30th July, 1979.

(ii) From candidates abroad or in Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep 13th August, 1979.

8 *DOCUMENTS TO BE SUBMITTED WITH THE APPLICATION.*

(A) *By all candidates* :—

(i) Fee of Rs. 28/- (Rs. 7/- for Scheduled Castes/Tribes candidates) through crossed Indian Postal Orders payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the New Delhi General Post Office or crossed Bank Draft from any branch of the State Bank of India payable to the Secretary, Union Public Service Commission at the State Bank of India, Main Branch, New Delhi.

Candidates residing abroad should deposit the prescribed fee in the office of India's High Commissioner, Ambassador, or Representative abroad as the case may be for credit to the account Head "051 Public Service Commission—Examination fees" and the receipt attached with the application.

(ii) Attendance Sheet (attached with the application form) duly filled.

(iii) Two identical copies of recent passport size (5 cm. x 7 cm approx.) photographs of the candidate duly signed on the front side.

One copy of the photograph should be pasted on the first page of the application form and the other copy on the Attendance Sheet in the space provided therein.

(B) *By Scheduled Castes/Scheduled Tribes candidates* :—

Attested/certified copy of certificate in the form given in Appendix IV from any of the competent authorities (mentioned under the certificate) of the District in which he or his parents (or surviving parent) ordinarily reside, in support of claim to belong to Scheduled Caste/Scheduled Tribe.

(C) By candidates claiming remission of fee :—

(i) An attested/certified copy of a certificate from a District Officer or a Gazetted Officer or a Member of Parliament or State Legislature certifying that he is not in a position to pay the prescribed fee.

(ii) An attested/certified copy of a certificate from the following authorities in support of the claim to be a *bona fide* displaced person/repatriate—

(a) *Displaced person from erstwhile East Pakistan* :

(i) Camp Commandant of the Transit Centres of the Dandakaranaya Project or of Relief Camps in various States.

OR

(ii) District Magistrate of the area in which he may, for the time being, be a resident.

OR

(iii) Additional District Magistrate in charge of Refugee Rehabilitation in his district.

OR

(iv) Sub-Divisional Officer within the sub-division in his charge.

OR

(v) Deputy Refugee Rehabilitation Commissioner, West Bengal/Director (Rehabilitation) in Calcutta.

(b) *Repatriates from Sri Lanka* :

High Commission for India in Sri Lanka.

(c) *Repatriate from Burma* :

Embassy of India, Rangoon or District Magistrate of the area in which he may be resident.

(D) *By NCC 'C' Certificate (Army Wing) holders competing for the vacancies reserved for them in the I.M.A. Course.*

An attested/certified copy of a certificate to show that he is a NCC 'C' Certificate (Army Wing) holder or a certificate to the effect that he is appointed or appeared in the N.C.C. 'C' Certificate (Army Wing) examination.

9. *REFUND OF FEE.*—No refund of fee paid to the Commission with the application will be entertained except in the following cases, nor can the fee be held in reserve for any other examination or selection :—

(i) A refund of Rs. 15/- (Rs. 4/- in case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be made to a candidate who has paid the prescribed fee and is not admitted to the examination by the Commission. If, however, the application is rejected on receipt of information that the candidate has failed in the degree examination or will not be able to submit the proof of passing the degree examination by the prescribed date, he will not be allowed refund of fee.

(ii) A refund of Rs. 28/- (Rs. 7/- in the case of candidates belonging to Scheduled Castes/Scheduled Tribes) will be allowed in the case of a candidate who took the Combined Defence Services Examination May, 1979 and is recommended for admission to any of the courses on the results of that Examination provided his request for cancellation of candidature for the Combined Defence Services Examination November, 1979 and refund of fee is received in the office of the Commission on or before 31st March, 1980.

10. *ACKNOWLEDGEMENT OF APPLICATIONS.*—All applications received in the prescribed form for this examination will be acknowledged. If a candidate does not receive an acknowledgement of his application within a month from the last date of receipt of applications for the examination, he should at once contact the Commission for the acknowledgement.

11. *RESULT OF APPLICATION.*—If a candidate does not received from the Commission a communication regarding the result of his application one month before the commencement of the examination, he should at once contact the Commission for the result. Failure to comply with this provision will deprive the candidate of any claim to consideration.

12. *ADMISSION TO THE EXAMINATION.*—The decision of the Union Public Service Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate shall be final. No candidate shall be admitted to the examination unless he holds a certificate of admission from the Commission.

13. *ACTION AGAINST CANDIDATES FOUND GUILTY OF MISCONDUCT.*—Candidates are warned that they should not furnish any particulars that are false or suppress any material information in filling in the application form. Candidates are also warned that they should in no case correct or alter or otherwise tamper with any entry in a document or its attested/certified copy submitted by them nor should they submit a tampered/fabricated document. If there is any inaccuracy or any discrepancy between two or more such documents or their attested/certified copies, an explanation regarding the discrepancy should be submitted

A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of—

(i) obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) impersonating, or

(iii) procuring impersonation by any person, or

(iv) submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) making statements which are incorrect or false, or suppressing material information, or

(vi) resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature for the examination, or

(vii) using unfair means during the examination; or

(viii) writing irrelevant matter, including obscene language or pornographic matter, in the script(s); or

(ix) misbehaving in any other manner in the examination hall; or

(x) harassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examinations; or

(xi) attempting to commit or as the case may be, abetting the commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses may in addition to rendering himself liable to criminal prosecution be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the Examination for which he is a candidate; or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission, from any examination or selection held by them.

(ii) by the Central Government, from any employment under them; and

(c) if he is already in service under Government, to disciplinary action under the appropriate rules.

14. *Original Certificates—Submission of.*—Candidates who qualify for interview on the results of the written examination will be required to submit original certificates in support of their age and educational qualification etc. to the Commission soon after the declaration of the results of the written examination. The results of the written examination are likely to be declared in the month of January, 1980.

15. *COMMUNICATION REGARDING APPLICATIONS*—ALL COMMUNICATIONS IN RESPECT OF AN APPLICATION SHOULD BE ADDRESSED TO THE SECRETARY, UNION PUBLIC SERVICE COMMISSION, DHOLPUR HOUSE, NEW DELHI-110011 AND SHOULD INVARIABLY CONTAIN THE FOLLOWING PARTICULARS :—

(1) NAME OF EXAMINATION

(2) MONTH AND YEAR OF EXAMINATION

(3) ROLL NUMBER OR THE DATE OF BIRTH OF CANDIDATE IF THE ROLL NUMBER HAS NOT BEEN COMMUNICATED

(4) NAME OF CANDIDATE (IN FULL AND IN BLOCK CAPITALS)

(5) POSTAL ADDRESS AS GIVEN IN APPLICATION.

N.B.—COMMUNICATIONS NOT CONTAINING THE ABOVE PARTICULARS MAY NOT BE ATTENDED TO.

16. *CHANGE OF ADDRESS.*—A candidate must see that communications sent to him at the address stated in his application are redirected if necessary. Change in address should be communicated to the Commission at the earliest opportunity giving the particulars mentioned in paragraph 15 above.

CANDIDATES RECOMMENDED BY THE COMMISSION FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD WHO HAVE CHANGED THEIR ADDRESSES SUBSEQUENT TO THE SUBMISSION OF THEIR APPLICATIONS FOR THE EXAMINATION SHOULD IMMEDIATELY AFTER ANNOUNCEMENT OF THE RESULT OF THE WRITTEN PART OF THE EXAMINATION NOTIFY THE CHANGED ADDRESS ALSO TO ARMY HEADQUARTERS. A.G.'S BRANCH RTG. 6(SP)(e)(ii) WEST BLOCK, 3 WING 1, RAMAKRISHNAPURAM, NEW DELHI-110022. FAILURE TO COMPLY WITH THIS INSTRUCTION WILL DEPRIVE THE CANDIDATE OF ANY CLAIM TO CONSIDERATION IN THE EVENT OF HIS NOT RECEIVING THE SUMMON LETTERS FOR INTERVIEW BY THE SERVICES SELECTION BOARD.

Although the authorities make every effort to take account of such changes they cannot accept any responsibility in the matter.

17. *ENQUIRIES ABOUT INTERVIEW OF CANDIDATES QUALIFYING IN THE WRITTEN EXAMINATION.*—Candidates whose names have been recommended for interview by the Services Selection Board, should address enquiries or requests if any relating to their interview direct to the Army Headqurters. AG's Branch RTG, 6(SP)(e)(ii) West Block 3, Wing 1, Ramakrishnapuram, New Delhi-110022.

Candidates are required to report for SSB interview on the date intimated to them in the call up better for interview. Request for postponing interview will only be considered in very genuine circumstances and that too if it is administratively convenient for which Army HQ will be the sole deciding authority.

86GI/79

The candidates called for SSB interview at different Services Selection Centres will bring with them the following articles :

(a) Passport size photographs in white shirt—6 Nos

(b) Bedding and blankets. (according to season)

(c) Two pairs of white shirts and shorts.

(d) A pair of white PT shoes and two pairs of white socks

(e) Two pairs of trousers and shirts

(f) Fountain Pen, ink and pencils

(g) Boot Polish and white blanco

(h) One mosquito net.

18. *ANNOUNCEMENT OF THE RESULTS OF THE WRITTEN EXAMINATION, INTERVIEW OF QUALIFIED CANDIDATES, ANNOUNCEMENT OF FINAL RESULTS AND ADMISSION TO THE TRAINING COURSE OF THE FINALLY QUALIFIED CANDIDATES.*—The Union Public Service Commission shall prepare a list of candidates who obtain the minimum qualifying marks in the written examination as fixed by the Commission in their discretion. Such candidates shall appear before a Services Selection Board for Intelligence and Personality Tests simultaneously for all the entries for which they have qualified.

Candidates who qualify in the written examination for IMA (D.E.) Course and/or Navy (S.E.) Course irrespective of whether they have also qualified for SSC (NT) Course or not, will be detailed for S.S.B. tests in March/April, 1980 and candidates who qualify for SSC (NT) Course only will be detailed for SSB tests in June/July, 1980.

Candidates will appear before the Services Selection Board and undergo the tests thereat at their own risk and will not be entitled to claim any compensation or other relief, from Government in respect of any injury which they may sustain in the course of or as a result of any of the tests given to them at the Services Selection Board whether due to the negligence of any person or otherwise. Candidates will be required to sign a certificate to this effect on the form appended to the application.

To be acceptable, candidates should secure the minimum qualifying marks separately in (i) written examination and (ii) S.S.B. tests as fixed by the Commission in their discretion. The candidates will be placed in the order of merit on the basis of the total marks secured by them in the written examination and in the S.S.B. tests. The form and manner of communication of the results of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission in their discretion and the Commission will not enter into correspondence with them regarding the result.

Success at the examination confers no right of admission to the Indian Military Academy, the Naval Academy or the Officers' Training School as the case may be. The final selection will be made in order of merit subject to medical fitness and suitability in all other respects and number of vacancies available.

19. *DISQUALIFICATIONS FOR ADMISSION TO THE TRAINING COURSE* :—Candidates who were admitted to an earlier course at the National Defence Academy, Indian Military Academy, Air Force Flying College, Naval Academy, Cochin, Officers' Training School, Madras but were removed therefrom on disciplinary grounds will not be considered for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy or for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the Indian Military Academy for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

Candidates who were previously selected as Special Entry Naval Cadets but were withdrawn from the National Defence Academy or from Naval Training Establishments for lack of Officer-like qualities will not be eligible for admission to the Indian Navy.

Candidates who were withdrawn from Indian Military Academy Officers' Training School, N.C.C. and Graduate Course for lack of Officer-like qualities will not be considered for grant of Short Service Commission in the Army.

Candidates who were previously withdrawn from the N.C.C. and Graduates' Course for lack of Officer-like qualities will not be admitted to the Indian Military Academy.

20. *RESTRICTIONS ON MARRIAGE DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* :—Candidates for the Indian Military Academy Course or Naval Academy Course must undertake not to marry until they complete their full training. A candidate who marries subsequent to the date of his application, though successful at this or any subsequent examination will not be selected for training. A candidate who marries during training shall be discharged and will be liable to refund all expenditure incurred on him by the Government.

No candidate for the Short Service Commission (N.T.) Course—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for admission to the Officers' Training School/grant of Short Service Commission.

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such persons and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

21. *OTHER RESTRICTIONS DURING TRAINING IN THE INDIAN MILITARY ACADEMY OR IN THE NAVAL ACADEMY* :—After admission to the Indian Military Academy or the Naval Academy, candidates will not be considered for any other Commission. They will also not be permitted to appear for any interview or examination after they have been finally selected for training in the Indian Military Academy, or the Naval Academy.

22. *INTELLIGENCE TEST— INFORMATION ABOUT* :—The Ministry of Defence (Directorate of Psychological Research) have published a book with the title "A Study of Intelligence Test Scores of candidates at Services Selection Boards." The purpose of publishing this book is that the candidates should familiarise themselves with the type of Intelligence Tests they are given at the Services Selection Boards.

The book is a priced publication and is on sale with Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by Mail Orders or on cash payment. This can also be obtained only against cash payment from (i) Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building, 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publication Branch at Udyog Bhavan, New Delhi-110001, and (iii) the Government of India Book Depot 8, K. S. Roy Road, Calcutta-700001.

23. PAMPHLETS CONTAINING RULES AND QUESTION PAPERS OF PREVIOUS EXAMINATIONS—INFORMATION ABOUT.

With the introduction of objective type questions for all the papers included in the scheme of this examination with effect from the Combined Defence Services Examination, May 1978, the printing of pamphlets containing rules and question papers for this examination has been discontinued. However, copies of pamphlets containing rules and question papers of preceeding examinations upto Combined Defence Services Examination held in November, 1977 are on sale with the Controller of Publications, Civil Lines, Delhi-110054 and may be obtained from him direct by mail orders or on cash payment. These can also be obtained only against cash payment from (i) the Kitab Mahal, opposite Rivoli Cinema, Emporia Building 'C' Block, Baba Kharag Singh Marg, New Delhi-110001, (ii) Sale counter of the Publications Branch at Udyog Bhawan, New Delhi-110001, and (iii) the Government of India Book Depot, 8 K. S. Roy Road, Calcutta-700001. The pamphlets are also obtainable from the agents for the Government of India Publications at various mofussil towns.

R. S. AHLUWALIA
Deputy Secretary

APPENDIX I

(The scheme, standard syllabus of the examination)

A. SCHEME OF THE EXAMINATION

1. The Competitive examination comprises :—

(a) Written examination as shown in para 2 below :

(b) Interview for intelligence and personality test (*vide* Part 'B' of this Appendix) of such candidates as may be called for interview at one of the Services Selection Centres.

2. The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks allotted to each subject will be as follows :—

(a) *For admission to Indian Military Academy*

Subject	Duration	Maximum Marks
1	2	3
Compulsory		
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100
3. Elementary Mathematics	2 Hours	100

Optional:—Any one of the following

Subject	Code No.	Time allowed	Maximum Marks
1	2	3	4
Physics	01	2 Hours	150
Chemistry	02	2 Hours	150
Mathematics	03	2 Hours	150
Botany	04	2 Hours	150
Zoology	05	2 Hours	150
Geology	06	2 Hours	150
Geography	07	2 Hours	150
English Literature	08	2 Hours	150
Indian History	09	2 Hours	150
General Economics	10	2 Hours	150
Political Science	11	2 Hours	150
Sociology	12	2 Hours	150
Psychology	13	2 Hours	150

(b) *For Admission to Naval Academy* :

Subject	Time allowed	Maximum marks	
1	2	3	
Compulsory			
1. English	2 Hrs.	100	
2. General Knowledge	2 Hrs.	100	
Optional			
*3. Elementary Mathematics or Elementary Physics	2 Hrs.	100	
*4. Mathematics or Physics	2 Hrs.	150	*Candidates offering Elementary Mathematics will take Physics as their 4th paper and Candidates offering Elementary Physics will take Mathematics as their 4th paper.

(c) *For Admission to Officers Training School*

Subject	Time allowed	Maximum Marks
1. English	2 Hours	100
2. General Knowledge	2 Hours	100

The maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be equal for each course i.e. the maximum marks allotted to the written examination and to the Interviews will be 450, 450 and 200 each for admission to the Indian Military Academy, Naval Academy and Officers' Training School.

3. THE PAPERS IN ALL THE SUBJECTS WILL CONSIST OF OBJECTIVE TYPE QUESTIONS ONLY. FOR DETAILS INCLUDING SAMPLE QUESTIONS, PLEASE SEE CANDIDATES' INFORMATION MANUAL AT APPENDIX V.

4. In the question papers, wherever necessary, questions involving the Metric System of Weights and Measures only will be set.

5. Candidates must write the papers in their own hand. In no circumstances will they be allowed the help of a scribe to write answers for them.

6. The Commission have discretion to fix qualifying marks in any or all the subjects at the examination.

B. STANDARD AND SYLLABUS OF THE EXAMINATION

STANDARD

The standard of the paper in Elementary Mathematics will be of Matriculation Examination and that of Elementary Physics will be of Higher Secondary Examination.

The standard of papers in other subjects will approximately be such as may be expected of a graduate of an Indian University.

There will be no practical examination in any of the subjects.

SYLLABUS

ENGLISH

The question paper will be designed to test the candidate's understanding of English and workmanlike use of words.

GENERAL KNOWLEDGE

General Knowledge including knowledge of current events and of such matters of every day observation and experience in their scientific aspects as may be expected of an educated person who has not made a special study of any scientific subject. The paper will also include questions on History of India and Geography of a nature which candidates should be able to answer without special study.

ELEMENTARY MATHEMATICS

Arithmetic

Number System—Natural numbers, Integers, Rational and Real numbers. Fundamental operations—addition, subtraction, multiplication, division, Square roots, Decimal fractions.

Unitary method—time and distance, time and work. Percentages—applications to simple and compound interest, profit and loss. Ratio and proportion, variation.

Elementary Number Theory—Division algorithm, Prime and composite numbers. Tests of divisibility by 2, 3, 4, 5, 9 and 11 Multiples and factors. Factorisation Theorem. H.C.F. and L.C.M. Euclidean algorithm.

Logarithms to base 10, laws of logarithms, use of logarithmic tables.

Algebra

Basic Operations; simple factors, Remainder Theorem, H.C.F., L.C.M. of polynomials. Solutions of quadratic equations, relation between its roots and coefficients. (Only real roots to be considered). Simultaneous linear equations in two unknowns—analytical and graphical solutions. Simultaneous linear inequations in two variables and their solutions. Practical problems leading to two simultaneous linear equations or inequations in two variables or quadratic equations in one variable and their solutions. Set language and set notation. Rational expressions and conditional identities. Laws of indices.

Trigonometry

Sine X, Cosine X, Tangent X when $0° \leq x \leq 90°$.

Values of sin x, cos x and tan x, for x = 0°, 30°, 45°, 60° and 90°.

Simple trigonometric identities.

Use of trigonometrical tables.

Simple cases of heights and distances.

Geometry

Lines and angles, Plane and plane figures. Theorems on (i) Properties of angles at a point, (ii) Parallel lines, (iii) Sides and angles of a triangle, (iv) Congruency of triangles, (v) Similar triangles, (vi) Concurrence of medians and altitudes, (vii) Properties of angles, sides and diagonals of a parallelogram, rectangle and square, (viii) Circle and its properties including tangents and normals, (ix) Loci.

Mensuration

Areas of squares, rectangles, parallelgrams, triangle and circles. Areas of figures which can be split up into these figures (Field Book) Surface area and volume of cuboids, lateral surface and volume of right circular cones and cylinders. Surface area and volume of spheres.

Statistics

Collection and tabulation of statistical data. Graphical representation—frequency polygons, histograms, bar charts, pie charts etc.

Measures of central tendency.

ELEMENTARY PHYSICS

(a) *Mensuration.*—Units of measurement; CGS and MKS unit. Scalars and vectors. Composition and resolution of forces and velocities. Uniform acceleration. Rectilinear motion under uniform acceleration. Newton's Laws of Motion, concept of Force. Units of Force. Mass and weight.

(b) *Mechanics of Solids.*—Motion under gravity. Parallel forces. Centre of Gravity. States of equilibrium. Simple Machines. Velocity Ratio. Various simple machines including inclined plane, Screw and Gears. Friction angle of frictions, coefficient of friction. Work, Power and energy, Potential and kinetic energy.

(c) *Properties of fluids.*—Pressure and Thrust. Pascal's Law, Archimedes principle. Density and Specific gravity. Application of the Archimedes principle for the determination of specific gravities of solids and liquids. Laws of floatation. Measurement of pressure exerted by a gas. Boyle's Law. Air pumps.

(d) *Heat.*—Linear expansion of solids and cubical expansion of liquids. Real and apparent expansion of liquids. Charles Law. Absolute Zero; Boyles and Charles' Law; specific heat of solids and liquids; calorimetry. Transmission of heat; Conductivity of metals. Change of State. Latent heat of fusion and vaporization. SVP humidity, dew point and relative humidity.

(e) *Light.*—Rectilinear propagation. Laws of reflection, spherical mirrors; Refraction, laws of refraction, Lenses, Optical instruments, camera, projector, epidiascope, telescope Microscope, binocular & periscope. Refraction though a prism, dispersion.

(f) *Sound.*—Transmission of sound; Reflection of sound. resonance. Recording of sound-gramophone.

(g) *Magnetism & Electricity.*—Laws of Magnetism, Magnetic field. Magnetic lines of force, Terrestrial Magnetism, Conductors and insulators. Ohm's Law. P.D. Resistances EMF (Resistances in series and parallel). Potentiometer, Comparison of EMFs. Magnetic effect of an electric current; A conductor in a magnetic field. Fleming's left hand rule. Measuring instruments—Galvanometer, Ammeter Voltmeter, Wattmeter, chemical effect of an electric current, electroplating; Electromagnetic induction, Faraday's Laws; Basic AC & DC-generator.

PHYSICS (Code—07)

1. *General properties of matter and mechanics*

Units and dimensions, scalar and vector quantities; Moment of Inertia, Work, energy and momentum. Fundamental laws of mechanics; Rotational motion; Gravitation. Simple harmonic motions, simyple and compound pendulum. Elasticity, Surface tension; Viscosity of liquids. Rotary pump.

2. *Sound*

Damped, forced and free vibrations. Wave motion. Doppler effect, velocity of sound waves; effects of pressure, temperature and humidity on velocity of sound in a gas. Vibration of strings, membranes and gas columns. Resonance, beats: Stationary waves. Measurement of frequency, velocity and intensity of sound. Elements of ultra sonics. Elementary principles of gramophone, talkies and loudspeakers.

3. *Heat and Thermodynamics*

Temperature and its measurement; thermal expansion; Isothermal and adiabatic changes in gases. Specific heat and thermal conductivity; Elements of the kinetic theory of matter; Physical ideas of Boltzmann's distribution law; Van der Wall's equation of state; Joule Thompson effect; liquefaction of gases; Heat engines; Carnot's theorem; Laws of thermodynamics and simple applications. Black body radiation.

4. *Light*

Geometrical optics. Velocity of light. Reflection and refraction of light at plane and spherical surfaces. Spherical and chromatic defects in optical images and their correction. Eye and other optical instruments. Wave theory of light, interference.

5. *Electricity and Magnetism*

Energy due to a field; Electrical and magnetic properties of matter; Hysterisis permeability and susceptibility; Magnetic field due to electrical current; Moving magnet and moving coil galvanometers. Measurement of current and resistance; Properties of reactive circuit elements and their determination, thermoelectric effect; Electromagnetic induction; Production of alternating currents. Transformers and motors; Electronic valves and their simple applications.

6. *Modern Physics*

Elements of Bohr's theory of atom. Electrons. Discharge of Electricity through gases; Cathode Rays and X-rays. Radioactivity. Artificial radioactivity, Isotopes, Elementary ideas of fission and fusion.

CHEMISTRY (Code—02)

1. *Inorganic Chemistry*

Electronic configuration of elements. Aufbau Principle Periodic classification of elements. Atomic number. Transition elements and their characteristics.

Atomic and ionic radii Ionization potential, electron affinity and electronegativity.

Natural and artificial radioactivity. Nuclear fission and fusion.

Elctronics Theory of valency. Elementary ideas about sigma and pi-bonds, hybridization and directional nature of covalent bonds.

Warner's theory of coordination compounds. Electronic configuration of complexes involved in the common metallurgical and analytical operations.

Oxidation states and oxidation number. Common oxidising and reducing agents. Ionic equations.

Lewis and Bronsted theories of acid and Bases.

Chemistry of the common elements and their compounds treated especially from the point of view of periodic classification. Principles of extraction, isolation (and metallurgy) on important element.

Structures of hydrogen peroxide, diborane, aluminium chloride and the important oxyacids of nitrogen, phosphorus, chlorine and sulphur.

Inert gases; Isolation and chemistry.

Principles of inorganic chemical analysis.

Outlines of the manufacture of Sodium carbonate, sodium hydroxide, ammonia, nitric acid, sulphuric acid, cement, glass and artificial fertilizers.

2. *Organic Chemistry* :

Modern concepts of covalent bonding. Electron displacements—Inductive, mesomeric and hyperconjugative effects. Resonance and its application to organic chemistry. Effect of structure on dissociation constants.

Alkanes, alkenes and alkynes. Peroleum as a source of organic compounds. Simple derivatives of aliphatic compounds. Alcohols. Aldehydes, ketons, acids, halides, esters ether, acid anhydrides chlorides and amides. Monobasic hydroxy ketonic and amino acids. Organometallic compounds and acetoacetic esters. Tartaric, citric, maleic and fumaric acids. Carbodydrates classification and general reaction. Glucose, frustose and sucrose.

Stereochmistry : Optical and geometrical isomerism. Concept of conformation.

Benzene and its simple derivatives : Toluene, xylenes, phenols, halides nitro and amino compounds. Benzoic sallcylic, cinnamic, mandelic and sulphonic acids. Aromatic aldehydes and ketons. Diazo, azo and hydrazo compounds. Aromatic substitution. Napthalene, pyridine and quinoline.

3. *Physical Chemistry* :

Kinetic theory of gases and gas laws. Maxwell's law of distribution of velocities. Van der Waal's equation. Law of corresponding states. Liquefaction of gases. Specific heats of gases. Ratio of Cp/Cv.

Thermodynamics. The first law of thermodynamics, Isothermal and adiabatic expansion. Enthalpy. Heat capacities. Thermochemistry—heats of reaction, formation, solution and combusion. Calculation of bond energies. Kirchhoff equation.

Criteria for spontaneous change. Second Law of Thermodynamics. Entropy. Free energy. Criteria of Chemical equilibrium.

Solutions Osmotic pressure. Lowering of vapour pressures, depression of freezing point elevation of boiling point. Determination of molecular weights in solution. Association and dissociation of solutes.

Chemical equilibria. Law of mass action and its application to homogeneous and heterogeneous equilibria. Le Chatelier principle. Influence of temperature on chemical equilibrium.

Electrochemistry : Faraday's laws of electrolysis conductivity of an electrolyte; equivalent conductivity and its variation with dilution; solubility of sparingly soluble salts; electrolytic dissociation. Ostwald's dilution law; anomaly of strong electrolytes; solubility product; strength of acids and bases; hydrolysis of salts; hydrogen ion concentration; buffer action theory of indicators.

Reversible cells. Standard hydrogen and calomel Electrodes. Electrode and red oxpotentials. Concentration cells. Determination of pH. Transport number. Ionic product of water Potentiometric titrations.

Chemical Kinetics, Molecularity and order of a reaction. First order and second order reactions. Determination of order of a reaction temperature coefficients and energy of activation. Collision theory of reaction rates. Activated complex theory.

Phase rule : Explanation of the terms involved. Application to one and two component systems. Distribution law.

Colloids : General nature of Colloidal solutions and their classification; general methods of preparation and properties of colloids. Coagulation. Protective action and gold number Adsorption.

Catalysis Homogeneous and heterogeneous catalysis Promotors Poisoning.

Photochemistry. Laws of photochemistry. Simple numerical problems.

MATHEMATICS (Code—03)

1. *Algebra*

Algebra of Sets, relations and functions; inverse of functions; composite function; equivalence relation; De Movire's theorem for rational index and its simple applications.

2. *Matrices*

Algebra of Matrices, determinants, simple properties of determinants, product of determinants; adjoint of a matrix; inversion of matrices; rank of a matrix. Application of matrices to the solution of linear equations (in three dimensions).

3. *Analytical Geometry*

Analytical Geometry of two dimensions

Straight lines, pair of straight lines, circles, systems of circles, ellipse, parabola, hyperbola (referred to principal axis). Reduction of a second degree equation to standard form. Tangents and normals.

Analytical Geometry of three dimensions

Planes, straight lines and spheres (Cartesian co-ordinate only).

4. *Calculas and Differential Equation*

Differential calculus—Concept of limit, continuity and differentiability of a function of one real variable, derivative of standard functions, successive differentiation. Rolle's theorem. Mean value theorem; Maclaurin and Taylor series (proof not needed) and their applications; Binomial expansion for rational index, expansion of exponential, logarithmic trigonemetrical and hyperbolic functions. Indeterminate forms. Maxima and Minima of a function of a single variable, geometrical applications such as tangent, normal subtangent, subnormal asymptotic curvature (cartesian co-ordinates only). Envelope : Partial differentiation. Euler's theorem for homogeneous functions.

Integral calculus—Standard methods of integration Reimann definition of definite integral of continuous functions. Fundamental theorem of integral calculus. Rectification, quadrature, volumes and surface area of solids of revolution. Simpson's rule for numerical integration.

Differential equations—Solution of standard first order differential equations. Solution of second and higher order linear differential equations with constant coefficients. Simple application of problems on growth and decay, simple harmonic motion. Simple pendulum and the like.

5. *Mechanics (Vector methods may be used)*

Statics.—Conditions of equilibrium of coplanar and concurrent forces. Moments. Couples. Centre of gravity of simple bodies. Friction, Static and limiting friction, angle of friction equilibrium of a particle on a rough inclined plane. Virtual work (two dimensions).

Dynamics.—Kinematics Displacement, speed velocity and acceleration of a particle, relative velocity. Motion in a straight line under constant acceleration. Newton's laws of motion. Central Orbits. Simple harmonic motion. Motion under gravity (in vacuum). Impulse work and energy. Conservation of energy and linear momentum. Uniform circular Motion.

6. *Statistics.*—Probability-Classical and statistical definitions of probability, calculation of probability of combinatorial methods, addition and multiplication theorems, conditional probability. Random variables (discret and continuous), density function. Mathematical expectation.

Standard distributions—Binomial distribution, definition, mean and variance, skewness, limiting form simple application; Poisson distribution—definition, mean and variance additive property fitting of Poisson distribution to given data. Normal distribution, simple properties and simple applications, fitting a normal distribution to given data.

Rivariate distribution—Correlation, linear regression involving two variables, fitting of straight line, parabolic and exponential curves, properties of correlation coefficient.

Simple sampling distribution and simple tests of hypothesis; Random sample. Statistics, Sampling distribution and standard error. Simple application of the mormal. t. chi' and F distributions to testing of significance of difference of means.

Note :—Out of the two topics No. 5 Mechanics and No. 6 Statistics, the candidates will be allowed the option of answering questions on any one of the two topics.

BOTANY (Code—04)

1. *Survey of the plant Kingdom.*—Differences between animals and plants : Characteristics of living organism : unicellular and multicellular organism : Viruses : basis of the division of the plant kindom.

2. *Morphology.*—(i) Unicellular plants—cell, its structure and contents : division and multiplication of cell.

(ii) *Multicellular plants.*—Differentiation of the body of non-vascular plants and vascular plants : external and internal morphology of vascular plants.

3. *Life history.*—Of at least one member of the following categories of plants :—Bacteria, Cyanopheyceae, Chlorophyceae, Phaeophyceae Rhodophyceae, Phycomycetes Ascomycetes Basidiomycetes Liverworts. Mosses. Pteridophytes. Gymnosperms and Angiosperms.

4. *Taxonomy.*—Principles of classification, principal systems of classification of angiosperms : distinctive features and economic importance of the following families :—

Graminae Scitaminae. Palmaceae. Liliaceae. Orchidaceae Moraceae, Loranthaceae. Magnoliaceae, Laurceae, Cruciferae, Rosaceae, leguminosae, Rutaceae, Meliaceae, Euphorbiaceae, Anacardiaceat, Malvaceae, Apocynaceae, Asclepiadaceae; Dipterocarpaceae, Myrtaceae, Umbelicrae, Labiatae, Solanacease, Rubiaceae, Cucurbitaceae Vervenaceae and Compositae.

5. *Plant Physiology.*—Autotrophy, heterotrophy. Intake of water and nutrients, transpiration, photosynthesis, mineral nutrition, respiration, growth, reproduction : plants-animal relation, symblosis, parasitism enzymes, auxins, hormones photoperiodism.

6. *Plant Pathology.*—Cause and cure of plant diseases. Disease organisms. Viruses, deficiency disease; Disease resistance.

7 *Plant Ecology.*—The basic facts relating to ecology and plant geography with special relation to Indian flora and the botanical regions of India.

8. *General Biology.*—Cytology, genetics, plant breeding Mendelism, hybrid vigour. Mutation, evolution.

9. *Economic Botany.*—Economic uses of plants, especially flowering plants in relation to human welfare, particularly with reference to such vegetable products like foodgrains, pulses, fruits, sugar and starches, oilseeds, spices, beverages, fibres, woods, rubber, drugs and essential oils.

10. *History of Botany.*—A general familiarity with the development of knowledge relating to the botanical science.

ZOOLOGY (Code—05)

Classification of the animal kingdom into principal groups distinguishing features of the various classes.

The structure habits and life-history of the following non-chordate types :

Amoeba, malarial parasite, a sponge, hydra, liverfluc tapeworm, roundworm, earth worm, leech, cockroach, housefly mosquito scorpion freshwater mussel pond snail and starfish (external characters only).

Economic importance of insects, bionomics and life-history of the following insects; termitelocust, honey bee and silk moth.

Classification of Chordate up to orders.

The structure and comparative anatomy of the following chordate types.

Branchiostoma; Scolidon; frog; Uromastix or any other lizard (skeleton of Varanus) pigeon (Skeleton of fowl); and rabbit; rat or squirrel.

Elementary knowledge of the history and physiology of the various organs of the animal body with reference to frog and rabbit. Endocrine glands and their functions.

Outlines of the development of frog and chick structure and functions of the mammalian placenta.

General principles of evolution, variations heredity, adaptation; recapitulation hypothesis; Mendalian inheritance; asexual and sexual modes of reproduction; parthenogenesis; metamorphosis alteration of generations.

Ecological and geological distribution of animals with special reference to the Indian fauna.

Wild life of India including poisonous and non-poisonous snakes; game birds.

GEOLOGY (Code—06)

1. *General Geology* :

Origin age and interior of the Earth, different geological agencies and their effects on topography, weathering and erosion; Soil types, their classification and soil groups of India; Physiographic sub-division of India. Vegetation and topography. Volcanoes, earthquakes, mountain diastrophism.

2. *Structural Geology* :

Common structures of igneous, sedimentary and metamorphic rocks, Dip, strike and slopes; folds faults and unconformities including their effects on outcrops. Elementary ideas of methods of Geological Surveying and Mapping.

3. *Crystallography and Mineralogy* :

Elementary knowledge of crystal symmetry. Laws of Crystallography. Crystal habits and twinning.

Study of important rock-forming including clay minerals with regard to their chemical composition, physical properties, optical properties, alteration, occurrence and commercial uses.

4. *Economic Geology* :

Study of important economic minerals of India including mode of occurrence. Origin and classification of ore deposits.

5. *Petrology* :

Elementary study of igneous, sedimentary and metamorphic rocks including origin and classification. Study of common rock types.

6. *Stratigraphy* :

Principles of Stratigraphy; lithological and chronological sub-divisions of geological record. Outstanding features of Indian Stratigraphy.

7. *Palaeontology* :

The bearing of palaeontological data upon evolution. Fossils, their nature and mode of preservation. An elementary idea of the morphology and distribution of representative forms of animal and plant fossils.

GEOGRAPHY (Code—07)

(i) *Elementary Geomorphology.*—Origin of the solar system and the earth, landforms, land sculpture, elementary geology, rocks and soil formation.

(ii) *Climatology.*—Climate and its elements, temperature pressure, humidity, wind system elementary knowledge of cyclones and anti-cyclones precipitation types of rain.

(iii) *Oceanography.*—Distribution of land and water, movements of ocean-water, tides, currents, salinity, deposits, of the ocean beds.

(iv) *Plant Geography.*—Types of vegetation, their relation to geographical environment, forests, grasslands, deserts, major natural regions.

(v) *Human Geography.*—Man in environment races of mankind, man's activities and distribution of population.

(vi) *Economic Geography.*—Principal vegetable, animal and mineral products, their distribution and geographical background principal industries and their localisation; international trade in raw material, food-stuffs and manufactured goods.

(vii) *Regional Geography.*—India in detail and the U.S.A., the U.K., the U.S.S.R., China, Japan, South-East Asia, the Middle East, Sri Lanka, Burma and Pakistan in outline.

ENGLISH LITERATURE (Code—08)

Candidates will be expected to show a general knowledge of the history of English literature upon the time of Spencer to the end of the reign of Queen Victoria with special reference to the works of the following authors :—

Shakespeare, Milton, Johnson, Dickens, Wordsworth, Keats, Carlyle, Tennyson and Hardy.

INDIAN HISTORY (Code—09)

India from 1600 to the establishment of Indian Republic including the constitutional developments during this period.

NOTE.—In this subject candidates should be acquainted with geography in its relation to history. When a fixed date is given for the beginning of the period candidates will be expected to know in general outline how the initial position was reached.

GENERAL ECONOMICS (Code—10)

Candidates will be expected to have a knowledge of economic theory and should be prepared both to illustrate theory by facts and to analyse facts by the help of theory. Some knowledge of the economic history of India and of England and of economic conditions in these countries will be expected.

POLITICAL SCIENCE (Code—11)

Candidates will be expected to show a knowledge of political theory and its history, political theory being understood to mean not only the theory of legislation but also the general theory of the State. Questions may also be set on constitutional forms (Representative Government. Federalism etc.) and Public Administration. Central and Local. Candidates will be expected to have knowledge of the origin and development of existing institutions.

SOCIOLOGY (Code—12)

Nature and Scope of Sociology; Study of Society; Sociology and its relation to other Social Sciences.

Basic concepts Status and Role; Primary and Secondary Groups; Social institutions; Social structure; Social control and Deviant behaviour; Social Conflict; Social Change.

Basic Social Structures and Institutions; Marriages; Family and Kinship; Political Institutions; Religious Institutions Social stratification—Caste, Class and Race.

Environment, society and culture.

Sociology of India; Caste and Casteism; Family and Kinship; Village community; Social change in modern India.

PSYCHOLOGY (Code—13)

General Psychology

Definition and subject-matter of Psychology; methods of Psychology; Concept of adjustment and behaviour mechanism; Physiological basis of behaviour; (a) receptors—visual and auditory; (b) general idea of the nervous system; (c) effectors;—muscles and glands.

Factors in human development—heredity and environment, maturation and learning.

Motivation and emotion—their nature, kind and development.

Perception and its nature; Perception of form; colour and space.

Learning its nature, conditioning, insight and trial and error.

Memory and forgetting—factors effecting the processes; efficient methods of memorising.

Thinking and reasoning

Intelligence and abilities—their nature and measurement.

Personality—nature, determinants and measurement.

Abnormal Psychology

Abnormal behaviour—its concept and causes.

Frustration and conflicts; defence mechanisms.

Forms of psychological disorders—neurotic, psychotic, personality and psychophysiological disorders.

General idea of treatment of mental disorders—psychotherapy.

Social Psychology

Group processes; individual and the group; leadership morale and crowd behaviour.

Propaganda and psychological warfare.

INTELLIGENCE AND PERSONALITY TEST

In addition, to the interview the candidates will be put to Intelligence Tests both verbal and non-verbal, designed to assess their basic intelligence. They will also be put to Group Tests such as group discussions, group planning, outdoor group tasks, and asked to give brief lectures on specified subjects. All these tests are intended to judge the mental calibre of a candidate. In broad terms, this is really an assessment of not only his intellectual qualities but also his social traits and interests in current affairs.

APPENDIX II

(Physical Standards for Admission to the Academy/School)

NOTE.—CANDIDATES MUST BE PHYSICALLY FIT ACCORDING TO THE PRESCRIBED PHYSICAL STANDARD. THE STANDARDS OF MEDICAL FITNESS ARE GIVEN BELOW.

A NUMBER OF QUALIFIED CANDIDATES ARE REJECTED SUBSEQUENTLY ON MEDICAL GROUNDS. CANDIDATES ARE THEREFORE, ADVISED IN THEIR OWN INTEREST TO GET THEMSELVES MEDICALLY EXAMINED BEFORE SUBMITTING THEIR APPLICATIONS TO AVOID DISAPPOINTMENT AT THE FINAL STAGE.

A sufficient number of suitable candidates recommended by the Services Selection Board will be medically examined by a Board of Service Doctors. A candidate who is not declared fit by the Medical Board will not be admitted to the Academy or the School. The mere fact that medical examination has been carried out by a Board of Service Doctors will not mean or imply that the candidate has been finally selected. The proceedings of the Medical Board are confidential and cannot be divulged to anyone. The results of candidates declared unfit/temporarily unfit are intimated to them along with the procedure for submission of fitness certificate and appeal. No request for the results of Medical Board will be entertained by the President of the Medical Board.

Candidates are advised in their own interest that if their vision does not come up to the standard they must bring with them their correcting glasses if and when called for Services Selection Board Interview/Medical Examination.

1. To be passed fit for admission to the Academy/School a candidate must be in good physical and mental health and free from any disability likely to interfere with the efficient performance of duty.

2. It will, however, be ensured that—

(a) there is no evidence of weak constitution, imperfect development, serious malformations or obesity;

(b) there is no maldevelopment or impairment of function of the bones or joints;

NOTE : A candidate with a rudimentary cervical rib in whom there are no signs and symptoms referable to the cervical rib may be considered fit. However, the defect is to be recorded as a minor disability in the medical board proceedings.

(c) there is no impediment of speech;

(d) there is no malformation of the head or deformity from fracture or depression of the bones of the skull;

(e) there is no impaired hearing, discharge from or disease in either ear, unhealed perforation of the tympanic membranes or signs of acute or chronic suppurative otitis media or evidence of radical or modified radical mastoid operation;

NOTE : A soundly healed perforation without any impairment of the mobility of the drum and without impairment of hearing should not be a bar to acceptance of a candidate for the Army.

(f) there is no disease of bones or cartilages of the nose or nasal polypus or disease of the nasopharynx and accessory sinuses;

NOTE : A small asymptomatic trumatic perforation of the nasal septum would not be a cause for outright rejection. But such cases will be referred to the Adviser in Otology for examination and opinion.

(g) there are no enlarged glands in the neck and other parts of the body and that thyroid gland is normal;

NOTE : Scars of operations for the removal of tuberculosis glands are not a cause for rejection provided that there has been no active disease within the preceding 5 years and the chest is clinically and radiologically clear.

(h) there is no disease of the throat palate, tonsils or gums or any disease or injury affecting the normal function of either mandibular joint;

NOTE : Simple hypertrophy of the tonsils, if there is no history of attacks of tonsillitis is not a cause for rejection.

(i) there is no sign of functional or organic disease of the heart and blood vessels;

(j) there is no evidence of pulmonary tuberculosis or previous history of this disease or any other chronice disease of the lungs;

(k) there is no evidence of any disease of the digestive system including any abnormality of the liver and spleen;

(l) there is no inguinal hernia or tendency thereto;

NOTE : (1) Inguinal hernia (unoperated) will be a cause for rejection.

(2) Those who have been operated for hernia may be declared medically fit provided :

(i) One year has elapsed since operation. Documentary proof to this effect is to be produced by the candidate.

(ii) General tone of the abdominal musculature is good.

(iii) There has been no recurrence of the hernia or complication there to concerned with the operation.

(m) there is no hydrocele or definite Varicocele or any other disease or defect of the genital organs.

N.B.—(i) A candidate who has been operated for hydrocele will be accepted if there are no abnormalities of the cord and testicle and there is no evidence of filariasis.

(ii) Undescended intra abdominal testicle on one side should not be a bar to acceptance provided the other testicle is normal and there is no untoward physical or psychological effect due to the undescended testicle. Undescended testis retained in the inguinal canal or the external abdominal ring is, however, a bar to acceptance unless corrected by operation.

(n) there is no fistula and/or fissure of the anus or evidence of haemorrhoids;

(o) there is no disease of the kidneys. All cases of Glycosuria or Albuminuria will be rejected;

(p) there is no disease of the skin unless temporary or trivial scars which by their extent or position cause or are likely to cause disability or marked disfigurement are a cause for rejection;

(q) there is no active, latent or congential venereal disease;

(r) there is no history or evidence of mental disease of the candidate or his family. Candidates suffering from epilepsy, incontinance of urine or enuresis will not be accepted;

(s) there is no squint or morbid condition of the eyes or of the lids which is liable to a risk of aggravation or recurrence;

(t) there is no active trachoma or its complication and sequelae.

NOTE—Remedial operations are to be performed prior to entry. No guarantee is given of ultimate acceptance and it should be clearly understood by the candidates that the decision whether an operation is desirable or necessary is one to be made by their private medical adviser. The Government will accept no liability regarding the result of operation or any expense incurred.

3. *Standards for Height, Weight and Chest Measurement—*

(a) *Height—*

(i) The height of a candidate will be measured by making him stand against the standard with his feet together. The weight should be thrown on the heels, and not on the toes or outer sides of the feet. He will stand erect without rigidity and with the heels, cavles, buttocks and shoulders touching the standard; the chin will be depressed to bring the vertex of the head level under the horizontal bar and the height will be recorded in centimetres, decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored; 0.5 centimetre will be recorded as such and 0.6 cm. and above will be recorded as one.

(ii) The minimum acceptable height for a candidate is 157.5 cm. (157 cm. for the Navy) except in the case of Gorkha, Nepalese, Assamese and Garhwali candidates in whose case the height in correlation table at (b)(i) below may be reduced by 5.0 cm. The minimum height of naval candidates from MANIPUR, NEFA, MEGHALAYA AND TRIPURA may also be reduced by 5 cm. and 2 cm. in the case of candidates from LACCADIVES.

(b) *Weight—*

(i) Weight will be taken with the candidate fully stripped or with underpants only. In recording weight fraction of 1/2 kg. will not be noted. A correlation table between age, height and average weight is given below for guidance :—

Age last birth day	Height without shoes	Weight	
		Average Minimum	Average Maximum
Years	*Centimeters*	*Kgs.*	*Kgs.*
17 to 18	157·5 & under 165·0	43·5	55·0
	165·0 & under 172·5	48·0	59·5
	172·5 & under 183·0	52·5	64·0
	183·0 & upwards	57·0	—
19	160·0 & under 165·0	44·5	56·0
	165·0 & under 172·5	49·0	60·5
	172·5 & under 178·0	53·5	65·0
	178·0 & under 183·0	58·0	69·5
	183·0 & upwards	62·5	—
20 & upwards	160·0 & under 165·0	45·5	56·5
	165·0 & under 172·5	50·0	61·0
	172·5 & under 178·0	54·5	66·0
	178·0 & under 183·0	59·0	70·5
	183·0 & upwards	63·0	—

HEIGHT AND WEIGHT STANDARDS

For Navy only

Height in Centimetres	Age		
	18 years	20 years	22 years
	Weight in Kilograms		
157	47	49	50
160	48	50	51
162	50	52	53
165	52	53	55
168	53	55	57
170	55	57	58
173	57	59	60
175	59	61	62
178	61	62	63
180	63	64	65
183	65	67	67
185	67	69	70
188	70	71	72
190	72	73	74
193	74	76	77
195	77	78	78

(ii) It is not possible to lay down precise standards for weiht in relation to height and age. The correlation table is, therefore, only a guide and cannot be

applied universally. A 10 per cent (±6 kg. for the Navy) departure from the average weight given in the table is to be considered as within normal limits. There may nevertheless be some individuals who recording to the above standard may be overweight but from the general build of the body are fit in every respect. The overweight in such cases may be due to heavy bones and muscular development and not to obesity. Similarly for those who are underweight, the criteria should be the general build of the body and proportionate development rather than rigid adherence to the standards in the above table.

(c) *Chest*.—The chest should be well-developed with a minimum range of expansion of 5.0 cm. The candidate's chest will be measured by making him stand erect with his feet together, and his arms raised over his head. The tape will be so adjusted round the chest that its upper edge touches the inferior angles of the shoulder blades behind and its lower edge the upper part of the nipples in front. The arms will then be lowered to hand loosely by the sides. Care will be taken that the shoulders are not thrown upwards or backwards so as to displace the tape. The candidate will then be directed to take a deep inspiration several times and the maximum and minimum expansion of the chest will be carefully noted. The minimum and maximum will then be recorded in cm. thus 84/89 and 86/91 etc.

In recording the measurements, decimal fraction lower than 0.5 centimetre will be ignored : 0.5 centimetre will be recorded as such and 0.6 cm. and above will be recorded as one.

For Navy

"X-Ray" of chest is compulsory.

4. *Dental Condition*—

It should be ensured that sufficient number of natural and sound teeth are present for efficient mastication.

(a) A candidate must have a minimum of 14 dental points to be acceptable. In order to assess the dental condition of an individual points are allotted as under for teeth in good apposition with corresponding teeth in the other jaw—

(i) Central incisor, lateral incisor, canine, 1st and 2nd pre-molar and under developed 3rd molar—1 point each.

(ii) 1st and 2nd molar and fully developed 3rd molar—2 points each.

When all 32 teeth are present, there will be a total count of 22 points.

(b) The following teeth in good functional opposition must be present in each jaw—

(i) any 4 of the 6 anteriors

(ii) any 6 of the 10 posteriors.

NOTE.—Candidate for direct commission and technical graduates, with well fitting dentures will, however, be accepted for commission.

(c) Candidate suffering from severe pyorrhoea will be rejected. Where the state of pyorrhoea in such that in the opinion of the dental officer it can be cured without extraction of teeth, the candidate may be accepted.

5. *Visual Standard (Army)*

	Better eye	Worse eye
Distan vision (corrected)	6/6	6/18

Myopia of not more than —3.5 D including astigmatism Manifest Hypermetropia of not more than +3.5D including astigmatism.

NOTE 1. Fundus and Media to be healthy and within normal limits.

2. No undue degenerative signs of vitreous or chorioretina to be present suggesting progressive myopia.

3. Should have good binocular vision, fusion faculty and full field of vision in both eyes.

4. There should be no organic disease likely to exacerbations or deterioration.

Myopia—Not to exceed 0.5 dioptre in any one meridian.

Binocular Vision

The candidates must possess good binocular vision (fusion faculty and full field of vision in both eyes).

Colour Vision

Candidates who do not possess the minimum colour perception standard CP-3 (Defective State), defined below will be declared Unfit :—

CP-3 (Defective Safe)—Candidates should be able to recognise white. Signal red and signal green colours correctly as shown by Martin's Lantern at a distance of 1.5 metres or read the requisite plates of Ishihara Bock/Tokyo Medical College Book.

Visual Standard (Navy)

(a) Visual Acuity

Standard I	Better eye	Worse eye
	V-6/6	V-6/9
Distant Vision		
	Correctable to 6/6	

Navy (i)—Visual standard I. No glasses will be worn by candidates for the Executive Branch but these standards may be relaxed if permitted by Naval Headquarters, for a limited number of otherwise suitable candidates of Engineering, Electrical and Supply and Secretariat Branches up to 6/18, 6/36 correctable to 6/6 both eyes with glasses.

(ii) *Special requirements* :

Normally Cadets/Direct entry officers for all Branches of the Navy will not be tested for Della Caca for Night Vision acuity (NVA) as a routine and will be asked to furnish the following certificate at the time of medical examination which will be attached to the medical board proceedings :—

'I hereby certify that to the best of my knowledge there has not been any case of congenital night blindness in our family, and I do not suffer from it'.

Signature of the candidate

Countersignature of the Medical Officer

Heterophoria

Limits of Heterophoria with the Maddox Rod/Wing tests (provided convergence insufficiency and other symptoms are absent) must not exceed :—

(a) At 6 metres—

Exophoria 8 prism dioptres
Esophoria 8 prism dioptres
Hyperphoria 1 prism dioptre

(b) At 30 cms—

Esophoria 6 prism dioptres
Exophoria 16 prism dioptres
Hyperphoria 1 prism dioptre

	Executed level
Limits of hypermetropia (under homatropine)	Better Eyes
Hypermetropia . . .	1·5 dioptres
Simple Hypermetropic . .	0·75 dioptre
Astigmatism	
Compound Hypermetropic Astigmatism	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 1·5 dioptres of which not more than 0·75 dioptre may be due to astigmatism.
	Worse-Eyes
Hypermetropia . . .	2·5 dioptres
Simple Hypermetropic Astigmatism	1·5 dioptres
Compound Hypermetropic Astigmatism	The error in the more hypermetropic meridian must not exceed 2·5 dioptres of which not more than 1·0 dioptre may be due to astigmatism.

6. *Hearing Standard*—

Hearing will be tested by speech test. Where required audiometric records will allso be taken.

(a) *Speech test.*—The candidate should be able to hear a forced whisper with each ear separately standing with his back to the examiner at a distance of 609.5 cm. in a reasonably quiet room. The examiner should whisper with the residual air; that is to say at the end of an ordinary expiration.

(b) *Audiometric record.*—The candidate will have no loss of hearing in either ear at frequencies 128 to 4096 cycles per second. Audiometry reading between plus 10 and minus 10. (Not applicable to Navy).

APPENDIX III

(Brief Particulars of service etc.)

(A) FOR CANDIDATES JOINING THE INDIAN MILITARY ACADEMY, DEHRA DUN.

1. Before the candidate joins the Indian Military Academy—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operatoin performed upon or anaesthesia administred to him for the treatment any injury received as aforesaid or otherwise;

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that if for any reason considered within his control, the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training for about 18 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets'. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Indian Military Academy.

3. While the cost of training including accommodations, books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses at the Indian Military Academy are not likely to exceed Rs. 55.00 per mensem. If a cadet's parent or guardian is unable to meet wholly or partly even this expenditure financial assistance may be granted by the Government. No cadet whose parent or guardian has an income of Rs. 450.00 per mensem or above would be eligible for the grant of the financial assistance. The immovable property and other assets and income from all source are also taken into account for determining the eligibility for financial assistance.

The parent/guardian of a candidate desirous of having any financial assistance, should immediately after his son/ward has been finally selected for training at the Indian Military Academy submit an application through the District Magistrate of his District who will, with his recommendations, forward the application to the Commandant, Indian Military Academy, Dehra Dun.

4. Candidates finally selected for training at the Indian Military Academy will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for the five months at Rs. 55.00 per month—Rs. 275.00

(b) For items of clothing and equipment.—Rs. 800.00

Total : Rs. 1075.00

Out of the amount mentioned above the following amount is refundable to the cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them :—

Pocket allowance for five months at Rs. 55.00 per months—Rs. 275.00.

5. The following scholarships are tenable at the Indian Military Academy :—

(1) PARSHURAM BHAU PATWARDHAN Scholarship.—This scholarship is awarded to cadets from MAHARASHTRA AND KARNATAKA. The value of one scholarship is up to the maximum of Rs. 500.00 per annum for the duration of a cadet's stay at the Indian Military Academy subject to the cadet making satisfactory progress. The cadets who are granted this scholarship will not be entitled to any other financial assistance from the Government.

(2) COLONEL KENDAL FRANK MEMORIAL Scholarship.—This Scholarship is of the value of Rs. 360.00 per annum and is awarded to an eligible Maratha cadet who should be a son of ex-serviceman. The Scholarship is in addition, to any financial assistance from the Government.

6. An outfit allowance at the rates and under the general conditions applicable at the time for each cadet belonging to the Indian Military Academy will be placed at the disposal of the Commandant of the Academy. The unexpended portion of this allowance will be—

(a) handed over to the cadet on his being granted a Commission; or

(b) if he is not granted a commission, refunded to the state.

On being granted a commission, article of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles will, however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The article withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

7. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ. Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Indian Military Academy. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may, with permission of the Government, be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Commission will be granted only on successful completion of training. The date of commission will be that following the date of successful completion of training. Commission will be permanent.

9. Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service after the grant of commission will be identical with those applicable from time to time to regular officers of the army.

Training :

10. At the Indian Military Academy, Army Cadets are known as Gentlemen Cadets and are given strenuous military training for a period of 18 months aimed at turning out officers capable of leading infantry sub-units. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Permanent Commission in the rank of 2nd Lt. subject to being medically fit in S.H.A.P.E.

11. *Terms and Conditions of Service*

(i) PAY

Rank	Pay scale	Rank	Pay Scale
	Rs.		Rs.
2nd Lieut	750—790	Lt. Colonel (Time scale)	1800 fixed
Lieut	830—950	Colonel	1950—2175
Captain	1100—1550	Brigadier	2200—2400
Major	1450—1800	Maj General	2500 125/2-2750
Lt. Colonel (By selection)	1750—1950	Lt. General	3000 p.mn

(ii) QUALIFICATION PAY AND GRANT

Officers of the rank of Lt Col and below possessing certain prescribed qualifications are entitled to a lump sum grant of Rs. 1600/-, 2400/-, 4500/- or 6000/-, based on the qualifications held by them. Flying Instructors (Cat. 'B') are authorised qualification pay @ Rs. 70/- p.m.

(iii) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer at present receives the following allowances—

(a) Compensatory (city) and Dearness Allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the civilian Gazetted Officers from time to time.

(b) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(c) Expatriation Allowance is admissible when serving outside India. This varies from 25% to 40% of the corresponding single rate of foreign allowance.

(d) *Separation allowance* : Married officers posted to non-family stations are entitled to receive separation allowance of Rs. 70 p.m.

(e) Outfit Allowance—Initial outfit allowance is Rs. 1400/-. A fresh outfit allowance @ Rs. 1200/- is to be claimed after every seven years of the effective service commencing from the date of first commission.

(iv) POSTING

Army officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

(v) PROMOTION

(a) *Substantive promotion*

The following are the service limits for the grant of substantive promotion to higher ranks :—

by time scale

Lt.	2 years of Commissioned Service
Capt.	6 years of Commissioned Service
Major	13 years of Commissioned Service
Lt. Col. from Major (if not promoted by Selection)	25 years of Commissioned Service

by selection

Lt. Col	16 years of Commissioned Service
Col.	20 years of Commissioned Service
Brigadier	23 years of Commissioned Service
Major Gen.	25 years of Commissioned Service
Lt. Gen.	28 years of Commissioned Service
Gen.	No restriction

(b) *Acting promotion*

Officers are eligible for acting promotion to higher ranks on completion of the following minimum Service limits subject to availability of vacancies :

Captain	3 years
Major	5 years
Lt. Colonel	6-1/2 yars
Colonel	8-1/2 years
Brigadier	12 years
Major General	20 years
Lt. General	25 years

(B) FOR CANDIDATES JOINING THE NAVAL ACADEMY, COCHIN.

1. (a) Candidates finally selected for training at the Academy will be appointed as cadets in the Executive Branch of the Navy. They will be required to deposit the following amount with the Officer-in-Charge, Naval Academy, Cochin.

(1) Candidates not applying for government financial aid :

(i)	Pocket allowance for five months @Rs. 45·00 per month	Rs.	225·00
(ii)	For items of clothing and equipment	Rs.	460·00
	Total	Rs.	685·00

(2) Candidates applying for Government financial aid:

(i)	Pocket allowance for two months, @Rs. 45·00 per month	Rs. 90·00
(ii)	For items of clothing and equipment	Rs. 460·00
	Total	Rs. 550·00

(b) (i) Selected Candidates will be appointed as cadets and undergo training in Navel Ships and Establishments as under :

(a)	Cadets Training including afloat training for 6 months	1 year
(b)	Midshipmen afloat Training	6 months
(c)	Acting Sub-Lieutenant Technical Courses	12 months
(d)	Sub-lieutenants	

A minimum period of 6 months at sea is essential to obtain a watch-keeping certificate.

(ii) The cost of training including accommodation and allied services, books, uniform, messing and medical treatment of the cadets at the Naval Academy will be borne by the Government. Parents or guardians of cadets will however, be required to meet their pocket and other private expense while they are cadets. When a cadet's parent or guardian has an income less than Rs. 450 per mensem and is unable to meet wholly or partly the pocket expenses of the cadet, financial assistance up to Rs. 55 per mensem may be granted by the Government. A candidate desirous of securing financial assistance may immediately after his selection, submit an application through the District Magistrate of his District, who will, with his recommendations, forward the application to the Director of Personnel Service, Naval Headquarters, New Delhi :

Provided that in a case where two or more sons or wards of a parent or guardian are simultaneously undergoing training at Naval ships/establishments, financial assistance as aforesaid may be granted to all of them for the period they simultaneously undergo training, if the income of the parent or guardian does not exceed Rs. 500 p.m.

(iii) Subsequent training in ships and establishments of the Indian Navy is also at the expense of the Government. During the first six months of their training after leaving the Academy financial concession similar to those admissible at the Academy vide sub-para (ii) adove will be extended to them. After six months of training in ships and establishments of the Indian Navy, when Cadets are promoted to the rank of Midshipman they begin to receive pay and parents are not expected to pay for any of their expenses.

(iv) In addition to the uniform provided free by the Government cadets should be in possession of some other items of clothing. In order to ensure correct pattern and uniformity these items will be made at Naval Academy and cost will be met by the parents or guardians of the cadets. Cadets applying for financial assistance may be issued with some of these items of clothing free or on loan They may only be required to purchase certain items

(v) During the period of training Service Cadets may receive pay and allowances of the substantive rank held by them as a sailor or as a boy or as an apprentice at the time of selection as cadets. They will also be entitled to receive increments of pay, if any, admissible in that rank. If the pay and allowances of their substantive rank be less than the financial assistance admissible to direct cadets and provided they are eligible for such assistance, they will also receive the difference between the two amounts

(vi) No cadet will normally be permitted to resign while under training. A cadet who is not considered suitable to complete the full course at the Indian Naval Ships and establishment may, with the approval of the Government be withdrawn from training and discharged. A service cadet under these circumstances may be reported to his original appointment. A cadet thus discharged or reverted will not be eligible for re-admission to a subsequent course. Cases of cadets who are allowed to resign on compassionate grounds may, however, be considered on merit.

2. Before a candidate is selected as a cadet in the Indian Navy, his parent or guardian will be required to sign—

(a) A certificate to the effect that he fully understands that he or his son or ward shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in resect of any injury which his son or ward may sustain in the course of or as a result of the training or whose bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) A bond to the effect that if for any reasons considered within the control of the candidate, he wishes to withdraw from training or fails to accept a commission, if offered, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition, food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by Government.

3. *PAY AND ALLOWANCES*

(a) PAY

Rank	Pay Scale — General Service
Midshipman	Rs. 560
Ag. Sub Lieut.	Rs. 750
Sub. Lieut.	Rs. 830—870
Lieut.	Rs. 1100—1450
Lieut. Cdr.	Rs. 1450—1800
Commander (By Selection)	Rs. 1750—1950
Commander (By time Scale)	Rs. 1800 fixed
Captain	Rs. 1950—2400 (Commodore receives pay to which entitled according to seniority as Captain).
Rear Admiral	Rs. 2500-125/2-2750
Vice Admiral	Rs. 3000.

(b) ALLOWANCES

In addition to pay, an officer receives the following allowances :—

(i) Compensatory (City) and dearness allowances are admissible at the same rates and under the same conditions as are applicable to the Civilian Gazetted officers from time to time.

(ii) A kit maintenance allowance of Rs. 50 p.m.

(iii) When officers are serving outside India expatriation allowance ranging from Rs. 50 to Rs. 250 p.m. depending on rank held; is admissible.

(iv) A separation allowance of Rs. 70 p.m. is admissible to—

(i) married officers serving in non-family station; and

(ii) married officers serving on board I.N. Ships for the period during which they remain in ships away from the base ports.

(v) Free ration for the periods they remain in the ships away from the base ports.

NOTE I :—In addition certain special concessions like hard-lying money, sub-marine allowance, sub-marine pay, survey bounty, qualification pay/grant and diving pay are admissible to officers.

NOTE II :—Officers can volunteer for Service in Sub-marine or Aviation Arms. Officers selected for Service in these arms are entitled to enhanced pay and special allowances.

4. PROMOTION

(a) By time scale

Midshipman to Ag. Sub. Lieut.	1-2 year
Ag. Sub. Lieut. to Sub. Lieut.	1 year
Sub. Lieut. to Lieut.	3 years as Ag. and confirmed Sub. Lt. (Subject to gain) forfeiture of seniority).
Lieut. to Lieut. Cdr.	8 years seniority as Lieut.
Lieut. Cdr. no Cdr. (if not promoted by selection	24 years (reckonable commissioned service)

(b) By selection

Lieut. Cdr-to Cdr.	2--8 years seniority as Lieut Cdr. to
Cdr.to Capt.	4 years seniority as Cdr.
Capt. to Rear Admiral and above.	No service restriction.

5. *POSTING*

Officers are liable to serve anywhere in India and abroad.

NOTE.—Further information, if desired, may be obtained from the Director of Personnel Service Naval Headquarters, New Delhi-110011.

(C) FOR CANDIDATES JOINING THE OFFICERS' TRAINING SCHOOL, MADRAS.

1. Before the candidate joins the Officers Training School, Madras—

(a) he will be required to sign a certificate to the effect that he fully understands that he or his legal heirs shall not be entitled to claim any compensation or other relief from the Government in respect of any injury which he may sustain in the course of or as a result of the training, or where bodily infirmity or death results in the course of or as a result of a surgical operation performed upon or anaesthesia administered to him for the treatment of any injury received as aforesaid or otherwise.

(b) his parent or guardian will be required to sign a bond to the effect that, if for any reason considered within his control the candidate wishes to withdraw before the completion of the course or fails to accept a commission if offered or marries while under training at the Officers' Training School, he will be liable to refund the whole or such portion of the cost of tuition food, clothing and pay and allowances received as may be decided upon by the Government.

2. Candidates finally selected will undergo a course of training at the Officers' Training School for an approximate period of 9 months. Candidates will be enrolled under the Army Act as 'gentlemen cadets'. Gentlemen cadets will be dealt with for ordinary disciplinary purposes under the rules and regulations of the Officers' Training School.

3. While the cost of training, including accommodation books, uniforms, boarding and medical treatment will be borne by Government, candidates will be expected to meet their pocket expenses themselves. The minimum expenses during pre-Commission training are not likely to exceed Rs. 55 per month but if the cadets pursue any hobbies such as photography, Shikar, hiking, etc. they may require additional money. In case, however, the cadet is unable to meet wholly or partly even the minimum expenditure, financial assistance at rates which are subject to change from time to time, may be given provided the cadet and his parent/guardian have an income below Rs. 450 per month. The rate of assistance under the existing orders is Rs. 55 per month. A candidate desirous of having financial assistance should immediately after being finally selected for training submit an application on the prescribed form through the District Magistrate of his district who will forward the application to the Commandant Officers Training School, MADRAS along with his verification report.

4. Candidates finally selected for training at the Officers Training School will be required to deposit the following amount with the Commandant on arrival :—

(a) Pocket allowance for ten months at Rs. 55.00 per month	Rs. 550.00
(b) For items of clothing and equipment.	Rs. 500.00
Total	Rs. 1050.00

Out of the amount mentioned above, the amount mentioned in (b) above is refundable to the Cadets in the event of financial assistance being sanctioned to them.

5. Outfit allowance will be admissible under orders as may be issued from time to time.

On being granted a commission articles of clothing and necessaries purchased from this allowance shall become the personal property of the cadet. Such articles, will however, be withdrawn from a cadet who resigns while under training or who is removed or withdrawn prior to commissioning. The articles withdrawn will be disposed of to the best advantage of the State.

6. No candidate will normally be permitted to resign whilst under training. However, Gentlemen Cadets resigning after the commencement of training may be allowed to proceed home pending acceptance of their resignation by Army HQ Cost of training, messing and allied services will be recovered from them before their departure. They and their parents/guardians will be required to execute a bond to this effect before the candidates are allowed to join Officers' Training School.

7. A Gentleman Cadet who is not considered suitable to complete the full course of training may with permission of Government be discharged. An Army candidate under these circumstances will be reverted to his Regiment or Corps.

8. Pay and allowances, pension, leave and other conditions of service, after the grant of commission, are given below

9. *Training*

1. Selected candidates will be enrolled under the Army Act as Gentlemen Cadets and will undergo a course of training at the Officers Training School for an approximate period of nine months. On successful completion of training Gentlemen Cadets are granted Short Service Commission in the rank of 2/Lt from the date of successful completion of training.

10. *Terms and conditions of Service*

(a) *Period of probation*

An officer will be on probation for a period of 6 months from the date he receives his Commission. If he is reported on within the probationary period as unsuitable to retain his commission, it may be terminated at any time, whether before or after the expiry of the probationary period.

(b) *Posting*

Personnel granted Short Service Commissions are liable to serve anywhere in India and abroad.

(c) *Tenure of appointment and Promotion*

Short Service Commission in the Regular Army will be granted for a period of five years. Such officers who are willing to continue to serve in the Army after the period of five years' Short Service Commission may if eligible and suitable in all respects, be considered for the grant of Permanent Commission in the last year of their Short Service Commission in accordance with the relevant rules. Those who fail to qualify for the grant of Permanent Commission during the tenure of five years, would be released on completion of the tenure of five years.

(d) *Pay and Allowances*

Officers granted Short Service Commission will receive pay and allowances as applicable to the regular officers of the Army.

Rates of pay for 2/Lt and Lieut, are :—

Second Lieut.	Rs. 750—790 p.m.
Lieut.	Rs. 830—950 p.m.
Plus other allowances as laid down for regular officers	

(e) *Leave* : For leave, these officers will be governed by rules applicable to Short Service Commission Officers as given in Chapter V of the Leave Rules for the Service Vol I—Army. They will also be entitled to leave on passing out of the Officers Training School and before assumption of duties under the provisions of Rule 91 ibid.

(f) *Termination of Commission* : An officer granted Short Service Commission will be liable to serve for five years but his Commission may be terminated at any time by the Government of India—

(i) for misconduct or if services are found to be unsatisfactory; or

(ii) on account of medical unfitness; or

(iii) if his services are no longer required; or

(iv) if he fails to qualify in any prescribed test or Course.

An officer may on giving three months notice be permitted to resign his Commission on compassionate grounds of which the Government of India will be the sole judge. An officer who is permitted to resign his Commission on compassionate grounds will not be eligible for terminal gratuity.

(g) *Pensionary benefits*

(i) These are under consideration.

(ii) SSC officers on expiry of their five years' term are eligible for terminal gratuity of Rs. 5,000.00.

(h) *Reserve Liability*

On being released on the expiry of the five years Short Service Commission or extension thereof, they will carry a reserve liability for a period of five years or up to the age of 40 years whichever is earlier.

(i) *Miscellaneous* : All other terms and conditions of Service where not at variance with the above provisions will be the same as for regular officers.

APPENDIX IV

The form of the certificate to be produced by Scheduled Castes and Scheduled Tribes Candidates applying for appointment to posts under the Government of India.

This is to certify that Shri —————————son of Shri ——————— of village/town* ——————— ——————— in District/Division* ——————— of the State/Union Territory* ——————— belongs to the ———————Caste/Tribe* which is recognised as a Scheduled Caste/Scheduled Tribe* under :—

the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950*

the Constitution (Scheduled Tribes) Order 1950*

the Constitution (Scheduled Castes) (Union Territories) Order, 1951*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Union Territories) Order, 1951*

[as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970, the North Eastern Areas (Reorganisation) Act, 1971 and the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976]

the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956*

the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959 as amended by the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Orders (Amendment) Act, 1976*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes Order, 1962*

the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962*

the Constitution (Pondicherry), Schedule Castes Order, 1964*

the Constitution (Scheduled Tribes) (Uttar Pradesh) Order, 1967*

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Castes Order, 1968*.

the Constitution (Goa, Daman and Diu) Scheduled Tribes Order, 1968*.

the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970*.

2. Shri ——— and/or* his family ordinarily reside(s) in village/town* ——— of ——— District/Division* of the State/Union Territory* of———

Signature.....

**Designation.....

State/Union Territory*.....

(with seal of office)

Place.....

Date.....

*Please delete the words which are not applicable.

NOTE.—The term 'ordinarily reside(s)' used here will have the same meaning as in Section 20 of the Representation of the People Act, 1950.

**Officers competent to issue Caste/Tribe Certificates :

(i) District Magistrate/Additional District Magistrate/Collector/Deputy Commissioner/Additional Deputy Commissioner/Deputy Collector/1st Class Stipendiary Magistrate/City Magistrate/†Sub-Divisional Magistrate/Taluka Magistrate/Executive Magistrate/Extra Assistant Commissioner.

†(Not below the rank of 1st Class Stipendiary Magistrate).

(ii) Chief Presidency Magistrate/Additional Chief Presidency Magistrate/Presidency Magistrate.

(iii) Revenue Officers not below the rank of Tehsildar.

(iv) Sub-Divisional Officer of the area where the candidate and/or his family normally resides.

(v) Administrator/Secretary to Administrator/Development Officer, Lakshadweep.

APPENDIX V

CANDIDATES' INFORMATION MANUAL

A. OBJECTIVE TEST

Your examination will be what is called on 'OBJECTIVE TEST'. In this kind of examination (test) you do not write detailed answers. For each question (hereinafter referred to as item) several possible answers (hereinafter referred to as responses) are given. You have to choose one response to each item.

This Manual is intended to give you some information about the examination so that you do not suffer due to unfamiliarity with the type of examination.

B. NATURE OF THE TEST

The question paper will be in the form of a TEST BOOKLET. The booklet will contain items bearing numbers 1, 2, 3, ...etc. Under each item will be given suggested responses marked a, b, c, ...etc. Your task will be to choose the correct or if you think there are more than one correct, then the best response. (see "sample items" at the end) In any case, in each item you have to select only one response; if you select more than one, your answer will be considered wrong.

C. METHOD OF ANSWERING

A separate ANSWER SHEET will be provided to you in the examination hall. You have to mark your answer on the answer sheet. Answers marked on the Test Booklets or in any paper other than the answer sheet will not be examined.

In the answer sheet, number of the items from 1 to 200 have been printed in four 'Parts'. Against each item, respones, a, b, c, d, e, are printed. After you have read each item in the Test Booklet and decided which of the given response is correct or the best, you have to mark the rectangle containing the letter of the selected response by blackening it completely with pencil as shown below (to indicate your response). Ink should not be used in blackening the rectangles on the answer sheet.

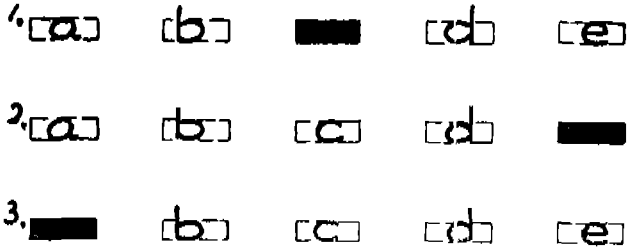

Your answer sheet (specimen enclosed) will be scored by an optical scoring machine which is sensitive to improper marking, use of non-HB pencils, and mutilated answer sheets. It is, therefore important that—

1. You bring and use only good quality HB pencil(s) for answering the items. The machine may not read the marks with other pencils or pens correctly.

2. If you have made a wrong mark, erase it completely and re-mark the correct response. For this purpose, you must bring along with you an eraser also.

3. Do not handle your answer sheet in such a manner as to multilate or fold or wrinkle or spindle it.

D. SOME IMPORTANT REGULATIONS

1. You are required to enter the examination hall twenty minutes before the prescribed time for starting of the examination and get seated immediately.

2. Nobody will be admitted to the test 30 minutes after the commencement of the test.

3. No candidate will be allowed to leave the examination hall until 45 minutes have passed after the commencement of the examination.

4. After finishing the examination, submit the Test Booklet and the answer sheet to the Invigilator/Supervisor. You ARE NOT PERMITTED TO TAKE THE TEST BOOKLET OUT OF THE EXAMINATION HALL. YOU WILL BE SEVERELY PENALISED IF YOU VIOLATE THIS RULE.

5. Write clearly in ink the name of the examination/test, your Roll No. Centre, subject, date and serial number of the Test Booklet at the appropriate space provided in the answer sheet. You are not allowed to write your name anywhere in the answer sheet.

6. You are required to read carefully all instructions given in the Test Booklet. Since the evaluation is done mechanically, you may lose marks if you do not follow the instructions meticulously. If any entry in the answer sheet is ambiguous then you will get no credit for that item response. Follow the instructions given by the Supervisor. When the Supervisor asks you to start or stop a test or part of a test, you must follow his instructions immediately.

7. Bring your Admission Certificate with you. You should also bring a HB pencil an eraser, a pencil sharpener, and a pen containing blue or black ink. You are not allowed to bring any scrap (rough) paper, or scales or drawing instrument into the examination hall as they are not needed. Separate sheets for rough work will be provided to you. You should write the name of the examination, your Roll No. and the date of the test on it before doing your rough work and return it to the supervisor along with your answer sheet at the end of the test.

E. SPECIAL INSTRUCTIONS

After you have taken your sheet in the hall, the invigilator will give you the answer sheet. Fill up the required information on the answer sheet with your *pen*. After you have done this, the invigilator will give you the Test Booklet. Each Test Booklet will be sealed in the margin so that no one opens it before the test starts. As soon as you have got your Test Booklet, ensure that it contains the booklet number and it is sealed, otherwise get it changed. After you have done this, you should write the serial number of your Test Booklet on the relevant column of the Answer Sheet. You are *not* allowed to break the seal of the Test Booklet until you are asked to do so by the supervisor.

F. SOME USEFUL HINTS

Although the test stresses accuracy more than speed, it is important for you to use your times as efficiently as possible. Work steadily and as rapidly as you can without becoming careless. Do not worry if you cannot answer all the questions. Do not waste time on questions which are too difficult for you. Go on to the other questions and come back to the difficult ones later.

All questions carry equal marks. Answer all the questions. Your score will depend only on the number of correct responses indicated by you. There will be no negative marking.

The questions are designed to measure your knowledge, understanding and analytical ability, not just memory. It will help you if you review the relevant topics, to be sure that you UNDERSTAND the subject thoroughly.

G. CONCLUSION OF TEST

Stop writing as soon as the Supervisor asks you to stop. After you have finished answering, remain in your seat and wait till the invigilator collects the Test Booklet and answer sheet from you and permits you to leave the Hall. You are not allowed to take the Test Booklet and the answer sheet out of the examination Hall.

SAMPLE ITEMS (QUESTIONS)

1. Which one of the following causes is NOT responsible for the down fall of the Mauryan dynasty ?

(a) the successors of Asoka were all weak.

(b) there was partition of the Empire after Asoka.

(c) the northern frontier was not guarded effectively.

(d) there was economic bankruptcy during post-Asoka era.

(Answer—d)

2. In a parliamentary form of Government

(a) the Legislature is responsible to the Judiciary.

(b) the Legislature is responsible to the Executive.

(c) the Executive is responsible to the Legislature.

(d) the Judiciary is responsible to the Legislature

(e) the Executive is responsible to the Judiciary.

(Answer—c)

3. The main purpose of extra-curricular activities for pupils in a school is to :

(a) facilitate development.

(b) prevent disciplinary problems.

(c) provide relief from the usual class room work

(d) allow choice in the educational programme.

(Answer—a)

4. The nearest planet to the Sun is :

(a) Venus

(b) Mars

(c) Jupitar

(d) Mercury

(Answer—d)

5. Which of the following statements explains the relationship between forests and floods ?

(a) the more the vegetation, the more is the soil erosion that causes floods.

(b) the less the vegetation, the less is the silting of rivers that causes floods.

(c) the more the vegetation, the less is the silting of rivers that prevents floods.

(d) the less the vegetation, the less quickly does the snow melt that prevents floods.

(Answer—c)

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1979